त्रयोदश माला, खंड 25, अंक 34

गुरुवार, 9 मई, 2002
19 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 34, गुरुवार, 9 मई, 2002/19 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 621 से 624.	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 625 से 640. . .	25-54
अतारांकित प्रश्न संख्या 6448 से 6628 . . .	55-241
सभा पटल पर रखे गए पत्र	241
राज्य सभा से संदेश	245
वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति	
तीसरा प्रतिवेदन .	246
रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के बारे में	257
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) का पुनरुद्धार न किया जाना	
श्री बसुदेव आचार्य .	258
श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी .	258
श्री प्रियरंजन दासमुंशी .	267
कुमारी ममता बनर्जी .	268
बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक—पुर:स्थापित . .	270
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में कलार, कलवार, और कलाल जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
डा. मदन प्रसाद जायसवाल . . .	276
(दो) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बहुल प्रखंडों का शीघ्र विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण गिलुवा	277

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(तीन)	आगरा और मुम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री थावरचन्द गेहलोत .	277
(चार)	मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर और लखनादौन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामनरेश त्रिपाठी .	277
(पांच)	कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में समुद्र से भू-क्षरण रोकने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार	278
(छह)	औद्योगिक राजसहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर में श्रमिक कालोनियों में रह रहे श्रमिकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	278
(सात)	सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना करने के लिए त्रिपुरा पुलिस बल का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री खागेन दास	279
(आठ)	भारत में जार और बोतलों में बेचे जा रहे मिनिरल वाटर की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	डा० मन्दा जगन्नाथ. .	279
(नौ)	तमिलनाडु में अर्कोनम बस स्टैण्ड के सामने उपनगरीय रेल टर्मिनल बनाए जाने की आवश्यकता	
	डा० एस० जगतरक्षकन .	280
(दस)	बिहार में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मंजय लाल .	280
(ग्यारह)	देश में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्यटन सर्किटों का विकास किए जाने की आवश्यकता	
	डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	281
(बारह)	पंजाब में नगरपालिकाओं के सुचारू कार्यकरण के लिए राज्य सरकार को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का वितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनोद खन्ना.	281
(तेरह)	कर्नाटक में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के लिए धनराशि शीघ्र निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी०एस० बसवराज	282

विषय कॉलम

(चौदह) हिमाचल प्रदेश में धामी और कुनिहार के बीच किंगल धामी धामी मार्ग के शेष भाग का केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य 282

(पन्द्रह) देश में व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता

डा० नीतिश सेनगुप्ता . 283

सरकारी विधेयक—पारित

(एक) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री रूपचन्द पाल 283

प्रो० रासासिंह रावत. . . 289

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 291

श्री ए० ब्रह्मनैया. 301

श्री चन्द्रनाथ सिंह . 302

श्री आदि शंकर 306

श्री मधुसूदन मिस्त्री . 308

श्री गिरधारी लाल भार्गव . . 311

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह. 312

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय 315

श्री प्रबोध पण्डा 318

श्री सुरेश रामराव जाधव 319

श्री बसुदेव आचार्य 320

श्री एन०टी० षणमुगम 324

श्री रामदास आठवले 325

श्री बालासाहिब विखे पाटील . 326

खंड 2 से 4, 7 और 1 334

पारित करने के लिए प्रस्ताव 336

(दो) बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बालासाहिब विखे पाटील 336

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल . 337

श्री वरकला राधाकृष्णन. 339

विषय	कॉलम
श्री सी०पी० राधाकृष्णन . .	342
श्री प्रियरंजन दासमुंशी . .	343
श्री सुरेश रामराव जाधव .	344
कुंवर अखिलेश सिंह	346
श्री थावरचन्द गेहलोत .	346
श्री रामदास आठवले	347
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	348
खंड 2 और 1	350
पारित करने के लिए प्रस्ताव . . .	350

लोक सभा

गुरुवार, 9 मई, 2002/19 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई।*]

[हिन्दी]

(व्यवधान)

डॉ० संजय पासवान (नवादा) : सभापति महोदय, बिहार में आज फिर हत्या हुई है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी नहीं, जीरो आवर में आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप यह मुद्दा 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं। प्रश्न सं० 621।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पासवान जी, कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने के लिए समय दूंगी, अभी नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अनुशासन बनाये रखें। यह प्रश्न काल है।

आप बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया महिला सदस्य को बोलने का अवसर दें।

[हिन्दी]

जीरो आवर में आपको टाइम देंगे। अभी आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। प्रश्न काल के दौरान व्यवधान न डालें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री पासवान, आप बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने जो भी बोलना है, बाद में उठाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पासवान जी, कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्वैश्चन आवर के बाद उठाइए, मैं आपको बोलने का चांस दूंगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जीरो आवर में उठाइए, अभी नहीं बोलने दूंगी। कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न काल समाप्त होने दीजिए। मैं आपको समय दूंगी। प्रश्न सं० 621।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इस्पात संयंत्रों का बंद होना

*621. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :**
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कुछ इस्पात संयंत्र बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं या उनमें उत्पादकता कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयंत्र-वार इसके कारण क्या है;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान "सेल" के अंतर्गत इस्पात संयंत्रों द्वारा, संयंत्र-वार, कितना लाभ कमाया गया या हानि उठाई गई; और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ङ) सरकार द्वारा इन संयंत्रों, को प्रभावी बनाने, चालू रखने और लाभ अर्जक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) गत दो वर्षों में प्राथमिक क्षेत्र (अपरिष्कृत इस्पात की वार्षिक क्षमता 5 लाख टन से अधिक) में न तो किसी संयंत्र को बंद किया गया है और न ही कोई संयंत्र कम उत्पादन करने वाला संयंत्र बना है। तथापि, कुछ इस्पात संयंत्रों में मुख्यत: प्रचालनात्मक कारणों से उत्पादन में मामूली कमी हुई है।

गौण क्षेत्र में, 90 के दशक में चल रही 188 विद्युत चाप भट्टी (ई०ए०एफ०) इकाइयों में से अब केवल 38 इकाइयां चल रही हैं। 90 के दशक में चल रही 949 प्रेरण भट्टी (आई०एफ०) इकाइयों में से फिलहाल केवल 657 इकाइयां चल रही हैं।

(ग) इस्पात संयंत्रों के काम न करने के प्रमुख कारणों में (i) घरेलू बाजार में इस्पात की अत्यधिक आपूर्ति तथा कम मांग (ii) कम कीमतों पर इस्पात का आयात (iii) इस्पात की कीमतों में गिरावट (iv) उच्च उत्पादन लागत (v) अनेक आयात करने वाले देशों द्वारा शुरू किए गए सुरक्षात्मक उपायों के कारण भारतीय इस्पात के महत्वपूर्ण निर्यात बाजार का बंद होना (vi) भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी तथा विश्व इस्पात बाजार में मंदी का रूख तथा (vii) अप्रचलित प्रौद्योगिकी विशेष तौर पर गौण क्षेत्र के संबंध में शामिल है।

(घ) वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान सेल के संयंत्रों द्वारा अर्जित लाभ के संबंध में संयंत्र-वार वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए)

संयंत्र/इकाई	2001-02 (अप्रैल-दिसंबर)
बी०एस०पी०	(+) 223
डी०एस०पी०	(-) 204
आर०एस०पी०	(-) 797
बी०एस०एल०	(-) 239
ए०एस०पी०	(-) 107
एस०एस०पी०	(-) 112
वी०आई०एस०एल०	(-) 70
अन्य कार्यालय/इकाइयां	(+) 16
सेल	(-) 1290
इस्को	(-) 115

(ङ) सरकार ने इस्पात संयंत्रों की मदद करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में से कुछ हैं :- (i) बाजारों के विकास के जरिए इस्पात की खपत को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन, (ii) उपयोग के नए क्षेत्रों जैसे अनाज भंडारण प्रणालियों, राजमार्गों और एक्सप्रैस मार्गों पर क्रैश बैरियरों में इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित करना, (iii) उत्पादन लागत में कमी करने तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा (iv) इस्पात के उपयोग संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए सेमिनारों का आयोजन करना।

इसके अतिरिक्त, अपने संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के लिए सेल ने भी निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

- व्यापक लागत नियंत्रण अभियान जिसमें लब्धि में सुधार, कोकिंग कोयले तथा अन्य कच्चे माल की खपत में कमी करना, विद्युत तथा ईंधन की खपत में कमी करना, भंडार तथा उपस्करों की खपत में कमी करना तथा अन्य प्रमुख प्रौद्योगिक आर्थिक प्राचलों में सुधार करना आदि शामिल है।
- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) का कार्यान्वयन।
- बाजरोन्मुखी उत्पाद मिश्र, बिक्री तंत्र को बढ़ाना तथा ग्राहक संतुष्टिकरण आदि पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करना।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने फरवरी, 2002 में सेल के वित्तीय तथा कारोबार पुनर्गठन पैकेज को भी मंजूरी दी है, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

- इसको दिए गए इस्पात विकास निधि (एस०डी०एफ०) से 5073 करोड़ रुपए तथा भारत सरकार से 381 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करना।
- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) के माध्यम से जनशक्ति में कमी करने के लिए सेल द्वारा बाजार से जुटाई जाने वाली 1500 करोड़ रुपए की राशि के ऋण तथा ब्याज के लिए 50% की ब्याज इमदाद सहित सरकारी गारंटी का प्रावधान।
- 1999-2000 के दौरान पूर्व ऋणों पर चुकौती दायित्वों को पूरा करने के लिए सेल द्वारा बाजार से जुटाए जाने वाले 1500 करोड़ रुपए के ऋण तथा उस पर ब्याज के लिए सरकारी गारंटी।

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि सरकार ने परियोजना समन्वय समूह का गठन किया है जो सभी चालू लौह तथा इस्पात परियोजनाओं के सुचारू अनुपालन के तरीके खोजेगा और इसके लिए उपाय सुझायेगा ताकि

विद्यमान लौह तथा इस्पात संयंत्रों की समस्याओं को दूर किया जा सके। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जनाना चाहती हूं कि उस समूह ने कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं और उनमें से कितनी सिफारिशों को मंजूर और क्रियान्वित किया गया है। इस संबंध में किन कदमों पर विचार किए जाने की संभावना है ? मैं उन सिफारिशों की स्वीकृति के कारण भी जानना चाहती हूं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदया, भारतीय इस्पात उद्योग खपत, निवेश, मूल्य और लाभ, जैसे सभी प्रमुख कार्यनिष्पादन सूचकों के संबंध में काफी धीमी गति से कार्य कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था, दोनों में मंदी होने के कारण ही आज यह स्थिति हो गई है। इन सभी बातों के बावजूद, हमारे देश में इस्पात संयंत्र अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। सरकार इस बात को काफी गंभीरता से ले रही है कि इस्पात संयंत्रों में उत्पादन और उत्पादकता में कैसे वृद्धि की जा सकती है। इसीलिए, सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उनमें से एक कदम यह है कि हमने इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन किया है।

महोदय, इस समय हमारे देश में इस्पात की खपत बहुत कम है। हमारे देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत लगभग 26 किलोग्राम मात्र है जबकि विश्व में इसकी प्रति व्यक्ति औसत खपत 116 किलोग्राम है। इसलिए, सरकार घरेलू खपत में वृद्धि करने के लिए सभी कदम उठा रही है ताकि हमारी अपनी क्षमता का और हमारे अपने उत्पादन का अपने देश में ही पूर्णत: उपयोग किया जा सके। इसीलिए, परियोजना समन्वय समूह ने चालू इस्पात संयंत्रों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ कदमों का सुझाव दिया है। यह समूह कई कदम उठा रहा है और सरकार को उपायों का भी सुझाव दे रहा है। यह समूह इस्पात संयंत्रों में सरकार के निर्णयों को क्रियान्वित करने में भी सहायता कर रहा है।

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : बंद पड़े इस्पात और लौह संयंत्रों की सूची भी दी गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि किन कारणों से इस्पात संयंत्रों का निजीकरण किया गया है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि श्रमिकों के हितों और लाभों की किस प्रकार सुरक्षा की जा रही है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदया, माननीय सदस्य का यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर भी मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

महोदया, देश ने 1990 में विनिवेश की नीति अपनाई। तभी से सभी सरकारें भी लगातार उस नीति का अनुसरण कर रही हैं। उन्होंने इस नीति को नहीं छोड़ा। इसलिए, चाहे विनिवेश की नीति हो या निजीकरण की अथवा संयुक्त उद्यम की, यह सब कुछ उसी नीति मात्र के आधार पर ही किया जा रहा है।

जहां तक कर्मचारियों के हितों का संबंध है, यह बात तो पक्की है कि कर्मचारियों को कोई कठिनाई नहीं होगी। उनके हितों की पूरी तरह रक्षा की जायेगी। महोदया, विनिवेश नीति के अनुसार भी, पहली प्राथमिकता कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने को दी गई है। इसलिए जहां तक कर्मचारियों के हितों का संबंध है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : सभापति महोदया, मैं तो कहूंगा कि सभापटल पर हमारे समक्ष जो उत्तर दिया गया है, वह अपर्याप्त और आधा-अधूरा है। महोदया, मुख्य प्रश्न तो यह है कि कुछ ऐसे इस्पात संयंत्र हैं जो लगातार घाटे में चल रहे हैं। इसलिए, सरकार का इन रुग्ण इकाइयों का अथवा घाटे में चल रही इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ? हमें उत्तर में सरकार की नीति के बारे में पता चला है। लेकिन बार-बार हमें यह बताया गया है कि जो कुछेक इकाइयां घाटे में चल रही हैं, उनका विनिवेश किया जायेगा और विनिवेश से अर्जित लाभ का उपयोग विद्यमान इकाइयों का पुनरुद्धार और उन्हें पुन: चालू करने के लिए किया जाना चाहिए।

इसलिए, उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि विनिवेश के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं, उससे क्या लाभ हुआ है। और इन लाभों का उपयोग किस तरह किया जाएगा। सरकार की नीति है कि बड़े पैमाने पर विनिवेश किया जाये। भिलाई इस्पात संयंत्र को छोड़कर अन्य सभी इकाइयों को संचित रूप से 5000 करोड़ से भी अधि रुपये का घाटा हो रहा है। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार घाटे में चल रही सभी इकाइयों का विनिवेश करने का है।

सभापति महोदय : आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि पूरा 'सेल' मंदी के दौर से गुजर रहा है। सेलम इस्पात संयंत्र जैसे भी उद्योग है जिन्हें काफी कम घाटा हो रहा है। इसे राऊरकेला, दुर्गापुर और ए०एस०पी० की तुलना में मात्र 112 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। लेकिन सरकार ने केवल सेलम इस्पात संयंत्र का ही विनिवेश करने का निर्णय लिया है। मैं मंत्रालय से कह रहा हूं कि वह सेलम इस्पात संयंत्र के संबंध में विनिवेश नीति पर पुनर्विचार करे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास सेलम इस्पात संयंत्र के पुनरुद्धार हेतु कोई नया प्रस्ताव है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : जहां तक सरकार की विनिवेश नीति का संबंध है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गौण क्षेत्रों का विनिवेश किया जाएगा। जहां तक 'सेल' के विनिवेश का संबंध है, तो इस्पात का उत्पादन कर रही मुख्य इकाइयां इस समय बिना कोई विनिवेश के 'सेल' के अंतर्गत ही रहेंगी। लेकिन 'सेल' के उन गौण क्षेत्रों यथा विद्युत सृजन करने वाली इकाइयां, उर्वरक का उत्पादन करने वाली इकाइयां और कुछ अन्य संयंत्र जो अत्यधिक घाटे में चल रहे हैं, जिनका पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता और जिनके लिए कोई उपाय नहीं किए जा सकते, का विनिवेश किया जाएगा। 'सेल' की इकाइयों के संबंध में सरकार ने समेकित इस्पात संयंत्र में किसी प्रकार के विनिवेश पर अभी तक विचार नहीं किया है।

जहां तक सेलम इस्पात संयंत्र का संबंध है, इस समय अर्थात् पिछले नौ माह में लगभग 114 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वर्ष 2000-2001 में यह घाटा 155 करोड़ रुपये था, 1999-2000 में यह 145 करोड़ रुपये था, 1998-99 में यह 180 करोड़ रुपये था, 1997-98 में यह घाटा '120 करोड़ रुपये था, और 1996-97 में 38 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस तरह, सेलम इस्पात संयंत्र अपनी शुरूआत से लेकर इन सभी वर्षों में घाटे में ही चल रहा है। प्रचालन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के नजदीक होने के बावजूद, सेलम को घाटा हो रहा है जिसका मुख्य कारण है एस०एस०पी० द्वारा उत्पादित उत्पादों की कम मांग के कारण कम उत्पादन और कम एन०एस०आर० होना, स्थायी मिलों में निवेश के कारण अत्यधिक पूंजीगत प्रभार होना, मूल्यह्रास और ब्याज के कारण एस०एस०पी० की लाभकारिता पर बोझ पड़ना, उच्च लागत वाले आदान, घरेलू अथवा अतंर्राष्ट्रीय बाजार में समानुपातिक मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई आदि। सेलम इस्पात संयंत्र मुख्यत: विशेष प्रकार के स्टेनलैस स्टील का उत्पादन कर रहा है। लेकिन इसे समेकित उत्पाद मिश्र करना होगा जिसके लिए इसे और अधिक निवेश की आवश्यकता है। आदानों की लागत बढ़ रही है। इसलिए, सेलम इस्पात संयंत्र को चलाना लाभकारी नहीं है।

सभापति महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या आप इसका पुनरुद्धार करेंगे अथवा नहीं।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : मंत्री महोदय कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात से सहमत होंगे। यह घाटा कम उत्पादन के कारण नहीं अपितु ब्याज के बोझ के कारण है। इस इकाई का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव था।

सभापति महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? मैं आपको और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगी। आप कृपया बैठ जाइये। आप सब कुछ कह चुके हैं, अब मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। मैं आपको कोई और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगी।

(व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदया, मैं तो बस सेलम इस्पात संयंत्र में घाटे के कारण बता रहा था। मूल्यह्रास पर ब्याज भी उन कारणों में से एक है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। स्टेनलैस स्टील की स्लेटों के लिए वे दूर दराज के स्थानों से अलग-अलग संयंत्रों से ये आदान प्राप्त कर रहे हैं। सेलम इस्पात संयंत्र को ये आदान प्राप्त करना काफी महंगा पड़ता है। इसलिए अद्योगामी इस्पात उत्पादन सुविधा का प्रस्ताव है। *(व्यवधान)* आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप तो बस प्रश्न ही पूछते जा रहे हैं। अब कृपया मेरी बात सुनिये।

सभापति महोदय : आप अब बहुत अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं। अब कृपया बैठ जाइये। ऐसे और भी कई सदस्य हैं जिन्हें प्रश्न पूछने हैं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : इसलिए, सेलम इस्पात संयंत्र में और विनिवेश किए जाने की आवश्यकता है। फिर वहां इस्पात की स्लेटें मिल सकती हैं जिनका विशेष प्रकार का स्टेनलैस स्टील बनाने में उपयोग किया जाएगा।

सभापति महोदय : क्या आप और निवेश करेंगे ?

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : इस प्रयोजनार्थ सरकार के पास निवेश करने अथवा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने अथवा इस्पात उत्पादन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए, उसे कि पूर्ण रूप से विशेष श्रेणी का स्टेनलैस स्टील कम्पनी बनने हेतु अपना निवेश करना पड़ेगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, केवल विनिवेश ही इसका समाधान नहीं है। हम इस सभा का विनिवेश नहीं कर सकते हैं। हम जनप्रतिनिधि है और जनता के हैं। देश में दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सेलम तथा विशाखापत्तनम जैसे अनेक इस्पात उद्योग हैं। *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : केवल फैक्टरी का विनिवेश किया जा सकता है न कि लोगों और सभा का।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी०एच० पांडियन : मनुष्यों का विनिवेश नहीं किया जा सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, मैं इंसानों के बारे में नहीं कह रही हूं। मैं इस सभा के मनोबल के बारे में कह रही हूं। हम आर्थिक सुधारों के नाम पर सभी उद्योगों का विनिवेश नहीं कर सकते हैं। आप इस देश में श्रमिकों तथा कर्मचारियों के अधिकारों को छीन नहीं सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से एक मुद्दे के बारे में पूछना चाहती हूं। विशाखापत्तनम, राउरकेला, दुर्गापुर, सेलम और भिलाई की तरह 'इस्को' का आधुनिकीकरण भी लंबित पड़ा है। 'इस्को' हमारा गौरव है। आप इस बात को समझ सकेंगे कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 'इस्को' की स्थापना हुई थी तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारत का गौरव है। लेकिन काफी समय से इसके आधुनिकीकरण का कार्य लंबित है। हम सुन रहे हैं कि सरकार रूसी तथा अन्य कम्पनियों के आधुनिकीकरण की भी कोशिश कर रही है। औद्योगिक और वित्तीय पुर्नगठन बोर्ड ने केवल छह मास का समय दिया है और मेरे विचार से दो माह का समय बीत चुका है। इस तरह इस देश में 'इस्को' और अन्य इस्पात उद्योगों को पुन: चालू करने के बारे में सरकार का क्या मत है ? यदि आप सभा में स्थिति स्पष्ट कर सकें तो हमें प्रसन्नता होगी। *(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : जिसका आपने विनिवेश किया हैं वह बंगाल का गौरव है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप भी उनके साथ हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, मैं केवल बंगाल की बात नहीं कर रही हूं। मैं पूरे भारत की बात कर रही हूं क्योंकि इस्पात उद्योग हमारा गौरव है और यह हमारे देश का परम्परागत उद्योग है। इसलिए, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि मेरा विशेष मुद्दा यह है कि 'इस्को' सहित, देश के अन्य इस्पात उद्योगों का यथाशीघ्र आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। उस उद्योग को यथाशीघ्र पुनः चालू किया जाना चाहिए। कृपया स्थिति स्पष्ट कीजिए। मैं इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों से भी अवगत होना चाहती हूं।

श्री अधीर चौधरी : हज़ारों श्रमिकों की छंटनी की जा रही है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : 'इस्को' के बारे में पहले ही एक अलग प्रश्न है और मैं इसका अलग-अलग उत्तर दूंगा। आज के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध है। इसलिए जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी का संबंध है, मैं कहूंगा कि 'इस्को' लगातार घाटे में चल रहा है और इसलिए वर्ष 1994 में सरकार ने इसे रूग्ण एकक के रूप में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेज दिया था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने 1 अप्रैल, 2002 को अपना अद्यतन निर्णय लिया था। उन्होंने सरकार को आखिरी मौका दिया है और पुनरूज्जीवित पैकेज का पूरा प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ लंबित है।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया मामले में शीघ्र कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदया आजादी के बाद भारत में प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास के कुछ मंदिरों की स्थापना की थी, जिनमें से भिलाई भी एक महत्वपूर्ण स्टील प्लान्ट मध्य प्रदेश में लगाया गया था, जो अब छत्तीसगढ़ में है। पूरा सदन इस बात पर चिन्ता व्यक्त कर रहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों की आर्थिक दुर्दशा के कारण वे धीरे-धीरे बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भिलाई स्टील प्लान्ट भी आज अन्दरूणी गड़बड़ियों के कारण बिल्कुल बन्द होने के कगार पर पहुंच चुका है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या फैरो-मैंगनीज़ और फैरा-सिलीकान इस्पात के उत्पादन का परिवहन जो पहले रेल के द्वारा किया जाता था, उसको पिछले 8-10 वर्षों से ट्रकों के द्वारा एक ही कम्पनी से लगातार करवाया जा रहा है, क्या इस प्रकार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं कि मिलावटी फैरो-सिलिकान के कारण इस्पात के उत्पादन की गुणवत्ता में निरन्तर गिरावट आती जा रहा है और विदेशों में भी भिलाई के इस्पात की मांग में गिरावट आई है और इस कारण इस्पात की आर्थिक दशा पर निरन्तर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ? क्या यह भी सही है कि पिछले दिनों इन्हीं इस्पात उत्पादों में जांच के बाद चार अधिकारियों को निलम्बित किया जा चुका है ?

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसके अंदर क्या तत्व मौजूद हैं। उसकी गहरी छानबीन करने के लिए क्या संयुक्त संसदीय समिति से उसकी जांच कराएंगे और क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि इन गड़बड़ियों को दूर किया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदया, जहां तक भिलाई इस्पात संयंत्र का संबंध है, यह हमारे सर्वोत्तम इस्पात संयंत्रों में से एक है। इसे सर्वोत्तम संयंत्र होने के नाते प्रधानमंत्री से अनेक बार ट्रॉफी मिली है। सर्वोत्तम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली ट्राफी अनेक बारे इसे प्राप्त हुई है। हमें भिलाई इस्पात संयंत्र पर गर्व है और यह सच नहीं है कि इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहा है। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैंने यह नहीं कहा था कि यह घाटे में चल रहा है। मैंने कहा कि यह बंद होने के कगार पर है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने का मौका दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप अभिलेखों और खातों को देखिए। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि पिछले दशक से संयंत्र की आर्थिक स्थिति अथवा वित्तीय स्थिति खराब हो रही है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने यह सब कहा है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : यह प्रतिवर्ष लाभ कमा रहा है। इसलिए, इस इस्पात संयंत्र की खराब स्थिति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चतुर्वेदी, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदया, यदि आप मुझे अनुमति देंगी तो मैं इन्हें सभा पटल पर रखूंगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सभा पटल पर रख दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह गुमराह करने वाला उत्तर है। *(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : अन्य स्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से यह लाभ कमा रहा है।

माननीय सदस्य ने जो अन्य प्रश्न पूछा है वह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं उत्तर प्राप्त करने तथा इसे माननीय सदस्य को देने की कोशिश करूंगा।

श्री के० येरननायडू : माननीय सभापति महोदया, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० भारत के सर्वोत्तम संयंत्रों में से एक हैं इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और यह तटीय इस्पात संयंत्र है। तीन वर्षों से हम लाभ कमा रहे हैं। हम वर्ष-वार लाभ कमा रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर ये हमें घाटा हुआ है। कड़ी मेहनत के बाद विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रबंधन और कर्मचारियों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार को एक पैकेज प्रस्तुत किया है। अन्यथा, यह व्यवहार्य नहीं हो सकता है। जब भारत सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विनिवेश का निर्णय लिया था तो आध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, सभी राजनैतिक दलों तथा प्रत्येक ने इसका विरोध किया। प्रबंधन और कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए यह संयंत्र लाभ अर्जित कर रहा है। इस पर भारी ब्याज का भार है तथा परियोजनाओं को चालू करने में विलंब है। इसलिए, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने के पैकेज को स्वीकार करने की इच्छुक है अथवा नहीं ? विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदया, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र संकट से उबर रहा है। पिछले दो वर्षों से इसे नकदी लाभ हो रहा है। इस वर्ष पहली बार उसका नकदी लाभ, निवल लाभ के बहुत करीब पहुंचा है। हमें आशा है कि चालू वित्त वर्ष में अथवा ज्यादा से ज्यादा अगले वित्त वर्ष में इसे निवल लाभ होगा। सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। वित्तीय संस्थानों को देय ब्याज भार के संबंध में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की सहायता के लिए सरकार ने सभी कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय में हत्सक्षेप से ब्याज दर कम हो गई है। हम विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की यथासंभव सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी बैटरी बनाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि हम चौथी बैटरी लगा देते हैं तो यह विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के भविष्य के लिए सहायक होगा। ये सभी प्रस्ताव लंबित हैं। लेकिन उत्पादन बढ़ाने जैसा कोई पैकेज सरकार के पास लंबित नहीं है। इस समय यह अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहा है। जब वह अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन करना शुरू कर देगा तभी अन्य बातों पर विचार होगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया, एक मिनट सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। हम इसके बाद देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : कृपया इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा की सूचना दे दीजिए इस पर विचार होगा।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदया, हम इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम पहले ही एक प्रश्न पर ही 25 मिनट का समय व्यतीत कर चुके हैं। यहां अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : हम इस पर किसी भी दिन आधे घंटे की चर्चा कराना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आपको आधे घंटे की चर्चा हेतु सूचना देनी पड़ेगी। हम उसपर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : यह एक महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है। इसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वीकृति दी थी।

सभापति महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा हेतु सूचना दे दीजिए। इस पर विचार किया जाऐगा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया सुनिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : यह भी महत्वपूर्ण है। हम सब इसके बारे में चिंतित हैं।

श्री पी०एच० पांडियन : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप आधे घंटे की चर्चा कराने पर सहमत हैं।

सभापति महोदय : जैसा कि मैंने आपको बताया, आप आधे घंटे की चर्चा की सूचना दें।

श्री पी०एच० पांडियन : माननीय मंत्री जी को सहमत होने दें। सामान्यतया माननीय मंत्री जी की सहमति से ही अध्यक्षपीठ इसकी घोषणा करती है।

सभापति महोदय : सूचना मिलने दें। मंत्री जी इसपर विचार कर सकते हैं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदया, मुझे इसपर कोई आपत्ति नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : मेरे विचार से वह आधे घंटे की चर्चा कराने पर सहमत हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगारों को रसोई गैस की डीलरशिप का आबंटन

***622. श्री रतनलाल कटारिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत रसोई गैस की डीलरशिप का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक डीलर का क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है;

(ग) क्या उनमें मंत्रालय को पुराने डीलरों द्वारा नए डीलरों के अधिकार क्षेत्रों में पड़ने वाले क्षेत्रों में गैस का वितरण करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों (ओ०एम०सीज०) ने देश में विभिन्न श्रेणियों के तहत 7486 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली हैं। फिलहाल एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए बेरोजगारों के लिए कोई पृथक श्रेणी अथवा आरक्षण नहीं है।

(ख) प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए व्यापार क्षेत्र का सीमांकन किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के समय किया जाता है और उसका उल्लेख डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार में किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने ओ०एम०सीज० को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर नए चालू किए गए डिस्ट्रीब्यूटरों के व्यापार क्षेत्र में सीधे अथवा विस्तार पटलों के माध्यम से प्रचालन न करें।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : मैडम चेयरमैन, सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में इनके कार्यकाल में एक क्रांति आई है। इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हमने बेरोजगारी को माध्यम मानकर एल०पी०जी० का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कारगिल के शहीदों की विधवाओं, शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्ज को गैस-एजेन्सीज का वितरण किया है ? दूसरे, क्या इन लोगों की ओर से माननीय मंत्री जी को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन्होंने काफी अच्छे लोन लेकर या अपने खुद के साधनों से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था लेकिन पुराने डीलरों में किसी के पास 40,000, किसी के पास 20,000 कनैक्शन्स हैं लेकिन जिन नये लोगों को गैस-एजेन्सीज मिली हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि किसी के पास 400 कनैक्शन्स हैं तो किसी के पास केवल 500 ही कनैक्शन्स हैं। मंत्री जी ने कहा है कि इन्होंने एडवाइज दी है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो लोग इनके अधिकार क्षेत्र में जाकर गलत तरीके से अपना कारोबार चला रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया है ?

श्री राम नाईक : सभापति महोदया, बेरोजगारों के लिए एक विशेष योजना सन् 1980 में लाई गयी थी जो सन् 1986 में समाप्त हो गयी, इसलिए बेरोजगारों के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है। कारगिल की योजना विशेष योजना के तहत बनी थी और देश भर में उसका स्वागत हुआ। उसमें कोई शिक्षित है या अशिक्षित है, इसका विचार न रखकर विशेष केस करके हमने यह बात की है। स्थिति यह है कि गये तीन साल में हमने दो करोड़ एक लाख नये कनैक्शन्स दिये और इस समय में 6 करोड़ 5 लाख टोटल कस्टमर्स हैं। इसका मतलब यह है कि तीन साल पहले 3.77 करोड़ गैस कनैक्शन्स थे, अब इतने ज्यादा कनैक्शन्स देने के कारण, जो डीलर थे उनके पास ज्यादा कनैक्शन्स आ गये। इसी के साथ हमने नयी एजेंसी देनी शुरू कीं और 1729 नये एजेंट्स को नियुक्त किया है। अब यह संक्रमण काल है। जिनके पास कनैक्शन्स ज्यादा हैं हालांकि उनसे ट्रांसफर कराने का काम चल रहा है लेकिन मैंने खुद देखा है कि जितनी गति से काम होना चाहिए वह नहीं हुआ है। हमने 31 मार्च की डैड-लाइन दी थी और विभागीय अधिकारियों से कहा था कि अगर मार्च तक यह काम पूरा नहीं होगा तो संबंधित अधिकारियों को पकड़ेंगे और यह ट्रांसफर का काम हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे।

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पहले जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अलॉटमेंट हुई है, वह डिस्ट्रीब्यूशन सिलैक्शन बोर्ड के माध्यम से होती थी। क्या आगे भी डी०एस०पी० के माध्यम से ही डिस्ट्रब्यूशनशिप दी जाएंगी, या उसके लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाया जा रहा है ? अगर बनाया गया है तो उसके कौन-कौन सदस्य होंगे और उसकी क्या-क्या शक्तियां होंगी ?

श्री राम नाईक : महोदया, सदन जानता है कि एडमिनिस्टर्ड प्राइस मकैनिज्म एक अप्रैल से समाप्त किया गया है। इसके बाद 6 मई को हमने पैट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड बिल सदन के सामने पेश किया। हम धीरे-धीरे तेल कम्पनियों को अधिक अधिकार देंगे ताकि इस क्षेत्र में कम्पीटिशन हो और अच्छा काम हो। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम अभी से, मतलब आज से रेगुलेटरी डीलर्स सिलैक्शन बोर्ड को समाप्त कर रहे हैं। इसे समाप्त करने के साथ-साथ जो विज्ञापन निकाले हैं, उसके अन्तर्गत लगभग 30 परसैंट लोगों का इंटरव्यू अभी बाकी है जबकि 70 परसैंट लोगों का काम हो गया है। यह काम इसके आगे तेल कम्पनियां करेंगी। वह स्पर्धात्मक ढंग से काम करेंगी। मैं आशा करता हूं कि स्पर्धा का युग लाने के लिए हम जो सारे प्रयास कर रहे हैं, उस भूमिका में यह काम भविष्य में तेल कम्पनियां अच्छी तरह से करेंगी। आज शाम से जो इंटरव्यू देश के कुछ जगहों में चल रहे होंगे, हम उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं।

(व्यवधान) महोदय, शायद हिन्दी समझने में गलती हो गई हो। मैंने कहा कि आज इंटरव्यू होने का जो शेडयूल है, वह जैसा था, वैसा ही रहेगा। कल से डीलर्स सिलैक्शन बोर्ड के तहत इंटरव्यू का काम बंद होगा। जिन्होंने इप्लीकेशन्स दी हैं, तेल कम्पनियां दोबारा उनको बुला कर इंटरव्यू लेंगी।

[अनुवाद]

श्री एस० अजय कुमार : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पूर्व-सैनिकों के लिए एल०पी०जी० डीलरशिप के चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण के मानदण्ड का पालन नहीं किया गया है ? सरकार द्वारा इसे ठीक करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदया, माननीय सदस्य को बात शायद समझ में थोड़ी कम आई है। हमने अभी भी रिजर्वेशन किया हुआ है – जिसमें 25 परसैंट शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। इसके बाद फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए 5 परसैंट, पैरा मिलिट्री फोर्सिज के लिए 8 परसैंट, डिफेंस के लिए 8 परसैंट, फ्रीडर्म फाइटर्स के लिए 2 परसैंट, आउटस्टैंडिंग स्पोर्टस पर्सन के लिए 2 परसैंट है और ओपन में 50 परसैंट रिजर्वेशन है, लेकिन इनमें से वन-थर्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। मुझे यह बताने में बड़ी खुशी है कि महिलाओं ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है।

सभापति महोदय : सभी महिलायें अच्छा काम करती हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री साईदुज्जमा : इसमें बड़ा भेदभाव किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी परिवार को कोई गैस एजेंसी नहीं मिली है। *(व्यवधान)* यहां गलत सूचना दी जा रही हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है। आप प्रश्न काल की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन महिला संसद सदस्य को प्रश्न पूछने दें।

[हिन्दी]

आपके पीछे वाली माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रही हैं। आप बैठिए। थोड़ा डिसिप्लन दिखाइए। मैंने आपका नाम नहीं बुलाया है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सदस्य ने गम्भीर मुद्दा उठाया है। आप कृपया मंत्री जी को कहें कि यह बड़ा गम्भीर मुद्दा है। अल्पसंख्यक वर्ग के किसी परिवार को एक भी गैस की एजेंसी और पैट्रोल पंप की डीलरशिप नहीं दी जा रही है जो बहुत बड़ा भेदभाव है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : इस योजना को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने का मूल उद्देश्य ग्रामीणों को केवल गैस की आपूर्ति करना भर नहीं था अपितु ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोज़गारों को गैस उपलब्ध कराना भी था। गत 20 वर्षों से दक्षिण-मध्य बिहार में गैस की पर्याप्त आपूर्ति न होने से वनों की कटाई और पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। इससे वनों का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है और बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर है। क्या सरकार दक्षिण मध्य बिहार में गैस के इस संकट पर कार्यवाही करेगी ?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदया, मैं इस समय इतना कह सकता हूं कि 6 करोड़ 35 लाख परिवारों के पास गैस कनैक्शन्स हैं जो आज की आबादी के हिसाब से लगभग 31 परसैंट है। हम इसे सभी जगह कर रहे हैं लेकिन यह बात सही है कि बिहार में इसे न करने के कई कारण हो सकते हैं और उनमें से एक कारण गरीबी हो सकता है। मैं इसे रूरल क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता महसूस करता हूं। यह हरियाणा से संबंधित मूल प्रश्न था। हरियाणा में अभी 50 परसैंट आबादी के पास एल०पी०जी० के कनैक्शन्स हैं। इसकी तुलना में बिहार में केवल साढ़े सात परसैंट परिवारों के पास एल०पी०जी० है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे लें और हम इसे दे भी रहे हैं। जैसे-जैसे ग्राहक निर्माण होंगे, हम उन्हें देंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : 20,000 लोगों की जनसंख्या हेतु हमारे पास केवल 126 गैस कनैक्शन हैं।

श्री राम नाईक : इसीलिए हम नए गैस वितरक नियुक्त कर रहे हैं जो जब कभी भी ये स्थापित हो जाऐंगे तब निश्चित रूप से बिहार में अधिक गैस कनैक्शन होंगे। लेकिन आपको लोगों को आश्वस्त करना होगा कि लोग जाऐं और गैस कनैक्शन लें क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह गैस थोड़ी महंगी है।

श्रीमती श्यामा सिंह : उस क्षेत्र में गत 20 वर्षों से केवल एक डीलर है।

श्री राम नाईक : मैं आपको आंकड़े दूंगा कि हम बिहार में कितने डीलर नियुक्त कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार हम प्रत्येक खण्ड में एक एल०पी०जी० एजेंसी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह ध्यान रखने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक खण्ड में कम से कम एक

एल०पी०जी० एजेंसी हो और यदि किसी कस्बे की आबादी 10,000 या उससे अधिक है तो उसके लिए एक अलग एजेंसी हो। हम यह करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सभापति महोदय, जैसा अभी बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार में उन सभी बातों का उल्लेख होता है, जिन का पालन करना होता है। इसके अंतर्गत जो नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वह दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के क्षत्र में न जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में एक के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ती जा रही हैं और उनका दूसरे क्षेत्रों में अंतरण होता जा रहा है। इसे रोकने का असफल मकैनिज्म है जिस के बारे में कहा गया कि इसे और प्रभावी बनाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पिछले दिनों मार्किटिंग प्लान के अन्तर्गत स्थान-स्थान पर नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के बारे में स्वीकृति मिली थी। क्या वर्तमान में परिस्थिति बदली है, नए मार्किटिंग प्लान के अन्तर्गत जो परिस्थितियां थी, क्या वे यथावत रहेंगी या फिर से उनके बारे में विचार होगा ?

श्री राम नाईक : महोदया, भारत सरकार ने जो मार्किटिंग प्लान बनाया है, उसी के अनुसार अभी नई एजेंसियों का निर्माण होगा। मार्किटिंग प्लान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और उसी के अनुसार काम होगा। कई माननीय सदस्य मुझे इस बारें में कहते और लिखते रहे हैं। उनके पत्रों का ख्याल रखते हुए हम उन पर निर्णय कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी चलती रहेगी। यदि किसी सदस्य को किसी क्षेत्र में एल०पी०जी० डीलरशिप चाहिए तो वह मुझे लिख सकता है। मैं इस बारे में निर्देश दे दूंगा कि वह इस क्षेत्र में बनना चाहिए। हमने केवल इंटरव्यू की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि फिलहाल एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए बेरोजगारों के लिए कोई पृथक श्रेणी अथवा आरक्षण नहीं है। एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री जी की यह मंशा है कि बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए और दूसरी तरफ मंत्री जी इससे इंकार करके कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। दूसरी तरफ, गैस एजेंसियों के लिए जो डीलरशिप मिल रही है, वह एक ही परिवार के विभिन्न लोगों को 10-15 जिलों में मिल रही है। जिन के पास पूंजी है, उनकी वह पूंजी बढ़ती जा रही है और जो गरीब था, वह अभी भी गरीब है। क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराएंगे कि ऐसे कौन-कौन से परिवार हैं जिनके सदस्यों को 10-15 गैस की एजेंसियां मिली हैं जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि उन्हें रोजगार की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इस की जांच कराएंगे और उन परिवार के लोगों की गैस एजेंसियां निरस्त करेंगे जिन को कई जिलों में गैस एजेंसियां मिली हैं।

मेरा इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है और सभी जानते हैं कि माननीय मंत्री जी बहुत ईमानदार और अच्छे मंत्री हैं। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है और कोई आरोप है भी नहीं क्योंकि गलत आरोप लगाना अनुचित है। लेकिन हकीकत है कि आपके बोर्ड के चैयरमैन 10-10, 20-20 लाख रुपया लेकर गैस एजेंसी आवंटित कर रहे हैं। जैसे पंजाब में सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री सिद्धू ने करोड़ों रुपये बटोरे और बाद में पकड़े गये, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन सलैक्शन बोर्डों के चेयरमैन के खिलाफ भी आप जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री राम नाईक : सभापति महोदया, पहली बात तो मैं यह दोहराना चाहाता हूं कि बेरोजगारों के लिये जो योजना बनी थी, वह 1986 में समाप्त कर दी गई थी। इसलिये उसे फिर से शुरू करने की कोई व्यवस्था या आवश्यकता इसलिये नहीं है कि *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : सभापति महोदय, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि बेरोजगारी दूर करनी है।

श्री राम नाईक : सभापति जी, प्रधानमंत्री जी की मंशा है या इस सदन की भी मंशा है कि बेरोज़गारी जल्दी से जल्दी समाप्त करें लेकिन कौन सा काम कौन करे, इसके बारे में कुछ विचार करना पड़ता है। माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही है कि एक ही परिवार के लोगों को 6-7 गैस एजैंसीज दी गई हैं। यदि माननीय सदस्य यह जानकारी देंगे कि कौन से एक परिवार को कहां-कहां एजैंसीज मिली है तो निश्चित तौर पर मैं उसकी जांच कराऊंगा। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी ईमानदारी के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र 70 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसकी आबादी 30 लाख है। मेरे क्षेत्र में डेढ़ साल पहले केवल 6 एल०पी०जी० गैस एजैंसीज़ थी। इसे बढ़ाने के लिये मैं पिछले 5-6 साल से लिखता रहा और मंत्री जी ने 10 गैस एजेंसीज़ आइडैंटिफाई कीं। उन 10 में से 3 की अलाटमेंट कर दी गई हैं। माननीय मंत्री जी ईमानदार हैं लेकिन पौलिटिकल करप्शन समझिये या दबाव में आकर वे तीनों गैस एजेंसीज़ एक मंत्री के रिश्तेदारों को अलाट कर दी गई हैं। यह सब पिछले साल के अंदर हुआ है। मैं सदन में पूरे होश के साथ यह बात कह रहा हूं। बाकी 7 ऐजेंसीज आइडेंटिफाई हो गई हैं, मार्किट प्लान बन गये हैं परन्तु उसमें देर हो रही है। देरी होने का कारण यह है कि जो पहले डीलर्स हैं, वे नहीं चाहते कि और डीलर्स आयें। उन्होंने दो जगह कैंसिल भी कर दिया है लेकिन मैंने फिर जाकर विभागीय सैक्रेटरी और माननीय मंत्री जी को लिखा और माननीय मंत्री जी के इंटरवैंशन से यह हुआ।

सभापति महोदया, मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि मंत्री के रिश्तेदारों को जो गैस एजैंसीज़ मिली हैं, क्या मंत्री जी उसकी पांच करायेंगे और यदि सही पाया जाता है तो क्या उसे दुरुस्त करेंगे ? दूसरा, जो बाकी सात एजैंसीज़ बची हुई हैं, अभी भी जो लोग 100 किलोमीटर दूर चलकर गैस सिलेंडर लेने के लिये जाते हैं, क्या एक-एक लाख की आबादी वाले उन गांवों में ये गैस एजैंसीज देने की कोशिश करेंगे ?

श्री राम नाईक : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूंगा यदि मुझे यह जानकारी देंगे कि वे कौन से मंत्री हैं, कौन-कौन से परिवार के लोगों को कहां-कहां गैस एजैंसी मिली है और उनका नाम क्या है। यदि माननीय सदस्य यह सब जानकारी देंगे तो मैं निश्चित तौर पर इसकी जांच कराऊंगा।

सभापति महोदया, जहां तक माननीय सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कही है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमने कुछ एजैंसीज़ उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिये बनाई हैं। यदि उन्हें लगता है कि किसी एक विशिष्ट गांव में इस प्रकार की एजैंसी होनी चाहिये, वे प्रोपोज़ल दें, मैं उसे देखकर मंजूर करूंगा। यदि वह एजैंसी वहां ठीक प्रकार से काम कर सकती है और इतनी आबादी है तो मैं उसे जरूर मंजूर कर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी०डी० एलानगोवन : सभापति महोदया, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि सरकार ने ओ०एम०सी० को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया था कि पुराने वितरक न तो सीधे और न ही विस्तार पटल के माध्यम से नए आरंभ किए गए वितरकों के क्षेत्र में कार्य करें। सरकार ने ओ०एम०सी० को यह भी निदेश दिया है कि वह ऐसे विस्तार पटलों को बंद कर दे और सितम्बर 2001 में प्रत्येक बाजार के लिए निर्धारित की गई व्यवहार्यता सीमा के आधार पर कम ग्राहकों वाले वितरकों को उपभोक्ताओं का स्थानान्तरण कर दे।

यह जानकर बहुत दुख होता है कि ये सब एकाधिकारी आज तक वितरक सरकार के आदेशों का पालन न करते हुए एल०पी०जी० कनैक्शनों के अन्तर-कंपनी स्थानान्तरण को टालने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे एल०पी०जी० वितरकों और आई०ओ०सी० के अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी आदेशों की जानबूझकर उपेक्षा करने व उनका अनुपालन न करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है। क्या सरकार तमिलनाडु में ऐसे डीलरों और आई०ओ०सी० के अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी आदेशों का पालन न करने के आरोप में कठोर कार्यवाही करेगी ?

मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है।

सभापति महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें और वह इसका उत्तर देंगे। आप इस प्रकार प्रश्नों की झड़ी नहीं लगा सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम नाईक : सभापति महोदया, मूल प्रश्न हरियाणा के माननीय संसद सदस्य का था और वह पूरे भारत के आंकड़ों के बारे में था। अब, हरियाणा में इस अधिकता के कारण 90,900 उपभोक्ताओं को स्थानान्तरित किया जाना था, जिनमें से 40,000 को स्थानान्तरित किया जा चुका है। शेष मामलों को हम चालू माह में कर देंगे। जहां तक अखिल-भारतीय आंकड़ों का संबंध है, जो कि मेरे पास हैं, उनके अनुसार ऐसे 8,74,000 कनैक्शनों को स्थानान्तरित किया जाना था, जिनमें से हम 3,26,000 कनैक्शनों को स्थानान्तरित कर चुके हैं।

जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि 30 अप्रैल तक प्रतिवेदन आ जाना चाहिए। यदि कोई भी माननीय संसद सदस्य यह महसूस करता है कि कोई जानबूझकर कोई गलत काम कर रहा है तो यह मेरा कर्त्तव्य है और मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि मैं ऐसे प्रत्येक मामले को अलग से देखूंगा।

[हिन्दी]

डा० रामलखन सिंह : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि ऑयल सलैक्शन बोर्ड को खत्म करके, आज तक जो इंटरव्यूज होंगे, उन्हें मान्य करके, कल से इन्हें बंद कर दिया जायेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी भी जगहें हैं, जहां प्रार्थी अधिक हैं, आवेदनों की प्राप्ति अधिक है और जिनके इंटरव्यू आज शुरू होंगे लेकिन आज पूरे न होकर कल पूरे होंगे, ऐसे केसिज में क्या आप उन्हें अधूरा छोड़ेंगे या उन्हें पूरा करने तक मान्यता देंगे।

श्री राम नाईक : सभापति महोदया, ऐसे कुछ केसिज जरूर होंगे जहां कुछ स्थानों पर लोग 100-150 एप्लीकेशंस देते हैं। उनमें कहीं न कहीं कट ऑफ डेट डालनी पड़ती है। आज जो इंटरव्यूज होंगे उनके लिए हम सैपरेट इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसमें असुविधा नहीं होगी। लेकिन इंटरव्यूज लेने का काम एक ही ग्रुप को करना चाहिए। यदि इंटरव्यू अलग-अलग ग्रुप में करेंगे तो जांच करने में और उन्हें मार्क्स देने में गलती हो सकती है। यदि ऐसे कुछ केसिज होंगे तो हम उनका दोबारा इंटरव्यू कर लेंगे।

खमरिया आयुध कारखाने में विस्फोट

+

***623. श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बतानी की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अप्रैल, 2002 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के अनुसार जबलपुर के खमरिया आयुध कारखाने में हाल ही में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्फोट के कारणों के बारे में कोई प्राथमिक जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके फलस्वरूप हुए जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयुध कारखानों में इस प्रकार के विस्फोटों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां, 16 अप्रैल 2002 को आयुध निर्माणी, खमरिया में एक विस्फोट हुआ था।

(ख) से (ङ) विस्फोट के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा तीन व्यक्ति घायल हो गए। एक भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। विस्फोट के कारणों की जांच-पड़ताल करने, हुए नुकसान का मूल्यांकन करने तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक जांच बोर्ड गठित किया गया है।

दुर्घटना के प्रत्येक मामले में जांच बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करने के अलावा, आयुध निर्माणियों को कहा गया है कि वे संरक्षा विनियमों का अति सावधानीपूर्वक अनुसरण करें तथा संरक्षा अनुदेशों की समय-समय पर पुनरीक्षा करें। मई महीने को विशेष 'संरक्षा माह' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है तथा सभी आयुध निर्माणियों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु एक 13 सूत्रीय कवायद निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति महोदय, यह सदन का अपमान है। यह सेना का भी अपमान है। *(व्यवधान)* ये लोग इस तरह पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रेश पटेल : सभापति महोदय, पिछले तीन वर्षों में देश की सभी आयुध निर्माणियों में कितने विस्फोट हुए हैं, इन विस्फोटों में कितने लोग मारे गये हैं तथा कितने हथियारों और प्रोपर्टी का नुकसान हुआ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि गत तीन वर्षों के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान तीन दुर्घटनाएं हुई हैं। पहली दुर्घटना भांद्रा स्थित आयुध फैक्टरी में 28 अगस्त, 1999 को हुई। *(व्यवधान)*

उस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई, 5.96 करोड़ रुपये की सरकारी सम्पत्ति की क्षति हुई थी और 2.17 लाख रुपये के हथियारों और गोलाबारूद की क्षति हुई। *(व्यवधान)*

28 अक्तूबर, 1999 को डेहू रोड स्थित आयुध फैक्टी में एक अन्य दुर्घटना हुई जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई परन्तु, 0.20 लाख रुपये मूल्य की सरकारी सम्पत्ति की क्षति हुई जबकि हथियारों और गोलाबारूद की क्षति नगण्य हुई। *(व्यवधान)*

दिनांक 19 फरवरी, 2000 को खमरिया स्थित आयुध फैक्टरी में हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया, सरकारी सम्पत्ति की मामूली क्षति हुई और हथियारों और गोलाबारूद की कोई क्षति नहीं हुई है। *(व्यवधान)*

दिनांक 22 मार्च, 2000 को आयुध फैक्टरी चांदा में एक दुर्घटना हुई जिसमें कोई व्यक्ति मारा नहीं गया, 4.40 लाख रुपये मूल्य की सरकारी सम्पत्ति की क्षति हुई और 3.55 लाख रुपये मूल्य के हथियार तथा गोलाबारूद की क्षति हुई। *(व्यवधान)*

7 अगस्त, 2000 को कीटकी स्थित उच्च विस्फोटक कारखाने में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, 0.01 लाख रुपये मूल्य की सरकारी सम्पत्ति की क्षति हुई जबकि हथियार तथा गोलाबारूद की कोई क्षति नहीं हुई। *(व्यवधान)*

28 सितम्बर, 2001 को वारा-गांव आयुध निर्माणी में एक अन्य दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, 0.11 लाख रुपये मूल्य की सरकारी सम्पत्ति की क्षति हुई और शस्त्र तथा गोलाबारूद की कोई क्षति नहीं हुई। *(व्यवधान)*

खमरिया स्थित आयुध कारखाने में 16 अक्तूबर, 2001 को एक अन्य दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, सरकारी सम्पत्ति की क्षति नगण्य थी और शस्त्र तथा गोलाबारूद की क्षति का पता लगाने हेतु जांच बोर्ड की रिपोर्ट संवीक्षाधीन है। *(व्यवधान)*

दिनांक 30 नवम्बर, 2001 को इटारसी स्थित आयुध कारखाने में एक दुर्घटना हुई जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हुई और 46.55 लाख रुपये मूल्य की सरकारी सम्पत्ति की क्षति हुई। *(व्यवधान)* इस दुर्घटना में शस्त्र तथा गोलाबारूद की कोई क्षति नहीं हुई।

दिनांक 7 जनवरी, 2002 को खमरिया स्थित आयुध निर्माणी में एक दुर्घटना हुई जिसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। *(व्यवधान)* सरकारी सम्पत्ति और हथियार और गोलाबारूद की क्षति का पता लगाने हेतु जांच बोर्ड की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

16 अप्रैल, 2002 को खमरिया स्थित आयुध निर्माणी में एक अन्य दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और सरकारी सम्पत्ति और शस्त्र तथा गोलाबारूद की क्षति का पता लगाने हेतु जांच बोर्ड की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल : सभापति महोदया, विपक्ष को यह शोभा नहीं देता। ये प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार भी छीनना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मारे गऐ लोगों को कितना मुआवज़ा दिया गया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : महोदया, ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री खमरिया में घातक दुर्घटना के पश्चात् उसमें मृतक अनिल कुमार रजक को एक्स-ग्रेशिया पेमेन्ट के रूप में 25000 रुपये दिये गये हैं, वर्कमैन कंपनसेशन ऐक्ट के तहत 4,07,7000 रुपये अभी दिये जाने हैं,

जी०पी०एफ० के 16,080 रुपये दिये गये हैं, सी०जी०ई०जी०आई०एस० के 20,222 रुपये दिय गये हैं, डैथ ग्रैच्युटी के रूप में अभी 56,672 रुपये दिये जाने हैं। अभी पूरी रकम नहीं दी गई है। मृतक हैं की पत्नी की तरफ से उनके ब्रदर इन लॉ को कंपैशनेट ग्राउंट पर अपॉइंटमेंट देने की एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। एप्लीकेऐशन की जांच डिप्टी लेबर वैलफेयर कमिश्नर कर रहे हैं और इसलिए मामला रोक दिया गया है और सही स्थिति को देखकर मुआवज़ा दिया जाएगा। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.54 बजे

(इस समय श्री सुन्दर लाल तिवारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : हमें अपने रक्षा मंत्री पर गर्व है। वे भारत के अब तक के सर्वोत्तम मंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने युद्ध के दौरान कारगिल का दौरा भी किया था। ... *(व्यवधान)* वे अपनी सेना का ध्यान रखते हैं और सियाचिन जैसी सीमा का भी नियमित दौरा करते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने किन अन्य उपायों का प्रस्ताव किया है। *(व्यवधान)*

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन

*624. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और ईरान ने इस्लामाबाद में 20,600 किलोमीटर लम्बी प्रस्तावित भारत-ईरान गैस पाइपलाइन के व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने ये रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान और ईरान ने पाकिस्तान के रास्ते ईरानी गैस के परिवहन के व्यवहार्यतापूर्ण अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरानी गैस की भारत को आपूर्ति का प्रस्ताव भारत और ईरान के बीच एक द्विपक्षीय मामला है। भारत सरकार और ईरान के इस्लामिक गणराज्य को सरकार ने पाइपलाइन के माध्यम से ईरान से भारत को प्राकृतिक गैस का आयात करने से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक भारत-ईरान संयुक्त समिति की स्थापना की है।

श्री राम नायडू दग्गुबाटि : महोदया, हाल ही में भारत ईरान पाइप लाइन के बारे में विभिन्न रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रस्तावित 2600 किलोमीटर गैस पाइप लाइन का व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए भारत और पाकिस्तान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

एक अन्य रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान ने पाकिस्तानी जल क्षेत्र से हटकर गहरे समुद्री पाइपलाइन द्वारा भारत को सीधे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना स्वीकार किया है और एक ईरानी कम्पनी ने समुद्र से होते हुए पाइपलाइन बिछाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु दो इतालवी कम्पनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अत:, मैं सरकार से इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री राम नाईक : हम इंडो-ईरान गैस पाइपलाइन लगाना चाहते हैं ताकि हमें देश के लिए अधिक मात्रा में गैस उपलब्ध हो सके। इस प्रयोजनार्थ इसमें अंतर्ग्रस्त लागत का अनुमान लगाने हेतु भारत और ईरान द्वारा एजेंसी नियुक्त की गई है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होते ही इस मामले में निर्णय किया जाएगा। ... *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.57 बजे

(इस समय श्री सुन्दरलाल तिवारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री राम नायडू दग्गुबाटि : महोदया, इसके अलावा, सरकार ने गत एक वर्ष में इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और क्या बंग्लादेश सहित अन्य देशों से गैस प्राप्त करने की कोई संभावना है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या बातचीत की गई है।

श्री राम नाईक : जहां तक अन्य देशों से गैस के आयात का संबंध है, हमने 25 वर्षों तक गैस की आपूर्ति के लिए 'कतर' के साथ पहले ही समझौता कर लिया। दाहेज टर्मिनल में पेट्रोनेट सी०एन०जी० का निर्माण किया जायेगा, जिससे लगभग पांच मिलियन गैस उपलब्ध हो पाएगा। उस टर्मिनल को दिसम्बर 2003 तक पूरा कर दिया जाएगा और तत्पश्चात् और अधिक गैस उपलब्ध हो पाएगा।

जहां तक बंग्लादेश का संबंध है, हम बंग्लादेश से गैस लेना चाहते हैं। परन्तु, उन्होंने भारत सहित अन्य देशों को गैस बेचने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस संबंध में उनके द्वारा निर्णय लेते ही, हम उनसे सबसे पहले सम्पर्क करेंगे क्योंकि पश्चिमबंगाल, बिहार और अन्य राज्यों सहित देश के पूर्वी हिस्से में गैस नहीं है। ... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : त्रिपुरा भी।

श्री राम नाईक : हां, त्रिपुरा भी, वहां भी गैस की आवश्यकता है। हमारा प्रयास पूर्वी भारत में यथाशीघ्र, गैस की उपलब्धता सुनिश्चित

करनी होगी। परन्तु, यह तो स्वाभाविक रूप से बंग्लादेश के निर्णय पर निर्भर करेगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए मैंने आपको नहीं बुलाया है। माननीय सदस्य पांडियन जी प्रश्न पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : महोदया, यह बताया गया है कि भारत और ईरान ने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। *(व्यवधान)* भारत और ईरान के बीच पाइपलाइन बिछाने की लागत का कितना बटवारा किया जाएगा ? भारत को कितनी राशि चुकानी होगी ? *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदया, लागत का निर्धारण किया जा रहा है। पहले, तो इसका अनुमान अभी प्राप्त होना है। इसके लिए एक समझौता किया गया है। सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और एक पार्टी नियुक्त की गई है। पार्टी की नियुक्ति के पश्चात् अनुमान प्राप्त किए जाने हैं। ज्योंही अनुमान प्राप्त होगा, ते उसके बाद ही लागत और हिस्से के बारे में निर्णय संभव हो पाएगा। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बड़ी (मेगा) विद्युत परियोजनाओं संबंधी नीति

*625. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी विद्युत परियोजनाओं संबंधी नीति के अंतर्गत बड़ी परियोजनाओं को प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य-वार ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाओं को मान्यता दी गयी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारत सरकार की संशोधित मेगा विद्युत नीति नवम्बर, 1998 में घोषित की गई थी। इस नीति में 19 अभिज्ञात मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत उपस्कर के आयात हेतु जीरो सीमा शुल्क का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त आयकर अवकाश तंत्र को इस प्रावधान के साथ जारी रखा जायेगा कि प्रवर्तक द्वारा प्रथम 15 वर्षों के भीतर 10 वर्षों के किसी भी ब्लाक में 10 वर्षीय कर अवकाश अवधि के लिए दावा किया जा सकता है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मेगा विद्युत संयंत्रों को की गई आपूर्तियों में बिक्री कर और स्थानीय करों की छूट प्रदान करें। अभिज्ञात 19 मेगा विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि चमेरा-II परियोजना जीरो सीमा शुल्क के लिए पात्र नहीं है क्योंकि इसकी क्षमता 500 मेगावाट से कम है जोकि इस सुविधा हेतु न्यूनतम क्षमता आवश्यकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित की जा रही सिपत सुपर ताप विद्युत परियोजना (4x660) को भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2001 में मेगा विद्युत परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्रालय को संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचना में संशोधन करने के लिए 5 अप्रैल, 2002 को अनुरोध किया गया है ताकि उपरोक्त परियोजना को उन परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जा सके जिनके संबंध में पूंजीगत उपस्कर के आयात हेतु जीरो सीमा शुल्क उपलब्ध होगा।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
	निजी क्षेत्र	
1.	हिरमा ताप विद्युत परियोजना, मै० सदर्न इलैक्ट्रिक एशिया पावर लि० (एसइएपी), उड़ीसा	3960
2.	कुड्डालोर ताप विद्युत परियोजना, तमिलनाडु	1000
3.	कृष्णापटनम ताप विद्युत परियोजना, आंध्र प्रदेश	1500
4.	पिपावाव ताप विद्युत परियोजना, गुजरात	2000
5.	नर्मदा ताप विद्युत परियोजना (एलएनजी), गुजरात	1000
	सार्वजनिक क्षेत्र	
1.	कहलगांव ताप विद्युत परियोजना चरण-2, एनटीपीसी, बिहार	1500
2.	उत्तर करनपुरा ताप विद्युत परियोजना, एनटीपीसी, बिहार	2000
3.	बाढ़ ताप विद्युत परियोजना चरण-1, एनटीपीसी, बिहार	2000
4.	मैथान ताप विद्युत परियोजना, दामोदर वैली कारपोरेशन	1000
5.	चेय्यूर ताप विद्युत परियोजना चरण-1, एनटीपीसी, तमिलनाडु	1500

1	2	3
6.	अंता सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी, राजस्थान	1300
7.	औरैया सीसीपीपी, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश	1300
8.	कवास सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी, गुजरात	1300
9.	गांधार सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी, गुजरात	1300
10.	कोयलकारो एचईपी, एनएचपीसी, बिहार	710
11.	चमेरा एचईपी चरण-2, एनएचपीसी, बिहार	300
12.	तीस्ता एचईपी चरण-5, एनएचपीसी, सिक्किम	510
13.	कोलडैम एचईपी, एनटीपीसी, हिमाचल प्रदेश	800
14.	पार्बती एचईपी चरण-2, एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	800

'ईथानाल' सम्मिश्रण पर उत्पाद और बिक्री कर में कमी

*626. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ईथानाल सम्मिश्रण पर उत्पाद और बिक्री कर में कमी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयातित ईथानाल का मूल्य स्वदेशी ईथानाल से कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल को मूल्य-वार प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2002-2003 के लिए बजट में अधिभार में 75 पैसे प्रति लीटर की रियायती कमी की पहले ही घोषणा कर दी है। पेट्रोल में सम्मिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले एथेनोल के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत के लिए प्रस्ताव पर आगे विचार किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार एथेनोल के मूल्य की निगरानी नहीं करती क्योंकि यह एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है।

भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाएं

*627. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को प्रदान की जा रही अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में भूतपूर्व सैनिक लीग और अन्य भूतपूर्व सैनिक संघों की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो पेंशनभोगियों और उनके परिवारजनों को केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों जैसी चिकित्सा सुविधाएं दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं में असमानता को कब तक दूर किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (च) किसी भी तरह की पेंशन आहरित करने वाले भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार और दिवंगत सैन्य कार्मिकों के परिवार सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा संबंधी विनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार 127 सैन्य अस्पतालों (109 सेना, 11 वायुसेना और 7 नौसेना अस्पताल) और 1000 से अधिक चिकित्सा जांच कक्षों (केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए बनाए गए 24 चिकित्सा जांच कक्षों और 12 दंत चिकित्सा केन्द्रों सहित) में निःशुल्क बहिरंग रोगी उपचार के लिए हकदार हैं। भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के अध्यधीन अंतरंग रोगी उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इन् सुविधाओं का लाभ केवल वे उठा सकते हैं जो आस-पास रहते हैं। अन्य, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, रोजमर्रा के चिकित्सा खर्च की भरपाई करने के लिए 100/- रुपए प्रतिमाह का निर्धारित चिकित्सा भत्ता लेने का विकल्प चुन सकते हैं। तथापि, इन रियायतों के दायरे में कैंसर, पल्मोनरी टयूबरकलोसिस, कुष्ठ रोग, मानसिक रोग, असाध्य रोग या कोई अन्य ऐसा रोग, जिसके लिए स्थानीय सैन्य स्त्रोतों में उपचार उपलब्ध नहीं है, शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को, विनिर्दिष्ट रोगों के लिए, निर्धारित दरों पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से वित्तीय सहायता दी जाती है। सेना सामूहिक बीमा ने प्राधिकृत अस्पतालों में हृदय, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे/घुटने के जोड़ का प्रतिस्थापन, प्रोस्ट्रेट सर्जरी, आदि के उपचार कराने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों के लिए चिकित्सा बीमा योजना चलाई है।

केन्द्रीय सरकार के सिविलयन पेंशनभोगियों के समान पर्याप्त चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न भूतपूर्व सैनिक संगठनों/व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को व्यापक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

रेलमार्गों का विद्युतीकरण

*628. **श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई/चल रही/लम्बित रेल मांगों के विद्युतीकरण परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और इन पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या देश के कतिपय रेलमार्गों के विद्युतीकरण में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इनको पूरा करने के लिए परियोजना-वार क्या तारीख निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क), (ख) और (ङ) इस वर्ष, अर्थात् 2002-03 के दौरान किसी नई रेल विद्युतीकरण परियोजना को शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल, 31.3.2002 तक किए गए खर्च सहित चालू/लंबित विद्युतीकरण परियोजनाओं के ब्यौरे और उनको पूरा करने की लक्ष्य तिथि इस प्रकार है :

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	मार्ग कि.मी.	लागत	31.3.02 तक खर्च	2002-03 के लिए परिव्यय	लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मल्हौर-सफेदाबाद-बाराबंकी सहित उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र में चारों ओर सर्कुलर रेलवे	38	33.34	17.99	6.00	सर्कुलर रेलवे का कार्य पूरा हो गया है। सफेदाबाद तक का विद्युतीकरण जून, 02 तक और उससे आगे बाराबंकी तक बाद में पूरा किया जाएगा।
2.	कुसुंदा-जमुनियाटांड	23	16.42	6.42	10.00	जून, 02
3.	बारासात-हसनाबाद	52	36.90	12.14	1.00	जून, 02
4.	भुवनेश्वर-कोट्टावलासा	426	319.63	275.45	30.00	खुर्दा रोड-पुरी के कार्य को छोड़कर, जिसे बाद में शुरू किया गया था, और जिसे मार्च, 2003 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है, कार्य पूरा हो गया।
5.	पुरुलिया-कोटिशिला सहित बोकारो स्टील सिटी-मुरी-हटिया-बॉडामुंडा-बरसुआन/किरीबुरु	434	269.81	265.24	4.57	मार्च, 03
6.	पटना-गया	92	36.44	0.00	5.00	मार्च, 03
7.	अम्बाला-मुरादाबाद	274	152.21	111.11	40.00	मार्च, 03
8.	तालचेर-कटक-पारादीप शाखा लाइन सहित खड़गपुर/नीमपुरा-भुवनेश्वर	540	317.36	192.45	21.57	मार्च, 03
9.	उधना-जलगांव	306	140.99	108.90	30.00	मार्च, 03
10.	ताम्बरम-विषुपुरम और चेंगलपट्टु-अरक्कोणम	197	38.44	24.47	11.00	मार्च, 03
11.	रेणिगुंटा-गुंतकाल	308	168.34	10.61	16.00	मार्च, 04
12.	लुधियाना-अमृतसर	136	98.19	37.53	21.00	मार्च, 04
13.	एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम	320	161.76	20.58	15.00	मार्च, 04
14.	कृष्णानगर-लालगोला	128	72.12	0.01	6.00	मार्च, 04

1	2	3	4	5	6	7
15.	दिल्ली-सराय रोहिल्ला-गुड़गांव	30	12.00	0.01	1.00	अपेक्षित स्वीकृति की प्रतीक्षा
16.	मुगलसराय-जाफराबाद	68	49.96	0.01	11.00	अपेक्षित स्वीकृति की प्रतीक्षा
17.	खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर	207	89.21	0.00	1.00	लंबित

(ग) और (घ) विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है। बहरहाल, विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति, वार्षिक बजट प्रावधान और उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करती है।

सी०एन०जी०/एल०एन०जी० की मांग

*629. **श्री किरीट सोमैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सी०एन०जी० और एल०एन०जी० की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने सी०एन०जी० का विशेष कोटा उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जी०ए०आई० एल०) द्वारा कम आपूर्ति किए जाने के कारण राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टिलाइजर्स सहित विभिन्न उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उद्योगों को सी०एन०जी०/एल०एन०जी० की कम आपूर्ति से निपटने के लिए कोई नीति तैयार करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो कम आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या एल०एन०जी०/सी०एन०जी० सहित गैस का उत्पादन बढ़ाने संबंधी किसी नए प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ज) प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) के आयात और स्वदेशी हाइड्रोकार्बन संसाधनों के घरेलू अन्वेषण/दोहन को तेज करने जैसे उपाय आरम्भ किए गए हैं। किसी भी राज्य को सम्पीडित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) के रूप में परिवहन क्षेत्र को आपूर्ति करने के लिए प्राकृतिक गैस का आबंटन, वितरण के लिए प्राकृतिक गैस और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर है। उरण में ओ०एन०जी०सी० के गैस क्षेत्रों में उत्पादन के घटने के कारण, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय रसायन उर्वरक सहित विभिन्न उद्योगों को गैस की आपूर्ति कम कर दी गई है। जिन उद्योगों को गैस का आबंटन किया जाता है उन्हें संविदा के निबंधनों के अनुसार दोहरी ईंधन क्षमता रखनी होती है। गैस की कम आपूर्ति के मामले में उपभोक्ताओं के लिए सामान्यतया यथानुपात कटौती की जाती है पर प्राथमिकता विद्युत परियोजनाओं और उर्वरक इकाइयों को दी जाती है। उरण तक 16.6 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम०एम०एस०सी०एम०डी०) प्राकृतिक गैस के वर्तमान आबंटन के प्रति वर्तमान गैस उपलब्धता केवल लगभग 8.3 एम०एम०एस०सी०एम०डी० है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति

*630. **प्रो० दुखा भगत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मिट्टी के तेल की आपूर्ति इसकी मांग से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मिट्टी के तेल की राज्य-वार कितनी मांग रही और कितनी आपूर्ति की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल का आयात किया गया और यह आयात किस दर पर किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी तेल की आपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदित आबंटन के अनुसार की जाती है। वर्ष 2002-2003 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए अतिरिक्त एल०पी०जी० कनेक्शनों के मद्देनजर पूर्व आधार पर किया गया है। तेल कंपनियां, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठान के लिए उत्पाद अपने आपूर्ति स्थानों पर उपलब्ध करवाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा वितरण की अन्य आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों और सामानान्तर विपणनकर्ताओं द्वारा पूरी की जाती है।

1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के आबंटन और उठान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

मांग को पूरा करने के लिए आयातित मिट्टी तेल की मात्रा और दर, जिस पर आयात किया गया था, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1999-00 से 2001-02 के दौरान मिट्टी तेल का राज्यवार आबंटन और उठान

(आंकड़े एमटी में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-00				2000-01				2001-02 (अनंतिम)			
	आबंटन	तदर्थ	कुल आबंटन	उठान	आबंटन	तदर्थ	कुल आबंटन	उठान	आबंटन	तदर्थ	कुल आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंदमान व निकोबार	6736	301	7037	7169	6736	0	6736	6731	6382	0	6382	6371
आन्ध्र प्रदेश	679848	0	679848	675171	650596	778	651375	633225	592517	1946	594463	589555
अरूणाचल प्रदेश	10295	623	10917	10835	10346	0	10346	9896	10079	0	10079	10439
असम	272623	0	272623	272288	273270	0	273270	272839	267475	0	267475	268784
बिहार	870036	0	870036	869069	894246	0	894246	883001	655846	0	655846	657969
चंडीगढ़	15408	0	15408	15248	15408	0	15408	13718	14729	0	14729	13310
छत्तीसगढ़*					*	*	*	*	150966	0	150966	147165
दादर और नगर हवेली	3238	0	3238	3215	3238	0	3238	3229	3119	0	3119	3096
दमन व दीव	2438	0	2438	2962	2438	0	2438	2393	2374	0	2374	2231
दिल्ली	204672	0	204672	203057	204672	0	204672	202792	198823	0	198823	197717
गोवा	28075	0	28075	28084	28075	0	28075	28067	23639	0	23639	23647
गुजरात	832432	4864	837295	837545	832432	42023	874455	857169	804436	0	804436	799031
हरियाणा	171731	0	171731	173673	175633	0	175633	174466	166976	0	166976	171503
हिमाचल प्रदेश	61067	778	61845	63997	61434	0	61434	52986	59690	0	59690	49353
जम्मू व कश्मीर	91921	19844	111765	117232	92376	12840	105216	96942	90544	2568	93112	90693
झारखंड*					*	*	*	*	219783	0	219783	217815
कर्नाटक	531167	0	531167	528190	534360	0	534360	533396	520903	0	520903	520080
केरल	302078	0	302078	301198	309149	0	309149	307639	269497	0	269497	266655
लक्षद्वीप	921	0	921	727	921	0	921	784	902	0	902	255
मध्य प्रदेश	666632	0	666632	665148	685182	0	685182	669284	511168	0	511168	507218
महाराष्ट्र	1577953	0	1577953	1570502	1488926	0	1488926	1514231	1442085	0	1442085	1440203
मणिपुर	22781	78	22859	22169	22781	0	22781	19460	21880	900	22780	16315
मेघालय	20960	74	21034	22037	21086	0	21086	20991	20597	0	20597	21204
मिजोरम	8146	0	8146	8018	8195	0	8195	7736	7284	0	7284	7182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नागालैण्ड	14284	78	14362	14296	14370	0	14370	14393	13513	0	13513	14076
उड़ीसा	318903	62793	381696	343427	327777	54475	382251	336512	321994	5837	327831	319792
पांडिचेरी	15363	0	15363	15268	15363	0	15363	15037	14606	0	14606	14101
पंजाब	343127	0	343127	341875	343127	0	343127	331800	301725	0	301725	297969
राजस्थान	443265	0	443265	446844	450930	93385	544316	509834	428299	0	428299	424012
सिक्किम	7895	0	7895	8875	7895	0	7895	7541	6924	0	6924	6393
तमिलनाडु	720076	12451	732527	731008	720076	12451	732527	721605	633880	778	634658	634891
त्रिपुरा	32562	0	32562	32469	32757	0	32757	30440	32274	0	32274	30856
उत्तर प्रदेश	1401255	9650	1410905	1409905	1440246	16537	1456783	1438437	1288674	9339	1298013	1292742
उत्तरांचल*					*	*	*	*	112059	0	112059	110702
पश्चिम बंगाल	812309	7782	820091	817261	816158	15564	831722	827053	795453	0	795453	795592
अखिल भारत	10490199	119316	10609516	10558762	10490199	248054	10738253	10543627	10011095	21367	10032462	9968887

*नए राज्यों का गठन नवम्बर, 2000 के दौरान किया गया आबंटन अविभाजित बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में मिट्टी तेल का आयात

वर्ष	मात्रा (टीएमटी)			दर	
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	समानान्तर योजना	योग	$/एमटी	रुपए/एमटी
1999-00	5144	1168	6312	202.10	8808.54
2000-01	1606	312	1918	272.26	12496.76
2001-02 (अनंतिम)	90	240	330	261.18	12283.92
योग	6840	1720	8560		

• टीएमटी हजार मीट्रिक टन है।

• समानांतर विपणन योजना आयात उद्योग निर्धारण पर आधारित है।

• दर केवल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आयातों के लिए लगभग औसत है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

*631. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में विकास कार्य करने वाले राज्यों को ब्याज पर राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002-03 के दौरान नई योजना के लिए राज्य-वार कितनी निधियां नियत की गयी हैं;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार ने नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) गत कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारत सरकार ने "त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम" (ए०आर०ई०पी०) नामक एक नई ब्याज अधिक सहायता स्कीम आरंभ की है जिसके अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए बजट में 164 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) मुख्यमंत्रियों के 3 मार्च, 2001 को आयोजित सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि 10वीं योजना के अंत अर्थात वर्ष 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण पुरा कर लिया जावेगा और वर्ष 2012 तक सभी परिवारों को विद्युतीकरण में शामिल कर लिया जायेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2001-02 से ग्रामीण

विद्युतीकरण को आधारभूत न्यूनतम सेवा माना गया है और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी०एम०जी०वाई०) के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2001-02 के दौरान राज्यों को 412.236 करोड़ रुपये मुहैया कराये हैं। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2001-02 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत भी 175 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया करायी है।

योजना आयोग ने वर्ष 2002-03 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण समेत पी०एम०जी०वाई० के सभी छः घटकों के लिए 2747.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। योजना आयोग द्वारा तैयार पी०एम०जी०वाई० के संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्यों को अपनी स्वयं की योजना प्राथमिकताओं एवं विवेक के अनुसार छः पी०एम०जी०वाई० सेक्टर के मध्य ऐ०सी०ऐ० का अपना पारस्परिक आबंटन निर्णीत करने की नम्यता प्राप्त होगी। योजना आयोग ने वर्ष 2002-03 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ऐ०सी०ऐ० के रूप में 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त कम ब्याज दर पर दलित बस्तियों और हेमलेटों के विद्युतीकरण हेतु रूरल इलैक्ट्रिकल कारपोरेशन ने नई स्कीमें तैयार की हैं।

(ङ) वर्ष 1997-2002 (फरवरी) से ग्राम विद्युतीकरण और पम्पसैट ऊर्जीकरण की राज्यवार उपलब्धियां और अविद्युतीकृत गांवों की स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दी गयी है।

विवरण-I

गत पांच वर्षों के दौरान (1991 की जनगणना) ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्ष-वार एवं राज्य वार प्रगति

क्र०सं०	राज्य/यूटी	वर्ष के दौरान विद्युतीकरण गांव				
		1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (फरवरी, 2002 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	@	@	@	@	@
2.	अरूणाचल प्रदेश	38	48	24	35	शून्य(ई)
3.	असम	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य(डी)
4.	बिहार	5	8	43	37	25(जी)
5.	झारखंड					
6.	गोवा	$	$	$	$	$
7.	गुजरात	9	4	@	@	@
8.	हरियाणा	@	@	@	@	@
9.	हिमाचल प्रदेश	139	45	25	37	5
10.	जम्मू व कश्मीर	14	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०
11.	कर्नाटक	शून्य	13	15	60(*)	8(एफ)
12.	केरल	@	@	@	@	@
13.	मध्य प्रदेश	463	300	87	15	शून्य(जी)
14.	छत्तीसगढ़ #				1	शून्य(बी)
15.	महाराष्ट्र	$	$	$	$	$
16.	मणिपुर	52	50	11	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	43	शून्य	शून्य	8	33(एफ)
18.	मिजोरम	12	3	4	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	10	33	16	शून्य(सी)

1	2	3	4	5	6	7
20.	उड़ीसा	800	817	748	42	शून्य(बी)
21.	पंजाब	@	@	@	@	@
22.	राजस्थान	698	685	510	465	231
23.	सिक्किम	$	$	$	$	$
24.	तमिलनाडु	@	@	@	@	@
25.	त्रिपुरा	15	3	4	3	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	851	711	476	260	105(एफ)
27.	उत्तरांचल #				158	एन०ए०(ए)
28.	पश्चिम बंगाल	48	83	113	81	37(जी)
	जोड़ (राज्य)	3207	2780	2093	1218	444
	जोड़ (यूटी)	@	@	@	@	@
	जोड़ (अखिल भारत)	3207	2780	2093	1218	444

टिप्पणी : लक्ष्य को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

(*) उन 48 गांवों सहित जो कि पहले ही विद्युतीकृत हो चुके हैं।

@ शत-प्रतिशत विद्युतीकृत गांव

$ 1981 की जनगणनानुसार शत-प्रतिशत विद्युतीकृत

एनए उपलब्ध नहीं

(#) 2000-01 में नवगठित राज्य

(ए) 31.3.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(बी) 30.4.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(सी) 30.9.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(डी) 31.10.2001 के अंत में दर्ज कां गयी प्रगति

(ई) 30.11.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(एफ) 31.12.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(जी) 31.1.2002 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

विवरण-II

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जीकृत पम्पसेटों की वर्ष-वार प्रगति

क्र०सं०	राज्य/यूटी	वर्ष के दौरान ऊर्जीकृत पम्पसेट				
		1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (फरवरी, 2002 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3398	59997	34026	5831	2052(ई)
2.	अरूणाचल प्रदेश					
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य(डी)
4.	बिहार	932	813	1539	2282	874(जी)
5.	झारखंड #					

1	2	3	4	5	6	7
6.	गोवा	391	136	68	209	अनुपलब्ध(ए)
7.	गुजरात	25931	26262	26665	23741	34574
8.	हरियाणा	943	835	783	9450	6607
9.	हिमाचल प्रदेश	318	294	370	405	444
10.	जम्मू व कश्मीर	533	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
11.	कर्नाटक	32685	59674	40139	81896	24831(एफ)
12.	केरल	14723	24050	20457	18433	11863
13.	मध्य प्रदेश	52699	45857	23235	11369	5848(जी)
14.	छत्तीसगढ़ #				1244	81(बी)
15.	महाराष्ट्र	59473	58810	65530	52185	17689(सी)
16.	मणिपुर				शून्य	–
17.	मेघालय				–	–
18.	मिजोरम				–	–
19.	नागालैंड				–	–
20.	उड़ीसा	1903	1312	1167	99	शून्य(बी)
21.	पंजाब	8941	9810	10169	22713	24360
22.	राजस्थान	25306	25051	22942	26070	15051
23.	सिक्किम				–	–
24.	तमिलनाडु	41920	34673	36397	43466	36660
25.	त्रिपुरा		121(*)	209	अनुपलब्ध	–
26.	उत्तर प्रदेश	11645	16113	11403	7980	7260(एफ)
27.	उत्तरांचल #				106	अनुपलब्ध(ए)
28.	पश्चिम बंगाल	1610	2855	2053	1502	650(जी)
	जोड़ (राज्य)	283351	366663	297152	308981	188844
	जोड़ (यूटी)	713	581	442	255	130
	जोड़ (अखिल भारत)	284064	367244	297594	309236	188974

टिप्पणी : लक्ष्य को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

(*) गत वर्ष की उपलब्धियों सहित

(#) 2000-01 में नवगठित राज्य

(ए) 31.3.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(बी) 30.4.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(सी) 30.9.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(डी) 31.10.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(ई) 30.11.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(एफ) 31.12.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

(जी) 31.1.2002 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति

विवरण-III

28.2.2002 की स्थितिनुसार ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति

क्र० सं०	राज्य/यूटी	कुल बसे हुए गांव (1991 की जनगणना)	28.2.2002 के अनुसार संचयी विद्युतीकृत गांव	28.2.2002 की स्थिति अविद्युती-करण हेतु शेष गांव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26586	26565	शून्य	शेष 21 गांवों को विद्युतीकरण हेतु अव्यवहार्य घोषित कर दिया गया।
2.	अरूणाचल प्रदेश	3649	2206	1443	30.11.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
3.	असम	24685	19019	5666	31.10.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
4.	बिहार	67513	47950	19563	31.1.2002 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
5.	झारखंड (#) ++				
6.	गोवा	360	360	शून्य	
7.	गुजरात	18028	17940	शून्य	शेष 88 गांवों को विद्युतीकरण हेतु अव्यवहार्य घोषित कर दिया गया।
8.	हरियाणा	6759	6759	शून्य	
9.	हिमाचल प्रदेश	16997	16886	111	
10.	जम्मू व कश्मीर	6477	6315	162	31.3.98 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
11.	कर्नाटक	27066	26759	26	शेष 281 गांव विद्युतीकरण हेतु अव्यवहार्य 31.12.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
12.	केरल	1384	1384	शून्य	
13.	मध्य प्रदेश	51806	50286	1520	31.1.2002 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
14.	छत्तीसगढ़ #	19720	18076	1644	30.4.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
15.	महाराष्ट्र	40412	40349	शून्य	शेष 63 गांवों को विद्युतीकरण हेतु अव्यवहार्य घोषित कर दिया गया।
16.	मणिपुर	2182	2001	181	
17.	मेघालय	5484	2551	2933	31.12.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
18.	मिजोरम	698	691	7	
19.	नागालैंड	1216	1212	4	30.9.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
20.	उड़ीसा	4699	35232	11757	30.4.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
21.	पंजाब	12428	12428	शून्य	
22.	राजस्थान	37889	36143	1746	
23.	सिक्किम	447	405	42	42 वनीय गांव

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	15822	15822	शून्य	
25.	त्रिपुरा	855	813	42	
26.	उत्तर प्रदेश	97122	77152	19970	31.12.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
27.	उत्तरांचल #	15681	12488	3193	31.3.2001 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
28.	पश्चिम बंगाल	37910	29633	8277	31.1.2002 के अंत में दर्ज की गयी प्रगति
	जोड़ (राज्य)	586165	507425	78287	शेष 453 गांवों को विद्युतीकरण हेतु अव्यवहार्य घोषित कर दिया गया।
	जोड़ (यूटी)	1093	1090	शून्य	शेष 3 गांवों को विद्युतीकरण हेतु अव्यवहार्य घोषित कर दिया गया।
	जोड़ (अखिल भारत)	587258	508515	78287	शेष 456 गांवों को विद्युतीकरण हेतु अव्यवहार्य घोषित कर दिया गया।

#नव गठित राज्य

++अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हजीरा गैस क्षेत्रों का सर्वेक्षण

*632. **श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी गुजरात तट से दूर स्थित हजीरा गैस क्षेत्रों के पुन: सर्वेक्षण में आरम्भिक प्राक्कलनों से अधिक गैसों के बड़े भंडारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गैस भंडारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) हाल के एक अध्ययन के आधार पर हजीरा क्षेत्र में स्थानिक प्राकृतिक गैस भण्डार 1992 में इस क्षेत्र के प्रस्ताव के समय 0.052 बी०सी०एम० की तुलना में 17.8 बिलियन घन मीटर (बी०सी०एम०) होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) उक्त क्षेत्र से प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय अध्ययन किए गए हैं।

(2) इस क्षेत्र के अपतटीय भाग में 3डी (त्रिआयामी) भूकंपीय आंकड़ा अर्जित कर लिया गया है।

(3) दो डिलिनिएशन कूपों का वेधन किया गया है।

(4) अठारह उत्पादन कूपों का वेधन कर लिया गया है और इस क्षेत्र से फिलहाल 2.5 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है।

जल विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन

*633. **श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु संबंधी एशिया क्षेत्र अनुसंधान कार्यक्रम (ए०आर०आर०पी०ई०ई०सी०) ने देश में जल विद्युत उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दसवीं योजना और इसके बाद की अवधि में हाइड्रो-कार्बनों और जीवाश्म इंधनों के संरक्षण और ग्रीनहाउस गैसों (जी०एस०जी०) के नियंत्रण हेतु अपनायी जाने वाली इस रणनीति को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जी, हां। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी एशियाई क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यक्रम (ए०पी०आर०पी०ई०ई०सी०) ने सुझाव प्रदान किया है कि विद्युत क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस निस्सरण को कम करने के लिए जल विद्युत उत्पादन ही एक आकर्षक विकल्प है।

भारत सरकार पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर जोर दे रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना में जल विद्युत उत्पादन के जरिए संभावित क्षमता अभिवृद्धि क्रमश: 17311 मेगावाट और 19262 मेगावाट होगी। विद्युत क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैस निस्सरण कम करने के लिए सरकार स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों जैसे सुपर क्रिटिकल बॉयलर, आई०जी०सी०सी०, धुले कोयले का उपयोग इत्यादि को अपनाए जाने को प्रोत्साहित कर रही है; औद्योगिक,

वाणिज्यिक, कृषि एवं घरेलू क्षेत्रों में उर्जा के दक्ष उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है; और पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों में हानि कम करने तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों में क्षमता सुधार पर बल दे रहीशून्य है। सरकार नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के विकास को भी प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इन प्रयासों से अन्ततोगत्वा ग्रीनहाउस गैस निस्सरण कम होगा और इसके परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन का सरंक्षण भी होगा।

विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

*634. **श्री के० येरननायडू** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विद्युत क्षेत्र, विशेषत: पारेषण के मामले में प्रौद्योगिकी स्तर पर आत्मनिर्भर नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जहां तक पारेषण प्रौद्योगिकी का संबंध है, भारत आवश्यकता को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर है। 400 के०वी० ए०सी० नेटवर्क (जिसमें लाइनें और सब-स्टेशन निहित है) बनाए गए हैं और इनका प्रचालन किया जा रहा है। 400 के०वी० और इससे कम पारेषण वोल्टता वाली प्रणाली के लिए देश प्रौद्योगिकी के संबंध में आत्मनिर्भर है। 765 के०वी० ए०सी० पारेषण प्रणालियों में पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी विशेषज्ञता उपलब्ध है। ± 500 के०वी० के उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष करंट (एच०वी०डी०सी०) पारेषण में यद्यपि प्रणालियां (वृहत् विद्युत पारेषण के लिए प्वाइंट टू प्वाइंट और अंत:क्षेत्रीय कनैक्शन के लिए बैक-टू-बैक पद्धति के जरिए) एक दशक से प्रचालन में हैं लेकिन घटकों का स्वदेशी विकास बहुत अधिक सीमित है।

तथापि, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने, चीजों को किफायती बनाकर इसका लाभ पहुंचाने, विश्वसनीयता में वृद्धि करने, उपस्करों की जीवना-वधि में वृद्धि करने और पारेषण प्रणाली की सुगम उपलब्धता के लिए प्रौद्योगिकी का निरंतर उन्नयन किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में नवीनतम तकनीकी प्रगति, अविष्कार, विशेषज्ञता और पूरे विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध अन्य तकनीकों के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने के लिए पावरग्रिड विभिन्न विनिर्माताओं, यूटिलिटियों, परामर्शियों एवं विद्वानों के साथ प्राय: विचार-विमर्श करता रहता है।

'गेल' द्वारा उद्योगों को गैस की आपूर्ति

*635. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने ताजमहल को प्रदूषण के कुप्रभावों से बचाने के लिए उद्योगों को गैस की आपूर्ति के लिए आधारभूत ढांचे पर 135 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का विचार प्राकृतिक गैस के परिवहन मूल्य को 50 रुपये प्रति हजार मानक घन मीटर की दर से बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के इस निर्णय से उद्योगों पर कितना प्रभाव पड़ने की आशंका है;

(च) क्या सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के मूल्य वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (छ) गेल ने उद्योगों को आपूर्ति करने और वैयक्तिक उपभोक्ताओं के लिए संबंधित मीटरिंग स्टेशनों के साथ बजहेरा-आगरा स्पर लाइन, आगरा-फिरोजाबाद स्पर लाइन, आगरा-फिरोजाबाद नगर गैस वितरण पाइपलाइन संजालतंत्र जैसी बुनियादी पाइपलाइन सुविधाओं के सृजन और नगर गैस स्टेशन की स्थापना से ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में मार्च, 2002 तक 102 करोड़ रुपए की कुल धनराशि खर्च की है। परिवहन प्रशुल्क में वृद्धि के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय उपग्रहों से 'अपलिंकिंग' सुविधा

*636. **श्री सुकदेव पासवान** :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने टेलीविजन चैनलों ने भारतीय उपग्रहों से जोड़े जाने संबंधी (अपलिंकिंग) सुविधा हेतु आवेदन किया है;

(ख) अब तक चैनल-वार कितने आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) शेष आवेदनों पर कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) भारत से अपलिंकिंग करने की मौजूदा नीति भारतीय और विदेशी उपग्रहों दोनों से टेलीविजन चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति देती है। भारतीय उपग्रहों के प्रयोग संबंधी प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाती है। 56 निजी चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दे दी गई है जिनमें से नौ ने भारतीय उपग्रह से अपलिंकिंग के लिए आवेदन किया है।

(ग) आठ आवेदनों की अन्य मंत्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है। इस स्थिति में उनको स्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दर्शायी जा सकती है।

कोंकण रेलवे पर मालगड़ियों की आवाजाही

*637. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ज़ोनल रेलवे कोंकण रेल के रास्ते मालगड़ियां चलाने के प्रति अनिच्छुक हैं जिससे भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोंकण रेलवे अपने ऋण की अदायगी करने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कोंकण रेलवे को कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या कोंकण रेलवे का मालभाड़ा यातायात, प्राधिकारियों की आशाओं के अनुरूप नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो कोंकण रेलवे ने मालभाड़ा यातायात को आकर्षित करने और घाटे को पाटने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि कोंकण रेलवे पर माल यातायात का संचलन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है लेकिन यह निगम अपने निर्माण चरण में वहन किए गए ऋण और ब्याज दायिताओं का भुगतान करने में असमर्थ है।

(ग) बाजार ऋण और मूल्यह्रास पर वहन की गई वित्तपोषण लागत के लिए किए जाने वाले अपेक्षित प्रावधान के कारण यह निगम अपने तुलन-पत्र में हानि दर्शा रहा है, जो इस प्रकार है :

1998-1999	340 करोड़ रुपए
1999-2000	385 करोड़ रुपए
2000-2001	382 करोड़ रुपए
2001-2002	380 करोड़ रुपए (अनंतिम)

(घ) जी, हां।

(ङ) माल यातायात आकर्षित करने तथा घाटे को पूरा करने के लिए कोंकण रेल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :

- जोरदार विपणन
- उपयोगकर्ताओं और कोंकण रेलवे के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कोंकण रेलवे माल उपयोगकर्ता समूह की स्थापना
- सड़क द्वारा संचलित होने वाले यातायात को आकर्षित करने के लिए कोंकण रेलवे ने कोलाड और वर्णा के बीच रो-रो सेवा (रौल-ऑन-रौल-ऑफ सेवा) आरंभ की है।

त्वरित और सस्ती कानूनी कार्रवाई

*638. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कमजोर वर्गों के लाभ के लिए परिणामोन्मुखी, त्वरित और सस्ती कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) (i) इस समय लोक अदालतें केवल पक्षकारों के बीच समझौते अथवा परिनिर्धारण के आधार पर विवादों का समाधान कर सकती है। यदि पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो मामले की या तो न्यायालय को वापिस भेज दिया जाता है या पक्षकारों को उपचार के लिए न्यायालय में जाने की सलाह दी जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में एक नया अध्याय जोड़ने का विनिश्चय किया गया है। जो लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के सुलह और समझौते के लिए अनिवार्य मुकदमा पूर्व तंत्र उपलब्ध कराने के लिए स्थायी लोक अदालतों के गठन को सुकर बनाएगा। इस आशय का एक विधेयक लोक सभा में पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है। यथास्थिति, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे स्थानों में और उतनी संख्या में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना कर सकेगा, जितनी लोक अदालतों को, समय-समय पर यथाआवश्यक एक या अधिक लोक उपयोगिता सेवाओं की बाबत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए समीचीन हों। स्थायी लोक अदालतों की अधिकारिता परिवहन (वायुमार्ग, सड़क, जलमार्ग) डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन, विद्युत, जल, स्वच्छता, अस्पताल और बीमा जैसी लोक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में होगी। लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए यह भी प्रस्ताव किया गया है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा किसी मूलवाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। लोक अदालतों की अधिकारिता 10 लाख रुपए के धनीय मूल्य वाले मामलों तक सीमित होगी। विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 के जिसे सभी संसद् द्वारा पारित किया जाना है, खंड 22ग के अधीन सरकार का राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से दस लाख रुपए की सीमा को बढ़ाने की शक्ति है। विधेयक के पारित होने के पश्चात्, अनिवार्य पूर्व मुकदमेंबाजी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए स्थायी लोक अदालतों के गठन की स्कीम आरंभ होगी। इन स्थायी लोक अदालतों के गठन के परिणामस्वरूप कमजोर वर्गों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलेगा।

(ii) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे, कोई मामला फाइल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, विधिक सेवाओं का हकदार होगा, यदि ,ऐसा व्यक्ति :

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव में दुर्व्यापार या बेगार का शिकार है;

(ग) स्त्री या बालक है;

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा नि:शक्त व्यक्ति है;

(ङ) अनहे अभाव की दशाओं के अधीन व्यक्ति है, जैसे, बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट का शिकार है; या

(च) औद्योगिक कर्मकार है; या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के खंड (ज) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा भी है; या

(ज) ऐसा व्यक्ति है जो यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो नौ हजार रुपए या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो बारह हजार रुपए या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है।

उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय प्राधिकरण, विधिक शिक्षा का संवर्धन, विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों में विधिक सहायता केंद्रों का गठन, परा-विधिकों का प्रशिक्षण और विधिक सहायता शिविरों तथा लोक अदालतों के आयोजन जैसे जीवंत विधिक सहायता कार्यक्रमों की स्थापना के लिए उपाय कर रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां और स्कीमें बना रहा है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे जरूरतमंद आवेदकों को, जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन इस प्रयोजन के लिए विहित मापदंडों को पूरा करते हैं, विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है। वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमश: 2,45,89,000 रु०, 2,54,50,000 रु० और 3,32,55,000 रु०, जारी किए गए हैं। एक ब्यौरेवार विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998, 1999 और 2000 में न्यायालयोन्मुख कार्यक्रमों से फायदा उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान फायदा उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या			योग (स्तंभ संख्या 3 से 5
		1998	1999	2000	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,623	1,584	1,268	4,475
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	50	—	50
3.	असम	—	—	—	—
4.	बिहार	1,680	1,457	558	3,695
5.	गोवा	—	—	93	93
6.	गुजरात	1,393	2,306	2,252	5,951
7.	हरियाणा	332	1,054	1,519	2,905
8.	हिमाचल प्रदेश	178	303	232	713
9.	जम्मू-कश्मीर	371	935	1,563	2,869
10.	कर्नाटक	1,050	1,778	1,814	4,642
11.	केरल	717	701	604	2,022
12.	मध्य प्रदेश	26,298	31,738	33,722	91,758
13.	महाराष्ट्र	5,204	4,873	3,258	13,335
14.	मणिपुर	—	2	—	2
15.	मेघालय	—	—	—	—
16.	मिजोरम	1,376	926	1,942	4,244
17.	नागालैंड	—	1,610	1,262	2,872
18.	उड़ीसा	1,023	1,923	1,610	4,556
19.	पंजाब	1,591	1,824	1,707	5,122
20.	राजस्थान	1,999	2,465	2,747	7,211
21.	सिक्किम	4	46	247	297
22.	तमिलनाडु	39,705	43,823	70,080	1,53,608

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	23	18	45	86
24.	उत्तर प्रदेश	2,217	4,54,617	4,47,204	9,04,038
25.	पश्चिमी बंगाल	2,600	1,700	1,544	5,844
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	29	103	229	361
27.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	258	685	1,031	1,974
28.	दादरा और नागर हवेली	—	3	5	8
29.	दमन और द्वीव	—	—	—	—
30.	दिल्ली	4,855	4,421	3,970	13,246
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	928	802	1,121	2,851
33.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	343	603	345	1291
	योग	95,797	5,62,350	5,81,972	12,40,119

रेलवे स्टेशनों/रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं

***639. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी रेलवे स्टेशनों और चलती रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) रेल यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता मुहैया कराने की दृष्टि से सभी स्टेशनों पर और सभी यात्री गाड़ियों के गार्डों के पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स मुहैया कराए गए हैं। स्टेशनों के कर्मचारियों और गार्डों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, नामित बड़े स्टेशनों पर और नामित लम्बी दूरी की गाड़ियों में यात्रियों की सुविधा के लिए अधिक दवाइयों और उपकरण वाले संवर्धित प्राथमिक चिकितसा बॉक्सों की व्यवस्था की गई है। इन बॉक्सों की व्यवस्था करने के लिए शुरू में सीमित ठहराव वाली लम्बी दूरी की 162 गाड़ियां चुनी हुई थीं जिनमें से प्रथम चरण में कार्यान्वयन के लिए लम्बी दूरी की 30 गाड़ियों, सभी राजधानी/शताब्दी गाड़ियों और 'ए' श्रेणी के 156 स्टेशनों को चुना गया था। लम्बी दूरी की 29 गाड़ियों, 14 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस/13 जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों और 'ए' श्रेणी के 150 स्टेशनों पर संवर्धित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्सों की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। उपर्युक्त प्रयासों को बढ़ाने की दृष्टि से, स्टेशन अधीक्षक/उप स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय में स्टेशनों के समीप विवरणों सहित चिकित्सा सुविधाओं की एक संकलित सूची प्रदर्शित की जाती है। इसमें अस्पताल, नर्सिंग होम का नाम, टेलीफोन नम्बर/नम्बरों सहित डाक्टरों के नाम, स्टेशन से प्रत्येक सुविधा स्थल की दूरी, मुहैया कराई गई सुविधा के संबंध में ब्यौरे आदि, जैसे विवरण दिए जाते हैं। तत्काल आवश्यकता के समय और यात्री गाड़ी दुर्घटनाओं की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान भी यात्री जनता के लिए उपर्युक्त सूचना सहायक सिद्ध होगी।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा संबंधी आपातस्थिति के दौरान, स्टेशन कर्मचारियों को प्राधिकृत किया गया है कि जरूरतमंद व्यक्ति/व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए "ऑन काल" रेलवे चिकित्सा अधिकारी को बुलाएं।

संवर्धित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था करने की सुविधा जुलाई, 2003 तक पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

डिजिटल प्रसारण

***640. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन, देश-चार डिजिटल प्रसारण आरम्भ करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) डिजिटल प्रसारण कब से शुरू किए जाने की संभावना हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) फिलहाल 5 दूरदर्शन चैनल डिजिटल पद्धति से अपलिंक किए जा रहे हैं और ये संकेत पूरे देश में उपग्रह के माध्यम से मिलते हैं। प्रसार भारती की स्थलीय पद्धति से पूरे देश में डिजिटल प्रसारण शुरू करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, दूरदर्शन प्रयोगात्मक सेवा प्रारम्भ करने के लिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में डिजिटल स्थलीय ट्रांसमीटर लगा रहा है। एनॉलाग ट्रांसमीटर प्रसारण के मुकाबले डिजिटल स्थलीय प्रसारण के मुख्य लाभ इसके श्रव्य एवं दृश्य संकेतों की अच्छी गुणवत्ता का होना, बहु-चैनल प्रचालन, मोबाइल रिसेप्शन और कम प्रसारण शक्ति की मांग है। दिल्ली में टांसमीटर की स्थापना कर दी गई है और फिलहाल इसका परीक्षण किया जा रहा है। कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में वर्ष 2002 के दौरान ट्रांसमीटरों की स्थापना किए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

पेयजल में क्लोरीन

6448. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पुर्ण स्थित सिविल क्षेत्रों में स्थित वायुसेना संयंत्र द्वारा क्लोरीन डालने के कारण पेयजल खराब हो गया; और

(ख) यदि हां, तो वायुसेना द्वारा पेयजल को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एड्स का परीक्षण

6449. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने मंत्रालय को सुझाव दिया है कि सैन्य बलों में शामिल होने वाले लोगों का एड्स परीक्षण किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सिर्फ भर्ती हुए नए लोगों की ही पूरी जांच की जाएगी या पूरे सैन्य बल की जांच किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भारत सरकार ने अप्रैल, 2002 में राष्ट्रीय एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण नीति की घोषणा कर दी है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि नौकरी के लिए पूर्व शर्त के रूप में या नौकरी के दौरान स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य एच०आई०वी० परीक्षण नहीं थोपा जाना चाहिए। सशस्त्र सेनाओं के मामले में, नौकरी के पहले, परीक्षण-पूर्व एवं परीक्षणोपरांत परामर्श के साथ स्वेच्छापूर्वक एच०आई०वी० जांच की जा सकती है तथा परीक्षण को गोपनीय रखना होगा।

जेवियर प्रबंधन संस्थान के साथ कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

6450. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ने भुवनेश्वर स्थित जेवियर प्रबंधन संस्थान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण में और विद्युत सेवाओं में सुधार लाने हेतु तीन परिचालनों और रखरखाव इकाईयों के लिए पायलट परियोजना सौंपने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कर्नाटक राज्य को किस हद तक मदद मिलेगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जी, हां। पायलट परियोजना 3 ओ एंड एम सेक्शन अर्थात् देवनाहल्ली तालुक में बुडगिरि, बंगलौर ग्रामीण जनपद, कोलार जनपद के चिंतामणि तालुक में काईवारा तथा तुमकुर जनपद के तिपतुर तालुक में मोविनाकेरे का कवर करती है। परियोजना मार्च, 2002 से 12 माह की अवधि तक के लिए होगी। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का उपयोग कर रहे उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली में सुधार करना और वितरण हानियों में कमी करना है। परियोजना सेक्शन के वितरण ट्रांसफार्मरों से बिजली आपूर्ति का लाभ ले रहे एलटी उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को कवर करेगी।

यह एक पायलट परियोजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का उपयोग कर रहे उपभोक्तओं कवर करती है, यदि यँह परियोजना सफल हुई तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

लोकप्रिय धारावाहिकों के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

6451. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री शिवाजी माने :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले उन अत्यधिक लोकप्रिय धारावाहिकों के नाम क्या हैं जिनसे सरकार ने अत्यधिक राजस्व अर्जित किया है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का वर्ष-वार और धारावाहिक-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) *सबसे सफल टी०वी० धारावाहिकों तथा उनके द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण*

1997-98

क्र० सं०	धारावाहिक का नाम	शुद्ध अर्जित राजस्व (रुपये में)
1	2	3
1.	ऊँ नम: शिवाय	22,27,83,000/-

1	2	3
2.	श्री कृष्णा	17,52,07,450/-
3.	जय हनुमान	13,18,46,050/-
	1998-99	
1.	जय हनुमान	22,94,37,000/-
2.	ऊँ नम: शिवाय	22,03,53,000/-
3.	श्री कृष्णा	11,16,05,000/-
	1999-2000	
1.	जय हनुमान	24,22,13,700/-
2.	नूरजहाँ	21,06,00,000/-
3.	ऊँ नम: शिवाय	20,25,34,000/-

[अनुवाद]

एल०सी०ए० के नौसैनिक संस्करण के विकास हेतु अमरीकी सहायता

6452. डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण विकसित करने हेतु संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल पर रायल्टी

6453. श्री ए० नरेन्द्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को राजस्व के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कुल कितना टन/बैरल तेल निकाला गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अन्य राज्यों को भुगतान की गई रायल्टी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आन्ध्र प्रदेश में कच्चे तेल के उत्पादन पर ओ०एन०जी०सी० द्वारा भुगतान की गई रायल्टी की धनराशि 1999-2000 में 9.73 करोड़ रुपये, 2000-01 में 19.83 करोड़ रुपये और 2001-2002 में 25.68 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में ओ०एन०जी०सी० द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन 1999-2000 में 0.146 मिलियन मीट्रिक टन (एम०एम०टी०), 2000-01 में 0.262 एम०एम०टी० और 2001-02 में 0.282 एम०एम०टी० था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को भुगतान की गई रायल्टी का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल पर राज्यों को भुगतान की गई रायल्टी

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य	1999-00	2000-01	2001-02 (अनन्तिम)
1.	आंध्र प्रदेश	9.73	19.83	25.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.09	3.67	2.87
3.	असम	341.29	399.43	417.13
4.	गुजरात	413.51	464.18	547.49
5.	राजस्थान	1.51	2.50	2.05
6.	तमिल नाडु	26.59	34.38	39.93

[हिन्दी]

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दूसरे दर्जे का टिकट खरीदने में परेशानी

6454. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दूसरे दर्जे के टिकट खरीदने में यात्रियों को काफी भीड़ का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त यात्रियों के लिए खुली हवा और पानी का उचित प्रबंध नहीं है और यात्रियों की संख्या के अनुपात में टिकट काउंटरों की संख्या बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) सुबह और दोपहर में भीड़-भाड़ वाले घंटों के दौरान टिकट खरीदने के लिए बुकिंग काउंटरों पर लंबी कतारे लग जाती हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली-मुख्य स्टेशन पर मुख्य बुकिंग हाल में शीशे के दरवाजे को हटा कर उनके स्थान पर ग्रिल लगा कर उसे अधिक हवादार बनाया गया है। ईस्ट हाल और आरक्षण हाल, प्रत्येक में एक-एक वाटर कुलर उपलब्ध कराया गया है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 बुकिंग काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं जो तीन पारियों में कार्य करते हैं और एक पारी में एक काउंटर पर लगभग 500 टिकटे जारी की जाती हैं जो कि सीमा के भीतर है। बहरहाल, भीड़-भाड़ वाले घंटों के दौरान, काउंटरों पर लंबी कतारों पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक/निरीक्षक लगाए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त काउंटर भी खोले जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम ठेका प्रणाली संबंधी जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र

6455. **श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला :**
श्री बली राम कश्यप :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री सुबोध मोहिते :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियां देश में जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र चला रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सभी तेल कंपनियों ने अपने जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र चलाने हेतु श्रम ठेकेदारों को नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो सभी तेल कंपनियां ऐसी नियुक्तियों में एक समान मार्ग-निर्देशों का पालन करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में तेल कंपनियों के जुबली पेट्रोल पंपों पर प्रदान की गई नई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तेल विपणन कंपनियां देश में जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन कर रही हैं। ये जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र संबंधित तेल विपणन कंपनी के अधिकारी की निगरानी में प्रचालित किए जाते हैं। बिक्री केन्द्र के दिन-प्रतिदिन के प्रचालन के लिए श्रम सहायता, श्रम संविदाकारों के माध्यम से प्रदान की जाती है जिसे तेल विपणन कंपनियों द्वारा इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए श्रम संविदाकार का कार्यकाल साधारण तौर पर केवल एक वर्ष होता है।

(ङ) राजमार्गों पर जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने की योजना अनेक सहबद्ध सुविधाओं के साथ ईंधन के लिए पर्यटकों और ट्रक चालकों जैसे यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए आरम्भ की गयी थी। इन सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ पार्किंग स्थान, रेस्तरां/ढ़ाबा, प्रसाधन, स्नान और धुलाई कक्ष, ड्राइवरों के लिए आराम करने के कमरे, मनोरंजन सुविधाएं, टेलीफोन सुविधाएं, लघु खरीदारी केन्द्र आदि सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

नीतिश सेनगुप्ता समिति की सिफारिशें

6456. **श्रीमती मिनाती सेन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीतीश सेनगुप्ता समिति ने वर्ष 1998 के दौरान आई०बी०पी० और भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के विलय की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों का अक्षरश: पालन न किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) नीतिश सेनगुप्ता समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि सरकार को आई०बी०पी० की 33.6% शेयर-धारिता का किसी कार्यनीतिक भागीदार अर्थात् भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) को प्रत्यक्ष रूप से विनिवेश कर देना चाहिए जैसा कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के प्राप्ति दिशानिर्देशों के तहत अनुमेय है। तथापि आई०बी०पी० कम्पनी लिमिटेड उन कम्पनियों में से एक थी जिनका मामला सितम्बर, 1996 में विनिवेश आयोग को भेजा गया था और आयोग ने सरकार को प्रस्तुत अपनी पांचवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सरकार को कार्यनीतिक बिक्री के माध्यम से आई०बी०पी० में 59.6 प्रतिशत सरकारी धारिता में से कम्पनी की 33.6% इक्विटी का विनिवेश कर देना चाहिए। सेनगुप्ता समिति की सिफारिश और विनिवेश आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया गया और आई०बी०पी० में इसकी 26% इक्विटी रखने और बाकी का किसी कार्यनीतिक साझेदार को विनिवेश करने का अंतिम निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत

6457. श्री कैलाश मेघवाल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं का पता लगाने हेतु खोज और अनुसंधान के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है या शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अपर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने के कारण राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खोज, विकास और क्रियान्वयन कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु उठाए गए कदमों और इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर कितना व्यय किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने राजस्थान में पवन, सौर, बायोमास और लघु पनबिजली के क्षेत्र में संसाधन मूल्यांकन आरंभ किए हैं। पवन संसाधन मूल्यांकन 56 स्थलों पर आरंभ किया है। इनमें से आठ की पहचान पवन विद्युत परियोजनाओं हेतु संभाव्यता स्थलों के रूप में की गई है। मथानिया, जिला जोधपुर में एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। राज्य के 20 तालुकों में बायोमास संसाधन मूल्यांकन अध्ययन आरंभ किए गए हैं जिनमें से अब तक 10 को पूरा कर लिया गया है। राज्य में 27.26 मेगावाट की संभाव्यता वाली लघु पनबिजली परियोजनाओं के लिए 49 संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राज्य में अब तक 6.4 मेवा० क्षमता की प्रदर्शन परियोजनाओं सहित 16 मेवा० की पवन विद्युत क्षमता की स्थापना की गई है। जिला जोधपुर के मथानिया गांव के लिए 140 मेवा० के एक एकीकृत सौर संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। जयपुर में प्रत्येक 25 किवा० के दो ग्रिड इंटरएक्टिव सौर प्रकाश-वोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है। राज्य में समग्र रूप से 23.85 मेवा० क्षमता की 10 लघु पनबिजली परियोजनाओं की भी स्थापना की गई है।

निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। परियोजनाओं की मंजूरी पर विचार राज्य एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 12.66 करोड़ रु० की राशि जारी की है।

[अनुवाद]

छावनियों में प्रशासनिक परिदृश्य

6458. श्री सुबोध मोहिते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय समिति ने पूरे देश की सभी छावनियों के प्रशासनिक परिदृश्य की समीक्षा की है जैसाकि दिनांक 23 फरवरी, 2002 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी छावनी बोर्डों के चुनाव को स्थगित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वहां कब तक चुनाव करवाए जाएंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सेना इंजीनियर सेवा के साथ भारतीय रक्षा संपदा सेवा के संविलयन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने अपने निष्कर्षों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। छावनी बोर्डों में चुनाव करवाने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना

6459. श्री सनत कुमार मंडल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में स्थित सुन्दरवन के लिए पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (ग) पवन संसाधन मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में फ्रासरगंज और सागर द्वीप की पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए संभाव्य स्थलों के रूप में पहचान की गई है। फ्रासरगंज में एक 1 मेगावाट की प्रदर्शन पवन फार्म परियोजना पहले ही शुरू हो गई है। इसकी क्षमता 2 मेवा० तक बढ़ाने की योजना है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सागर द्वीप में एक 100 किवा० की पवन डीजल परियोजना भी शुरू की गई है। इस परियोजना की क्षमता 500 किवा० तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का उत्पादन लक्ष्य

6460. श्री सुनील खाँ : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तैयार माल का कारखाना शुरू करने हेतु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को 200 करोड़ रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को 200 करोड रुपए प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001-2002 के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ब्यौरा निम्नानुसार है :–

इकाई : हजार टन

	लक्ष्य	वास्तविक	%लक्ष्य पूर्ति
विक्रेय इस्पात	1510	1527	101

(ग) और (घ) प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता और बाजार स्थिति पर निर्भर करते हुए एक नई फिनिशिंग मिल को नौवीं योजना के उत्तरार्ध में शुरू करने की योजना थी। तथापि, मंदीयुक्त बाजार परिस्थितियों और सेल की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका और अब इस पर 10वीं योजना के दौरान विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा निर्धारित बिजली दर

6461. श्री टी० गोविन्दन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अन्य विद्युत स्टेशनों से उनके द्वारा ली जा रही प्रभार की तुलना में केरल के कायमकुलम में उत्पादित बिजली पर केरल सरकार से असामान्य राशि वसूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने दर कम करने हेतु ज्ञापन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) समेत सभी जनरेटिंग कंपनियों के लिये टैरिफ का निधारण विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी०ई०आर० सी०) द्वारा किया जाता है। तदनुसार एन०टी०पी०सी० के विभिन्न स्टेशनों समेत कायमकुलम हेतु टैरिफ का निर्धारण सी०ई०आर०सी० द्वारा किया जाता है।

कायमकुलम एक कम्बाइन्ड साइकिल विद्युत संयंत्र है, जिसमें वैकल्पिक ईंधन के रूप में नापथा का प्रयोग किया जाता है। नापथा के ऊंचे मूल्य के होने के कारण कायमकुलम स्टेशन के लिये ऊर्जा प्रभार एन०टी०पी०सी० के अन्य ताप विद्युत स्टेशनों, जो कोयला या गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं की तुलना में ज्यादा है।

सी०ई०आर०सी० द्वारा अनुमोदित अनन्तिम टैरिफ के अनुसार 68.49% संयंत्र भार घटक (पी०एल०एफ०) के नियामक विद्युत उत्पादन स्तर पर कायमकुलम स्टेशन के लिये क्षमता एवं ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार है :

क्षमता प्रभार – 259.84 करोड़ रुपये प्रति वर्ष। यह नियामक विद्युत उत्पादन स्तर पर 1.24/कि०वा०घं० आता है।

ऊर्जा प्रभार – मार्च, 2002 के लिये निर्धारित बिल के अनुसार रु० 13136/मैट्रिक टन के नापथा मूल्य पर रु० 2.39/कि०वा०घ०।

(ग) और (घ) कायमकुलम द्वारा तैयार पूरी बिजली केरल को आवंटित की जाती है। विद्युत मंत्रालय ने केरल सरकार के साथ कायमकुलम स्टेशन से कुछ हिस्सा आवंटित करने के लिये बातचीत की थी। लंबे पत्र व्यवहार के बाद केरल सरकार ने हाल ही में इस स्टेशन से गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान एक वर्ष के लिये 100 मेवा देने की इच्छा प्रकट की है। उक्त मामले पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दक्षिण क्षेत्र के राज्य विद्युत बोर्डों के साथ दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय ऊर्जा एकाऊंटिंग के पुलिंग प्रबंध में कायमकुलम के विद्युत को शामिल करने हेतु बातचीत की गई। हालांकि दक्षिण क्षेत्र के लाभार्थी राज्यों ने कायमकुलम के विद्युत को इसके वर्तमान टैरिफ दर पर नियमित आधार पर लेने में अनिच्छा जाहिर की है। कायमकुलम द्वारा तैयार विद्युत के लिए पूल्ड टैरिफ का मामला दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के साथ विचाराधीन है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों संबंधी कार्यक्रम

6462. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन मंत्रियों और संसद सदस्यों के नाम क्या है जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान डी०डी०-1 और मेट्रो चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया था;

(ख) क्या डी०डी०-1 और मेट्रो चैनल पर मंत्री या संसद सदस्य को आमंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी होती है;

(ग) यदि हां, तो डी०डी०-1 और मैट्रो चैनल के कार्यक्रमों के लिए अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या निर्धारित मानदंडों का अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन के कार्यक्रमों में राजस्थान से निम्नलिखित सांसदों तथा मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था :–

राष्ट्रीय नेटवर्क

1. श्री जसवंत सिंह, विदेश मंत्री, भारत सरकार
2. श्री एल०एम० सिंधवी, सांसद
3. श्री के० नटवर सिंह, सांसद
4. श्री रामदास अग्रवाल, पूर्व सांसद

दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर (क्षेत्रीय सेवा)

1. श्री रामदास, पूर्व सांसद
2. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सांसद
3. डा० चन्द्रभान, विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री,
4. श्री शांति धारीवाल, स्थानीय स्वशासन तथा शहरी योजना मंत्री
5. श्री राजेन्द्र चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री
6. श्री सी०पी० जोशी, शिक्षा मंत्री
7. श्री अब्दुल अजीज, राज्य मंत्री सांख्यिकी विभाग
8. श्री बी०डी० काला, श्रम मंत्री
9. श्रीमती जाकिया, महिला तथा बाल विकास मंत्री
10. श्री रामसिंह बिश्नोई, लोक स्वास्थ्य विभाग मंत्री

(ख) जी, नहीं।

(ग) अति विशिष्ट व्यक्तियों को डी०डी०-1 तथा मैट्रो चैनल के कार्यक्रमों में कार्यक्रम आवश्यकताओं तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की उपलब्धता के अनुसार आमंत्रित किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रक्षा खरीद हेतु मानदंड

6463. श्री बी०के० पार्थसारथी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा रक्षा खरीद हेतु निर्धारित मानदंडों को अत्यधिक दुरूह माना जाता है जैसाकि दिनांक 17 मार्च, 2002 के 'हिन्दू' समाचार पत्र में 'डिफेंस पर्चेज नार्म्स एक्जैक्टिंग' शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-सी आपत्ति उठाई गई है; और

(ग) मानदंडों में ढील देने हेतु कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को रक्षा उद्योग से मानदंडों के कठोर होने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इन मानदंडों को आसान बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

ओ०एन०जी०सी० द्वारा तेल शोधक कारखाने की खरीद

6464. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ०एन०जी०सी० ने 'फारवर्ड इंटेग्रेशन' में अपनी इच्छा जताई है और इस उद्देश्य हेतु तेल शोधक कारखाने खरीदने और विपणन कंपनियों के लिए भी अनुमति मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ओ०एन०जी०सी० द्वारा अपने मुख्य व्यापारिक गतिविधि को छोड़ने से पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस तरह से अपनी गतिविधियों को व्यापक रूप देने से ओ०एन०जी०सी० पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि ओ०एन०जी०सी० देश में नए तेल स्रोतों की खोज में अपना ध्यान केन्द्रित करे; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ओ०एन०जी०सी० अपनी मुख्य गतिविधि पर ही ज्यादा ध्यान केन्द्रित करे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०

जी०सी०) ने सूचित किया है कि ऊर्जा व्यवसाय में एक एकीकृत कंपनी होने के इसके लक्ष्य के अनुरूप इसकी अपने क्रियाकलापों के आगे एकीकरण में रूचि है। तथापि, ओ०एन०जी०सी० की इस अवस्था में किसी रिफाइनरी को खरीदने अथवा स्वत: शोधन कार्यव्यापार के अंतर्गत प्रवेश करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। ओ०एन०जी०सी० ने यह भी सूचित किया है कि इसके ध्यान का केन्द्र बिन्दु एवं मुख्य क्रियाकलाप देश में तेल एवं गैस के नए स्रोतों का पता लगाने तथा विदेश में समांशता तेल प्राप्त करना जारी रहेगा। तथापि, डाउनस्ट्रीम कंपनियों/सुविधाओं के अंतर्गत ओ०एन०जी०सी० के द्वारा कोई भविष्य-गत समांशता प्रतिभागिता इसके व्यवसाय को सहक्रिया उपलब्ध कराएगी।

(घ) और (ङ) ओ०एन०जी०सी० अपने भण्डार अर्जन परिवृद्धि कार्यक्रम के भागस्वरूप 10वीं योजना अवधि के दौरान सीमावर्ती बेसिनों, विशेषतया गहन जल क्षेत्रों के अंतर्गत अपने अन्वेषण क्रियाकलाप सार्थक रूप से तेज करने की योजना बना रही है। आगे, ओ०एन०जी०सी० ने अपने 15 प्रमुख क्षेत्रों से तेल/गैस उत्पादन की वृद्धि करने तथा अंतिम निकासी में वृद्धि करने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजनाएं बनाई हैं।

डाभोल विद्युत कंपनी के महत्वपूर्ण अभिलेखों की गैर कानूनी तस्करी

6465. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाभोल विद्युत कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की देश से बाहर तस्करी करने से संबंधित आरोपों और कुछ दस्तावेजों को आग लगाकर नष्ट करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच कराई गयी है; और

(ग) यदि हां, तो परिणामों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया (आई०डी०बी०आई०) जो कि दाभोल विद्युत परियोजना के ऋणदाताओं में से एक है, ने सूचित किया है कि दाभोल पावर कंपनी ने इंगित किया है कि सुरक्षा कारणों से कुछेक इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स और कोडेड कंप्यूटर ड्राइव्स को हटाया गया है, और कि ये घटक भारत में मौजूद हैं और किसी भी समय संयंत्र प्रचालन हेतु इनका उपयोग किया जा सकता है। कंपनी ने यह भी सूचित किया है कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकार्ड विभिन्न भारतीय सरकारी प्राधिकारियों के साथ मध्यस्थता संबंधी कार्रवाई करने के लिए उनके काउंसिल के पास लंदन में उपलब्ध है। डाभोल पावर कंपनी ने यह सूचित किया है कि कोई भी मूल दस्तावेज या रिकार्ड नष्ट नहीं किये गये हैं और भंडारण लागत को कम करने के लिए कंपनी समय-समय पर डुप्लीकेट रिकार्ड को नष्ट करती है।

दाभोल पावर कंपनी ने बंबई उच्च न्यायालय को यह भी सूचित किया है कि घटक भारत में उपलब्ध है और यथावत उपलब्ध रहेंगे और कि इनका उपयोग किसी भी समय संयंत्र प्रचालन हेतु किया जा सकता है। आई०डी०बी०आई० ने डाभोल पावर कंपनी को सलाह प्रदान की है कि वे उन स्थानों के पतों की सूचना दे जहां कंप्यूटर ड्राइव्स और रिकार्ड रखे गये हैं और यह आश्वस्त करने को कहा गया है कि इन्हें अपेक्षित तरीके से सुरक्षित रखा गया है और कि हटाई गई संपत्तियों के निरीक्षण और रिकार्ड ऋणदाताओं और ऋणदाताओं द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को, जब भी अपेक्षित, हो दे दिये जायेंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन

6466. श्री अनन्त नायक : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों को ये प्रोत्साहन प्राप्त हो गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में दिए गए प्रोत्साहन पैकेज सहित, किन-किन लघु जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान और क्रियान्वयन किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा देश में लघु पनबिजली (एस०एच०पी०) परियोजनाओं के विकास के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इनमें विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता; सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी और पुरानी एस०एच०पी० परियोजनाओं के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए सहायता शामिल है। राजस्थान, गुजरात और गोवा को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने एस०एच०पी० कार्यक्रम की इन योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त किए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी राज्यों द्वारा लघु पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान की गई है। उड़ीसा राज्य में लगभग 156 मेवा० वाले समग्र क्षमता के 161 संभाव्य एस०एच०पी० स्थलों की पहचान की गई है। अब तक इस राज्य में समग्र रूप से 1.30 मेवा० की 4 एस०एच०पी० परियोजनाएं और समग्र रूप से 9.93 मेवा० की 7 एस०एच०पी० परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं। अब तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

मंत्रालय ने उड़ीसा में 4 एस०एच०पी० परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। तथापि नौवीं योजना अवधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की एस०एच०पी० योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहनों की मंजूरी हेतु उड़ीसा से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र

6467. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी 2002 की रिपोर्ट सं० 5 के पृष्ठ 9 पर यह तथ्य सामने रखा है कि सांविधिक निकाय गैर-सरकारी संस्थाओं इत्यादि से कुल 18.15 करोड़ रुपये के अनुदानों के संबंध में इस बात की पुष्टि करने वाले उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं कि अनुदानों का उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था;

(ख) क्या अनुदान सशर्त थे और इस संबंध में निर्धारित शर्तें पूरी की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन निकायों, जिन्हें बिना देरी के अनुदान दिए गए थे, से अविलम्ब उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों की विभिन्न योजनाओं के नियम व शर्तों की पूर्ति पर मंत्रालय द्वारा अनुदानों को स्वीकृत किया जाता है। अनुदानग्राही संगठनों से निर्धारित समय सीमा के अंदर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जिनका सामान्यतया पालन किया जाता है। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र के मामलों पर लगातार निगरानी की जा रही है तथा देखा जा रहा है और फलस्वरूप तब से कुछ बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र ऐसी संस्थाओं से प्राप्त किए गए हैं। सी० एंड ए०जी० रिपोर्ट के अनुसार 18.15 करोड़ रु० की तुलना में 31.12.2001 के अनुसार 14.39 करोड़ रु० के समग्र उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित हैं।

आई०ओ०सी०एल० द्वारा तेल व्यापार और जोखिम प्रबंधन की स्थापना

6468. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०ओ०सी०एल० का प्रस्ताव विदेश में तेल व्यापार और जोखिम प्रबंधन डेस्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे निर्णय के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) द्वारा अन्य देशों में विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाना

6469. श्री सुबोध राय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से देश हैं जहां एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत की गयी निविदाओं को विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वीकृति दे दी गयी है;

(ख) एन०टी०पी०सी० की प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं से कितने वार्षिक लाभांश की गारंटी होगी;

(ग) क्या संबंधित देशों की सरकारें एन०टी०पी०सी० द्वारा विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने से पूर्व आवश्यक गारंटी देने के लिए तैयार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) अन्य देशों में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) द्वारा अभी तक कोई निविदा नहीं प्रस्तुत की गई है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

अत्यधिक भार वाली फिशप्लेटें

6470. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे द्वारा अत्यधिक भार की फिशप्लेटों का उपयोग करने के कारण उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक की 1998 की अपनी रिपोर्ट संख्या 9 के पृष्ठ 159-160 के पैरा 4.3.8 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस मामले में राज्य को कितनी हानि हुई और क्या इस वित्तीय हानि की संबंधित व्यक्तियों से वसूली और प्राधिकारियों की जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या रेलवे में स्टोर की खरीद में बहुत अधिक भ्रष्टाचार होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का वजन के हिसाब से मानक प्रक्रिया के अनुसार फिशप्लेट के आदेश दिए गए थे। सप्लाई की गई फिशप्लेटों के वास्तविक वजन के आधार पर भुगतान किया गया है। जहां तक सप्लाई किए गए इस्पात के वजन और उसके भुगतान का संबंध है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यदि दुर्गापुर इस्पात की फिशप्लेट निर्धारित सामन्य भार की होती और उनकी आपूर्ति कर दी गई होती तब भी इनकी तुलना में निर्धारित सामान्य भार की अपेक्षा प्रत्येक फिशप्लेट अधिक भारी होने के कारण आपूर्ति किए गए फिशप्लेटों की संख्या कम थी। यह मामला निरीक्षण करने वाली एजेंसी अर्थात आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डी०जी०एस० एंड डी०) और दुर्गापुर स्टील प्लांट सेल के साथ भी उठाया गया है। चूंकि दोनों सरकारी एजेंसियां हैं इसलिए सभी संबंधितों की संतुष्टि के लिए आपसी विचार विमर्श के माध्यम इस मामले को निपटाए जाने की संभावना है। पूर्व रेलवे को सप्लाई की गई फिशप्लेटों के ब्यौरें निम्नलिखित हैं :–

क्रयादेश की मात्रा	फिशप्लेटों के मानक वजन के अनुसार बकाया फिशप्लेट की संख्या (14.355 कि०ग्रा० प्रति फिशप्लेट)	वास्तविक रूप में प्राप्त फिशप्लेटों की संख्या	कम प्राप्ति की संख्या
2283.612 मीटरिक टन	1,59,080 अदद	1,44,718	14,362

(घ) और (ङ) जी, नहीं। बहरहाल, रेलवे सतर्कता विभाग भण्डार की खरीद के क्षेत्रों में नियमित जांचें करती है और सतर्कता जांचों के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध जहां कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

संपीडित प्राकृतिक गैस पर कमीशन

6471. डा० रमेश चंद तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०पी०सी०एल० और आई०ओ०सी०एल० अपने पेट्रोल पम्प डीलरों को दिल्ली में संपीडित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु प्रति किग्रा० क्रमश: 93 पैसे और 73 पैसे कमीशन दे रहे हैं और इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक फिलिंग स्टेशन द्वारा प्रति किग्रा० लाइन स्टेशन-वार और छोटे स्टेशनों-वार अलग-अलग खर्च की गई प्रति किग्रा० विद्युत की लागत कितनी है;

(ग) जनरेटरों से संचालित इस प्रकार के स्टेशनों द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही संपीडित प्राकृतिक गैस की कीमत क्या है;

(घ) क्या आई०जी०एल०/आयल कारपोरेशन उन सं०प्रा०गै० फिलिंग स्टेशनों पर खर्च हो रही विद्युत की वास्तविक कीमत की प्रतिपूर्ति के लिए बाध्य है जैसा कि बिल को देखने से स्पष्ट है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इससे आपूर्ति स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। यह इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के साथ ही भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में 73 पैसे प्रति किलो ग्राम की दर से है।

(ख) प्रति किलोग्राम उपभुक्त विद्युत प्रभार की लागत निम्नवत है :

आनलाइन स्टेशन :	79 पैसे प्रति किलो ग्राम
डाटर स्टेशन :	शून्य

(ग) उद्योग दल के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आन लाइन स्टेशनों पर यह लागत 1.18 रुपए प्रति किलो ग्राम तथ डाटर बूस्टर स्टेशनों पर 0.95 रुपए प्रति किलोग्राम आकलित होती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मलक्का जलडमरूमध्य की संयुक्त गश्त

6472. श्री अम्बरीश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और अमरीकी नौसेना मलक्का जलडमरूमध्य की संयुक्त गश्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मलक्का जलडमरूमध्य की संयुक्त गश्त एक नियमित घटना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर अधिक मूल्यवान परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए संयुक्त रूप से गश्त लगाई जा रही है। इस प्रयोजन के लिए तैनात भारतीय नौसेना भारतीय कमान और झंडे तले कार्य करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू कश्मीर में विदेशी रक्षा बलों की उपस्थिति

6473. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर में कुछ विदेशी रक्षा बल मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा सूचना प्रकोष्ठ

6474. श्री वैको : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के० सुब्रमण्यम समिति ने रक्षा सूचना प्रकोष्ठ नामक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सुझावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इन सुझावों के क्या कारण हैं;

(ग) इन सुझावों पर विचार करने के संबंध में मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में विगत में आई कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) श्री के० सुब्रमणियन की अध्यक्षता में गठित कारगिल पुनरीक्षा समिति ने रक्षा जनसंपर्क से संबंधित मौजूदा अवसंरचनाओं की अपर्याप्ता का उल्लेख करते हुए सिफारिश की थी कि सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों से जनता को अवगत रखने के लिए अपनी सूचना संबंधी नीति की पुनरीक्षा करे तथा इसके लिए अवसंरचनाओं और प्रक्रियाओं का विकास करे।

(ग) से (च) इस मामले पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की समग्र रूप से पुनरीक्षा करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह सहित सरकार के उच्चतम स्तरों पर विचार किया गया है। रक्षा मंत्रालय में स्थापित मौजूदा जनसंपर्क निदेशालय के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे की भी जांच सरकार द्वारा गठित दो उच्च स्तरीय समितियों द्वारा की गई है। सरकार द्वारा रक्षा सूचना व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित समझे जाने वाले निर्णय सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करने के बाद यथाशीघ्र लिए जाएंगे।

समरी कोर्ट मार्शल हेतु आचार संहिता

6475. श्री मंजय लाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिकों के विरुद्ध अधिकांश कोर्ट मार्शल की कार्यवाहियां मामूली बातों के आधार पर होती हैं और सरकार उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से उलझन में पड़ जाती है; और

(ख) यदि हां, तो मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समरी कोर्ट मार्शल की आचार-संहिता में परिवर्तन हेतु विचार न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) समरी कोर्ट मार्शल सहित कोर्ट मार्शल गठित करने के प्रावधान सेना अधिनियम और सेना नियमावली तथा विनियमावली में अंतर्विष्ट हैं जिन्हें इस विषय पर विभिन्न संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाता है। रक्षा मंत्रालय को इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की किसी सिफारिश की जानकारी नहीं है।

फिल्मों के निरस्त दृश्यों को अन्तर्वेशित किया जाना

6476. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न सिनेमा हालों के प्रबंधक सेंसर बोर्ड द्वारा निरस्त किए गए या अश्लील विदेशी फिल्मों के भी दृश्यों को अन्तर्वेशित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी घटनाएं ध्यान में आईं; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कई राज्यों और केन्द्र शासित

प्रदेशों में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा गैर-प्रमाणित फिल्मों अथवा हटाए गए अंशों के अन्तर्वेशन के साथ फिल्मों अथवा बोर्ड को नहीं दिखाए गए अंशों को जोड़कर फिल्मों को प्रदर्शित किये जाने के रूप में चलचित्रिकी अधिनियम 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्वेशन के कारण जब्त की गई फिल्मों के प्रिन्टों की संख्या निम्न प्रकार से है :

वर्ष	जब्त की गई फिल्मों के प्रिन्टों की संख्या
1999	32
2000	57
2001	144

(ग) हालांकि चलचित्रिकी अधिनियम के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, फिर भी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रारंभ में चार महानगरों में सिनेमा घरों की नियमित रूप से जांच करने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने तथा उनकी सूचना की तुरन्त जांच करने और संभव अभियोजन हेतु संबंधित राज्य के प्राधिकारियों को देने के लिए एक निजी गुप्तचर एजेंसी की सेवा किराये पर ली है।

[हिन्दी]

रेल डिब्बों का आयात

6477. श्री वाई०जी० महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल के डिब्बों का आयात किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन आयातों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(घ) सरकार द्वारा देश में इस प्रकार के डिब्बों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) मैटल्न हल्के भार वाले उच्च गति के 24 अदद सवारी डिब्बे मै० एल्सटोम-एल०एच०बी०, जर्मनी से आयात किए गए हैं।

इस समय, भारत में निर्मित किए जा रहे सवारी डिब्बे 1950 के दशक की प्रौद्योगिकी के हैं और उनके टेयर भार में कमी करने, अनुरक्षण और परिचालनिक लागतों में कमी करने, जंग के लिए प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने, बैठने की क्षमता में वृद्धि करने, संरक्षा विशेषताओं को बढ़ाने, गति बढ़ाने, ब्रेकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, चढ़ने और यात्री के लिए आरामदायक बनाने, उपलब्धता और विश्वसनीयता आदि में सुधार लाने की दृष्टि से इनमें सुधार करने की आवश्यकता है, अत: देश को नए अभिकल्प के सवारी डिब्बों की आवश्यकता है ताकि अधिक सुरक्षित और आरामदायक होने के साथ-साथ प्रति कोच/गाड़ी में अधिकाधिक यात्रियों को ढोया जा सके ओर अनुरक्षण और परिचालनिक लागतों को कम किया जा सके और जो आगे चल कर भारतीय रेलों के लिए लागत प्रभावी हो सके। इसलिए अभिकल्प के ग्रेडोन्नयन करने और भारतीय रेलवे की निर्माण क्षमता बढ़ाने की और ऐसी विशेषता वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के हल्के भार वाले सवारी डिब्बों की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण करने का विनिश्चय किया गया था।

(ग) 24 सवारी डिब्बों के आयात पर 52,663,000 (लगभग 106 करोड़ रुपए ड्यूस मार्क विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी।

(घ) भारतीय रेलवे 24 सवारी डिब्बों की सप्लाई सहित भारत में नवीनतम प्रौद्योगिकी के सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए मै० एल्सटोम-एल०एच०बी० जर्मनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ठेके में प्रवेश किया है। इन नए किस्म के सवारी डिब्बों का निर्माण करने की क्षमता और विशिष्टता रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में विकसित की जा रही है और ऐसे सवारी डिब्बों का वास्तविक निर्माण यहां पहले ही शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

रेलवे लेखा कर्मचारी

6478. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेल लेखा कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य सुविधाओं के संशोधन हेतु प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) लेखा कर्मचारियों के वेतनमानों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) एक मसौदा प्रस्ताव मंत्रियों के समूह को विचारार्थ भेजा गया है।

(ग) रेलवे लेखा कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के आवंटन के प्रस्ताव पर अभी मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया जाना है। इसलिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

सहायकों की रिक्तियों का निर्धारण

6479. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में स्थिति के दुरूपयोग और सहायक संवर्ग में रिक्तियों के निर्धारण में अन्य गंभीर अनियमितताओं से संबंधित मामला प्रकाश में आया है;

(ख) क्या इस मामले को नियमों का उल्लंघन करके दोषी अधिकारियों को केवल छोटे दंड देकर दबा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह लिए बगैर जानबूझकर जल्दी में दबा दिया गया;

(घ) यदि हां, तो मामले को दबाने के पीछे सरकार का क्या इरादा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार दोषी व्यक्तियों को नियमानुसार दंड देना सुनिश्चित करने हेतु मामले पर पुन: विचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) इस मामले में की गई आंतरिक जांच से पता चला कि सहायकों की वर्ष 1993 की चयन सूची के लिए रिक्त पदों की पुनरीक्षा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और अनुदेशों के अनुरूप नहीं थी। तथापि, इससे सरकारी पद का किसी तरह का दुरूपयोग प्रमाणित नहीं होता है।

(ख) इस मामले को दबाया नहीं गया है और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर नियमों के अनुसार चूककर्त्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सैनिक स्कूलों में एन०सी०सी० यूनिट

6480. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री चिंतामन वनगा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र में सभी सैनिक स्कूलों में एन०सी०सी० यूनिटों के आबंटन हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सभी सैनिक स्कूलों में एन०सी०सी० यूनिटों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। महाराष्ट्र में सतारा में केवल एक ही सैनिक स्कूल है जो रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें पहले से ही राष्ट्रीय कैडिट कोर विद्यमान है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

सैट टॉप बाक्स

6481. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी चैनलों ने सैट टॉप बाक्स के माध्यम से चलाए जाने वाले पे चैनलों के लिए इसे अनिवार्य बनाने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित प्रणाली से दर्शक लाभान्वित होंगे;

(ग) दर्शक को डाइरेक्ट टू होम सेवा अथवा सैट बाक्स सुविधा का लाभ उठाने के लिए कितनी लागत वहन करनी होगी;

(घ) क्या सरकार ने प्रस्तावित प्रणाली के लिए निजी चैनलों के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) सरकार ने सशर्त पहुंच प्रणाली को अनिवार्य बनाने के लिए स्टेक होल्डरों से प्राप्त अनुरोधों की जांच करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले संबंधी मंत्रालय, केबल आपरेटरों, बहु सेवा आपरेटरों तथा प्रसारकों के प्रतिनिधियों सहित स्टेक होल्डरों को शामिल करके एक कृतिक बल का गठन किया गया था। कृतिक बल ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक सैट टॉप बाक्स से माध्यम से पे-चैनलों के देखने को अनिवार्य बनाना शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) सैट टॉप बाक्स की कीमत ग्राहकों द्वारा वहन करना अनिवार्य नहीं हैं। इसकी लागत बाजारी स्थितियों पर निर्भर करते हुए प्रसारकों या केवल सेवा प्रदाताओं या ग्राहकों या इनके समूह द्वारा वहन की जा सकती है। डायरेक्ट-टू-होम सेवा सामान्यत: एक विशिष्ट श्रेणी के दर्शकों के लिए है जो ज्यादा भुगतान करने में समर्थ हैं और

प्रीमियम चैनलों सहित अधिक चैनल देखना चाहते हैं तथा अपनी पसंद की सेवा और चैनलों के भुगतान करने के इच्छुक हैं।

(घ) और (ङ) पे-चैनलों को देखने के लिए चरणबद्ध रूप से एक संबोधन प्रणाली की स्थापना करने को अनिवार्य बनाने हेतु सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश में सुरंग का निर्माण

6482. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन का विचार कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र को जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के अन्तर्गत नौ किलोमीटर लम्बी सुरंग का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्य के कब शुरू होने और कब पूर्ण होने की संभावना है;

(ग) क्या निर्माण लागत में हिमाचल प्रदेश सरकार की भागीदारी होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) रोहतांग में भूमिगत सुरंग के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है। मैसर्स राइट्स से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इस सुरंग के उत्तरी और दक्षिणी कोनों तक पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्य शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है। इस सुरंग का निर्माण कार्य योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के अनुमोदन तथा निवेश संबंधी निर्णय लेने के बाद शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार के साथ लागत के बटवारे का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क

6483. डा० सी० कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार रेलवे (रेलटेल कॉरपोरेशन) द्वारा महानगरों को जोड़ने के लिए कुल कितना किलोमीटर आप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है;

(ख) कुल कितने किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाने की संभावना है और कब तक कार्य के पूर्ण हो जाने की संभावना है;

(ग) इस पर कुल कितना खर्च होन की संभावना है और इस संबंध में अब तक जोन-वार कितना व्यय हुआ है; और

(घ) इस परियोजना से रेलवे को किस सीमा तक लाभ पहुंचने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) आज की तारीख में रेलों और रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा महानगरों को जोड़ने के लिए लगभग कुल 4500 मार्ग कि०मी० पर आप्टिकल फाइबर केबल (ओ०एफ०सी०) बिछाया गया है।

(ख) महानगरों को जोड़ने के लिए लगभग कुल 10,000 मार्ग कि०मी० पर ओ०एफ०सी० बिछाए जाने की संभावना है और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यह कार्य दिसंबर, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) महानगरों को जोड़ने हेतु ओ०एफ०सी० प्रणालियों की व्यवस्था करने के लिए सभी जोनल रेलों द्वारा वहन किए जाने वाला कुल व्यय लगभग 485.00 करोड़ रुपए होगा और अभी तक लगभग 175.00 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है।

(घ) ओ०एफ०सी० नेटवर्क गाड़ी नियंत्रण परिचालन और संरक्षा के लिए विश्वसनीय और आधुनिक रेलवे दूरसंचार प्रणाली मुहैया कराएगी, अतिरिक्त दूरसंचार क्षमता का विपणन रेलटेल निगम द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा दिल्ली में पांचसितारा होटल का निर्माण

6484. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली में एक पांच सितारा होटल के निर्माण का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा और इस उद्देश्य हेतु कहां से धनराशि जुटाई जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मालेगांव-धुले-शिरपुर-मऊ होते हुए मनमाड-इन्दौर रेल लाइन का सर्वेक्षण

6485. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालेगांव-धुले-शिरपुर-मऊ होते हुए मनमाड-इन्दौर रेल लाइन का सर्वेक्षण पूण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है और परियोजना कार्य के कब शुरू होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) रतलाम-अकोला-पूर्णा आमान परिवर्तन के रूप में मनमाड-शिरपुर नई लाइन और इंदौर-मऊ के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और रेलों के समक्ष आ रही संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण प्रस्तावों पर इस समय विचार नहीं किया जा सका। शिरपुर और मऊ के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् ही प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाना संभव हो पाएगा।

गैर-उत्पादक कार्य पर व्यय

6486. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन विभागों में गैर-उत्पादक कार्यों पर व्यय में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण

6487. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मुंबई में घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ है हालांकि इसका निर्माण लगभग तीन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उपरिपुल के निर्माण के पूरा होने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) उपरिपुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) रेलवे ने 30.6.2001 को अपने हिस्से का कार्य (रेलपथ पर पुल का भाग) पूरा कर दिया था। पुल के लिए पहुंचमार्गों का कार्य वृहत् मुंबई नगर निगम द्वारा किया जा रहा था जो अब पूरा हो चुका है और पुल को यातायात के लिए 1.5.2002 को खोल दिया गया है।

कर्नाटक में ऊर्जा पार्क परियोजना

6488. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्नाटक में ऊर्जा पार्क परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान कर्नाटक में किन-किन स्थानों पर ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन ऊर्जा पार्कों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान कर्नाटक में ऊर्जा पार्क की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2001-2002 के दौरान मंगलौर विश्वविद्यालय, कर्नाटक में स्थापित किए जाने के लिए एक ऊर्जा पार्क की मंजूरी दी गई है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी – कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (के०एस०सी०एस०टी०) ने सूचना दी है कि इस ऊर्जा पार्क परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है और जून, 2002 तक इसके पूर्ण किए जाने की योजना है।

(ग) और (घ) उपरोक्त ऊर्जा पार्क परियोजना वर्ष 2001-2002 के दौरान 5.18 लाख रु० की कुल लागत के साथ मंजूर की गई और ऊर्जा पार्क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऊर्जा पार्क की लागत के 50% अर्थात् 2.59 लाख रु० की रिलीज परियोजना की मंजूरी के साथ की गई। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी – के०एस०सी० एस०टी० ने सूचना दी है कि पार्क के लिए रिलीज की गई निधियां अभी तक उपयोग में नहीं लाई गई हैं। के०एस०सी०एस०टी० ने मंजूर की गई कुछ ऊर्जा प्रणालियों व युक्तियों की आपूर्ति तथा स्थापना के लिए आदेश दे दिए हैं।

[हिन्दी]

रेल गाड़ियों से ब्रेक वैनों को हटाना

6489. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग रेल गाड़ियों से ब्रेक वैनों को हटाने और उनके स्थान पर चयनित रेल मार्गों पर विशेष रेल गाड़ियां चलाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य हेतु उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य में कुछ रेल मार्गों की पहचान की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत वितरण का निजीकरण

6490. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को विद्युत आपूर्ति के वितरण के निजीकरण हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्तमान में विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन, मांग, आपूर्ति और वितरण की स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत वितरण की जिम्मेवारी राज्यों की है। अत: वितरण के निजीकरण का निर्णय भी राज्य सरकारों द्वारा ही लिया जा सकता है। भारत सरकार राज्यों को सुधार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि विद्युत क्षेत्र के वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके और साथ ही राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ हो सके। मार्च 2001 में मुख्यमंत्रियों और विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें यह बात स्वीकार की गई कि विद्युत क्षेत्र में प्रबंधन एवं सुधारों की चुनौती विद्युत क्षेत्र में है। अन्य बातों के साथ-साथ 2-3 वर्षों में लाभ केन्द्रों के गठन, पंचायतों/स्थानीय निकायों/फ्रेंचाइजी/उपभोक्ता संघ के जरिए वितरण क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया या वितरण का निजीकरण करने का फैसला किया गया।

विद्युत क्षेत्र सुधारों पर और बल देने के लिए भारत सरकार ने 21 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। राज्यों ने सुधार लक्ष्यों जैसे 100% मीटरीकरण, ऊर्जा ऑडिट, राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन/प्रचालन, राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीकरण/निगमीकरण आदि पर सहमति दी। इसके बदले में भारत सरकार ने भी विभिन्न प्रकार की सहायता देने की प्रतिबद्धता दी है।

(घ) विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन, मांग, आपूर्ति एवं वितरण की स्थिति संलग्न विवरण-I में दर्शायी गई है।

विवरण

वास्तविक विद्युत आपूर्ति

(सभी आंकड़े मि०यू० निवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 2001-फरवरी, 2002				अप्रैल, 2001-फरवरी, 2002			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (-) घाटा (+) अधिशेष	%	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (-) घाटा (+) अधिशेष	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चण्डीगढ़	76	76	0	0.0	111.0	1108	2	0.2
दिल्ली	1420	1404	16	1.1	19350	18741	609	3.1
हरियाणा	1505	1499	6	0.4	18138	17839	299	1.6
हिमाचल प्रदेश	280	245	35	12.5	3293	3206	87	2.6
जम्मू और कश्मीर	615	558	57	9.3	6635	5899	736	11.8
पंजाब	2100	2094	06	0.3	28780	27577	1203	4.2
राजस्थान	2275	2246	29	1.3	24745	24495	250	1.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	4080	3741	339	8.3	48332	43545	4787	9.9
उ०क्षे०	12351	11863	488	4.0	150383	14241	7973	5.3
पश्चिमी क्षेत्र								
छत्तीसगढ़	763	751	12	1.6	8054	7825	229	2.8
गुजरात	4895	4332	563	11.5	53693	47530	6130	11.5
मध्य प्रदेश	2835	2377	458	16.2	31013	26233	4780	15.4
महाराष्ट्र	7295	6836	459	6.3	80489	73438	7051	8.8
गोवा	163	163	0	0.0	1767	1767	0	0.0
प०क्षे०	15951	14459	1492	9.4	175016	156793	18223	10.4
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	4947	4415	532	10.8	48394	44302	4092	8.5
कर्नाटक	3201	2820	381	11.9	32556	28493	4063	12.5
केरल	1255	1124	131	10.4	13334	12349	985	7.4
तमिलनाडु	4297	3897	400	9.3	46232	42951	3281	7.1
द०क्षे०	13700	12256	1444	10.5	140516	128095	12421	8.8
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	806	781	25	3.1	9370	8992	378	4.0
डीवीसी	689	687	2	0.3	8319	8312	7	0.1
उड़ीसा	1087	1085	2	0.2	12328	12318	10	0.1
पश्चिम बंगाल	1881	1850	31	1.6	20670	20575	95	0.5
पू०क्षे०	4463	4403	60	1.3	50687	50197	490	1.0
उ०पू० क्षेत्र								
अरूणाचल प्रदेश	12.2	12.2	0.0	0.0	136.3	134.6	1.8	1.3
असम	264.2	262.3	1.9	0.7	3450.5	3425.2	25.3	0.7
मणिपुर	39.2	38.3	0.9	2.3	456.5	440.6	15.9	3.5
मेघालय	68.8	68.8	0.0	0.0	700.1	705.0	-4.9	-0.7
मिजोरम	25.0	23.2	1.8	7.2	284.5	278.5	6.0	2.1
नागालैंड	20.7	19.9	0.8	3.9	260.1	258.4	1.7	0.7
त्रिपुरा	55.2	50.0	5.2	9.4	647.1	612.6	34.5	5.3
उ०पू०क्षेत्र	485.3	474.7	10.6	2.2	5935.0	5855.0	80.0	1.4
अखिल भारत	46950	13456	3495	7.4	522537	483350	39187	7.5

विद्युत आपूर्ति की तुलना में वास्तविक मांग

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	मार्च-02				अप्रैल/2001-मार्च 2002			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (-) घाटा (+) अधिशेष	%	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (-) घाटा (+) अधिशेष	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चण्डीगढ़	151	151	0	0	180	180	0	0
दिल्ली	2605	2575	30	1.2	3118	2879	239	7.7
हरियाणा	2700	2655	45	1.7	3000	2900	100	3.3
हिमाचल प्रदेश	520	520	0	0	562	562	0	0
जम्मू और कश्मीर	1149	948	203	17.7	1209	999	210	17.4
पंजाब	3975	3727	248	6.2	5420	4936	484	8.9
राजस्थान	3700	3657	43	1.2	3700	3657	43	1.2
उत्तर प्रदेश	6977	6399	578	8.3	7584	6887	697	9.2
उ०क्षे०	20800	19954	846	4.1	23200	21346	1854	8
पश्चिमी क्षेत्र								
छत्तीसगढ़	1347	1284	63	4.7	1357	1311	46	3.4
गुजरात	8005	6598	1407	17.6	8005	6700	1305	16.3
मध्य प्रदेश	5558	3951	1607	28.9	5683	4457	1226	21.6
महाराष्ट्र	12265	10726	1539	12.5	12265	10726	1539	12.5
गोवा	280	280	0	0	316	316	0	0
प०क्षे०	26117	21486	4631	17.7	26510	22024	4486	16.9
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	8585	6873	1712	19.9	8585	6873	1712	19.9
कर्नाटक	5338	4428	910	17	5338	4428	910	17
केरल	2633	2039	594	22.6	2633	2189	444	16.9
तमिलनाडु	7158	6218	940	13.1	7158	6218	940	13.1
द०क्षे०	22757	19201	3556	15.6	22757	19201	3556	15.6
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	1325	1230	95	7.2	1409	1288	121	8.6
डीवीसी	1214	1151	63	5.2	1296	1209	87	6.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उड़ीसा	2132	1977	155	7.3	2132	1977	155	7.3
पश्चिम बंगाल	3457	3339	118	3.4	3614	4314	200	5.5
पू०क्षे०	7701	7548	153	2	7940	7648	292	3.7
उ०पू० क्षेत्र								
अरूणाचल प्रदेश	42	42	0	0	50	50	0	0
असम	594	585	9	1.5	688	618	70	10.2
मणिपुर	89	89	0	0	98	94	4	4.1
मेघालय	145	138	7	4.8	165	160	5	3
मिजोरम	72	69	3	4.2	75	73	2	2.7
नागालैंड	58	55	3	5.2	61	58	3	4.9
त्रिपुरा	152	107	45	29.6	156	140	16	10.3
उ०पू०क्षेत्र	1066	1000	66	6.2	1148	1043	105	9.1
अखिल भारत	78441	69189	9252	11.8	78441	69189	9252	11.8

मुम्बई में मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र

6491. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई, वृहद् मुम्बई (महाराष्ट्र) में कई मलिन बस्तियां रेलवे भूमि पर बसी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है जिससे वह अपने मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत मलिन बस्ती में रहने वालों के जीवन स्तर को सुधारने और मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय स्थिति को सुधारने के लिए भी मूलभूत सुविधाएं दे सके और उस जमीन पर बहुमंजिला भवन बना सके;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र महाराष्ट्र सरकार को दे दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) सम्पूर्ण मुंबई में रेलवे भूमि पर लगभग 37 हैक्टियर क्षेत्र में लगभग 21000 अदद अतिक्रमण हैं;

(ग) से (च) रेलों की सामान्य नीति के अनुसार, अप्राधिकृत अतिक्रमणों को हटाया जाना चाहिए ताकि अतिक्रमणकर्ताओं से रेलवे भूमि को खाली कराया जा सके। बहरहाल, मुम्बई में अतिक्रमणकर्ताओं के मामले में 1998 में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें यह सूचित किया गया था कि रेलवे राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त करने के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच कर सकती है। ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत उत्पादन

6492. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा उत्पादित विद्युत लागत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2000-मार्च, 2002 के दौरान प्रत्येक विद्युत बोर्ड द्वारा उत्पादित विद्युत की औसत लागत कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त बोर्डों द्वारा पारेषण और वितरण में अलग-अलग कितना घाटा उठाया गया;

(घ) क्या सरकार ने पारेषण और वितरण घाटे को कम करने और विद्युत उत्पादन को कम करने की संभावना का पता लगया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2000-01 के लिए विभिन्न राज्यों में थर्मल पावर परियोजनाओं तथा हाईडल परियोजनाओं की उत्पादन लागत संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) रा०वि० बोर्डों द्वारा रिपोर्ट किए गए पारेषण व वितरण हानियों के नवीनतम आकड़ों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण में क्षमता सुधार की जरूरत पर बल दिया है। क्षमता सुधार से विद्युत की प्रतियूनिट लागत में कमी आती है। भारत सरकार राज्यों को विद्युत संबंधी सुधारों के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि विद्युत संबंधी सुधारों के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि विद्युत क्षेत्र की वित्तीय हालत सुधारी जा सके। मार्च, 2001 में मुख्यमंत्रियों/विद्युतमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, इस सम्मेलन ने यह माना कि प्रबंधन व सुधार संबंधी वास्तविक समस्या वितरण क्षेत्र में है। अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प लिया गया था कि सभी उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराए जाएं, सभी 11 केवी फीडरों पर ऊर्जा आडिट किए जाए, प्रभावी सूचना प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए, चोरी को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम आरंभ किया जाए तथा लाभ केन्द्रों की स्थापना, स्थानीय वितरण को पंचायत/स्थानीय निकायों/ फ्रैंचाईजों/प्रयोक्ता संघों को सौपने वितरण आदि के निजीकरण के जरिए 2-3 वर्षों में वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्राप्त किया जाए।

भारत सरकार ने 21 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सुधारों को चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए केन्द्र व राज्य समझौते ज्ञापन के जरिए संयुक्त रूप से प्रतिबद्ध हैं। इन समझौता ज्ञापनों में राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता में शामिल है एस०ई०आर०सी० का गठन/प्रचालन, 11 केवी फीडरों तथा सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग, ऊर्जा आडिट, तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों में कमी, वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता की प्राप्ति। भारत सरकार ने उप-पारेषण तथा आधुनिकीकरण के लिए त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के जरिए वित्तीय सहायता, केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत आबंटन के जरिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है।

विवरण-I

2000-2001 में विभिन्न रा०वि०बो० में विद्युत उत्पादन की लागत (पैसे/कि०वा०घं०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	जल विद्युत	ताप विद्युत	औसत
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	23.14	267.66	41.04
2.	कर्नाटक	43.46	343.83 *	260.09
3.	उड़ीसा	—	118.89	—
4.	हिमाचल प्रदेश	112.75	—	112.75
5.	मेघालय	86.01	—	86.01
6.	आंध्र प्रदेश	36.31	179.31	141.73
7.	पश्चिम बंगाल	357.99	157.59	187.63
8.	तमिलनाडु	23.89	187.18	149.44
9.	महाराष्ट्र	44.95	133.09	124.7
10.	पंजाब	46.86	208.79	154.97
11.	गुजरात	129.71	172.53	171.65

*डीजी सेट

विवरण-II

रा०वि०बोर्डों/विद्युत विभागों में प्रतिशत रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण हानियां (वाणिज्यिक हानियां जैसे चौरी इत्यादि को छोड़कर)

क्षेत्र	1998-99
1	2
उत्तर क्षेत्र	
हरियाणा	35.33
हिमाचल प्रदेश	26.11
जम्मू व कश्मीर	47.64
पंजाब	18.11
राजस्थान	29.53
उत्तर प्रदेश	30.23
चंडीगढ़	22.48
डीवीबी (दिल्ली)	43.71
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	20.83
मध्य प्रदेश	19.87
महाराष्ट्र	18.41
दादरा व नागर हवेली	15.37

1	2
गोवा	30.40
दमन व दीव	21.83
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	34.09
कर्नाटक	30.45
केरल	17.18
तमिलनाडु	17.22
लक्षद्वीप	12.78
पांडिचेरी	10.44
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	24.80
उड़ीसा (ग्रिडको)	36.72
सिक्किम	12.44
पश्चिम बंगाल	23.73
अंडमान व निकोबार द्वीप	20.03
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
असम	38.72
मणिपुर	59.55
मेघालय	19.66
नागालैंड	26.52
त्रिपुरा	26.82
अरूणाचल प्रदेश	30.60
मिजोरम	44.79
अखिल भारत (यूटिलिटियां) .	26.45

*रा०वि०बोर्डों/विद्युत विभागों की सूचना के अनुसार एवं अंतर्राज्यीय ऊर्जा बिक्री के समाधान के बाद परिवर्तन की शर्त पर और यह अनंतिम है।

घरेलू और विदेशी निवेश

6493. **श्री रामपाल सिंह : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के असहयोगात्मक रवैये के कारण विद्युत क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश लगभग रूक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यो को विद्युत क्षेत्र में सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं जिससे विद्युत उत्पादन में घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) यद्यपि अनेक विदेशी निवेशकों ने देश में विद्युत परियोजना स्थापित करने में रूचि दिखाई है, पर इनमें से कुछ निवेशक ही वित्तीय समापन प्राप्त कर सके हैं। अधिकांश परियोजनाओं द्वारा वित्तीय समापन नहीं प्राप्त कर पाने के निम्नलिखित कारण है :

(i) राज्य विद्युत बोर्डों की कमजोर वित्तीय स्थिति जो बिलों की नियमित प्रतिपूर्ति, साख-पात्र खोलने और एस्क्रो खाता के रूप में कुछ परियोजनाओं के लिए ही सहायता दे सकते हैं।

(ii) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई०पी०पी०) को वित्तपोषित करने वाले प्राय: सभी ऋणदाताओं ने एक विश्वसनीय एस्क्रो कवर की मांग की है। राज्यों के पास आई०पी०पी० को वित्तपोषित करने हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है। राज्यों के पास आई०पी०पी० को वित्तपोषित करने हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है। अनेक मामलों में राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात एस्क्रो-योग्य क्षमता वित्तीय संस्थानों द्वारा नहीं स्वीकृत किए गए हैं।

(iii) विभिन्न संविदाओं जैसे विद्युत क्रय समझौता (पी०पी०ए०) एवं ईंधन आपूर्ति समझौता (एफ०एस०ए०) जो सभी संबंधित पाटियों को स्वीकार्य हो, को अंतिम रूप देने में विलंब।

(iv) जनहित याचिका आदि के रूप में कोर्ट के मामले।

(ग) और (घ) भारत सरकार विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने की दिशा में आने वाले मामलों के समाधान के लिए आवश्यकतानुसार सहायता दे रही है। रा०वि० बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र का सुधार एवं पुनर्गठन हेतु नीति शुरू की है और अनेक राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन केन्द्र एवं राज्यों द्वारा समयबद्ध तरीके से सुधार शुरू करने की संयुक्त प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। इन समझौता ज्ञापनों में राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता के अंतर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन/प्रचालन, 100% मीटरीकरण, ऊर्जा ऑडिट, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, वाणिज्यिक व्यवहार्यता की प्राप्ति आदि शामिल है।

भारत सरकार ने उप-पारेषण एवं वितरण सुदृढ़ीकरण और थर्मल तथा हाइडल पावर प्लान्टों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए

केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन तथा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के जरिए वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता दी है। विद्युत क्षेत्र के सुधार एवं पुनर्गठन तथा केन्द्र एवं राज्यों में विनियामक आयोगों का गठन होने के पश्चात् रा०वि० बोर्डों या इनके उत्तरवर्ती ईकाईयों के वित्तीय लाभ में वृद्धि होने की आशा है।

अनुमान है कि विद्युत क्षेत्र के सुधार एवं पुनर्गठन के बाद विद्युत क्षेत्र में निवेशकों/आई०पी०पी० का विश्वास बढ़ेगा जिससे कि विद्युत क्षेत्र में अधिक से अधिक निजी निवेश प्राप्त हो सकेगा।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखानों को शुल्क संबंधी संरक्षण

6494. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल शोधक कारखानों को शुल्क संबंधी संरक्षण देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) रिफाइनरियों के लिए शुल्क रक्षण विद्यमान हैं।

(ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क की वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं :

सीमा शुल्क	(प्रतिशत)
क्रूड	10
एच०एस०डी०/एल०डी०ओ०	20
एम०एस०	20
ए०टी०एफ०	20
एल०पी०जी०	10
एफ०ओ०/एल०एस०एच०एस०-सामान्य उपयोग	20
नाफ्था/एन०जी०एल०-सामान्य उपयोग	10
कैरोसीन (सा०वि०प्र०)	10
बिटूमेन	20
अन्य	20

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारी संवर्ग की पुनर्संरचना

6495. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सशस्त्र सेना के कैरियर को अधिक आकर्षक बनाने हेतु अधिकारी संवर्ग की पुनर्संरचना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अधिकारियों को औसत आयु कम करने तथा पदोन्नति के अधिक अवसर उत्पन्न करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार सेना में नए पद सृजित करने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) प्रमुखतः कमांडरों की आयु सीमा में कमी तथा इससे संबंधित अन्य मुद्दों के उद्देश्य से सेना के अफसर संवर्ग की पुनर्संरचना करने के लिए रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में अनु०जा०/अनु०जन०जा० के कर्मचारी

6496. श्री रामदास अग्रवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में राष्ट्रीय स्तर पर कितने अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आरक्षित पदों के विरुद्ध पूरी नियुक्तियां की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी नियुक्तियां की गयी और इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं;

(घ) क्या आरक्षित पदों का कोई बैकलाग है;

(ङ) यदि हां, तो क्या बैकलॉग को समाप्त करने के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार इंडियन आयल कारपोरेशन

लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों और गैर अधिकारियों की कुल संख्या और इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं :

	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
अधिकारी	9728	1509	522
गैर अधिकारी	21947	4163	1575
योग	31675	5672	2097

(ख) सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आरक्षित पदों के प्रति पूर्ण नियुक्ति करना सदैव सम्भव नहीं होता है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान की गई भर्ती की कुल संख्या नीचे दिए अनुसार हैं :

वर्ष	अधिकारी			गैर-अधिकारी		
	योग	अन०जा०	अनु० जन०जा०	योग	अन०जा०	अनु० जन०जा०
1999	547	64	24	767	119	40
2000	109	14	5	530	80	22
2001	244	35	12	217	59	19

(घ) वर्ष 2001 के अन्त में भर्ती में अनु०जा०/अनु०जन०जा० का बकाया निम्नानुसार था :

	अनु०जा०	अनु०जन०जा०
वर्ग क	0	3
वर्ग ग	0	4
वर्ग घ	0	20

(ङ) अन०जन०जा० श्रेणी (वर्ग घ) में 20 की कमी पूरे देश में फैले विभिन्न स्थानों पर है और बकाये को बिना किसी विशेष भर्ती अभियान के निपटाना सम्भव होगा।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

दसवीं योजना के दौरान पन बिजली उत्पादन

6497. श्री अरूण कुमार :
श्री राजो सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पन बिजली का उत्पादन तेजी से कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान पन बिजली उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास नेपाल और भूटान में पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार एन०टी०पी०सी०-एन०एच० पी०सी० का निकट भविष्य में विलय करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) गत 3 वर्षों अर्थात 1999-2000 से 2001-02 के दौरान हाइड्रो स्टेशनों से विद्युत उत्पादन और वर्षों के आकड़े नीचे दिए गए हैं;

वर्ष	उत्पादन (एमयू)	गत वर्ष के उत्पादन का प्रतिशत	सामान्य का वर्षानुपात%
1999-2000	80637	97.5	96% (1999)
2000-2001	74481	92.4	93% (2000)
2001-2002	73992	99.3	92% (2001)

गत 3 वर्षों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा में कमी के कारण हाइडल उत्पादन कम रहा।

1999-2000 से 2001-2002 तक हाइड्रो स्टेशनों से राज्य-वार/यूटिलिटी-वार विद्युत उत्पादन अनुबंध में दिया गया है।

(ग) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों तथा केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र यूटिलिटियों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर और परियोजना अधिकारियों द्वारा अनुभव किए जा रहे विभिन्न दबावों को ध्यान में रखते हुए 10वीं योजना के विद्युत संबंधी कार्यदल ने 10वीं योजना के दौरान 46,939 मेवा संभावित क्षमता वृद्धि का अनुमान लगाया है, इस अनुमान में 1,7,311 मेवा हाइड्रो क्षमता वृद्धि शामिल है। उक्त हाइड्रो क्षमता वृद्धि में भूटान में ताला एच०ई०पी० से 1020 मेवा का लाभ भी शामिल है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) इस समय एन०टी०पी०सी०-एन०एच०पी०सी० के विलय के (मर्जर) हेतु कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है।

विवरण

1999-2000 से 2001-02 के लिए हाइड्रो उत्पादन

यूटिलिटी/राज्य	1999-00 (एमयू)	2000-01 (एमयू)	2001-02 (एमयू)
जे एंड के एसपीवीसी	608	559	558
एचपीएसईबी	1197	1165	1144
एचपीजीसी	242	244	232
आरआरवीयूएनएल	1003	376	540
पीएसईबी	3220	3141	3710
यूपीजेवीएनएल	1936	2088	2036
उत्तरांचल	3336	3213	2911
जीईबी	1039	439	284
एमएसईबी	3807	3661	3578
एमपीईबी	2031	1587	2212
सीएसईबी	431	233	395
एपीजीईएनसीओ	8668	7729	6156
केपीसीएल	11692	10536	6249
वीवीएनएल	398	237	234
केएसईबी	7033	6190	6735
टीएनईबी	4467	5441	4364
बीएसईबी	38	49	61
झारखंड	169	95	101
ओएसईबी	4543	4612	6459
डब्ल्यूबीएसईबी	396	446	548
सिक्किम	11	21	35
मेघालय	634	658	614
त्रिपुरा	61	70	68
आंध्र प्रदेश	14	13	12
नागालैंड			2
उप-जोड़	56974	52803	52238
कुल अखिल भारत	80637	74481	73992

पेट्रोलियम क्षेत्र का विनियंत्रण

6498. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पेट्रोलियम, गैस और डीजल क्षेत्र को विनियंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विनियंत्रण के कारण यह कम्पनियों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे अपने उत्पादों को किस मूल्य पर बेचें या किसी उत्पाद के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेट्रोल डीजल पंप खोलने और लोगों को रसोई गैस एजेंसी के लिए लाइसेन्स देना कम्पनी के विवेक पर होगा और इस उद्देश्य के लिए किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति समाप्त कर दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एल०पी०जी० के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य 1 अप्रैल, 2002 से बाजार निर्धारित हो गए हैं। तथापि, कपनियों द्वारा इस प्रकार निर्धारित किए गए मूल्यों की निगरानी पेट्रोलियम नियामक बोर्ड द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है जो मुनाफाखोरी रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय आरम्भ करेगा। इसका प्रावधान पेट्रोलियम विनियामक विधेयक 2002 में किया गया है जिसे संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) उन नई डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए जिनके लिए 31 मार्च, 2002 तक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तत्पश्चात, तेल कंपनियां अपनी निजी चयन व्यवस्था स्थापित करेंगी।

[हिन्दी]

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट

6499. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मंत्रालय के कुछ उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दूरदर्शन/आकाशवाणी मुख्यालय में धोखाधड़ी के संबंध में जांच पूरी कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत नीति

6500. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री ए० नरेन्द्र :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी विद्युत नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने नयी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में घरेलू निजी क्षेत्र और विदेशी सहयोग की भागीदारी के क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत शुल्क और प्रति गारंटी के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) अगले 15-20 वर्षों के लिए उर्जा नीति के रूपरेखा की सिफारिश करने हेतु योजना आयोग में एक उर्जा नीति समिति गठित की गई है। सदस्य (उर्जा), योजना आयोग इसके अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्यों में विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा परमाणु उर्जा विभाग, भारत सरकार के सचिव शामिल हैं। समिति में इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, टाटा उर्जा अनुसंधान संस्थान आदि के विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

(ग) विद्युत क्षेत्र के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण सभी में घरेलू एवं विदेशी निवेशकों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिभागिता की अनुमति है। इन क्षेत्रों में स्वत: अनुमोदन आधार पर बिना किसी उपरी सीमा के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1943 की धारा 43(ए) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30.3.1992 को दो भागों में एक टैरिफ अधिसूचना जारी की, जिसके अन्तर्गत जेनरेटिंग कम्पनियों को उनके द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रचालन के नियामक स्तर, अर्थात 68.5% संयंत्र भारत घटक (पी०एल०एफ०) पर इक्विटी पर 16% तक प्रतिफल (भुगतान किया गया तथा जिसका भुगतान किया जाना है) दी जाती है। इस स्तर से ज्यादा के उत्पादन के लिए 0.7% इक्विटी के निर्धारित दर पर (भुगतान किया गया तथा जिसका भुगतान किया जाना है) पी०एल०एफ० में हर 1% की वृद्धि पर प्रोत्साहन देने की अनुमति है। 1995 से परियोजनाओं को केवल प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ही विकसित किया जा सकता है। जहां विनियामक आयोग गठित किये गये हैं, वहां टैरिफ का निर्धारण इन आयोगों द्वारा ही किया जायेगा।

भारत सरकार की काउन्टर गारंटी स्कीम को अस्थायी उपाय के रूप में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था और उन 8 आरंभिक परियोजनाओं को भारत सरकार की काउन्टर गारंटी प्रदान करने का 1994 में निर्णय लिया गया जो विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश जुटाने हेतु स्वीकृत की गयी थी। काउन्टर गारंटी देने संबंधी प्रक्रिया मई 1998 में संशोधित की गई और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि काउन्टर गारंटी केवल समाप्ति की स्थिति के लिए दी जाएगी और बकाया विदेशी ऋण तक ही सीमित होगी।

घाटा उठाने वाले मार्ग

6501. श्री विष्णुदेव साय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मुख्य और शाखा रेलमार्ग मार्ग-वार और वर्ष-वार घाटा उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने ऐसे घाटों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यातायात का कम घनत्व, कम गमन दूरी और सड़क यातायात से कड़ी प्रतिस्पर्धा कतिपय कारक हैं जो शाखा लाइनों को अर्थक्षम नहीं बनाती हैं।

(घ) रेलों ने कर्मचारियों की संख्या में कमी, गाड़ी सेवाओं में कमी और परिचालन में मितव्ययिता का पालन जैसे बहुत से उपाय किए हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने नुकसान के कारणों का पता लगाने और उनमें कमी लाने के उपाय सुझाने के लिए सभी 126 घाटा देने वाली लाइनों के खर्च और राजस्व के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए रेल अधिकारियों की एक समिति गठित की है।

विवरण

रेलवे मार्ग	(वर्ष-वार हानि हजार रुपए में)		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
1. नेरल-मथेरान (एनजी-21 कि०मी०)	54826	62939	63089
2. करजत-खोपोली (बीजी-15 कि०मी०)	11609	13603	17145
3. ग्वालियर-भिंड (एनजी-84 कि०मी०)	35120	—	—
4. ग्वालियर-श्योपुर-कला (एनजी-200 कि०मी०)	104969	152628	126080
5. धौलपुर-तांतपुर-सिरमुत्रा (एनजी-89 कि०मी०)	32447	43435	36836
6. ऐट-कौंच (बीजी-14 कि०मी०)	16817	20447	21916
7. कुर्डूवाड़ी-मिरज-लातूर (एनजी-327 कि०मी०)	95808	104778	72550
8. पचोरा-जामनेर (एनजी-56 कि०मी०)	13276	13662	15541
9. माजरी-राजपुर (बीजी-21 कि०मी०)	5206	—	—
10. गुना-मक्सी (बीजी-193 कि०मी०)	43191	—	—
11. दौंड-बारामती (बीजी-44 कि०मी०)	12900	—	19537
12. पनवेल-उरान (बीजी-27 कि०मी०)	18935	(+)1093	—
13. भीमगढ़-पलास्थली (बीजी-27 कि०मी०)	3204	3716	4716
14. बारासात-हसनाबाद (बीजी-53 कि०मी०)	28339	29633	70007
15. शांतिपुर-नवाद्वीपघाट (एनजी-27.5 कि०मी०)	9653	11642	12379
16. बर्दमान-कटवा (एनजी-53 कि०मी०)	27855	22929	23044
17. भागलपुर-मंदारहिल (बीजी-50 कि०मी०)	10648	13796	18467
18. बरुइपुर-लक्ष्मीकांतपुर (बीजी-37 कि०मी०)	21534	24193	51299
19. जमालपुर-मुंगेर (बीजी-10 कि०मी०)	5587	7294	10451
20. सोनारपुर-कैनिंग (बीजी-29 कि०मी०)	14659	16181	39890
21. दिलदारनगर-तरीघाट (बीजी-19 कि०मी०)	2991	3390	4260
22. कल्याणी-कल्याणी सिमंता (बीजी-4 कि०मी०)	9063	10128	12499
23. तीनपहाड़-राजमहल (बीजी-12 कि०मी०)	2332	3709	11206
24. लक्ष्मीकांतपुर-कुल्पी (बीजी-10 कि०मी०)	58183	60705	98130
25. सेवाड़ापुल्ली-तारकेश्वर (बीजी-35 कि०मी०)	—	3266	1292
26. रोहतक-गोहाना (बीजी-32 कि०मी०)	12157	—	3895
27. गोहाना-पानीपत (बीजी-39 कि०मी०)	12217	—	—
28. रोहतक-भिवानी (बीजी-49 कि०मी०)	38217	6756	21462

1	2	3	4
29. शामली-सहारनपुर (बीजी-64 कि०मी०)	44173	—	—
30. दिल्ली-शाहदरा-शामली (बीजी-87 कि०मी०)	17393	—	—
31. तुगलकाबाद-शकूरबस्ती (बीजी-26.60 कि०मी०)	29953	—	—
32. कालका-शिमला (एनजी-97 कि०मी०)	116132	119474	120708
33. लालगढ़-श्री कोलायत जी (बीजी-46 कि०मी०)	15500	17339	62084
34. गढ़ी-हरसरू-फारूखनगर (एमजी-11 कि०मी०)	2816	3203	3554
35. सरदार शहर-रतनगढ़ (एमजी-43 कि०मी०)	9724	12052	13495
36. दलमऊ-दरियापुर (बीजी-25 कि०मी०)	4788	5099	5593
37. अमृतसर-अटारी (बीजी-25 कि०मी०)	11085	12785	25145
38. फगवाड़ा-नवां शहर दोआबा (बीजी-36 कि०मी०)	31117	31169	33108
39. बटाला-क्वाड़ियान (बीजी-19 कि०मी०)	14903	16227	18006
40. वरका-डेरा बाबा नानक (बीजी-46 कि०मी०)	73285	33468	35492
41. अमृतसर-खेमकरण (बीजी-77)	8082	13869	48672
42. राय का बाग-पोखरण (बीजी-192 कि०मी०)	21996	—	—
43. मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी (बीजी-14.5 कि०मी०)	3278	5836	6346
44. रानीवाड़ा-भिलड़ी (एमजी-71 कि०मी०)	51669	65549	71109
45. समदड़ी-मुनाबाव (एमजी-248 कि०मी०)	83242	117391	135028
46. पीटीके-एमडीपीबी (बीजी-15 कि०मी०)	—	5327	5698
47. जेआरसी-एचएसएक्स (बीजी-38 कि०मी०)	—	9982	29588
48. #भटिंडा-सूरतगढ़ (बीजी-142.33 कि०मी०)	—	—	(+) 4991
49. सूरतगढ़-अनुपगढ़ (बीजी-77.53 कि०मी०)	—	—	65528
50. पीटीके-जेडीएनएक्स (बीजी-बीजी-165.92 कि०मी०)	—	—	18280
51. अम्बाला-कालका (बीजी-69.97 कि०मी०)	—	—	3550
52. पोखरण-जैसलमेर (बीजी-107 कि०मी०)	—	—	28364
53. बनमंखी-बिहारीगंज (एमजी-27 कि०मी०)	19315	22771	26636
54. सकरी-जयानगर (एमजी-70 कि०मी०)	60078	87081	90199
55. नरकटियागंज भिखनाटोरी (एमजी-47 कि०मी०)	15414	23650	22441
56. सलेमपुर-बरहजबाजार (बीजी-22 कि०मी०)	7433	10706	10750
57. इंडारा-दोहरीघाट (एमजी-40 कि०मी०)	14229	24420	40666
58. मनकापुर-कटरा (बीजी-30 कि०मी०)	19367	18327	23021
59. आनंदनगर-नौतनवा (एमजी-49 कि०मी०)	18131	25893	35126

1	2	3	4
60. झंझाररपुर-लोकाबाजार (एमजी-43 कि०मी०)	29438	35451	39951
61. मथुरा-वृंदावन (एमजी-13 कि०मी०)	5196	4773	4930
62. मंढाना-ब्रह्मावृता (एमजी-9 कि०मी०)	2965	3085	3177
63. काशीपुर-रामनगर (बीजी-27 कि०मी०)	23367	28296	34881
64. रामपुर-न्यू हल्दवानी (बीजी-89 कि०मी०)*	67596	71173	87329
65. न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग (एमजी-88 कि०मी०)	43107	64525	100765
66. कटिहार-मनिहारीघाट (एमजी-36 कि०मी०)	31599	52955	57352
67. कटिहार-जोगबनी (एमजी-108 कि०मी०)	87253	103190	118068
68. सिंगाबाद-ओल्ड मालदा (बीजी-24 कि०मी०)	21967	35920	45515
69. बरसोई-राधिकापुर (एमजी-53 कि०मी०)	987	41968	43679
70. अलीपुरद्वार-बामनहाट (एमजी-71 कि०मी०)	45269	61430	62118
71. तेजपुर-रंगापाड़ा नार्थ (एमजी-27 कि०मी०)	28815	32013	38610
72. फकीराग्राम-दुबरी (एमजी-65 कि०मी०)	28726	59685	56172
73. करीमगंज-महिसासन (एमजी-10 कि०मी०)	8632	10141	17014
74. बरईग्राम-दुल्लावचौरा (एमजी-28 कि०मी०)	7528	13723	31881
75. कतखर-लालबाजार (एमजी-28 कि०मी०)	8622	10541	33539
76. चापरमुख-सिलघाट (एमजी-81 कि०मी०) चापरमुख-हैबरगाव (बीजी-27 कि०मी०)	9142	3777	12986
77. सिमलगुड़ी-रगीनीमाड़ा (एमजी-14 कि०मी०)	739	44	49
78. मरियानी-जोरहाट टाउन (एमजी-17 कि०मी०)	10363	11610	19121
79. सिमलगुड़ी-मोरनहाट (एमजी-54 कि०मी०)	2047	2101	2467
80. माकुम-डांगरी (एमजी-30 कि०मी०)*	642	48	439
81. धरमनगर-पांचरथाल-कुमारघाट (एमजी-41 कि०मी०)*	97892	62028	134246
82. लालबाजार-जमीरा-भैराबी (एमजी-45 कि०मी०)*	49181	44359	75155
83. सिलचर-जिरीबाम (एमजी-49 कि०मी०)*	38932	41798	65516
84. बालीपाड़ा-गमई-भालुपपोंग (एमजी-35 कि०मी०)*	38375	48937	48085
85. शोरूवण्णूर-नीलम्बूर (बीजी-66 कि०मी०)	4071	8328	14481
86. विषुपुरम-पांडिचेरी (एमजी-38 कि०मी०)	12432	15200	22258
87. थिरुथुरईपुंडी-कोडिकड़ई (एमजी-46 कि०मी०)	3151	3740	5825
88. मेट्टूपालयम-उधगमनडालम (एमजी-46 कि०मी०)	28843	20440	31181
89. मदुरै-बोधीनयाकानूर (एमजी-90 कि०मी०)	13909	12218	12559

1	2	3	4
90. नांजनगुड़-चामराजनगर (एमजी-35 कि०मी०)	19409	7206	—
91. तिरुनेलवेली-त्रिचांदूर (एमजी-62 कि०मी०)	17910	15838	18375
92. सागराजमबगूरू-तालगुप्पा (एमजी-16 कि०मी०)	8877	11778	3245
93. त्रिचूर-गुरूवायूर (बीजी-24 कि०मी०)*	5657	5960	7953
94. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग (बीजी-99 कि०मी०)*	19050	27079	10991
95. बांगरपेट-मरीकुप्पम (बीजी-16 कि०मी०)	—	4282	8250
96. एर्णाकुलम-अलेप्पी (बीजी-57 कि०मी०)*	—	—	896
97. भीमाबरम-नरसापुर (बीजी-29 कि०मी०)	8716	3523	3134
98. गुड़ीवाड़-मछलीपट्टनम (बीजी-40 कि०मी०)	12238	14828	—
99. जनखमपेट-बोधन (एमजी-20 कि०मी०)	2396	4805	9544
100. मुदखेड-आदिलाबाद (एमजी-162 कि०मी०)	23412	30119	32956
101. आदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी (बीजी-20 कि०मी०)*	650	14609	18432
102. अलनावार-अम्बेवाड़ी (बीजी-31 कि०मी०)	—	(+)5887	—
103. नाड़ीकुड़े-मचेरला (बीजी-35 कि०मी०)	—	—	20253
104. खुर्दा रोड़-पुरी (बीजी-43 कि०मी०)	52798	116452	153339
105. नौपाड़ा-गुनूपुर (एमजी-90 कि०मी०)	20356	19743	18803
106. पुरुलिया-कोटशिला और रांची-लोहारदगा (एमजी-104 कि०मी०)	125334	146627	130402
107. रायपुर-धमतरी (एनजी-89 कि०मी०)	65722	68807	76903
108. सतपुड़ा रेलवेज (एनजी-1007 कि०मी०)	759390	716628	846237
109. रूपसा-तालबंध (एनजी-89 कि०मी०)	29106	32976	35782
110. कान्हा-रामटेक (बीजी-24 कि०मी०)	17455	19189	20499
111. बोंडामुडा-नवगांव-पूर्णापानी (बीजी-29 कि०मी०)	252	7302	—
112. जखपुरा-दैतारी (बीजी-33 कि०मी०)	53926	111475	118873
113. हटिया-नवगांव (बीजी-18 कि०मी०)	39209	40652	117353
114. बोबली-सालूर (बीजी-18 कि०मी०)	7379	6739	13347
115. तुमसर रोड-तिरोड़ी (बीजी-24 कि०मी०)	20210	18945	9968
116. टाटा-खड़ामपहाड़ (बीजी-99.05 कि०मी०)	17946	27595	44905
117. संतरागाछी-बड़गाछिया (बीजी-24 कि०मी०)*	46473	61351	77828
118. टुपकाडीह-तालगड़िया (बीजी-35 कि०मी०)*	71647	87538	—
119. #कटक-पारादीप (बीजी-29 कि०मी०)	—	—	(+)1507
120. बिल्लीमोड़ा-बाघई (एनजी-63 कि०मी०)	10092	13907	13897

1	2	3	4
121. छुच्छापुरा-तेनखाला (एनजी-38 कि०मी०)	821	938	11344
122. चोरंदा-मोतीकोड़ई (एनजी-19 कि०मी०)	1792	1988	6207
123. सामनी-दहेज (एनजी-39 कि०मी०)	2115	2197	12752
124. ब्राच-जम्बूसर-कवि (एनजी-76 कि०मी०)	3562	3709	23696
125. छेटा उदयपुर-जम्बूसर (एनजी-150 कि०मी०)	7666	8159	45892
126. चांदेद-मलसार (एनजी-87 कि०मी०)	7533	8616	32384
127. नड़ियाद-कपवड़वंज (एनजी-45 कि०मी०)	2971	2102	15474
128. नड़ियाद-भद्रान (एनजी-58 कि०मी०)	1606	1620	18047
129. गांधीधाम-न्यू कांडला (एमजी-12 कि०मी०)	19281	32213	30183
130. मावली जं०-बड़ी सादड़ी (एमजी-82 कि०मी०)	63512	44314	48332
131. प्रांची रोड-कोड़ीनार (एमजी-26 कि०मी०)	12206	13233	13126
132. शियोर-पालीताना (एमजी-27 कि०मी०)	7283	8378	8078
133. राजूला जं-राजूला सिटी (एमजी-9 कि०मी०)	2155	2911	2882
134. रानुज-पाटन	5125	5301	4749
135. मेहसाना-तरंग हिल (एमजी-56 कि०मी०)	8422	2905	6629
136. हिम्मतनगर-खेदब्रह्मा (एमजी-55 कि०मी०)	8698	779	3437
137. आनंद-कैम्बे (बीजी-51 कि०मी०)	13221	13540	49780
138. बोरीयावी-बड़ताल-स्वामीनारायण (बीजी-6 कि०मी०)	2563	2811	8611
139. गांधीधाम-न्यू भुज (एमजी-57.90 कि०मी०)	—	7003	16763
140. तलाला-देलवाड़ा (एमजी)	—	—	1796
कुल जोड़	3771774	4005635	5119056
लाइनें	125	121	126

नोट : ब्रैकिट में दिए आंकड़े रेलपथ के आमान और खंड की लंबाई को दर्शाते हैं।

#प्रतिफल 7%, से कम है इसलिए अलाभप्रद शाखा लाइन के रूप में माना गया है;

*नई लाइन

भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारी वृंद की छंटनी

6502. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों की संख्या कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) अपनी कारोबार और वित्तीय पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) को अपनी जनशक्ति को मार्च, 2005 तक कम करके लगभग एक लाख करना है। इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०) में भी अनेक कर्मचारियों को

कमी करना शामिल है। जनशक्ति को अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और सीमित भर्ती के जरिए युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण

6503. **डा० अशोक पटेल :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर तैनात रक्षा कार्मिकों द्वारा स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में सीमावर्ती गांवों के लोगों की रक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में कितने युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारतीय सेना द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा के आस-पास स्थानीय युवकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन हेतु 'कंडीशनल एक्सेस प्रणाली' के लिए कृतक बल

6504. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारण के कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के लिए मंत्रालय द्वारा गठित कृतक बल ने डिलीवरी के बहुस्तरीय ढांचे को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कंडीशनल एक्सेस के लिए प्रयुक्त होने वाले सेट-टॉप-बाक्स की विशिष्टताओं को भी अन्तिम रूप दे दिया है;

(ग) क्या समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि मूलभूत टियर के आधार पर फ्री-टू-एयर चैनलों का भी प्रसारण किया जायेगा जहां उपभोक्ता को उपभोक्ता के रूप में नाममात्र का शुल्क देना होगा; और

(घ) यदि हां, तो इन कदमों ने देश में प्रसारण प्रणालली को कितनी मदद प्रदान की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सशर्त पहुंच प्रणाली से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए गठित कार्यदल की मुख्य सिफारिश इस प्रकार है :–

(1) सशर्त पहुंच प्रणाली ओर सहायक ग्राहक प्रबंधन प्रणाली को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अनिवार्य बनाना चाहिए।

(2) सैट टॉप बाक्स केबल पे-चैनलों के लिए अपेक्षित होने चाहिए और मुक्त चैनलों के बेसिक टीयर सैट टॉप बाक्स के उपयोग के बगैर वर्तमान पद्धति में ग्राहकों को प्राप्त होंगे।

(3) सैट टॉप बाक्स के तकनीकी मानदण्ड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए जाने वाले भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे।

(4) प्रसारण संकेत के अनधिकृत रूप से देखने, वितरण करने/पुनर्वितरण करने को एक संज्ञेय अपराध बनाया जाना चाहिए।

(5) सरकार को मुक्त प्रसारण करने वाले चैनलों का बेसिक टीयर मूल्य विनियमित करना चाहिए। सरकार सार्वजनिक सेवा प्रसारक के चैनलों के लिए प्रावधान भी करेगी।

(6) इस पर ध्यान दिए बगैर कि ग्राहक मुक्त प्रसारण करने वाले चैनलों और अथवा पे-चैनलों को देखना पसन्द करता है, रिसीविंग सेटों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

(घ) केबल प्रणाली के जरिए पे-चैनल देखने हेतु सम्बोधन प्रणाली की शुरूआत से उपभोक्ता को केवल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करने का विकल्प मिलेगा जिसकों वह देखने के लिए चुनता है और इससे दर्शकों की संख्या में पारदर्शिता आएगी।

[हिन्दी]

जाली दस्तावेजों के आधार पर डीलर चयन बोर्डों द्वारा चयन

6505. **श्री मानसिंह पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीलर चयन बोर्डों (डी०एस०बी०) ने मानदंडों को पूरा करने के लिये जाली दस्तावेज जमा करने वाले कुछ व्यक्तियों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले घटे; और

(ग) ऐसी जालसाजी में कितने व्यक्ति लिप्त पाये गये जिनके विरुद्ध सरकार ने आर्थिक दंड देने के लिए कार्रवाई की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए जाली कागजात के

आधार पर डीलर चयन बोर्डों द्वारा किए गए तेल विपणन कंपनियों के पैट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच निर्धारित प्रक्रम के माध्यम से कराई जाती है। जहां कहीं शिकायतें साबित होती हैं तो जाली कागजात प्रस्तुत करने वाले चयनित उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। की गई कार्रवाई में अन्य बातों के साथ-साथ उनके आशयपत्र (एल०ओ०आई० जारी न करना, पहले से जारी किए गए आशयपत्रों को वापस लेना, चयन का निरसन आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

आयुध डिपो का कम्प्यूटरीकरण

6506. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन दशक से भी काफी पहले एक स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण (ए०डी०पी०) प्रकोष्ठ बनाया गया था किन्तु आगरा, जबलपुर, कानपुर, क्रिकी स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो में स्वचालित प्रणाली द्वारा सृजित आंकड़ों को हाथ से चैक किया जाना आज भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटरीकरण का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) कम्प्यूटरीकरण को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार रक्षा प्रतिष्ठनों के पास कितने कम्प्यूटर हैं वे किस माडल और संरूप के हैं और उनका अलग-अलग खरीद मूल्य क्या है;

(ङ) क्या खरीद के समय वारंटी की आतिरिक्त संख्या प्राप्त की गई थी और इसके पश्चात् वारंटी को वार्षिक रूप से बढ़ाया गया था;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कम्प्यूटर खरीदने के स्रोत क्या हैं और क्या केन्द्रीय भंडार/एन०सी०सी०एफ०/सुपर बाजार की अपेक्षा अन्य स्रोतों से खरीदे गये सामान संरूप और सुविधा वाले कम्प्यूटरों का मूल्य उन्हीं से खरीदे गये कम्प्यूटरों के मूल्य से कम था ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) तीन दशक पहले किसी कंप्यूटरीकृत डाटा संसाधन एकक का सृजन नहीं किया गया था। कुछ डिपुओं में 9वें दशक के अंत में मात्र पर्सनल कंप्यूटरों पर अलग-अलग कंप्यूटरीकरण किया गया था। सरकार ने आयुध डिपुओं में सामान-सूची प्रबंधन के संपूर्ण कंप्यूटरीकरण के लिए कंप्यूटरीकृत सामान-सूची नियंत्रण परियोजना नामक एक परियोजना मंजूरी की है। इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) कंप्यूटरीकरण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(1) सस्ते माइक्रोप्रोसेसर आने के बाद सभी आयुध यूनिटों को सामान-सूची प्रबंधन कार्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए कम-से-कम एक पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया है।

(2) कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(3) कंप्यूटरीकृत सामान-सूची नियंत्रण परियोजना के लिए साफ़्टवेयर का विकास हो चुका है और यह परीक्षणाधीन है।

(घ) आज की तारीख तक आयुध डिपुओं/यूनिटों के पास कंप्यूटरों की संख्या 779 है जो भिन्न संरूपरण के हैं जिनमें पी०सी०-486, पेंटियम-1, 2 और 3 तथा सेलिरॉन आधारित पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं। दिल्ली में पर्सनल कम्प्यूटर की कीमत के बारे में मार्च, 2000 तक आंकड़ें उपलब्ध हैं। अधिप्राप्ति की कीमतें पी०सी०-486 के लिए अक्तूबर 1996 में 72000/- रुपए, पेंटियम-3 के लिए से नवंबर 1998 में 43000 रुपए, जनवरी, 2000 में 34000/- रुपए रही। अप्रैल 2000 से सेना आयुध कोर द्वारा समस्त सेना के लिए खरीद नहीं की जा रही है और यह खरीद अब भिन्न-भिन्न फील्ड विरचनाओं द्वारा की जा रही है। अत: अप्रैल 2000 के बाद खरीदे गए कंप्यूटरों की कीमतों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) कंप्यूटर और उनके पेरीफेरलों की एक वर्ष की मानक वारंटी के साथ खरीद की गई थी। नीति के अनुसार, सेना मुख्यालय और वैद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियर वर्कशाप के समीप स्थित यूनिटों में कंप्यूटरों के रखरखाव का दायित्व ई०एम०ई० पर है। ई०एम०ई० वर्कशाप से दूर स्थित यूनिटों के संबंध में रखरखाव वार्षिक अनुरक्षण संविदा करके या प्रत्येक मामले में अलग-अलग मरम्मत का सहारा लेकर किया जाता है।

(छ) कंप्यूटरों को खरीदने के स्रोत मूल उपस्कर विनिर्माता अथवा ऐसे विक्रेता हैं जिनसे प्रतिस्पर्द्धी बोलियां आमंत्रित करके रक्षा की क्रय नीति के अनुसार अथवा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदा पर कंप्यूटरों की खरीद की जाती है। इस नीति का उद्देश्य मूल्य की दृष्टि से अधिकतम लाभ उठाना है। आयुध यूनिटें सारे भारत में फैली हुई हैं और केन्द्रीय भंडार/एन०सी०सी०एफ०/सुपर बाजार की सुविधाएं सब जगह उपलब्ध नहीं हैं।

मवेलीकरा में सी०एस०डी० कैन्टीन खोला जाना

6507. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सी०एस०डी० की नयी कैन्टीन खोले जाने के संबंध में कोई मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में मवेलीकरा में सी०एस०डी० कैन्टीन खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनिट द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीन को संचालित करने की मंजूरी ब्रिगेड/सब एरिया अथवा उच्च विरचना कमांडरों द्वारा दी जाती है बशर्ते उस यूनिट में संबद्ध कार्मिकों समेत, एक सौ से अधिक सैन्य कार्मिक हों। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन खोलने का प्रश्न है कमान मुख्यालय अपने विवेकानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैटीनें खोलने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कॅंटीन खोलने का निर्णय करते समय विरचना कमांडरों द्वारा किसी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों की न्यूनतम 10,000 संख्या संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा कैंटीन चलाने के लिए आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाता है। चूंकि सरकार से कोई अनुदान/इमदाद उपलब्ध नहीं होती इसलिए कैंटीन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना जरूरी है।

स्थानीय विरचना मुख्यालय ने राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति के स्थानीय कार्यालय से परामर्श करके केरल में मवेलीकरा में कैंटीन खोलने संबंधी प्रस्ताव की जांच की है तथा प्रस्ताव को आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया है।

आकाशवाणी कार्यक्रमों को सुधारना

6508. **श्री ई० पोन्नुस्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भावी पीढ़ी के लाभ के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सुधार लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए सदैव प्रयासरत है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस संबंध में उठाए गए कदमों में फोन-इन-प्रोग्राम, रेडियो – आन डिमांड सर्विस, न्यूज-आन-फोन सर्विस की शुरूआत करना तथा एफ०एम० – प्रसारण के नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है। गैर-स्थलीय साधनों द्वारा रेडियो कवरेज को डायरेक्ट टू होम डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा के माध्यम से बढ़ाया गया है। आकशवाणी ने इन्टरनेट प्रसारण भी शुरू किया है।

मूल्य नियंत्रण प्रणाली के उपरांत तेल क्षेत्र की स्थिति

6509. **श्री वाई०वी० राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली के उपरांत उत्पन्न होने वाली तेल क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल क्षेत्र पर सरकार की कितनी पकड़ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) ए०पी०एम० को 1 अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया गया है। प्रमुख निर्णय निम्नानुसार हैं :–

(1) पी०डी०एस० मिट्टी तेल और घरेलू एल०पी०जी० को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण 1 अप्रैल, 2002 से बाजार निर्धारित हो गया है।

(2) पी०डी०एस० मिट्टी तेल और घरेलू एल०पी०जी० पर राजसहायताएं 1 अप्रैल, 2002 से भारत की संचित निधि द्वारा वहन की जाएंगीं। ये राज सहायताएं विनिर्दिष्ट एक समान दर के आधार पर होंगी और इन्हें अगले 3 से 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा।

(3) भाड़ा राजसहायता दूर-दराज के क्षेत्रों को पी०डी०एस० मिट्टी तेल और घरेलू एल०पी०जी० की आपूर्तियों के लिए प्रदान करना जारी रहेगा और इसे भारत की संचित निधि द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि० और आयल इण्डिया लि० के स्वदेशी कच्चे तेल का मूल्य 1 अप्रैल, 2002 से बाजार निर्धारित बन गया है।

(5) निजी क्षेत्र सहित नए प्रवेशकों को परिवहन ईंधनों नामत: मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और विमानन ईंधन का विपणन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 8 मार्च, 2002 के संकल्प में अन्तर्निहीत दिशानिर्देशों के अनुसार करने की अनुमति दी जाएगी।

(6) विनियामक तंत्र की स्थापना डाऊन स्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र की कार्य प्रणाली की निगरानी करने के लिए की जाएगी। इस विषय में एक विधेयक 6 मई, 2002 को लोक सभा में पेश किया गया है।

तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम उत्पादों का भण्डार मूल्य

6510. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल शोधक कारखानों/उत्पादकों को मिट्टी के तेल, डीजल और रसोई गैस की थोक बिक्री पर कितने भंडार मूल्य का भुगतान किया गया;

(ख) विभिन्न केन्द्रीय और राज्य करों, शुल्कों आदि के मूल्य और धनराशि क्या है, जो इन उत्पादों को अंतिम मूल्य संरचना प्रदान करते हैं और ये उत्पाद देश में उपभोक्ताओं को राज्य-वार कितने मूल्य पर उपलब्ध होते हैं; और

(ग) तेल शोधक कारखानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं को किस प्रकार से राजसहायता प्रदान की जाती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.5.2002 से इन उत्पादों के लिए रिफाइनरियों/उत्पादकों को देय अनन्तिम रिफाइनरी द्वारा मूल्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) करों और शुल्कों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल और घरेलू एल०पी०जी० पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध राजसहायता 1 अप्रैल, 2002 से समेकित निधि से वहन की जानी है।

विवरण-I

रिफाइनरियों/उत्पादकों को देय अनन्तिम अन्तरण कीमत

रिफाइनरियां/ उत्पादक	मिट्टी तेल (घरेलू) रुपए/ कि०ली०	डीजल रुपए/कि०ली०		एलपीजी (घरेलू) रुपए/एमटी
		0.25 प्रति-शत गंधक से कम	0.05 प्रति-शत गंधक से कम	
रिफाइनरियां				
जामनगर	9280.16	10438.38	10909.33	11688.76
मुंबई	9382.45	10508.01	10978.98	11832.54
मंगलौर	9420.00	10535.59	11006.57	12127.23
चैन्नई	9502.14	10630.07	11101.05	12461.47
हल्दीया	9950.60	11153.18	11624.15	12882.73
कोच्ची	9410.35	10527.70	—	12212.44
विसाख	9557.60	10689.59	—	12694.74
कोयाली	9542.31	10933.03	11403.97	11945.80
पानीपत	9948.57	11583.15	12054.11	13578.55
मथुरा	9948.57	11583.15	12054.11	13502.60
बरौनी	10211.40	11645.20	—	14055.76
उ०पू० रिफाइनरिया*	9950.60	11153.18	—	12882.73
नरीमन	9707.93	11018.35	—	12461.47
फैक्शनेटर्स				
हजीरा	9345.83			11763.88
उरण				11832.54
गंधार				11763.88
अंकलेश्वर				11763.88
उसार				11832.54
विजयपुर				11688.76
औरैया				11688.76
वधोडिया				11763.88
लाकवा				12882.73
दुलियाजान				12882.73

* उत्तर पूर्व रिफाइनरियां अर्थात डिग्बोई, गुवाहाटी, बी०आर०पी०एल० और एन०आर०एल०

विवरण-II

राज्य	मिट्टी तेल (प्रतिशत)	डीजल (प्रतिशत)	एलपीजी (प्रतिशत)
1	2	3	4
उत्पाद शुल्क (सभी राज्य)	16	16+रु० 1000/कि०ली०	16
बिक्री कर आदि			
आन्ध्र प्रदेश	8	19.33	16
अरूणाचल प्रदेश		12	
असम	4	12	12
बिहार	6	15	9
चंडीगढ़	8	11	8
छत्तीगढ़	2	25	12
दिल्ली	4	12	8
दीव/दमन	शून्य	12	8
दादर/नगर हवेली	शून्य	12	8
गोआ	1	17	1
गुजरात	शून्य	18	14

1	2	3	4
हरियाणा	10	10	10
हिमाचल प्रदेश	8	12	8
जम्मू व कश्मीर	4	12	12
झारखंड	6	15	9
कर्नाटक	4	17.5	12
केरल	12	24	16
मणिपुर	शून्य	12	8
मध्य प्रदेश	शून्य	25	12
महाराष्ट्र	4	38.14	8
ग्रेटर मुंबई, नई मुंबई और थाने	4	40	8
मेघालय	4	8	20
नागालैण्ड	5	15	12
उड़ीसा	शून्य	20	12
पांडिचेरी	शून्य	11	1
पंजाब	20	8	8
राजस्थान	8	16	12
सिक्किम	12	10	12
तमिलनाडु	4	22	8
त्रिपुरा	5	12	12
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	10	20	10
पश्चिम बंगाल	4.55	12.55	17
अन्य कर			
असम (बि०कर पर अति०कर)	10	10	10
बिहार (बि०कर पर अधिभार)	1	1	1
चंडीगढ़ (बि०कर पर अधिभार)	10	10	10
गोआ (प्रवेश शुल्क)	2	12	2
गुजरात (बि०कर पर अति०कर)	शून्य	20	10
गुजरात (कारबार पर उपकर)		3	
जम्मू व कश्मीर (बि०कर पर अधिभार)	5		5
कर्नाटक (प्रवेश शुल्क)		5	
केरल (बि०कर पर अति०कर)	15		
केरल (प्रवेश शुल्क)	12	20	16
मध्य प्रदेश (बि०कर पर अधिभार)	15	15	15
मध्य प्रदेश (प्रवेश शुल्क)		1	1
महाराष्ट्र (टीओटी)	1.5		
महाराष्ट्र (बि०कर पर सभी)	10		
मेघालय (बि०कर पर सभी)	2	2	2
उड़ीसा (बि०कर पर सभी)	10	10	10
उड़ीसा (प्रवेश शुल्क)	1	1	1
राजस्थान (बि०कर पर सभी)	15	15	15
राजस्थान (प्रवेश शुल्क)	1	1	1
तमिलनाडु (प्रवेश शुल्क)		18	

[हिन्दी]

विद्युत वितरण के लिए वित्तीय सहायता

6511. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में विद्युत वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए राज्य को 208 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त धनराशि का उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी०डी०पी०) स्कीम के अंतर्गत 134.44 करोड़ रुपये दिए थे। इसमें 5 आर० एंड एम० स्कीमें और शोलापुर, रत्नागिरि सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद एवं जलगांव-5 अभिज्ञात वितरण सर्किलों से संबंधित 6 स्कीमें शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए भारत सरकार ने ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत महाराष्ट्र को राज्य में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार के लिए 45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 2001-02 में एम०एस०ई०बी० से कोई आर० एंड स्कीम प्राप्त नहीं हुई थी तथा निम्नलिखित वितरण सर्किलों से संबंधित स्कीम स्वीकृत की गयी थी : शोलापुर, रत्नागिरी, सिधुदुर्ग, उस्मानाबाद एवं जलगांव। एम०एस०ई०बी० ने ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत जारी की गयी निधि में से 72.33 करोड़ रुपये का समुपयोजन

किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार/रा०वि०बोर्ड ने अतिरिक्त सर्किल स्कीमें प्रस्तुत की हैं जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तपोषण हेतु निम्नलिखित सर्किलों में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है :

सर्किल

1. नासिक
2. अहमदनगर
3. औरंगाबाद
4. लातूर
5. नागपुर (ग्रामीण)
6. बेस्ट-दक्षिण मुंबई

[अनुवाद]

गुजरात में खोजे गये कच्चे तेल के कुएं

6512. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1998 से दिसम्बर, 2001 के दौरान गुजरात में कच्चे तेल के नये कुओं की आशंकित रूप से खोज की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां स्थित हैं और इन कुओं में पायी जाने वाली कच्चे तेल की संभावित मात्रा के संबंध में कितना आकलन किया गया है; और

(ग) इन तल कुओं की खोज पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मार्च, 1998 से दिसम्बर, 2001 तक की अवधि के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी०) ने गुजरात राज्य में चार तेल खोजें की हैं जो खेड़ा जिलान्तर्गत अंकलव, अखोलजुनी तथा सदान एवं बड़ोदरा जिलान्तर्गत उत्तरी सरमान हैं। 1 अप्रैल, 2001 को स्थिति के अनुसार उपर्युक्त चार खोजों में तेल की 0.85 मिलियन मीट्रिक टन (एम०एम०टी०) मात्रा के अंतिम भंडार प्रमाणित हुए हैं।

इसी अवधि के दौरान निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के द्वारा गुजरात राज्य में बकरोल क्षेत्र के अंतर्गत एक अन्वेषी कूप का वेधन किया गया है जिसके तेल भण्डारों का अनुमान लगाया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त (क) से (ख) भागों के उत्तर में उल्लिखित क्षेत्रों के अंतर्गत मार्च, 1998 से दिसम्बर, 2001 तक की अवधि के दौरान अन्वेषी वेधन पर कुल लगभग 46 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रसार भारती में कर्मचारियों की पदोन्नति

6513. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जगन्नाथ मलिक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती से संबंधित एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें यह खंड जोड़ा गया है कि केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति प्रसार भारती के कर्मचारियों की पदोन्नति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जायेगी;

(ख) क्या सरकार ने एक अन्य अध्यादेश जारी करके प्रसार भारती के कर्मचारियों की पदोन्नति के उक्त खंड को निरस्त कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन सभी कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में कोई नियम तैयार किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ये नियम केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में बनाए गए नियमों से भिन्न हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालयों की तर्ज पर नियम तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (छ) मौजूदा नियमों के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी पदों के लिए भरती नियम तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान कर्मचारियों की सेवा के प्रसार भारती में स्थानान्तरण के पश्चात ये नियम प्रसार भारती अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रसार भारती के पदों की भारती प्रक्रियां को विनियंत्रित करेंगे।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण

6514. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण किया गया और कितने आयुध कारखानों का विस्तार किया गया;

(घ) क्या नये कारखानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आग लगने और गोलाबारूद की क्षति जैसी चूकें भविष्य में रुक जाएंगी; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पुराने संयंत्र एवं मशीनरी का नवीकरण तथा प्रतिस्थापन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई मशीनों तथा प्रणालियों को अधिष्ठापित करना शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 26 आयुध निर्माणियों में आधुनिकीकरण का कार्य किया गया है।

(घ) और (ङ) उच्च कैलिबर के गोलाबारूद के लिए बाई-माड्यूलर प्रणोदक चार्ज प्रणाली का उत्पादन करने के लिए नालंदा (बिहार) में एक नई आयुध निर्माणी की स्थापना की जा रही है।

(च) और (छ) निर्माणियों में अग्नि-दुर्घटना के प्रत्येक मामले की अधिकारियों के बोर्ड द्वारा जांच कारवाई जाती है जो विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के बार संरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में और सुधार करने के लिए उपाय सुझाता है तथा इन उपायों को इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

रक्षा बलों में अ०जा०/अ०ज०जा०/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

6515. श्री शिवाजी माने : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा बलों की भर्ती में अ०जा०/अ०ज०जा० और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सशस्त्र बलों में चयन और भर्ती पूरी तरह गुणावगुण के आधार पर होती है तथा इसमें जाति, समुदाय, क्षेत्र अथवा वर्ग के आधार पर कोई आरक्षण नहीं रखा गया है।

पिछौरा-प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता बढ़ाना

6516. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछौरा-प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता में वृद्धि करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ओ०एन०जी०सी० द्वारा तैयार जल-आपूर्ति योजनाएं

6517. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड' ने मुम्बई में निकटस्थ अथवा उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित कुछ गांवों के लिए जल-आपूर्ति योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो किस नीति के तहत इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने इस तरह का चुनिन्दा विकास कार्य किया;

(ग) क्या 'इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड' का अन्य राज्यों में भी सार्वजनिक हित के ऐसे ही कार्य करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में किन मार्गदर्शी-सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है कि 'इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड' अन्य क्षेत्रों के विकास में भी कुछ पूंजी निवेश करे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। बृहत मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अनुरोध पर इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०) ने मनोरी, जो इस म्यूनिसिपल कारपोरेशन के तहत गोराई द्वीप में पड़ता है, में रहने वाले

ग्रामीणों द्वारा सामना की जा रही पेय जल की गम्भीर समस्या को कम करने के लिए वर्ष, 2000-2001 के दौरान मुंबई के निकट मनौरी से क्रीक तक पेय जल पाइपलाइन योजना क्रियान्वित की है।

(ख) से (ङ) यथा इसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित, इंडियन आयल कारपोरेशन के पास पड़ोसी समुदाय के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के उपाय के रूप में दान/अंशदान तथा सामुदायिक विकास क्रियाकलापों के बारे में एक नीति है। इन सामुदायिक विकास क्रियाकलापों में अन्यों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में स्वच्छ पेय जल के लिए परियोजनाएं हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन देशभर में फैली अपनी रिफाइनरियों/स्थापनाओं/कार्यालयों के पास-पड़ोस में सामुदायिक विकास क्रियाकलापों के लिए संभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न परियोजनायें आरम्भ करती हैं।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

6518. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की कोई दीर्घावधिक योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई नीति बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार देश में नेप्था आधारित विद्युत परियोजनाओं को अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अक्टूबर 1991 में भारतीय विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति की घोषणा की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य मांग और आपूर्ति के बीच की बढ़ती हुई मांग तथा राज्य विद्युत बोर्डों एवं केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन निगमों की गम्भीर वित्तीय समस्या के मद्देनजर अधिक से अधिक संसाधन जुटाना तथा इस नीति के द्वारा क्षमता, उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा के स्तरों में भी वृद्धि करने का लक्ष्य था।

1991 में घोषित एवं समय-समय पर संशोधित निजी विद्युत नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

(1) निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार की ताप विद्युत एवं जल विद्युत परियोजना पारंपरिक ईंधन या अपारंपरिक श्रोतों जैसे पवन/सौर ऊर्जा से स्थापित कर सकता है।

(2) ऋण:इक्विटी के 4:1 अनुपात की अनुमति।

(3) विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में 100% विदेशी इक्विटी की हिस्सेदारी की अनुमति।

(4) परिसंपत्तियों के संबंध में अवमूल्यन के उपयुक्त दर।

(5) रियायती सीमा शुल्क पर विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्करों का आयात।

(6) जेनरेटिंग कंपनियां सही तरीके से तैयार दो भाग वाले टैरिफ के आधार पर विद्युत की बिक्री कर सकती हैं – एक भाग नियम लागत को शामिल करने के लिए तथा दूसरा भाग कार्य निष्पादन के निर्धारित स्तर पर परिवर्तनीय लागत को शमिल करने के लिए

(7) ताप विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (उपलब्धता आधारित टैरिफ) हेतु दिशा-निर्देश भी जारी।

(8) इस संबंध में कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार अनुमति प्राप्त कैप्टिव कोयला खदानों का विकास।

(9) 18.2.1995 से कुछ विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर विद्युत परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली, माध्यम से सौंपना अनिवार्य।

(10) पर्यावरणीय स्वीकृति देने की शक्ति का व्यवहार्य सीमा तक विकेन्द्रीकरण।

(11) पूंजीगत लागत सीमा, जिसके बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है, बढ़ाई गई।

(12) विदेशी निवेश को बिना किसी ऊपरी सीमा के स्वत: अनुमोदन।

(13) भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण एक्सपोजर पर 40 प्रतिशत की सीमा में छूट।

(घ) और (ङ) विद्युत उत्पादन में उपयोग के लिए नाफ्था तरल ईंधन के रूप में अनुमति प्राप्त ईंधन है। विभिन्न राज्यों में नाफ्था का आबंटन लगभग 12000 मेगावाट तय किया गया है हालांकि कुछ परियोजनाओं को नाफ्था को फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करके चालू किया गया है पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नाफ्था की लागत ज्यादा होने और इसके रखरखाव में समस्या होने के कारण इसे विद्युत उत्पादन के लिए अब इसे व्यावहारिक ईंधन नहीं माना जाता है।

[हिन्दी]

किराये के मकानों में एन०सी०सी० बटालियनों के कार्यालय

6519. श्री रामसिंह कस्वां : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कई कार्यालय किराये के मकानों में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यालय भवन के लिए क्या मानदंड है और इसे न्यूनतम कितने क्षेत्रफल भूमि पर होना चाहिए;

(घ) क्या उक्त कार्यालय भवन इन मानदंडों पर खरे उतरते हैं;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में किराये के मकानों को खाली करने के पश्चात कितने कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया;

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने मकानों के मालिकों ने उनके मकानों को खाली करने की मांग की है; और

(छ) शेष मकानों को कब तक खाली कर दिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) राज्य निदेशालय भवनों को छोड़कर राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यालय भवनों की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यद्यपि कार्यालय भवन के लिए मानक मानदंड निर्धारित किए गए हैं, तथापि मानदंडों को पूरा करने की तुलना में भवनों की उपलब्धता पर बल दिया जाता है।

(ङ) से (छ) उदयपुर में राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर मेस वाले एक भवन को सितम्बर, 2001 में खाली कर दिया गया है। राजस्थान में भवनों को खाली करने के तीन मामले लंबित हैं। चूंकि, राष्ट्रीय कैडेट कोर को भवन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, इसलिए भवन खाली कराने या अन्यथा कोई निर्णय राजस्थान सरकार द्वारा लिया जाना है।

[अनुवाद]

तामलुक-डीघा परियोजना

6520. डॉ० नीतिश सेनगुप्ता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-01 के दौरान तामलुक-डीघा परियोजना के कार्य में जोरदार प्रगति होने के बावजूद, वर्ष 2001-2002 के दौरान यह कार्य लगभग बंद होने की स्थिति में आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेकेदारों को सामग्री की आपूर्ति करने वाले कई आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या तीन ठेकेदारों और दक्षिण-पूर्व रेलवे के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यह मामला रेलों से संबंधित नहीं है।

(घ) और (ङ) कार्य के पूरे होने में देरी के कारण संविदा शर्तों के अनुसर संविदा को समय-समय पर बढ़ाया गया है। ठेकेदारों द्वारा संविदा की शर्तों को बदलने का अनुरोध स्वीकार्य नहीं है। तामलुक-बाजकुल पहले ही पूरा हो गया है। बाजुकल-कांथी खण्ड को वर्ष 2002-2003 के दौरान, पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

डाटा संप्रेषण के लिए अतिरिक्त क्षमता

6521. श्री जी०एस० बसवराज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998 के दौरान, केन्द्र सरकार ने रेलवे को यह प्राधिकार दिया था कि आयार्जन के उद्देश्य से वह बी०एस०एन०एल० अथवा उसके लाइसेंस धारकों एवं इंटरनेट सेवाप्रदाताओं को अपनी अतिरिक्त फालूत डाटा संप्रेषण क्षमता लीज पर दे सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1998-2001 के दौरान रेलवे के पास 1260 अतिरिक्त चैनल थे जिनकी अनुमानित आयप्रदाय क्षमता 10 करोड़ रु० थी और जो रेलवे प्रशासन की दूरसंचारगत आवश्यकता से कहीं अधिक थे; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे ने अपनी कितनी अतिरिक्त क्षमता को बाह्य अभिकरणों के लाभार्थ उपलब्ध कराया और इससे लीज किराये की कितनी राशि प्राप्त हुई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1998-2001 के दौरान कुछ क्षेत्रीय रेलों के पास विभिन्न खंडों पर रेलवे प्रशासनिक दूर संचार की आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त चैनल थे। इस अवधि के दौरान रेलवे ने लगभग 40.88 लाख रुपए की लागत पर 2 एम०बी०पी०एस० (390 चैनल) की 13 स्ट्रीमों की अतिरिक्त क्षमता को पट्टे पर दे दिया है।

लोक अदालतों को और अधिक अधिकार

6522. श्री सवशीभाई मकवाना :
डा० डी०वी०जी० शंकर राव :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितनी लोक अदालतें हैं/स्थापित की जानी हैं;

(ख) उन्हें कौन-कौन से अधिकार प्रदान किए जाएंगे; और

(ग) इससे देश की विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े मामलों की संख्या में कमी आने में कितनी सहायता मिलेगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में अभी तक 1 लाख 24 हजार से अधिक लोक अदालतें आयोजित की गई हैं। चूंकि लोक अदालतों का आयोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और लोक अदालतों को आयोजित करने के प्रयोजन आवश्यकताओं पर आधारित हैं अत:, गठित की जाने वाली लोक अदालतों की विनिर्दिष्ट संख्या उपदर्शित नहीं की जा सकती है।

(ख) इस समय, लोक अदालतें, केवल पक्षकारों के बीच समझौते अथवा परिनिर्धारण के आधार पर विवादों को तय कर सकती है। यदि पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो मामले को या तो न्यायालय को वापिस भेज दिया जाता है या पक्षकारों को उपचार के लिए न्यायालय में जाने की सलाह दी जाती है। इस कमी को दूर करने क लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में एक नया अध्याय जोड़ने का विनिश्चय किया गया है, जो परिवहन (वायुमार्ग, सड़क, जलमार्ग), डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन, विद्युत, जल, स्वच्छता, अस्पातल और बीमा जैसी लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के सुलह और समझौते के लिए अनिवार्य मुकदमा-पूर्व तंत्र उपलब्ध कराने के लिए स्थायी लोक अदालतों के गठन को सुकर बनाएगा। इस आशय का एक विधेयक लोग सभा में पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है। पारित किए जाने पर यह विधेयक, यथास्थिति, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसे स्थानों में और उतनी संख्या में स्थायी लोक अदालतें स्थापित करने के लिए समर्थ बनाएगा, जितनी लोक अदालतों को, समय-समय पर यथाआवश्यक एक या अधिक लोक उपयोगिता सेवाओं की बाबत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए समीचीन हों। लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए यह भी प्रस्ताव किया गया है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा किसी मुलवाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। लोक अदालतों की अधिकारिता 10 लाख रुपए के धनीय मूल्य वाले मामलों तक सीमित होगी। विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 के, खंड 22ग के अधीन सरकार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से दस लाख रुपए की सीमा को बढ़ाने की शक्ति है।

(ग) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में कितनी कमी होगी।

[हिन्दी]

समाचार-पत्रों का पंजीयन

6523. **श्री रामशकल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी, अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीयन कराने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान और आज की तारीख तक, वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने आवेदन पत्र लंबित हैं/मंजूर किये गये;

(ग) शेष लंबित आवेदनों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन समाचार-पत्रों के पंजीयन हेतु क्या मानदंड तय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क में कमी

6524. **श्री राजो सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र से नियंत्रित मूल्य-प्रणाली को समाप्त करने के पश्चात् उन पर शुल्क में कमी से संबंधित समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या-क्या मतभेद सामने आए हैं और इनका समाधान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्कों में कमी करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

साग-वृक्षों के रोपण से आकर्षक लाभ

6525. **श्री दिलीप संघाणी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई बागान और वित्तीय कम्पनियों ने गुजरात में साग-वृक्षों के रोपण पर आकर्षक लाभ देने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कम्पनियां या तो बन्द हो गई हैं या निष्क्रिय पड़ी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पद-आधारित रोस्टर

6526. **श्री एन०टी० चणमुगम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन करने की दृष्टि से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 1997 से 'रिक्ति-आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद-आधारित रोस्टर' प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या 'रिक्ति-आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद-आधारित रोस्टर' जारी करते समय रेल मंत्रालय सभी स्वायत्तशासी/वैधानिक संगठनों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली सेवा-श्रेणियों I, II, III और IV के पदों को अत्याधिकता/कमी, यदि कोई हो को चिन्हित करने की प्रक्रिया, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 2 जुलाई, 1997 के का०ज्ञा०सं० 36012/96-स्था (आ०) में यथा निर्धारितानुसार पूरी की गई थी;

(घ) यदि हां, तो सभी सेवा श्रेणियों में पाई गई अत्याधिकता/कमी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो 'रिक्ति-आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद-आधारित रोस्टर' को उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन में यथा निर्धारितानुसार अत्यधिकता/कमी को चिन्हित करने की प्रक्रिया अपनाए बगैर ही जारी किया गया; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 2.7.1997 के का०ज्ञा० के अंतर्गत 'रिक्ति आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' की शुरूआत की है ताकि आरक्षण आरक्षण नीति को आर०के० सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य तथा जे०सी० मलिक बनाम रेल मंत्रालय के मुकदमें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप बनाया जा सके।

(ग) जे०सी० मलिक के मुकदमें में जिसमें रेल मंत्रालय पक्षकार था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रेल मंत्रालय को आर०के० सब्बरवाल के मुकदमें में न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दिया था जिसमें उल्लेख है कि आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत (अ०जा० के 15% अ०ज०जा० के लिए 7.5% और अपिव के लिए 27%) प्राप्त होने तक रिक्ति आधारित रोस्टर जारी रहेगा, एक बार यह हासिल हो जाने पर रिक्ति आधारित रोस्टर का संचालन बंद हो जाएगा और उसके बाद प्रतिस्थापन के सिद्धांत का पालन किया जाना है ताकि निर्धारित प्रतिशत को कायम रखा जा सके। उपर्युक्त सिद्धांतों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% सीमा के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमने रोस्टर की व्यवस्था इस प्रकार करने का सफल प्रयास किया है कि वे संवर्ग पदों के आकार के समतुल्य हों, और रोस्टर प्वाइंटों की संख्या निर्धारित और इस प्रकार समान भाव से वितरित कर दी गई है कि आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत हासिल हो सके। इस सिद्धांत को हासिल करने के लिए 0.5 और इससे अधिक को एक पद माना गया है और 0.5 से कम को अनदेखा कर दिया गया है तथा इसे शून्य माना गया है। उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.8.1997 के पत्र के द्वारा जारी किए गए भर्ती और पदोन्नति कोटियों के समूह 'ग' और 'घ' के लिए सहित नमूना रोस्टरों सहित विस्तृत अनुदेशों से आर०के० सब्बरवाल के मुकदमें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। जहां तक समूह 'क' और समूह 'ख' का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि पदोन्नति कोटियों में समूह 'क' (कनिष्ठ वेतनमान) और समूह 'ख' में संवर्गों को अलग-अलग नहीं रखा जाता है क्योंकि सेवाओं के इन समूहों में पदों का अन्तर्बदल किया जाता है। इसलिए, पद आवंटित रोस्टर जो कि इन समूहों में संवर्ग संख्या के संबंध में तैयार किया जाता है, अपनाना व्यवहार्य नहीं है। इस संबंध में डी०ओ०पी० एण्ड टी० को यथा समय स्थिति से अवगत करा दिया गया था।

बहरहाल, समूह 'ख' और समूह 'क' के कनिष्ठ वेतनमान में भर्ती के मामलों में, जो कि केन्द्रीय रूप से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, डी०ओ०पी० एण्ड टी० द्वारा उनके दिनांक 2.7.1997 के कथित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अनुदेशों और नमूना रोस्टरों का पालन किया जा रहा है।

(घ) आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत अर्थात अ०जा० के 15% अ०ज०जा० के लिए 7.5% को ध्यान में रखते हुए 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार समूह 'क', 'ख' 'ग' और 'घ' में कर्मचारियों की कुल संख्या के संबंध में अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों की संपूर्ण कमी (प्रतिशत में) इस प्रकार है :–

सेवा समूह

	क	ख	ग	घ
अ०जा०	शून्य	1.67%	0.63%	शून्य
अ०ज०जा०	शून्य	2.38%	1.41%	0.42%

(ङ) और (च) भावी समायोजन के लिए किसी संवर्ग विशेष में कमी अथवा आधिक्य की पहचान के संबंध में डी०ओ०पी० एण्ड टी० के दिनांक 2.7.1997 के का०ज्ञा० की विषय सामग्री रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.8.1997 के पत्र में विस्तार से कही गई है ताकि इनका कड़ाई से अनुपालन हो।

गैंग कर्मचारी वृंद

6527. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुभेद्य स्थलों एवं पुलों की चौकसी करने और पहरा देने वाले गैंग कर्मचारीवृंदों को इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे रेल पटरी की सुरक्षा के संबंध में अनवरत निगरानी रखने हेतु गैंग कर्मचारीवृंद को बेतार दूरसंचार यंत्र उपलब्ध करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो गैंग कर्मचारीवृंद की बेहतर कार्यकुशलता हेतु उन्हें अन्य क्या सुविधाएं/उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) सभी गैंग कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनमें से किसी को भी आवश्यकता पड़ने पर गश्त के कार्य पर और भेद्य स्थानों पर तैनात किया जा सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) रेलपथ की खतरनाक स्थिति की पहचान/आशंका और रेलपथ की सुरक्षा के खतरे के मामले में गैंग कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण मुहैया कराने के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सुविधाएं/उपकरण भी मुहैया कराए जाते हैं :–

i. जहां कर्मचारी को व्यक्तिगत खतरे की आशंका हो, वहां अतिरिक्त गश्तकर्मी उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि गश्तकर्मी जोड़े में गश्त लगा सके।

ii. सुरक्षा प्रदान करने वाले कपड़े, टार्च लाइटें आदि उपलब्ध कराई जाती है।

उच्चतम-न्यायालय द्वारा दूसरी बार समीक्षा करने की कार्यविधि के बारे में हाल में दिया गया निर्णय

6528. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम-न्यायालय में हाल ही में दिए अपने एक निर्णय/आदेश में उस स्थिति में दूसरी बार समीक्षा करने की कार्य-विधि ऐसी दशा में विनिश्चित की है, जबकि व्यथित पक्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन होने को सिद्ध कर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होने के आधार पर न्याय चाहने का यह अतिरिक्त मांग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार का भारतीय दंड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने हेतु एक विधान लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर से दक्षिण तक के रेल मार्गों के बीच की दूरी

6529. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के रेल मार्गों के बीच की दूरी कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अस्त्र-शस्त्र विनिर्माण और रक्षागत व्यय में कमी

6530. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बजटीय घाटे, ऋणभार और गंभीर राजकोषीय समस्याओं के मद्देनजर सरकार का एक आर्थिक उपाय के रूप में, अस्त्र, शस्त्र विनिर्माण और रक्षागत व्यय में कमी लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जलसीमा में पाकिस्तानी जलपोत

6531. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 2002 के ''दि हिंदू'' समाचारपत्र में ''पाक शिप इन इण्डियन वाटर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) प्राप्त हुई आसूचना रिपोर्टों के अनुसार जलयान ''इब्राहमी'' का गंतव्य स्थान 30 मार्च, 2002 के बाद वेंगुरला (महाराष्ट्र) और गोवा के बीच कहीं था। तथापि, नौसेना और तटरक्षक द्वारा निगरानी उपाय किए जाने के बावजूद ऐसे किसी जलपोत का पता नहीं लगाया जा सका।

(ग) और (घ) नौसेना और तट रक्षक ने पश्चिमी समुद्र तट के निकट चौकसी बढ़ा दी है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में अ०जा०/अ०ज०जा० के रिक्त पद

6532. **श्री थामस हंसदा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बोकारो इस्पात संयंत्र में अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों के लिए आरक्षित खलासी के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इस श्रेणी के पदों को 1992 के दौरान भरा जाना था, जबकि इन्हें अभी तक नहीं भरा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रिक्तियों को कब तक भरे जाने का संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) 1.1.2002 की स्थिति के अनुसार पद आधारित रोस्टर के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र में खलासी के पद के लिए सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों में से 89 अनुसूचित जाति और शून्य अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ख) रिकार्ड के अनुसार 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के केवल दो पद बैकलाग थे। ये पद उसी वर्ष ही बाद के महीनों में भर लिए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आवश्यकतानुसार यदि कोई भर्ती होती है तो निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणी को दिए जाने वाले आरक्षण को ध्यान में रखा जाता है।

आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस में तत्काल सेवा

6533. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली अन्य रेलगाड़ियों में तत्काल सेवा का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) क्या सरकार बीमारी, मृत्यु आदि जैसी स्थिति में मानवता के आधार पर आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस में बर्थ जारी करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) दक्षिण की ओर जाने वाली निम्नलिखित गाड़ियां, जो देश के विभिन्न भागों से चलती हैं, में तत्काल आरक्षण सुविधा उपलब्ध है :–

1.	1013	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-कोयम्बतूर एक्सप्रेस
2.	1063	दादर-चेन्नै एक्सप्रेस
3.	2622	नई दिल्ली-चेन्नै तमिलनाडु एक्सप्रेस
4.	2841	हवड़ा-चेन्नै कोरोमण्डल एक्सप्रेस
5.	6003	हवड़ा-चेन्नै मेल
6.	6045	अहमदाबाद-चेन्नै नवजीवन एक्सप्रेस
7.	6345	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-त्रिवेन्द्रम नेत्रावती एक्सप्रेस
8.	6509	अजमेर-बेंगलूरू एक्सप्रेस
9.	7001	मुंबई सी०एस०टी०एम० – हैदराबाद हुसैनसागर एक्सप्रेस
10.	7031	मुंबई सी०एस०टी०एम० – हैदराबाद एक्सप्रेस

बहरहाल, यह सुविधा 2723/2724 आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस गाड़ी में उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) उच्च पदाधिकारी मांगपत्र धारकों, मंत्रियों, संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों, वी०आई०पी० और अन्य आपातकालीन मांगों को पूरा करने के लिए 2723/2724 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में आपातकालीन कोटे के रूप में सीमित संख्या में शायिका/सीटें निर्धारित की गई हैं। आपातकालीन कोटा को आवंटित करने के लिए उन यात्रियों के अनुरोधों पर विचार किया जाता है जिसके परिवार में सगे-संबंधियों की मृत्यु पर शोकप्रकट करने, बीमारी आदि की परिस्थितियों के कारण यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है।

तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल का आयात

6534. **श्री गंता श्रीनिवास राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2002 से नियंत्रित मूल्य प्रणाली के समाप्त होने के बाद सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां अपना कच्चा तेल स्वयं

आयात करने के लिये बाध्य होंगी और इस तरह की मुक्त बाजार वितरण प्रणाली के अंतर्गत बी०पी०सी०एल०, एच०पी०सी०एल० और आई०ओ०सी०एल० अब अपने कार्गों के परिवहन के लिये भारतीय नौवहन निगम पर आश्रित नहीं रहेंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) कच्चे तेल का आयात 1.4.2001 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। वर्तमान नीति में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने मई, 2001 में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों को वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस नीति के तहत स्वत: अथवा आई०ओ०सी०एल० के माध्यम से अपनी कच्चे तेल की जरूरत के लिए आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तद्नुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनी विशेष को कच्चा तेल जुटाने के लिए अपनी निजी व्यवस्थायें करनी हैं। वर्तमान नीति के अनुसार कच्चे तेल के लिए आयात संविदाओं को एफ०ओ०बी०/एफ०ए०एस० आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है तथा पोतपरिवहन व्यवस्थायें जहाजरानी मंत्रालय की चार्टरिंग विंग के माध्यम से की जाती हैं।

विमान चालकों को प्रशिक्षण

6535. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना उन्नत जेट प्रशिक्षक के अभाव में अपने लड़ाकू विमान चालकों को प्रशिक्षण देने में समस्या का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने विमान चालकों को प्रति वर्ष कुछ अवधि के लिये इंग्लैण्ड भेजने पर विचार कर रही है ताकि वे वहां प्रशिक्षण ले सकें; और

(ग) यदि हां, तो मिग-21, रायल, एयर फोर्स हाक्स या इस्करा या किरन ट्रेनर स्टेट II आदि के प्रशिक्षण समेत इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों का प्रयोग कर रही है। इनमें से अधिकांश विमान निकट भविष्य में अपना कुल तकनीकी सेवा काल पूरा कर रहे हैं। अत: सरकार एक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान अधिप्राप्त करने की योजना बना रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय वायुसेना मिग-21 विमानों पर प्रशिक्षण दिए जाने से पूर्व लड़ाकू प्रशिक्षण विमानों के रूप में मुख्य रूप से इस्करा और किरण विमानों का इस्तेमाल कर रही है।

केलट्रान के साथ खरीद समझौता

6536. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०आर०डी०ओ० ने केलट्रान, केरल के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के साथ कोई खरीद समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की दो प्रयोगशालाओं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलूर तथा डिफेंस रिसर्च एंड डेवेलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ग्वालियर द्वारा केलट्रान के साथ करार किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलेपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा कंप्यूटर-प्रणालियों पर 45000/-रु० तथा करों का अनुरक्षण संविदा करार किया गया है जबकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवेलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा 95000/-रु० मूल्य के एक हजार क्रिस्टलों का आपूर्ति आदेश दिया गया है।

[हिन्दी]

ओ०एन०जी०सी० द्वारा किराये पर वाहन लिये जाने के लिये निविदा

6537. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओ०एन०जी०सी० द्वारा किराये पर वाहन लिये जाने संबंधी, निविदा में वर्णित निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या देश भर में इन निबंधन और शर्तों में एकरूपता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन निबंधन और शर्तों के कारण जोधपुर में आम लोग निविदा में हिस्सा नहीं ले सके और केवल एक ही व्यक्ति ने निविदा प्रस्तुत की;

(ङ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक हित में निविदा की निबंधन और शर्तों में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि० ने सूचित किया है कि इसके द्वारा वाहनों के भाड़े पर लेने के लिए निविदाओं में शामिल निबंधन और शर्तें व्यापकत: परिवहन वाहनों/उपस्करों के भाड़े पर लेने के लिए ओ०एन०जी०सी० संहिता में अंतर्निहित दिशानिर्देशों और अनुदेशों पर आधारित हैं। ओ०एन०जी०सी० ने यह भी सूचित

किया है कि इसके अतिरिक्त मुख्यालय एजेंसियों द्वारा इस विषय पर जारी किए गए अनुदेश भी समय-समय पर ऐसी निविदाओं में शामिल किए गए हैं और यह कि इस प्रकार निबंधनों और शर्तों एवं उन पर अनुदेशों में एकरूपता है। पूर्वोक्त संहिता में अवार्ड किए जाने की विधि, समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के विज्ञापन, जमानती धनराशि निक्षेप/बोली बंध पत्र, निविदा भरने के लिए निविदादाताओं के लिए अनुदेशों, निविदा की सामान्य शर्तों और निबंधनों, बोली मूल्यांकन मानदंडों और निविदाओं के मूल्यांकन, संविधा का क्षेत्र, संविधा की अवधि, प्रचालन के निबंधनों और शर्तों, जमानती जमा राशि और सांविधिक बाध्यताओं जैसे निविदाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं पर दिशानिर्देश और अनुदेश शामिल हैं।

(घ) ओ०एन०जी०सी० ने रिपोर्ट भेजी है कि जोधपुर में निविदाएं निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार आमंत्रित की गई थीं। चार पक्षकारों में से जिन्होंने निविदा के लिए आवेदन किया था, केवल एक पक्षकार ने समय पर निविदा प्रस्तुत की और बाकी तीन ने निविदा बंद होने की तारीख की समाप्ति के बाद आवेदन किया।

(ङ) और (च) नवरत्न दर्जे के तहत ओ०एन०जी०सी० को कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं और इसीलिए ऐसे निविदा देने संबंधी मामलों पर निर्णय इसके द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सी०एन०जी० केन्द्र

6538. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांद्रा कुर्ला परिसर, मुंबई में सी०एन०जी० बिक्री केन्द्रों की कमी के कारण सी०एन०जी० भराई केन्द्रों पर प्रतीक्षा अवधि को कम करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो बांद्रा कुर्ला परिसर और सेन्ट्रल मुंबई तथा मुंबई उपनगर में अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है और सी०एन०जी० की आवश्यकता के संबंध में मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो भराई केन्द्रों की संख्या क्या है और किन स्थानों पर इनकी स्थापना का प्रस्ताव है;

(घ) इनका कार्य पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) प्रत्येक भराई केन्द्र की भराई क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) महानगर गैस लिमिटेड ने बिक्री केन्द्र पर संपीड़न क्षमता दुगुनी कर दी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एम०जी०एल० जून, 2003 तक कुल 45 सी०एन०जी० बिक्री केन्द्रों को प्रगामी रूप से स्थापित कर रहा है जिसमें से लगभग 21 सी०एन०जी० बिक्री केन्द्र नगर में होंगे और बाकी उपनगरों में होंगे।

(ङ) प्रत्येक सी०एन०जी० बिक्री विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1000 वाहनों की मांग को पूरा करता है।

होम्योपैथी और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग

6539. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरीर क्रिया विज्ञान और संबद्ध विज्ञानों के रक्षा संस्थान ने अधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों जैसे ''फ्रास्ट बाइट'' से मुकाबला करने के लिये होम्योपैथी और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के प्रयोग की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सुझाव का क्रियान्वयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का सैनिकों के लिये शुद्ध होम्योपैथिक दवाओं की किस तरीके से खरीद करने का विचार है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि ऐसे मामलों में चिकित्सा प्राधिकारी उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का ही प्रयोग करें ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य संबंध

6540. **श्री अनन्त नायक :**
डा० अशोक पटेल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य संबंध स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों ने इस उद्देश्य के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार का दक्षिण कोरिया के साथ उच्च स्तरीय दौरों, नौसेना पोतों के नियमित

दौरों तथा एक-दूसरे के देशों में प्रशिक्षण संस्थानों में आपसी आवागमन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को बनाए रखने और उनमें बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है।

सी०एन०सी० चकर मशीन

6541. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1998 की रिपोर्ट संख्या-9 की पृष्ठ संख्या 141 में दर्शाया है कि नवम्बर 1989, मार्च और जून, 1990 में 1.15 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई सी०एन०सी० चकर मशीने क्रमश फरवरी और अगस्त, 1991 में स्थापित की गई थी जो अनुत्पादक साबित हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने मामले की यथातथ्यता की जांच की है और मशीन खरीदने के दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) क्या सुसिद्ध निश्चित कार्यनिष्पादन के बिना 35 लाख रुपए की लागत से फ्लैश आफ बूथ एण्ड इन्फ्रा रेड ड्राइंग ओवन की खरीद की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त मशीन की खरीद के क्या कारण थे और सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या गत तीन से पांच वर्षों के दौरान पूर्व रेलवे में स्टोर मदों की खरीद में काफी भ्रष्टाचार रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1996-97 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 3 सी०एन०सी० चकर मशीनें आरंभ होने से लगभग 4 से 5 वर्षों के पश्चात् खराब हो गई थी। जब ये मशीनें ठीक ढंग से कार्य कर रही थी तो उस दौरान उनका उत्पादकता संबंधी उपयोग किया गया था। बहरहाल, मशीनों के बंद पड़ने की अवधि मुख्यत: इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली में खराबी आने के कारण अधिक थी, जिसे ठीक करना रेलों के नियंत्रण में नहीं था। ऐसी खराबी में मूल रूप से उपकरण के निर्माता द्वारा मरम्मत की व्यवस्था की जानी अपेक्षित थी जिसमें कुछ समय लगा। मुख्य कारखाना प्रबंधकों को तत्पश्चात् मूल उपस्कर निर्माताओं की सहायता से मशीनों की मरम्मत कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्रदान कर दी गई थी।

(ख) उपरोक्त (क) की टिप्पणी के दृष्टिगत, उपकरणों की खरीद के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) फ्लैश ऑफ बूथ और इन्फ्रा-रैड ड्राइंग ओवन को परम्परागत रूप से निर्मित होना था और इसलिए यह आवश्यक नहीं था कि आपूर्तिकर्ता द्वारा इसी प्रकार का संयंत्र निर्मित पहले किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार के संयंत्रों के संदर्भ में अर्थात जिनमें इसी प्रकार की इंजीनियरिंग की आवश्यकता थी उन्हें फर्म द्वारा सप्लाई किया जाना था, जिसका ब्यौरा आपूर्तिकर्ता द्वारा रेलों को उपलब्ध कराया गया था। संविदा को अन्तिम रूप दिए जाने के समय इनमें से 8 संयंत्र तीन वर्षों तक परिचालन में थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को रेल मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्रवाई संबंधी नोट के जरिए इन तथ्यों से अवगत करा दिया गया था, जिसे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संतोषजनक रूप से स्वीकार किया गया था।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर के दृष्टिगत, ऐसी किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) और (च) जी, नहीं, बहरहाल, भंडारों की खरीद के क्षेत्र में समय-समय पर नियमित जांचे आयोजित की जाती हैं और जहां आवश्यक होता है वहां अनियमितताओं/चूक करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

मिलावट रोधी प्रकोष्ठ की शक्तियां

6542. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ को किन धाराओं के अंतर्गत छापा मारने की शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या इस प्रकोष्ठ का गठन केवल संबंधित कंपनी के डिपो, डीलरों, वितरकों और तेल चयन बोर्डों की जांच करने और वहां छापा मारने के लिये किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या अधिकारियों को पारदर्शिता बनाये रखने और विधिक शिकायतों से बचने के लिये अपने आवागमन की सूचना दर्ज करनी होती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी निम्न नियंत्रण आदेशों के तहत छापा मारने के लिए प्राधिकृत है :

(1) नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण), आदेश, 2000।

(2) विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण), आदेश, 2000।

(3) पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव), आदेश, 1999।

(4) मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार का निवारण) आदेश, 1998।

(5) केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993।

(6) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000।

(7) स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987।

इन शक्तियों में (1) नापथा (2) विलायक, रैफिनेट और स्लाप (3) मोटर स्पिरिट (एम०एस०)/हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) (4) मिट्टी तेल (5) एल०पी०जी० (6) स्नेहक तेल और ग्रीसों (7) कच्चे तेल के व्यवसाय में उपयोग किए जा रहे या उपयोग किए जाने का संदेह होने वाले वाहनों, स्थानो और परिसरों की तलाशी लेना और जब्त करना, निरीक्षण सम्मिलित हैं जिनके संबंध में यह यकीन करने का कारण है कि उपरिवर्णित नियंत्रण आदेशों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है/किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है।

(ग) और (घ) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ के जांच अधिकारियों को महानिदेशक या क्षेत्रीय निदेशकों को अपने कार्य के बारे में सूचित रखना होता है। तथापि सूचना के संभावित रूप से प्रकट होने को रोकने और निरीक्षण मं औचक घटक को सम्मिलित करने के लिए कार्य को औपचारिक रूप से दर्ज करने पर जोर नहीं दिया जाता है। जांच अधिकारी उपरिवर्णित नियंत्रण आदेशों के तहत अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं। इसलिए अवैधता का प्रश्न नहीं उठता है।

अमरीका द्वारा भारतीय इस्पात पर लेबी लगाया जाना

6543. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने अन्ततः भारतीय इस्पात पर लेबी शुल्क लगाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कदम के विरुद्ध भारतीय प्रतिनिधिमंडलों की लॉबियां विफल हो गई है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय इस्पात पर लेबी शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले से भारतीय इस्पात निर्यातकों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या इस फैसले से भारत की इस्पात कंपनियां अपने उत्पादन में कमी करने हेतु बाध्य होंगी;

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक उत्पादन में कमी आयेगी;

(च) क्या किसी विकल्प पर विचार किया जा सकता है; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उत्पादन में कटौती न करने में इस्पात कंपनियों की सहायता हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) कार्बन फ्लेंज की श्रेणी को छोड़कर विभिन्न श्रेणियों के इस्पात के आयात के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित सुरक्षात्मक उपायों के दायरे से भारत को बाहर रखा गया है। भारत को इन उपायों के दायरे से बाहर रखा जाना मुख्यत: जनवरी, 2002 में अमरीका का दौरा करने वाले उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिध मंडल के प्रयासों से संभव हुआ है। प्रतिनिध मंडल ने अमरीकी प्राधिकारियों को आश्वस्त किया कि भारत से किया जाने वाला निर्यात अमरीकी बाजार हिस्से के 3% से अधिक नहीं है और कुल मिलाकर विकासशील देशों द्वारा किया जाने वाला निर्यात अमरीकी बाजार हिस्से के 9% से अधिक नहीं है। अत: भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार भारत को सुरक्षात्मक उपायों के दायरे से बाहर रखने की अपील की। हमारे द्वारा अमरीका को कार्बन फ्लेंज का किया जाने वाला निर्यात अधिक नहीं है। अत: अमरीका के लेबी शुल्क लगाने के निर्णय का भारतीय इस्पात निर्यातकों पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

(घ) से (छ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों के साथ दृश्य-श्रव्य माध्यमों के संबंध में संधियां

6544. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एनिमेशन कारोबार को और बढ़ावा देने के लिये विदेशों के साथ दृश्य-श्रव्य माध्यमों के संबंध में संधियों पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु किन देशों के नाम पर विचार किया जा रहा है;

(ग) इन संधियों हेतु किन निबंधन और शर्तों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) उक्त देशों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कनाडा सरकार के साथ दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण करार करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो इस समय मसौदा स्तर पर है।

टी०वी० धारावाहिकों की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया

6545. श्री सुकदेव पासवान :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी०वी० धारावाहिकों को स्वीकृति देने के लिये अपनाये जाने वाले मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टी०वी० धारावाहिकों को स्वीकृति देने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं जानकारी में आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दोषी लोगों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा टी०वी० धारावाहिकों की स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रायोजित एवं कमीशंड श्रेणियों के अंतर्गत दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले टी०वी० धारावाहिकों के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए अलग से मार्गनिर्देश हैं। प्रायोजित धारावाहिकों संबंधी प्रस्तावों पर पहले मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाता है जो प्रस्तावों की विस्तार से जांच करती है। मूल्यांकन समिति द्वारा सिफारिश किए गए धारावाहिकों को चयन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न क्षेत्र के बाह्य विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है।

कमीशंड धारावाहिकों के प्रस्तावों का पहले मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है इसमें दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न क्षेत्र के बाह्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं उसके बाद चुने गये कार्यक्रमों को अंतिम निर्णय के लिए लागत निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरर्शन द्वारा दिशा-निर्देशों का कड़ाई पूर्वक पालन किया जाता है। धारावाहिकों के चयन सहित दूरदर्शन के कार्यक्रम सम्बन्धी मामले प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो इस बारे में अंतिम निर्णय लेने में सक्षम हैं, के कार्यक्षेत्र में धारावाहिकों का चयन शामिल है जब भी सीधे अथवा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के जरिए अनियमितता की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो उन्हें उपयुक्त कार्यवाही के लिए प्रसार भारती के ध्यान में लाया जाता है।

(घ) बदलती हुई कार्यक्रम आवश्यकता और पारदर्शी ढंग से कार्यक्रमों/धारावाहिकों के चयन/अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रसार भारती द्वारा कार्यक्रमों के चयन संबंधी दिशा-निर्देशों की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है और इन्हें संशोधित किया जाता है।

अन्तर्राज्यीय विवाद

6546. कर्नल (सेवनिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश जलविद्युत परियोजनायें अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण विलंबित हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस देरी से जल विद्युत परियोजनाओं और हाइड्रो थर्मल मिक्स के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो ताप विद्युत परियोजनाओं के मुकाबले जल विद्युत संयंत्रों की अधिक उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से जल विद्युत उर्जा के बंटवारे के लिये अंतर्राज्यीय विवादों के निपटान हेतु न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है और इस तरह के न्यायाधिकरण की कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। अंत:राज्जीय विवादों के कारण कुछ आकर्षक एवं व्यवहार्य जल विद्युत परियोजनाओं का विकास रुक गया है।

(ग) विद्युत परियोजनाओं, खासकर जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन लागत परियोजना विशिष्ट है। विद्युत उत्पादन की त्वरित लागत की कोई संकल्पना नहीं है।

(घ) और (ङ) रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र के लिए कूलिंग वाटर की आपूर्ति के संबंध में राजस्थान, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों, पंजाब के राज्यपाल एवं भारत सरकार के बीच 10.5.1984 को हस्ताक्षरित समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ आनंदपुर साहिब, मुकेरियन, थेन बांध (रंजीत सागर), ऊपरी बारी दाओब नहर (यू०बी०डी०सी०) चरण-2 एवं शाहपुरकंडी नामक पांच परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन में से हरियाणा राजस्थान द्वारा दावा किए गए हिस्से पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले को रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी मामले को उच्चतम न्यायालय नहीं ले जाया गया है। मामले पर अक्टूबर, 1997 एवं फरवरी, 1999 को आयोजित नार्दर्न जोनल काउन्सिल की बैठकों में चर्चा की गई। तत्पश्चात मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित किए जाने के आलोक में एक शासकीय बैठक आयोजित की गई।

रक्षा कर्मियों की शिकायतें

6547. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनहोंने सैन्य बल कर्मियों/भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों और मांगों की जांच हेतु पिछले वर्ष जुलाई में एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या रिपोर्ट तीन महीने में सौंपी जानी थी;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में छह राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय वित्त मंत्री को सदस्यों के रूप में शामिल करके 3 अगस्त, 1999 को एक समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति के विचारणीय विषय जवानों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु एक समान नीति तैयार करना है।

इस समिति को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करनी थी। तथापि, सत्ता में परिवर्तन आदि जैसे कई अप्रत्याशित राजनैतिक घटनाक्रमों के कारण ऐसा नहीं हो पाया।

भूतपूर्व सैनिकों के संघों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जब भी मांग उठाई जाती है तो उन पर सेना मुख्यालय तथा अन्य संबंध विभागों से परामर्श करके विचार किया जाता है तथा शिकायतों को दूर करने के लिए, प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य, समुचित कदम उठाए जाते हैं।

घायल सैनिकों के लिये कल्याणकारी योजना

6548. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 2002 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''हीलिंग टच, हील्स व्हाट इवेन टाइम कैन नॉट'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घायल हुये सैनिकों के कल्याण के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्तमान में घायल सैनिकों के कल्याण के लिये कितनी योजनायें चलाई जा रही हैं और इनसे कितने घायल सैनिक लाभान्वित हुये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) 18 मई, 2002 के हिन्दुस्तान टाइम्स में ''हीलिंग टच'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार एक योजना के बारे में है जिसके अंतर्गत गावों में रहने वाले घायल और सेवा निवृत्त सैनिकों को विभिन्न निजी कंपनियों के उत्पादों के लिए डीलर/एजेंट/मार्केटिंग कोआर्डिनेटर बनाया जाएगा। सरकार इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो निशक्त लोगों के कल्याण के लिए प्रमुख मंत्रालय है, के पास भूतपूर्व सैनिकों सहित सभी निशक्त व्यक्तियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम तथा योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे रक्षा कार्मिक जो सैन्य सेवा के कारण युद्ध या शांति काल में निशक्त हो गए हैं तथा सिविल नौकरियों के लिए फिट हैं, प्राथमिकता-। पर या समूह 'ग' और 'घ' पदों पर नौकरी के लिए पात्र हैं जिसके लिए भर्ती रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से की जाती है।

रक्षा मंत्रालय में पास भी निशक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास की योजनाएं हैं। कृत्रिम अंग केन्द्र निशक्त सैनिकों को कृत्रिम अंग प्रदान कर रहें हैं। वे छोटे/लघु उद्योग, लघु सेवा उद्यम स्थापित करने, कृषि एवं कृषि से संबद्ध कार्यकलाप चलाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए स्व-रोजगार योजनाओं के अंतर्गत उदारीकृत शर्तों पर ऋण सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पुणे का एक निजी धर्मार्थ संस्थान क्वीन मेरी टेक्नीकल इंस्टियूट निशक्त भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास सुविधाजनक बनाने के लिए उनके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। इनके अतिरिक्त, पैराप्लेजिक एवं टेट्राप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए खड़की तथा मोहाली में पैराप्लेजिक होम चलाए जा रहे हैं।

ऐसे घायल सैनिकों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से मानीटर नहीं की जाती है तो विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।

[हिन्दी]

फिरोजपुर-धनबाद एक्सप्रेस में बम विस्फोट

6549. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मार्च, 2002 को लुधियाना-अम्बाला मार्ग पर दोराहा स्टेशन के निकट फिरोजपुर-धनबाद एक्सप्रेस के एक डिब्बे में बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए; और

(ग) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाये गये है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां। अंबाला-लुधियाना खंड

के बीच दोहरा रेलवे स्टेशन के नजदीक 3308 डाउन गंगा सतलज एक्सप्रेस गाड़ी के कोच सं० ई०आर०जी०एस० 92414 में 13.3.2002 को एक विस्फोट हुआ था, न कि 14.3.2002 को।

(ख) इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति मारे गए थे और 27 व्यक्तियों को चोटें आई थीं।

(ग) यद्यपि चलती गाड़ियों सहित रेलों पर कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर भी राज्य सरकारों के प्रयासों में मजबूती लाने के लिए रेल प्रशासन ने निम्न लिखित कदम उठए हैं :–

1. रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल परिसरों तथा गाड़ियों से असामाजिक तत्वों को हटाया जाता है।

2. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सचेत रहने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली और सी०सी०टी०वी० द्वारा ऐलान किया जाता है।

3. क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर रेल प्रबंधकों, रे०सु०ब० अधिकारियों तथा राज्य के पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बैठकें आयोजित की जाती है। रेलवे बोर्ड के स्तर पर भी बैठकें आयोजित की जाती है।

4. रे०सु०ब० अधिकारी, रा०रे०पु० तथा सिविल पुलिस के समकक्ष अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

5. रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के बीच सभी स्तरों पर विशेष आसूचना और आपराधिक आसूचना का आदान प्रदान किया जाता है।

6. रेलवे पर सक्रिय असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए रा०रे०पु० तथा रे०सु०ब० ने संयुक्त रणनीति बनायी है।

7. रेलवे प्लेटफार्मों, यार्ड इत्यादि पर विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए जहां कहीं संभव होता है, रे०सु०ब० के श्वान दस्तों की तैनाती की जाती है। विस्फोटक सामग्रियों की पहचान करने तथा पता लगाने के लिए रे०सु०ब० कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रेलवे के 150 वर्ष

6550. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्रीमती कैलाशो देवी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य भागों में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर रेल यात्रियों, जनसाधारण और प्रेस की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इन 150 वर्षों के दौरान भारतीय रेल की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस अवसर पर नई सुविधाएं प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) 16 अप्रैल, 2002 को भारत में रेलवे ने राष्ट्र की सेवा के 150 वें वर्ष में प्रवेश किया है। यह हर्ष और पूरे देश में सभी क्षेत्रों के रेल उपयोगकर्ताओं के लिए गर्व का अवसर है, रेल मंत्रालय ने इस वर्ष के दौरान सम्पूर्ण भारतीय रेलों पर विभिन्न कार्यक्रम आरंभ करने का विनिश्चय किया है।

(ख) 150वें वर्ष की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में फेयरी क्वीन की विशेष पारी चलाने के अतिरिक्त समारोह के लिए अभिकल्पिक एक शुभंकर और विशेष 'लोगो' जारी किया। 16 अप्रैल, 2002 को मुम्बई में आयोजित समारोह में प्रथम जन शताब्दी ,गाड़ी चलाई गई, एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और भारत में प्रथम रेलगाड़ी के चलने की स्मृति में भाप इंजन की एक विशेष विंटेज गाड़ी (मुंबई से थाणे के बीच) चलाई गई थी। इसके अतिरिक्त, उसी दिन चेन्नै में जनता के लिए दूसरा रेल संग्रहालय भी खोला गया था। 17 अप्रैल, 2002 को हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के समीप बोलेराम रेलवे स्टेशन पर मेड़चाल वाला पुराना भाप इंजन 'रानी रूद्रमा' चलाया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, रेलटार्च रन, विश्व रेलवे खेल, रेलवे विज़न 2025 पर संगोष्ठी 'व्हील ट्रेन पर प्रदर्शनी' आदि जैसी अनेक अन्य गति-विधियां आरंभ करने की योजना बनाई गई है।

(ग) अभी तक प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है।

(घ) अप्रैल, 1853 में केवल 21 मील की लंबाई से आरंभ होकर अब यह रेल नेटवर्क 63,028 मार्ग कि०मी० तक फैल गया है। जिसमें 6853 रेलवे स्टेशनों की सहायता से देश के कोने-कोने को जोड़ा है। भाप इंजनों का युग अब बिजली व डीज़ल कर्षण वाले तीव्र इंजनों में बदल गया हे। फिलहाल, रेलें प्रतिदिन 14322 गाड़ियां चला रही हैं, 13.3 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराती है और 1.38 मिलियन टन माल की ढुलाई करती है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के द्वारा रेलवे ने विभिन्न उपकरणों के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। पटरियों से लेकर सवारी डिब्बों और इंजनों का निर्माण देश में ही होता है। ये उदाहरण स्वयं ही भारतीय रेलों की उपलब्धता के द्योतक हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) आरंभ की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है – 16 नई इंटर-सिटी (जन शताब्दी एक्सप्रेस) आरंभ करना, कम्प्यूटर आधारित अनारक्षित टिकट प्रणाली के लिए पायलट परियोजना, सभी जिला मुख्यालयों के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली के केन्द्र; 'रेल नीर' के नाम से पेय जल के पैकेज के लिए संयंत्र की स्थापना, विभिन्न स्टेशनों पर 50 फूड प्लाजा आरंभ करना, 25 अतिरिक्त गाड़ियां चलाना; 14 जोड़ी गाड़ियों के फेरे बढ़ाना और 16 सेवाओं में विस्तार करना आदि।

[अनुवाद]

भू-तापीय ऊर्जा की संभावना

6551. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भू-तापीय ऊर्जा की संभाव्यता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऊर्जा की संभाव्यता का कब तक पता लगा लिए जाने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा देश में विभिन्न स्थलों पर भूतापीय संभाव्यता का पता लगाने के लिए विभिन्न संगठनों नामत: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेल तथा प्राकृति गैस आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के माध्यम से अध्ययन कराए गए हैं। देश के विभिन्न भागों में 340 गर्म जल-स्रोतों की पहचान की गई है। इन गर्म जल-स्रोतों में से तत्तापानी भूतापीय फील्ड, छत्तीसगढ़ और पुगा भूतापीय फील्ड, जम्मू एवं कश्मीर में विद्युत उत्पादन की क्षमता मौजूद है। अन्य भूतापीय स्थलों में तापीय अनुप्रयोग की संभाव्यता है।

(ग) मंत्रालय द्वारा मनीकरण (हिमाचल प्रदेश) और लेह एवं लद्दाख में तापीय अनुप्रयोगों तथा विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा के उपयोग का प्रदर्शन किया गया है। मंत्रालय, दसवीं योजना अवधि में छत्तीसगढ़ में तत्तापानी भूतापीय फील्ड और जम्मू एवं कश्मीर में पुगा भूतापीय फील्ड के विद्युत उत्पादन के विकास को शुरू कर रहा है।

रूग्ण राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत संयंत्रों को बाधा पहुंचाना

6552. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
डा० रमेश चंद तोमर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मार्च, 2002 के "दि हिन्दू" में "सीक एस०ई० बीज़ हैम्पर पावर प्लांट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण विभिन्न विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों के परामर्श से विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण को रोकने हेतु एक रणनीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ई०एस०पी० के विस्तार/अधिष्ठापना और राख नियंत्रण प्रणाली तथा अन्य उपायों के जरिये ताप विद्युत संयंत्रों से धूल निस्तारण स्तर और अवशिष्ट पर नियंत्रण करके पर्यावरणीय दशाओं को सुधारने के लिए अपेक्षित उपस्करों का उचित रखरखाव स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा अन्य उन संयंत्र एवं उपस्करों के साथ किया जाना अपेक्षित है जिनके संबंध में उन्हें पर्याप्त वित्त पोषण उपलब्ध किया जाना अपेक्षित है।

8वीं योजना में चरण-II आर० एंड एम० कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान पर्यावरणीय नियंत्रण उपायों पर लगभग 280 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। पर्यावरण संबंधी कार्य 9वीं योजना अवधि के दौरान अन्य आर० एंड एम० कार्यों के साथ आरंभ किये गये थे।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) ने 10वीं योजना के दौरान आर० एंड एम०/जीवन विस्तार कार्यों को आरंभ करने के लिए 141 ताप विद्युत यूनिटों (16853 मेगावाट) को अभिज्ञात किया है। राज्य विद्युत बोर्डों (रा०वि०बो०)/विद्युत यूटीलिटियों द्वारा आर० एंड एम० स्कीमें तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जा रहा है। कि ई०एस०पी० की अधिष्ठापना/विस्तार, राख नियंत्रण प्रणाली और अन्य प्रदूषण नियंत्रण उपायों से संबंधित क्रियाकलापों को स्कीमों में शामिल किया गया है ताकि नवीनतम प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा किया जा सके। भारत सरकार ने पर्यावरणीय संबंधी कार्यों समेत ताप विद्युत स्टेशनों के आर० एंड एम० कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी०एफ०सी०) राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटीलिटियों को आर० एंड एम० स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

रिलायंस पेट्रोलियम के तेलशोधक कारखाने

6553. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम का तेलशोधक कारखाना कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसने कब से कार्य करना आरंभ किया था;

(ग) इसके उत्पादन शुरू करने के बाद इसने किन-किन उत्पादों का वर्षवार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का उत्पादन किया है;

(घ) क्या मैसर्स रिलायंस को भारी मात्रा में नाफ्था का आवंटन किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनको जारी किये गए कोटे की वर्षवार और आयतन-वार मात्रा कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) रिफाइनरी जुलाई, 1999 में चालू की गई थी।

(ग) कंपनी द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) फिलहाल नाफ्था के आबंटन के लिए कोई कोटा पद्धति नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम की रिफाइनरी द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन का ब्यौरा

उत्पाद	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	मात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रु०)	मात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रु०)	मात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रु०)
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस	0.7	946.0	1.9	3,297.9	2.4	3,421.4
नाफ्था	2.0	2,596.2	3.9	5,201.9	3.0	3,190.3
मोटर स्पिरिट	0.5	686.2	1.8	2,662.4	3.0	3,738.1
मिट्टी तेल	0.7	725.9	2.0	2,610.2	2.8	3,130.2
विमानन ईंधन (एटीएफ)	—	—	0.2	264.1	0.3	264.4
हाई स्पीड डीजल	4.3	5,035.9	9.7	13,358.4	10.6	12,199.4
हल्का डीजल तेल	—	—	नगण्य	0.6	0.4	524.6
भट्ठी तेल/कार्बन ब्लैक फीड स्टाक	—	—	नगण्य	14.1	नगण्य	36.2
पेट्रोलियम कोक	नगण्य	5.8	2.3	245.1	2.6	297.5
अन्य	0.3	712.9	1.7	3,589.2	2.5	5,514.7
योग	8.5	10,708.9	23.5	31,243.9	27.6	32,316.8

एमएमटी — मिलियन मीट्रिक टन

भारतीय रेल की खान-पान सेवा

6554. **श्रीमती रेणूका चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल की खान-पान सेवा को भारतीय रेल खान-पान सेवा और पर्यटन निगम को सौंपने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो लंबी दूरी की रेलगाड़ियों पर प्रमुख स्थायी खान-पान इकाइयों और रसोईयान के लिए ठेका देने हेतु क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) ऐसे ठेकों (होल्डिंग) की संख्या कितनी है जिसे किसी एक ठेकेदार अथवा कंपनी को प्रदान किया जा सकता है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय ठेकेदार और उनके सहयोगियों ने अपने अधीन सैकड़ों ठेके लेकर एकाधिकार स्थापित कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे के खान-पान व्यवसाय में एकाधिकार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) टू पैकेट सिस्टम के अंतर्गत ठेके प्रदान किए जा रहे हैं जिसमें पूर्व अर्हता वाले तकनीकी मानदंड और वित्तीय बोलियां शामिल हैं;

(ग) फिलहाल लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन चैनल

6555. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
डा० एन० वेंकटस्वामी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और उर्वरक पर राजसहायता को संसाधनों की कमी के कारण समाप्त किया जा रहा है जबकि दिनांक 4 अप्रैल, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में गवर्नमेंट प्लान्स रूपीज 600 करोड़ सब्सिडी टु इनक्रीज दूरदर्शन रीच'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 20 दूरदर्शन चैनलों को दिखाने के लिए 600 करोड़ रुपये अलग से रखने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा के यू बैंड डिकोडर्स पर 50 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करके किया जा रहा है;

(ग) क्या इस योजना पर योजना आयोग में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संचालन समूह में विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण लोगों को कितना लाभ मिलने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के लिए कैरिज एंड टेक्नोलोजी पर गठित उप कार्यदल ने आकलन किया था कि स्थलीय पद्धति में 100 प्रतिशत जनसंख्या तक दूरदर्शन कवरेज का विस्तार करने के लिए लगभग 3456 करोड़ रु० का खर्चा करना पड़ेगा। एक वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की जरिए परिवारों को सीधे अथवा केबल नेटवर्क के माध्यम से दूरदर्शन के मुक्त प्रसारण करने वाले चैनलों के लिए सीधे उपग्रह रिसेप्शन का प्रयोग करके के यू बैण्ड में कवर न किए गए क्षेत्रों में कवरेज उपलब्ध करायी जा सकती है इस प्रौद्योगिकी विकल्प की लागत लगभग 638 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

आई०पी०सी०एल० का अधिग्रहण

6556. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ तेल कंपनियां इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आई०पी०सी०एल०) का अधिग्रहण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन तेल कंपनियों को इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आई०पी०सी०एल०) का प्रबंधन सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) कार्यनीतिक बिक्री के माध्यम से आई०पी०सी०एल० के अंतर्गत 26 प्रतिशत सरकारी समांशता साझेदारी के विनिवेश की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। बोली सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र कंपनियों, दोनों के लिए ही, खुली थी। कार्यनीतिक साझेदार का चयन किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया के पूरा होने पर प्रबंधन हस्तांतरित किया जाएगा।

आयुध कारखानों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6557. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में कार्यरत पांच लाख से ज्यादा सिविल कर्मचारी 23 अप्रैल, 2002 से दो दिनों की हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षा कारखानों में कार्यरत इन कर्मचारियों की क्या मांगें हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाएं

6558. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कचरे से विद्युत उत्पादन हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से महाराष्ट्र और कर्नाटक में कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया गया है;

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं द्वारा कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने राज्य में कचरे से विद्युत उत्पादन हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कचरे से विद्युत उत्पादन हेतु क्या सहायता प्रदान की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) डिस्टलरी के अपशिष्ट पानी से उत्पादित बायोगैस से विद्युत के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में दो परियोजनाएं, प्रत्येक राज्य में एक-एक परियोजना, स्थापित की गई है।

(ख) महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में इन विद्युत परियोजनाओं से अब तक क्रमशः कुल लगभग 4.00 मिलियन और लगभग 0.9 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से प्राप्त अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव और उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में अपशिष्ट से विद्युत के उत्पादन के लिए परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता राशि क्रमशः 548.00 लाख रु० और 39.97 लाख रु० है।

विवरण

महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव और उनकी स्थिति

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	स्थिति	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम
1.	मैसर्स एमएसडब्लू पावर (इंडिया) द्वारा दिओनर, मुंबई, महाराष्ट्र में प्रतिदिन 1000 टन म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजना की संस्थापना।	12 मेगावाट	मंत्रालय में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।	प्रमोटर को विद्युत खरीद समझौते और आवश्यक कानूनी अनुमति प्राप्त करने की सलाह दी गई है।
2.	पटालगंगा रासयानी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नवीं मुंबई, महाराष्ट्र के लिए 200 केवीए विद्युत उत्पादन परियोजना की संस्थापना।	200 केवीए	मंत्रालय में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।	राज्य सरकार से बायोमैथेनेशन (ऊर्जा प्राप्ति) संघटक के लिए अनुरोध किया गया है क्योंकि यह सम्पूर्ण परियोजना का एक छोटा भाग है।
3.	बेल्लारी जिला, कर्नाटक में मैसर्स राजाभास्कर पावर जनरेशन लिमिटेड द्वारा मुर्गीपालन अपशिष्ट पर आधारित 6 मेवा० विद्युत उत्पादन संयंत्र की संस्थापना।	6 मेगावाट	मंत्रालय में केवल एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

फेसिंग आउट ऑफ डी०सी०ए० पैनल्टी

6559. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री मानसिंह पटेल :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15.4.2002 के 'दि इकोनॉमिक टाइम्स' की पृष्ठ संख्या 6 पर "100 फौरन कंपनीज टू फेस डी०सी०ए० पेनल्टी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्होंने कब से अपनी वार्षिक विवरणिका, तुलन पत्र और अन्य दस्तावेजों को कंपनी पंजीयक के पास दाखिल नहीं किया है; और

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 611 के अधीन इन कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) कुछ विदेशी कम्पनियों ने कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास सांविधिक दस्तावेजों (वार्षिक विवरणियों, तुलन पत्र तथा अन्य दस्तावेजों) को फाइल करने में हुई देरी के लिए क्षमा हेतु आवेदन किया था।

देरी में कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों तक का फेर है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 611 विदेशी कम्पनियों पर लागू नहीं होती।

[हिन्दी]

रूस द्वारा प्रशिक्षण हेतु अत्याधुनिक विमान का प्रस्ताव

6560. **डा० अशोक पटेल : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारतीय विमानचालकों को प्रशिक्षण देने हेतु अपने सर्वाधिक अत्याधुनिक मिग-80 विमान प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारतीय वायुसेना ने मिग-ए०टी० का मूल्यांकन किया है परंतु इसने उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित कतिपय अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं किया।

[अनुवाद]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा पूंजीगत व्यय कार्यक्रम

6561. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने आगामी तीन वर्षों हेतु 3500 करोड़ रुपये का एक बड़ा पूंजीगत व्यय कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (एच०बी०जे०) पाइपलाइन के विस्तार पर 2568 करोड़ रुपये खर्च करने पर सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पाइपलाइन के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की योजना जून, 2004 तक अभियांत्रिक समापन की व्यवस्था करते हुए 2936 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (एच०बी०जे०) पाइपलाइन का उन्नयन करने और दाहेज से विजयपुर तक पुन:गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए परियोजना को सितंबर, 2004 तक चालू करने की है।

विवरण

गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की क्रियान्वयनाधीन पाइपलाइन परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना विवरण	ब्यौरा	परियोजना की लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	**प्राकृतिक गैस/पुनरगैसीकृत एलपीजी पाइपलाइनें**		
1.	एचबीजे उन्नयन-दाहेज से वियपुर तक पाइपलाइन	42 इंच × 610 कि०मी०	2936.00
2.	कलोल रामोल (उत्तरी गुजरात)	12 इंच × 44 कि०मी०	49.75
3.	तातीपाका-के० चेवुरू जंकशन प्वाइंट (केजी बेसिन)	18 इंच × 45 कि०मी०	85.40
4.	एण्डामारू-ओडुरू जंकशन प्वाइंट (केसी बेसिन)	8 इंच × 6 कि०मी०	5.70
5.	के० चेवरू जंकशन प्वाइंट से काकीनाडा जंकशन प्वाइंट (केजी बेसिन)	18 फीट × 10.3 कि०मी० और 20 इंच × 19.8 कि०मी०	46.47
6.	एसबी3-कोणसीमा विद्युत संयंत्र (केसी बेसिन)	10 इंच × 27 कि०मी०	26.90
7.	केसनापल्ले (वेस्ट) पोन्नामाण्डा (केजी बेसिन)	14 इंच × 4.5 कि०मी०	6.17

1	2	3	4
8.	आडाविपलेम-काडाली (केजी बेसिन)	10 इंच × 10.5 कि०मी०	9.26
9.	काडाली-तातीपाका (केजी बेसिन)	16 इंच × 5 कि०मी०	7.71
10.	पीपीएन विद्युत संयंत्र तक पाइपलाइन (कावेरी बेसिन)	18 इंच × 36 कि०मी०	48.51
11.	कावेरी बेसिन में छोटी पाइपलाइन	4 इंच से 12 इंच × 35 कि०मी०	19.37
12.	आगरा/फिरोजाबाद शहर गैस वितरण नेटवर्क उन्नयन	2 इंच से 8 इंच × 30 कि०मी०	37.70
13.	अगरतला शहर गैस वितरण पाइपलाइन	4 इंच × 5 कि०मी०	2.00
14.	हरियाणा शीट्स तक पाइपलाइन (दक्षिणी गुजरात)	4 इंच × 15 कि०मी०	4.27
15.	नाहरकलर एंड केमीकल्स तक पाइपलाइन (दक्षिणी गुजरात)	4 इंच × 1 कि०मी०	0.47
16.	कृष्णा पेपर मिल्स तक पाइपलाइन (दिल्ली क्षेत्र)	3 इंच × 1 कि०मी०	0.70
	उपयोग (1)		3286.39
2.	एलपीजी पाइलाइनें		
1.	विजाग-सिकंदराबाद	12 इंच/10 इंच × 585 कि०मी०	490.65
2.	कांडला-समाखियाली	8 इंच × 63 कि०मी०	70.00
	उपयोग (2)		560.65
	योग (1+2)		3847.04

विशेष-कार्य हेतु हेलीकाप्टर की खरीद

6562. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री रामजी मांझी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना मुख्यालय द्वारा एक विदेशी विनिर्माता से 894.82 करोड़ रु० की लागत के नौ विशेष-कार्य करने वाले हालीकाप्टरों की खरीद की गई थी जिनमें लगी रडार-प्रौद्योगिकी 18 वर्ष पुरानी थी और जिनका पूर्ण रूप से परीक्षण नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या नौसेना मुख्यालय द्वारा इसके लिए चुकाई गई कीमत उसके द्वारा आकलित मूल्य से 56 प्रतिशत अधिक थी;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से अप्रचलित प्रौद्योगिकी वाले हेलीकाप्टरों की खरीद और उन पर इस प्रकार की निरर्थक व्यय किया गया;

(घ) क्या इन हेलीकाप्टरों की खरीद मंत्रालय द्वारा 1992 में विनिर्धारित खरीद प्रक्रिया के विपरीत की गई।

(ङ) यदि हां, तो क्या इस खरीद प्रकरण की विस्तृत जांच करने के प्रयोजन से इसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया था; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) सरकार ने नौसेना में शामिल किए जाने के लिए विमानधारित पूर्व चेतावनी क्षमता के साथ विशेष प्रयोजन वाले 9 हेलीकाप्टरों के अर्जन के लिए एक रूसी फर्म के साथ दो संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हेलीकाप्टरों का वर्ष 1996 में एक नौसेना दल द्वारा मूल्यांकन किया गया था तथा यह पाया गया था कि ये हेलीकाप्टर नौसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। इस रेडार में आधुनिक विशेषताएं हैं। संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले विधिवत् गठित मूल्य वार्ता समितियों द्वारा मूल्य तथा अन्य शर्तों और नियमों के बारे में वार्ता की गई थी।

इस मामले की केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच की गई है। अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में कतिपय टिप्पणियां केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले में आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है।

प्यारीय ऊर्जा की संभावना

6563. **श्री रमेश चेन्नितला :**
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) विशेषकर केरल और पश्चिम बंगाल में ज्वारीय टरबाइन से कितनी विद्युत क्षमता का सृजन किया गया है;

(घ) ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) राज्यों में इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) ज्वारीय विद्युत उत्पादन के लिए गुजरात में लगभग 3000 मेवा० के साथ कच्छ की खाड़ी और लगभग 12000 मेवा० के साथ काम्बे की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में गंगा का डेल्टा में लगभग 25 मेवा० ज्वारीय विद्युत संभाव्यता के साथ देश में तीन संभाव्यता वाले स्थल हैं।

(ख) और (ग) अब तक देश में किसी ज्वारीय विद्युत संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में दुर्गाद्वानी क्रीक में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 3 मेवा० क्षमता के ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए, एक संभाव्यता अध्ययन करने के पश्चात् पश्चिम बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, कोलकाता के माध्यम से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कार्रवाई है। इस स्थल पर कार्यकलापों पर 98.00 लाख रु० की राशि खर्च हुई है। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर, मंत्रालय द्वारा देश के पहले ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। इस परियोजना से प्राप्त अनुभव को देश में ज्वारीय विद्युत उत्पादन के लिए अन्य संभाव्य स्थलों के विकास हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

[हिन्दी]

टिकटों की वापसी और किराए की वापसी हेतु दावों से संबंधित नियमों में परिवर्तन

6564. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेल टिकटों की वापसी और किराए की वापसी हेतु दावों संबंधी नियमों में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेल टिकटों की वापसी और किराए की वापसी से संबंधित मौजूदा नियम क्या हैं;

(ग) क्या मौजूदा नियम के अनुसार वापस किए गए टिकट का किराया वापस किया जाता है;

(घ) गत छह महीनों के दौरान और आज तक ऐसे किराए की वापसी हेतु दावों की संख्या कितनी है और कितने मामलों का निपटान किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा वापस किये गए टिकटों के किराए की शीघ्र वापसी संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) 1.10.2001 से 31.3.2002 तक 6 महीनें के दौरान प्राप्त मामलों और निपटाए गए मामलों की अनुमानित संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

1.10.2001 को अथशेष	0.10 लाख
प्राप्त नए मामले	1.52 लाख
पुन: खोले गए मामलों की संख्या	0.05 लाख
निपटाए गए कुल मामलों की संख्या	1.67 लाख
निष्पादित किए गए मामले	1.61 लाख

(ङ) सामान्यत: कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से धन वापसी उसी समय प्रदान कर दी जाती है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्रबंधकों को धन वापसी के संबंध में स्वयं निर्णय लेने की विशेष शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं;

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खोज

6565. श्री वाई० जी० महाजन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की खोज करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अब तक क्या कार्य किए गए हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश भर में अपारंपरिक ऊर्जा के विकास और सवंर्धन के लिए सौर, पवन, लघु, पनबिजली तथा बायोमास जैसे मुख्य स्रोतों पर आधारित व्यापक श्रेणी के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। 31 मार्च, 2002 के अनुसार विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुमानित संभाव्यता तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा की खोज उपलब्ध सार्वजनिक तथा निजी दोनों वित्तीय संसाधनों और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए नियमित एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2002 के अनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा संभाव्यता और उपलब्धियां

स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता	उपलब्धि (31.03.2002 के अनुसार)
क. अक्षय स्रोतों से विद्युत		
1. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	–	1.90 मेवा०
2. पवन विद्युत	45,000 मेवा०	1617 मेवा०
3. लघु पन बिजली (25 मेगावाट तक)	15,000 मेवा०	1437.47 मेवा०
4. बायोमास सहउत्पादन विद्युत	19,500 मेवा०*	381.3 मेवा०
5. बायोमास गैसीफायर	–	51.3 मेवा०
6. अपशिष्ट से ऊर्जा की प्राप्ति	1,700 मेवा०	21.98 मेवा०
अक्षय स्रोतों से विद्युत (कुल)	81,200 मेवा०	3510.95 मेवा०
ख. विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियां		
7. परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	120 लाख	33.14 लाख
8. सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी संयंत्र	–	3790 सं०
9. उन्नत चूल्हा	12 करोड़	349.8 लाख
10. सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां	20 मेवा०/एसक्यू कि०मी०	
i. सौर सड़क रोशनी प्रणालियां	–	41403 सं०
ii. घरेलू रोशनी प्रणालियां	–	187000 सं०
iii. सौर लालटेन	–	396000 सं०
iv. एसपीवी विद्युत संयंत्र	–	1188 केडब्ल्यूपी
11. सौर जल तापन प्रणालियां	30 मिलियन एसक्यू मी० संग्राहक क्षेत्र	0.60 मिलियन एसक्यू मी० संग्राहक क्षेत्र
12. सौर कुकिंग प्रणालियां		
i. बॉक्स टाइप के सौर कुकर	–	5,18,000 सं०
ii. कंसंट्रेटिंग टाइप/सामुदायिक कुकर	–	175 सं०
13. सौर पीवी पंप	–	4500 सं०
14. पवन पंप	–	793 सं०
15. हाइब्रिड प्रणालियां	–	127.5 किवा०

एसक्यू०किमी० = वर्ग किलोमीटर एक्सयू०मी० = वर्गमीटर मेवा० = मेगावाट किवा० = किलोवाट केडब्ल्यूपी = किलोवाट पीक

*बायोमास गैसीफायर सहित

[अनुवाद]

सी०बी०आई० द्वारा हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) घोटाले को उजागर करना

6566. श्री शंकर सिंह वाघेला :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवंबर, 2001 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में "हाई स्पीड डीजल स्कैम में टच रूपीज 1,000 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले की छानबीन की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्लेटफार्म की ऊंचाई

6567. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चलने वाले सभी रेल डिब्बों एवं इंजनों की ऊंचाई मानक स्तर की है;

(ख) यदि हां, तो प्लेटफार्म एवं रेल डिब्बों की ऊंचाई में असामान्य विषमता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों की ऊंचाई में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) सभी रेल सवारी डिब्बों और इंजन मानक ऊंचाई वाले हैं और रेलवे ने प्लेटफार्मों को तीन सतह अर्थात् पटरी सतह, निम्न सतह और अन्य सतह का मानकीकृत किया है।

स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की सतह यात्री सुविधाएं यात्री यातायात की मात्रा और उस पर आमदनी के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं। निर्धारित मानदंडों के अनुसार यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करना रेलवे का सतत प्रयास रहा है। प्लेटफार्मों की सतह निर्धारित करने के लिए मानदंड इस प्रकार है :–

क्र० सं०	कोटि	कोटिकरण का मानदंड	प्लेटफार्मों की अपेक्षित सतह
1.	ए	6 करोड़ रु० और अधिक की वार्षिक यात्री आमदनी वाले गैर उपनगरीय स्टेशन	उच्च सतह
2.	बी	3 और 6 करोड़ रु० के बीच वार्षिक यात्री आमदनी वाले गैर उपनगरीय स्टेशन और पर्यटक महत्व वाले स्टेशन अथवा महत्वपूर्ण ज० (महाप्रबंधक द्वारा विनिश्चय किया जाना है।)	निम्न सतह
3.	सी	सभी उपनगरीय स्टेशन	उच्च सतह
4.	डी	1 और 3 करोड़ रु० के बीच वार्षिक यात्री आमदनी वाले गैर उपनगरीय स्टेशन	निम्न सतह
5.	ई	1 करोड़ रु० से कम वार्षिक यात्री आमदनी वाले गैर उपनगरीय स्टेशन	पटरी सतह
6.	एफ	हाल्ट	पटरी सतह

रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए प्रति वर्ष कुछ स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की सतह को ऊंचा करती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाता है।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र में विदेशी निवेश

6568. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों पर उक्त निर्णय से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) सरकार ने घरेलू निवेश की कमी को पूरा करने के लिए इस्पात क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऑटोमैटिक रूट के जरिए लोहा और इस्पात की सभी मदों के लिए किया जा सकता है। उम्मीद है कि सरकारी

और निजी क्षेत्र की इकाइयां अपनी धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाएंगी।

[अनुवाद]

लंबित मामलों के निपटान हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का प्रस्ताव

6569. **डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने 100.000 से ज्यादा लंबित पड़े मामलों के निपटान हेतु न्यायालयों की सहायता के लिए खण्डपीठ में वापस लौटने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) बिहार सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश सोसाइटी ने तारीख 20.01.2002 को आयोजित अपनी बैठक में, पटना उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को शीघ्र निपटान में सहायता देने का संकल्प किया है। एक संकल्प की एक प्रति, संघ सरकार के साथ ही भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को भेज दी गयी है। पटना उच्च न्यायालय को ही उस पर अपने मत बनाना है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तारीख 31.12.2001 को पटना उच्च न्यायालय में 80.956 मामलें लंबित थे।

प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद-संख्या का पुनर्विलोकन, संस्थित किए जाने वाले और बकाया मामलों के सहित, कतिपय मापदंडों को ध्यान में रखकर प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाता है। ऐसा अंतिम पुनर्विलोकन, 1999 में किया गया था और पटना उच्च न्यायालय सहित सभी उच्च न्यायालयों के संबंध में पुनर्विलोकन, चालू वर्ष में किया जाना है।

इस्पात का मूल्य

6570. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू बाजार में खपत हेतु इस्पात के मूल्य में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बढ़े हुए मूल्यों से इस्पात उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई किस सीमा तक होगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) सरकार लोहे एवं इस्पात का मूल्य निर्धारित नहीं करती है। मूल्य निर्धारण प्रचलित बाजार परिस्थितियों एवं अन्य संबंधित कारकों के आधार पर संबंधित इस्पात संयंत्रों द्वारा किया जाता है।

'डाइरेक्ट टू होम' प्रसारण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

6571. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'डाइरेक्ट टू होम' उपग्रह प्रसारण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 20 प्रतिशत की सीमा में छूट देने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) विभिन्न मंचों से 20 प्रतिशत इक्विटी प्रतिबंध को हटाने सहित कुछ सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में सूचना और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित कार्यदल (जिसका गठन योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिए किया गया था) की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम पर कोयला कम्पनियों का बकाया

6572. **श्री राजो सिंह : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध योजना वहन संबंधी प्रभारों के रूप में तीन हजार करोड़ रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार फरवरी, 2002 के अंत तक भाड़ा प्रभार के कारण रा०वि०बो०/विद्युत गृहों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि 15.07 करोड़ रुपये है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन देय राशियों को वसूल करने और इन पर होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए सरकार/रेल मंत्रालय द्वारा निम्नांकित कार्य किए जा रहे हैं :

1. विद्युत गृहों/रा०वि०बो० में कोयला लाने के लिए भाड़े का पूर्व भुगतान करने संबंधी स्कीम।
2. 31.12.92 की स्थितिनुसार रा०वि०बो० और विद्युत गृहों द्वारा देय बकाया राशियों का कुछ सीमाओं के अध्याधीन राज्य सरकारों की केन्द्रीय योजना सहायता से समायोजित किया जा रहा है।

3. रा०वि०बोर्डों/विद्युत गृहों आदि के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें करके रा०वि०बो० द्वारा देय बकाया राशियों की वसूली की सघन मॉनीटिरंग।

4. बकाया देय राशियों का भुगतान करने के लिए संबंधित मुख्यमंत्रियों को भी पात्र भेजे गए हैं।

5. संबंधित रा०वि०बो० के कर्षण बिलों के संबंध में भी बकाया देय राशियों का समायोजन किया जा रहा है।

विवरण

फरवरी, 2002 के अंत में रा०वि०बो०/विद्युत गृहों से वसूल की जाने वाली देय राशिया (भाड़ा)

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड का नाम/विद्युत गृह	फरवरी, 2002 के अंत में
1	2	3
1.	आ०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड	0.80
2.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	2.03
3.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2.46
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	159.43
5.	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	13.05
6.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	7.10
7.	कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	0.00
8.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	9.34
9.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	7.76
10.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	123.69
11.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	34.15
12.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	0.41
13.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	68.61
14.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	26.95
15.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	1001.24
16.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	48.84
17.	दामोदर वैली कारपोरेशन	0.45
18.	निजी विद्युत गृह-साबरमती	0.87
	कुल	1507.20

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता

6573. श्री दिलीप संघाणी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विभिन्न निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता का आवंटन एवं उनके पूरा होने की संभावित तारीख निम्नानुसार है :

वर्ष 2001-02 के दौरान विश्व बैंक की सहायता का परियोजना-वार आवंटन :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी/ राज्य	फंडिंग एजेंसी	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	पूरा होने की तिथि
1.	3024-इन नाथपा-झाकरी एचइपी	एनजेपीसी/हि०प्र०	आईबीआरडी	437.00	अप्रैल, 2004
2.	4063-इन विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना-2	पावरग्रिड/बहुराज्यीय	आईबीआरडी	450.00	जून, 2006
3.	4441-इन एपी विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना	एपीट्रांस्को/आ०प्र०	आईबीआरडी	210.00	फरवरी, 2003
4.	4014-इन उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	उड़ीसा	आईबीआरडी	350.00	दिसम्बर, 2003
5.	4545-इन उ.प्र. विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना	यूपीपीसीएल/उ०प्र०	आईबीआरडी	150.00	दिसम्बर, 2004
6.	4594-इन राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना	राजस्थान	आईबीआरडी	180.00	जून, 2005

पनचक्कियों की स्थापना

6574. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हिमालयी राज्यों के अलावा अलग राज्यों में जल मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा पनचक्कियों के विकास और उन्नयन के लिए एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सम्पूर्ण देश के लिए है। इस योजना के एक भाग के रूप में मैकेनिकल आउटपुट वाली पनचक्कियों के लिए 30,000 रुपये तक और इलैक्ट्रिकल आउटपुट वाली अथवा मैकनिकल और इलैक्ट्रिकल दोनों आउटपुट वाली पन चक्कियों के लिए 60,000 रुपये तक की संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2002-03 के लिए 200 पनचक्कियों की संस्थापना/उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

यात्रियों से अर्जित राजस्व

6575. श्री विनय कुमार सोराके : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपनगरीय (सभी श्रेणी) एवं शयनयान श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों) के लिए प्रति यात्री किलोमीटर आय के संदर्भ में यात्रियों से अर्जित राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मेल/एक्सप्रेस एवं सामान्य रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर आय के संदर्भ में आय में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां। यह सही है कि वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-01 के दौरान उपनगरीय (सभी श्रेणियों) और शयनयान श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस) के लिए प्रति किमी० प्रति यात्री औसत आमदनी समान ही रही।

(ख) सामान्यत: एक श्रेणी में प्रति किमी० प्रति यात्री औसत आमदनी में वृद्धि उस श्रेणी के किरायों में वृद्धि के कारण होती है। चूंकि वर्ष 2000-01 में यात्री किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। इसलिए प्रति किमी० प्रति यात्री औसत आमदनी यथावत् रही।

(ग) वर्ष 2002-03 के रेल बजट के अनुसार 1.4.2002 से मेल/एक्सप्रेस और साधारण गाड़ियों सहित उपनगरीय सेवाओं के लिए किराए ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है जिससे प्रति किमी० प्रति यात्री आमदनी में सुधार हो सकता है।

[हिन्दी]

विद्युत गृहों की अधिष्ठापित क्षमता

6576. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के विद्युत गृहों की अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) निगम द्वारा उत्पादित विद्युत में झारखण्ड एवं अन्य राज्यों का अलग-अलग हिस्सा कितना है; और

(ग) झारखंड राज्यों में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) मार्च, 2002 को दामोदर घाटी निगम के बिजली घरों की अधिष्ठापित क्षमता 2871.50 मेगावाट है। तथापि कुछ इकाईयों का क्षमता जीवन पूरी होने के कारण कम हो गयी है और इसलिए प्रभावित क्षमता अब 2769 मेगावाट है। जिसका विवरण संलग्न है।

(ख) डी०वी०सी० अपने घाटी क्षेत्र के भीतर पं० बंगाल और झारखण्ड राज्यों में फैले 33 के०वी० या इससे अधिक विद्युत पाने वाले क्षेत्र के उपभोक्ताओं की मांग वृद्धि के आधार पर विद्युत आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। राज्यों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिजली आपूर्ति की मात्रा के संबंध में कोई वचनबद्धता/निर्धारण नहीं है।

(ग) डी०वी०सी० द्वारा घाटी के ऊपरी एवं निचले दोनों घाटी क्षेत्रों में नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण/विस्तार का कार्य आरंभ किया गया है जिससे डी०वी०सी० द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली सुलभ करायी जा सकेगी।

विवरण

प्रकार	विद्युत केन्द्र	अधिष्ठापित क्षमता (क्षमता मेगावाट)	प्रभावी क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
थर्मल	बोकारो "क"	247.50	175.00
	बोकारो 'बी"	630.00	630.00
	चन्द्रपुरा	780.00	750.00
	दुर्गापुर	350.00	350.00
	मेजिया	630.00	630.00
	कुल	2637.50	2535.00

1	2	3	4
हाइड्रो	मैथान	60.00	60.00
	पंचेट	80.00	80.00
	तिलैया	4.00	4.00
	कुल	144.00	144.00
जी०टी०	मैथान	90.00	90.00
	कुल डी०वी०सी०	2871.50	2769.00

[अनुवाद]

प्रत्यायित अभिकरणों पर बकाया

6577. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री रघुनाथ झा :
श्री रामजी मांझी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 363.51 करोड़ रुपये की धनराशि प्रत्यायित अभिकरणों के विरुद्ध वसूली करने के लिए बकाया पड़ी है जिसमें से 334.45 करोड़ रुपए 45 अभिकरणों से वसूली योग्य थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्यायित अभिकरणों से बकाया की वसूली न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अगस्त, 2001 की स्थिति के अनुसार बकाया रकम पर 157.94 करोड़ रुपए की अन्य धनराशि ब्याज के रूप मे बकाया हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दूरदर्शन चूककर्ता अभिकरणों द्वारा भुगतान की तिथि को भुगतान करने में उनकी असफलता के बावजूद उनके प्रत्यायन को रद्द करने में असफल रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ब्याज सहित बकायों की वसूली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचना दी है कि आज की तारीख को प्रत्यायित एजेंसियों की ओर 169.28 करोड़ रुपया बकाया है। इन बकाया देयों की वसूली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचना दी है कि बकाया राशि का कुल ब्याज 20.03 करोड़ रुपये है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

1997-1998	–	1.99 करोड़ रुपये
1998-1999	–	6.39 करेड़ रुपये
1999-2000	–	5.48 करोड़ रुपये
2000-2001	–	6.17 करोड़ रुपये

(ङ) से (छ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए संबंधित निर्माताओं/दोषी एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है जिसमें कानूनी कार्रवाई, बैंक गारंटी को भुनाना, कार्यक्रमों को रोकना तथा प्रत्यायन दर्जे का निलिम्बत करना/वापस लेना शामिल है। कंपनियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण नौ (9) कंपनियों के प्रत्यायन दर्जे को समाप्त कर दिया गया है तथा वर्तमान कारोबार के लिए उन्हें अग्रिम भुगतान पर रखा गया है। चालीस (40) कंपनियों का प्रत्यायन दर्जा समाप्त कर दिया गया है। बकाया राशि की वसूली के लिए उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) मासिक मानीटरिंग की जाती है तथा बकाया राशि की वसूली के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

(ii) किसी भी दोषी एजेंसी/निर्माता को नए कार्यक्रम/कार्यक्रमों का विस्तार उस समय तक नहीं दिया जाता जब तक कि वे अग्रिम भुगतान के लिए राजी नहीं होते तथा सम्मत भुगतान योजना का पालन करने के लिए तैयार नहीं होते।

(iii) यदि दोषी एजेंसी भुगतान योजना का पालन नहीं करती है तो कार्यक्रमों का प्रसारण बन्द कर दिया जाता है और उनका प्रत्यायन दर्जा रद्द/समाप्त कर दिया जाता है।

(iv) प्रत्यायन दर्जा रद्द/समाप्त कर देने की स्थिति में संस्था की बैंक गारंटी को भुना लिया जाता है।

(v) दूरदर्शन के राजस्व को प्राप्त करने और साख अवधि को कवर करने के लिए बैंक गारंटी की राशि बढा दी गई है; तथा

(vi) कुछ मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी गई है।

बी०ओ०एक्स०एन० वैगन

6578. **श्री रामजी मांझी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने जून, 1996 में यह अनुदेश जारी किये थे कि लदान क्षमता सहित सभी बी०ओ०एक्स०एन० वैगनों को विसंयोजित करना चाहिए और उन्हें कोयले की लदाई के योग्य बनाने के लिए मरम्मत हेतु भेजना चाहिए;

(ख) क्या लदान क्षमता रहित खाली बी०ओ०एक्स०एन० वैगनों को बड़ी संख्या में लदान योग्य वैगनों के साथ पारित किया गया था;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन को खाली ढुलाई पर होने वाली लागत के कारण 2.80 करोड़ रुपए की हानि हुई है;

(घ) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2002 (रेलवे) की रिपोर्ट संख्या 9 के पैराग्राफ 2.4.1 (ख) के अनुसार कोयलरी से लक्ष्य स्थान तक खाली ढुलाई के कारण 0.97 करोड़ रुपए का और नुकसान हुआ है क्योंकि लदान योग्य बी०ओ०एक्स०एन० वैगनों की लदाई कोलयरी द्वारा नहीं की गई थी; और

(ङ) क्या इस संबंध में रेलवे द्वारा जवाब दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा राजस्व में होने वाले नकुसान, जिसके परिणामस्वरूप यात्री एवं मालभाड़े में वृद्धि हो रही है की रोकथाम हेतु क्या कदम/उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। सभी बी०ओ०एक्स०एन० सवारी डिब्बों को नामित यार्डों में कोयला खद्यानों में लदान के लिए भेजे जाने से पहले खाली स्थिति में जांच की जाती है। कभी-कभी लदान अयोग्य बी०ओ०एक्स०एन० के कुछ मालडिब्बे कोयला खाद्यानों को लदान के लिए भेजे गए खाली रैकों से अलग किए बिना भेजे गए होंगे। यह भी देखा गया है कि लदान के दौरान कुछ मालडिब्बे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जब कोयला खाद्यानों में लदान-गंत्री से कोयले के टुकड़े/पत्थर भारी मात्रा में डाले जाते हैं तो वे लदान करने योग्य नहीं रहते हैं।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में भी वर्ष 2002 (रेलों) की अपनी रिपोर्ट सं० 9 में इसी प्रकार की टिप्पणी की है। बहरहाल, रिपोर्ट पर संबंधित क्षेत्रीय रेलों के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) गाड़ी की जांच के समय लदान के योग्न न रहने वाले माल डिब्बों को अलग करने के संबंध में रेलों के लिए अनुदेश पहले से मौजूद हैं और उन्हें हाल ही में दोहराया गया है। बहरहाल, कभी-कभी खाली रैक से लदान योग्य न रहने वाले मालडिब्बों को अलग करने में अतिरिक्त प्रयास और समय लगता है जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण रैक की लदान में रुकावट आती है जो उत्पादकता को कम करती है। अत: इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक रिलेटिव इकॉनिमिक्स बनानी होगी।

कर्नाटक में जल विद्युत क्षमता

6579. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में जल विद्युत की विशाल क्षमता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में जल विद्युत क्षमता का दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त राज्य में वर्तमान में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रयोजन हेतु कर्नाटक को कितनी केन्द्रीय सहायता एवं किसी अन्य स्रोत से कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) ने वर्ष 1978-87 के दौरान किए गए अध्ययन कार्यों से कर्नाटक में कुल 6602 मेगावाट की अनुमानित जल विद्युत शक्यता के लिए 47 स्कीमें अभिज्ञात की हैं।

(ख) 2909 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता के लिए जल विद्युत परियोजनाओं का पहले ही विकास किया जा चुका है और 12 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की एक परियोजना विकासाधीन है।

(ग) वृन्दावन एच०ई०पी० (12 मेगावाट) वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन है। अलमट्टी एच०ई०पी० (290 मेगावाट) को कर्नाटक में क्रियान्वित किए जाने हेतु के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(घ) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों की सहमति से कावेरी बेसिन में चार जल विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं जांच कार्य तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य आरंभ किया है।

[हिन्दी]

हथियारों का पता लगाने वाले रडार का निर्माण

6580. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 13 अप्रैल, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत दुश्मनों के हथियारों का पता लगाने वाले रडार का निर्माण करने में सफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रडार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त रडार के कब तक निर्मित होने की संभावना है और इसके भारतीय सेना में कब तक शामिल होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस रडार का निर्माण करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। तथापि, हथियारों का पता लगाने वाले देश ही में निर्मित रेडार के विकास के लिए एक परियोजना अप्रैल, 2002 में शुरू की गई है। यह रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा एक संयुक्त विकास कार्य होगा।

(ख) वाहन पर लगने वाले इस रेडार का विकास फेज्ड ऐरे 'राजेंद्र' रेडार के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। इस परियोजना की लागत 20 करोड़ रुपए है।

(ग) इस परियोजना के पूरा होने की संभावित अवधि 40 माह है। इसे सेना में शामिल किए जाने में लगभग 12 माह का समय और लग सकता है।

(घ) इस पर कोई निर्णय लिए जाने की अवस्था अभी नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की वित्तीय कम्पनियों के धन को अन्यत्र लगाना

6581. श्री नामदेव हरबाजी दिवाचे :
श्री अम्बरीश :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड सहित कई व्यापारिक घरानों के द्वारा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय कम्पनियों के धन को कई सहयोगी कम्पनियों में लगाने के मामलों की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) विभाग में प्राप्त शिकायतों, विभिन्न अन्य सरकारी विभागों/संस्थानों से प्राप्त संदर्भों, कम्पनियों आदि के द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों की जांच के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सुझावों, के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत निरीक्षण के आदेश दे दिये जाते हैं। यदि निरीक्षणाधीन कम्पनी द्वारा धन के उपयोग में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन का पता चलता है तो कानून के तहत कम्पनी के विरुद्ध उचित कार्रवाही की जाती है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों का चयन/नामांकन

6582. श्री रामदास आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने अधिकारियों की विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयों में शैक्षणिक, प्रबंधकीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उनका चयन/नामांकन करती है, जिनमें से कुछ मामलों में द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत आयोजक देशों/अभिकरणों द्वारा उक्त प्रशिक्षण पर होने वाले लागत का वहन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय से कितने अधिकारियों को लघु/दीर्घावधि प्रशिक्षण के लिए भेजा गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संख्या एवं प्रतिशत कितना था;

(घ) अनुसूची जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 46 में क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं जिनकी अनुपस्थिति में वे लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते और वे सामाजिक रूप से पिछड़ जाएंगे और वे अवसरों का दोहन नहीं कर पाएंगे, और

(ङ) संवैधानिक निर्देशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) इस मंत्रालय ने किसी भी अधिकारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिए अपनी ओर से नामित नहीं किया है। तथापि, विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामांकन आमंत्रित करते हुए जब कभी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परिपत्र प्राप्त होते हैं, इन परिपत्रों के प्रति नामांकन उन्हें भेजे जाते हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय से विदेश में प्रशिक्षण हेतु चार अधिकारी भेजे गए थे।

(ग) शून्य

(घ) और (ङ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों का नामांकन करते समय अ०जा०/अ०ज०जा० अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करता है, बशर्ते कि ऐसी श्रेणियों से आवेदन पत्र/नामांकन उपलब्ध हों तथा ऐसे आवेदकों के द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंड पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

मुम्बई में जोगेश्वर एवं गोरेगांव के बीच नया रेलवे स्टेशन

6583. **श्री किरीट सोमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में जोगेश्वर एवं गोरेगांव के बीच एक नया रेलवे स्टेशन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है और इसकी पूर्ति किन स्रोतों से की जाएगी; और

(घ) उक्त स्टेशन परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) मुंबई क्षेत्र मे योगेश्वर नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। बहरहाल, मुंबई क्षेत्र में जोगेश्वरी नाम का एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन है। जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच एक नया उपनगरीय रेलवे स्टेशन ओशीवारा के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) यह कार्य मुंबई नगरीय परिवहन परियोजना के लिए समेकित अनुमान के भाग के रूप में करने का प्रस्ताव है और इसे स्वीकृति के लिए तैयार किया जा रहा है।

(ग) नए रेलवे स्टेशन ओशीवारा के निर्माण का कार्य 6 करोड़ रुपए की लागत से करने का प्रस्ताव है। वह लागत महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेलवे के बीच 50:50 के आधार पर वहन की जाएगी।

(घ) धन की उपलब्धता के आधार पर उक्त स्टेशन परियोजना मार्च, 2006 तक पूरा होने की संभावना है।

डीलर का कमीशन

6584. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 7 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोको पंपों के संचालकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऐसे पंपों को चलाने के लिए आरंभिक पूंजी का निवेश किया है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उसे नहीं दिया गया है;

(ख) क्या ऐसे संचालकों/ठेकेदारों की क्षतिपूर्ति उन्हें ऐसे पूंजी की लागत को देकर की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या डीलरों के कमीशन का निर्णय करते समय ऐसी लागत की गणना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) कंपनी के स्वामित्व वाला और कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्र कंपनी अधिकारी की पुर्ण निगरानी में श्रम संविदाकार की सहायता से चलाया जाता है, जो बिक्री केन्द्र चलाने के लिए जनशक्ति प्रदान करता है।

श्रम संविदाकार को दिए गए पारिश्रमिक में कार्यशील पूंजी की लागत सम्मिलित नहीं होती क्योंकि उसे कार्यशील पूंजी में कोई निवेश नहीं करना होता।

डाक्टरों की लापरवाही

6585. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हावड़ा के पूर्वी रेलवे अधिरोग चिकित्सालय में 26 जून, 1969 को एक रेलवे डाक्टर द्वारा एक 6 वर्षीय बालिका के पैर की स्नायु को काटे जाने के कारण, वह 34 वर्षों बाद अभी भी चिकित्सालय में पड़ी हुई है, जैसा कि इस आशय का समाचार दिनांक 13 अप्रैल, 2002 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में 'गर्ल लैम्बिसेज् इन हास्पीटल फार 34 इयर्स' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है और उसके जीवन को बचाने तथा दोषियों को दंड देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बालिका और उसके परिवार को उचित आर्थिक राहत दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उसके परिवार को कितना मुआवजा दिया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी उसकी 29.6.69 को (न कि 26.6.69 को जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है) निश्चेत करके कूल्हे में फोड़े के लिए शल्य क्रिया की गई थी। चूंकि वह छोटी बच्ची थी, इसलिए शल्य क्रिया के दौरान उसे निश्चल करने के लिए सामान्य बेहोशी की दवाई दी गई थी। दुर्भाग्यवश निश्चेतना के दौरान उसकी हृदय घात हो गया था।

डाक्टरों और कर्मचारियों ने उसे पुर्नजीवित करने के लिए भरसक प्रयास किया। उसके जीवन को बचा लिया गया किन्तु दुर्भाग्यवश हृदयघात की अधिक समयावधि के दौरान, उसके दिमाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण उसमें ठीक न होने वाली दिमाग की खराबी विकसित हो गई, जिससे कुछ जटिलताएं पैदा हुई यथा मंदबुद्धि,

चारों हाथों और पावों में कमजोरी आ जाना और अस्पष्ट उच्चारण इत्यादि।

जैसा कि आरोप लगाया गया है, उसकी जटिलता शल्य चिकित्सा द्वारा नस काटने के कारण नहीं हुई थी किन्तु निश्चेतना की जटिलता के कारण हुई। शल्य चिकित्सक और निश्चेतक डाक्टर की कोई लापरवाही नहीं थी। दोनों शल्य चिकित्सक और निश्चेतक डाक्टर क्रमश: अपने-अपने क्षेत्र में अर्हता प्राप्त किए हुए थे और अनुभवी थे। यह बहुत कम किन्तु सामान्य बेहोशी की जानी हुई जटिलता है।

लकड़ी उसी समय से ही अस्पताल में है और अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा सहानुभूति पूर्वक और अनुकम्पा के साथ देख-भाल कर रहे हैं। पुनर्वास उपाय शुरू किए गए थे किन्तु कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। उसे राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, बोनहुगली, कोलकत्ता में आगे के प्रबंधन के लिए भेजे जाने के प्रयत्न किए थे किन्तु उसके संबंधी ऐसे प्रयत्न के खिलाफ थे।

मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि सामान्य बेहोशी की जटिलता के कारण, बच्ची को हृदयघात हुआ जो कि बहुत कम किन्तु ज्ञात जटिलता है। शल्य चिकित्सक और निश्चेतक की कोई लापरवाही नहीं हुई और जैसा आरोप लगाया गया है, कोई नस नहीं कटी थी।

उसके पुनर्वास के उपाय किए गए हैं किन्तु उसकी हालात में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है।

चूंकि कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी, इसलिए शल्य चिकित्सक और निश्चेतक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुर्भाग्यवश दोनों की मृत्यु हो गई है।

उसके परिवार को न तो कोई धनराशि अनुकम्पा के आधार पर दी गई है और न ही इसके लिए कोई दावा किया गया है। मरीज अभी भी अस्पताल में दाखिल है और अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा हर संभव देख-भाल की जा रही है और उसकी ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

केरल में परियोजनाएं

6586. श्री टी० गोविन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नई/चल रही/लंबित रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षणों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और अब तक उस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं के व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए परियोजनावार क्या लक्षित तिथि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) केरल में चल रही और बजट 2002-03 में शामिल नई रेल परियोजनाएं, 2002-03 के लिए बजट परिव्यय और मार्च, 2002 तक किया गया संभावित खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

केरल में चल रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुछ परियोजनाओं विशेषकर नई लाइनें और आमान परिवर्तन योजना शीर्षों में लागत बढ़ गई, ऐसा मुख्यत: बड़ी संख्या में चल रही परियोजनाओं के लिए धन के थोड़े-थोड़े आवंटन के कारण हुआ।

(ङ) परियोजनाओं के पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित है, विवरण-I में परियोजनाओं की स्थिति में दी गई। परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है।

विवरण-I

केरल में चल रही रेल परियोजनाएं

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम प्राक्कलित लागत	2001-02 के अंत में संभावित परिव्यय	2002-03 के लिए बजट परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
दोहरीकरण						
1.	कालीकट-मंगलौर	द०रे०	471.10	446.99	20.00	221 कि०मी० में से 165 कि०मी० पूरा कर लिया गया है। 50 कि०मी० के 2002-03 में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	एर्णाकुलम-एर्णाकुलम विन्यास यार्ड	द०रे०	6.42	2.74	0.10	सिविल इंजीनियरी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। सिगनल संबंधी व्यवस्था अंतिम चरण में हैं।
3.	एर्णाकुलम-मुलनतुरुत्ती	द०रे०	58.93	1.00	3.68	विस्तृत अनुमान स्वीकृत किए जा रहे हैं।
4.	कुट्टीपुरम-कालीकट	द०रे०	177.19	49.82	45.00	कुट्टीपुरम से शोरूवण्णूर (30 कि०मी०) का दोहरीकरण कालीकट-मंगलोर दोहरीकरण कार्य को महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में किया जा रहा है। पुल और मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
5.	कोल्लम-तिरुवनंतपुरम	द०रे०	156.64	145.18	0.01	पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
	आमान परिवर्तन					
6.	कोल्लम-तिरुनेलवेली-त्रिचांदूर और तेनकासी-विरुद्धनगर	द०रे०	462.61	26.12	25.00	विरुद्धनगर-तेनकासी और तिरुनेलवेली-त्रिचांदूर में पुल और मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं, ब०ला० के उपयुक्त ढालों और कर्वों को आसान बनाने के लिए सेनकोट्टै और पुन्नालूर (50 कि०मी०) के बीच घाट खंड में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है।
	नई लाइनें					
7.	अंगामाली-सबरीमाला	द०रे०	550.0	1.21	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। अंगामाली-पेरुम्बावूर (18 कि०मी०) के लिए आंशिक अनुमान पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
8.	कोट्टायम-इरुमेली	द०रे०	200.00	0.04	0.01	स्वीकृति हाल ही में प्राप्त हुई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
9.	कुट्टीपुरम-गुरुवायूर	द०रे०	100.00	0.69	0.01	कार्य अपेक्षित स्वीकृति मिलने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
	रेलवे विद्युतीकरण					
10.	एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम	द०रे०	161.76	20.58	15.00	कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
11.	इरोड-पालघाट-एर्णाकुलम	द०रे०	220.10	220.09	0.01	कार्य पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।

विवरण-II

केरल में चल रहे रेल सर्वेक्षण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	योजना शीर्ष	रेलवे
1	2	3	4
1.	पुन्नालूर में इरुमेली	नई लाइनें	दक्षिण
2.	एर्णाकुलम-पुन्नालूर-तिरुवनंतपुरम	नई लाइनें	दक्षिण
3.	मदुरै-कोट्टायम	नई लाइनें	दक्षिण
4.	वैकम-वैकम रोड	नई लाइनें	दक्षिण
5.	नीलाम्बर रोड-नंजनगुड़	नई लाइनें	दक्षिण
6.	वल्लारपडम-टर्मिनल	यातायात सुविधाएं	दक्षिण

रेल परियोजनाओं के लिए निधियां जुटाना

6587. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को अपनी सभी परियोजनाएं आरंभ करने और उसे नया रूप देने के लिए 70,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जैसा कि राकेश मोहन समिति द्वारा सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) धनराशि को किस तरीके से जुटाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस निधि में सरकार द्वारा कितना अंशदान किए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि सामरिक उच्च वृद्धि योजना की कार्रवाई करने की दृष्टि से भारतीय रेलों को 2002 से 2006 तक प्रतिवर्ष 14000 से 15000 करोड़ रुपए, 2007 से 2011 तक प्रतिवर्ष 12,500 करोड़ रुपए, और 2012 से 2016 तक प्रतिवर्ष 13,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। पांच वर्षों की अवधि में, यह निवेश योजना 2002 से 2006 तक 70,000 करोड़ रुपए, 2007 से 2011 तक 62,500 करोड़ रुपए और 2012-2016 तक 67,500 करोड़ रुपए की होती है जो 15 वर्षों में कुल मिलाकर लगभग 200,000 करोड़ रुपए बनती है। बहरहाल, अगले 15 वर्षों में (2000-2001 की कीमत पर) सामान्य निम्न वृद्धि परिदृश्य में लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना की परिकल्पना की गई है। उसी अवधि में सामान्य माध्यम वृद्धि परिदृश्य में लगभग, 1,60,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना की परिकल्पना की गई है।

रेलों के योजना व्यय के लिए संसाधन के मुख्य स्रोत हैं, बजटीय सहायता, आंतरिक सृजन और बाजार से ऋण उधार लेना है। सरकार के अंशदान का निर्धारण सामान्य मामले में पंचवर्षीय योजना और विशेष मामले में वार्षिक योजना में किया जाता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्रोतवार निवेश को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राजस्थान में तेल की खोज

6588. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के थार मरूस्थल क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर तेल की खोज को लेकर खुदाई कार्य प्रगति पर है और इस कार्य में कौन कौन सी कंपनियां संलग्न हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण और खोज संबंधी खुदाई पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान खोज संबंधी कार्य से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्तमान में राजस्थान के थार मरूस्थल क्षेत्र में राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन०ओ०सीज०) अथवा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किसी अन्वेषणात्मक कूप का वेधन नहीं किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक वेधन कार्य पर एन०ओ०सीज० द्वारा इस क्षेत्र में कुल लगभग 37 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त निजी/संयुक्त कंपनियों द्वारा अपने ब्लाकों में अन्वेषण कार्यों पर लगभग 137 करोड़ रुपये इसी अवधि के दौरान व्यय किए गए हैं।

(ग) से (ङ) थार मरूस्थल के समग्र क्षेत्र में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई हैं :

(1) 1999-2002 की अवधि के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी०) द्वारा एकत्र द्विआयामी भूकंपीय आंकड़ों से मियाजालार क्षेत्र में एक संरचना का सृजन हुआ है जबकि एक अन्य क्षेत्र में आंकड़ों का संसाधन कर लिया गया है और इनका विश्लेषण किया जा रहा है।

(2) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयल इंडिया लि० (ओ०आई० एल०) द्वारा दो अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया गया है जिनमें से एक कूप में गैस का पता चला है और दूसरा कूप शुष्क पाया गया।

(3) ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा अन्वेषण कार्य से दो कूपों में तेल की खोज हुई है। ब्लाक आरजे-ओएन/5 में एक कूप में भी तेल की उपस्थिति सिद्ध हुई है। ब्लाक आरजे-ओएन/6 में भी अन्वेषण कार्य हाल ही में प्रारंभ हुआ है।

ओ०एन०जी०सी० की 2002-03 के दौरान वेधन के लिए मिआजालार क्षेत्र में एक अन्य पहचानी गई संरचना पर पर्यावरणीय अनुमोदन के अध्यधीन कार्य आरंभ करने की योजना है। ओ०आई०एल० संरचना की पहचान के लिए राजस्थान में अपने प्रचालनात्मक क्षेत्रों में अब तक प्राप्त पिछले अन्वेषणात्मक/विकास निवेशों को सम्मिलित करते हुए अपने प्रचालनात्मक क्षेत्रों में विस्तृत बेसिन माडलिंग अध्ययन कर रहा है और अध्ययन के परिणामों के आधार पर भविष्य के अन्वेषणात्मक कार्य के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

जहां तक निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों का संबंध है, संविदाकारों ने अपने क्षेत्रों का और अन्वेषण करने और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए खोजों का मूल्यांकन करने की योजना बनाई है।

नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानान्तरण के लिए राजनीतिक समर्थन

6589. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जे०एस० बराड़ :
श्रीमती रेनु कुमारी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों में कई उच्च पदस्थ अधिकारी नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानान्तरण आदि के लिए राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने हेतु लामबंद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा बलों में पदोन्नति और स्थानान्तरण हेतु अधिकारियों के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या रक्षा बलों में पदोन्नति और स्थानान्तरण के मामलों में रानीतिज्ञों और धन का प्रभाव प्रमुख भूमिका निभा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रक्षा बलों में पदोन्नति, नियुक्ति और स्थानान्तरण में राजनीतिज्ञों और धन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल एम०एस० सेखों के मामले के अलावा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्थानांतरण के लिए राजनीतिक सिफारिश करवाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। एयर मार्शल एम०एस० सेखों द्वारा अपनी रूचि की तैनाती के लिए राजनीतिक प्रभाव डलवाने के लिए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री से सम्पर्क करने के बारे में समाचार पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद, जिसे कि वायुसेना अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उनसे त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था और उक्त अधिकारी ने निर्देशों का अनुपालन किया है। किसी सैन्य अधिकारी द्वारा राजनीतिक सहायता लिए जाने का यह मामला गंभीरता से लिया गया है और सरकार द्वारा इस तरह के कदाचार के लिए चेतावनी स्वरूप कार्रवाई की गई है।

(ग) से (ङ) रक्षा बलों में पदोन्नतियां तथा स्थानांतरण संगठन के हितों को ध्यान में रखते हुए समुचित स्तर की पारदर्शिता के साथ किए जाते हैं।

कच्चे तेल की उत्पादन लागत

6590. **श्रीमती रेणुका चौधरी :**
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे अनन्य आर्थिक क्षेत्र एवं महाद्वीपीय मग्नतट भूमि को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधिकार क्षेत्र में लाने के सरकार के हाल के निर्णय के परिणामस्वरूप अपतटीय अन्वेषण में लगे तेल और प्राकृतिक गैस निगम के समस्त अपतटीय अधिष्ठापनों एवं तेल के अन्वेषण में लगी अन्य कंपनियों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डी०टी०ए०) के एक भाग के रूप में माना जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इससे तेल और प्राकृतिक गैस निगम एवं अपतटीय अन्वेषण में लगी अन्य कंपनियों के कच्चे तेल के उत्पादन की ढांचागत लागत पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में उनके द्वारा कच्चे तेल की उत्पादन लागत की स्थिति क्या होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 का विस्तार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख अर्थात् 11.2.2002 से महाद्वीपीट मग्नतट और भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तक करते हुए राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) के खंड 6 के उपखंड (6) की धारा (क) और खंड 7 के उपखंड (7) की धारा (क) के अंतर्गत 7.2.02 को एक अधिसूचना संख्या 157 जारी की है।

(ख) और (ग) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन की लागत अन्य घटकों के साथ-साथ राजकोषीय व्यवस्था जिसमें रायल्टी, सीमाशुल्क आदि शामिल हैं, पर निर्भर करती है। अपतटीय क्षेत्रों में जबकि आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी०) नामांकन आधार पर आबंटित अपने क्षेत्रों के लिए अधिप्राप्तियों पर लागू सीमाशुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है वहीं अन्वेषण ब्लाकों और खोजे गए क्षेत्रों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों के तहत ठेकेदारों की ओर से अधिप्राप्तियों पर कोई सीमा शुल्क देय नहीं है। सीमाशुल्क एक गतिशील घटक है और ओ०एन०जी०सी० की लागतों पर इसके असर का आकलन अग्रिम रूप से नहीं किया जा सकता। ओ०एन०जी०सी० सहित भारतीय कंपनियां द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन की प्रचालन लागत इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय लागतों के साथ तुलनीय है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

6591. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री विलास मुत्तेमवार :
डा० एन० वेंकटस्वामी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8.4.2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "एप्वांइट मोर जजेज, एस०सी०टू स्टेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को 31 मार्च, 2003 से पूर्व बड़े पैमाने पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि देश के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी के कारण लगभग दो करोड़ मामले लंबित हैं;

(घ) क्या न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्यों से इस निवेश को कार्यान्वित करने तथा इतने लंबित मामलों को निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए कहा है;

(ङ) क्या सरकार ने न्यायमूर्ति शेठी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें को लागू किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में तारीख 21.03.2002 के अपने निर्णय में यह निदेश दिया है कि सभी राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में सभी स्तरों पर विद्यमान रिक्तियों को, यदि संभव हो, तारीख 31 मार्च, 2003 तक भरा जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि न्यायाधीश संख्या में प्रति 10 लाख जनता के लिए 10.5 या 13 न्यायाधीशों के विद्यमान अनुपात में प्रति 10 लाख जनता के लिए 50 न्यायाधीशों की वृद्धि पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रभावी और कार्यान्वित की जानी चाहिए।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता जताई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) सरकार ने संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत शेट्टी आयोग की सिफारिशों की तारीख 11.10.2001 और 11.03.2002 के कार्यान्वयन आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के तारीख 21 मार्च, 2002 के निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे निदेश अंतर्विष्ट हैं जो सरकार द्वारा लिए गए विनिश्चयों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय के निदेशों का केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के द्वारा ही तारीख 30 सितंबर, 2002 तक अनुपालन किया जाना है।

रसोई गैस और पेट्रोल पंप टर्मिनल

6592. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस और पेट्रोल पंप टर्मिनलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में और अधिक रसोई गैस तथा पेट्रोल पंप टर्मिनलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियां (ओ०एम०सीज०) देश के विभिन्न राज्यों में 6837 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 18401 खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन कर रही थी।

(ख) से (घ) एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन एक सतत प्रक्रिया है तथा किसी वर्ष विशेष के दौरान एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों के नए आवंटन के विषय में एक नियत लक्ष्य निर्दिष्ट करना संभव नहीं है। तथापि, तेल विपणन कंपनियों की देश के पृथक-पृथक राज्यों में विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत और अधिक एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

हावड़ा-चेन्नई एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

6593. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-चेन्नई कॉरोमंडल एक्सप्रेस 15 मार्च, 2002 को आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर में पटरी से उतर गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या रेल पथ के इस खंड पर रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना सामान्य है; और

(घ) यदि हां, तो रेल पथ के इस खंड पर बार-बार ऐसी दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। 15.3.2002 को लगभग 14.11 बजे 2841 अप हावड़ा-चेन्नै कोरो मंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे दक्षिण मध्य रेलवे पर विजयवाड़ा मंडल के विजयवाड़ा गुडूर खंड के कुडावलुरू और पड्गुपड्डु स्टेशनों के बीच चलते समय पटरी से उतर गए थे। इस दुर्घटना में एक गम्भीर रूप से घायल होने के साथ-साथ 14 यात्रियों को चोटें आईं, रेल संरक्षा आयुक्त दक्षिण मध्य सर्किट द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना पटरी के पार्श्विक स्थान से हट जाने के कारण पटरी के टूटने से हुई।

(ग) जी, नहीं। पिछले 3 वर्षों के दौरान विजयवाड़ा-गुटूर-विजयवाड़ा खंड पर पटरी से उतरने के 8 मामले हुए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे द्वारा सेवाओं में सुधार

6594. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास सेवा की गुणवत्ता में सुधार सहित व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई नीति है;

(ख) क्या रेलवे आवागमन, समय पर माल की सुपुर्दगी, बेहतर संभलाई और यात्रियों की सुरक्षा को विश्वसनीय बनाने पर ध्यान देती है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उक्त चार परिचालनात्मक क्षेत्रों में विश्वसनीय सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान कितनी निधियां नियत की गई है और इस संबंध में अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आवधिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय रेलें निर्धारित परिवहन समय के साथ निर्धारित समय मे कंटेनर माल गाड़ियां (कॉनट्रैक) चला रही है। परिवहन की विश्वसनीयता को सुधारने, माल की तयशुदा सुपुदर्गी बेहतर तरीके से सम्हलाई यात्री संरक्षा इत्यादि के लिए भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

i. माल तथा कोचिंग दोनों के लिए बेहतर किस्म के चल स्टॉक को सेवा में लगाना

ii. उच्च अश्वशक्ति वाले रेल इंजनों को सेवा में लगाना

iii. सिगनल और संचार प्रणालियों का आधुनिकीकरण

iv. कंक्रीट स्लीपरों, भारी पटरियों तथा यांत्रिकीय अनुरक्षण इत्यादि के जरिए रेलपथ संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार

v. फोइस (मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली) की शुरूआत जो कि कंप्यूटर पर आधारित एक नेटवर्क है।

vi. टर्मिनलों का सुदृढ़ीकरण

vii. परेषणों की सम्लहाई का यांत्रिकीकरण

मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान, चल स्टॉक के अंतर्गत कुल आवंटन 3919 करोड़ रु० तथा मालभाड़ा टर्मिनलों के सुधार से संबंधित 50 लाख रु० से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए लगभग 20 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं। संरक्षा संबंधी योजनाओं के लिए 5304.72 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं। लेखों के अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इस वर्ष के दौरान खर्च का पता चल पाएगा।

(घ) और (ङ) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक रेलवे के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन और कुशलता सूचकांकों जैसे परिचालनिक अनुपात, आय, मालडिब्बा टर्न राउन्ड, समय पालन इत्यादि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिससे उनके निष्पादन में सुधार की आवधिक समीक्षा की जा सके। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

देश में विभिन्न मार्गों पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

6595. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाभ/हानि पर चल रही राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन रेलगाड़ियों को चलाए जाने के कारण कुछ लाभ और घाटे का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन रेलगड़ियों को केवल लाभोत्पादक मार्गों पर ही चलाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) लाभ, आय और व्यय के गाड़ीवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, समग्र आधार पर रेलें अन्य कोचिंग सेवाओं सहित यात्री परिचालनों पर हानि में चल रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कारण हुई हानि निम्नलिखित है :–

वर्ष	हानि (करोड़ रुपए में)
1998-99	4165.50
1999-2000	4582.71
2000-01	4875.54

खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान बजट में कुछ युक्तिसंगत यात्री किराए प्रस्तावित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां राज्य की राजधानियों और राष्ट्रीय राजधानी के बीच, जहां रेल सम्पर्क मौजूद है, चलती हैं। इन स्थानों के बीच तेज उच्च गुणवत्ता वाली सेवा की मांग है। फिलहाल 17 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही है।

आर्थिक अपराधों से निपटान के लिए कानूनों का अधिनियमन

6596. **श्री वाई०जी० महाजन :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त कानून अधिनियमित करने और विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) आर्थिक अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विभिन्न विधियों के अधीन कई उपबंध विद्यमान हैं। तथापि, विधियों का पुनर्विलोकन एक निरंतर प्रक्रिया है और सरकार किसी परिस्थिति से निपटने के लिए समय-समय पर पर्याप्त उपाय करती है। आर्थिक अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आयकर अपील अधिकरण, समपहृत संपत्ति और सीमा शुल्क अपील अधिकरण, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण जैसे अधिकरण पहले से ही विद्यमान है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र का पुनरूद्धार

6597. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-1999 से आज की तिथि तक राउरकेला इस्पात संयंत्र के पुनरूद्धार पर वर्षवार कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या पूरी राशि का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस्पात संयंत्र में किए गए पुनरूद्धार कार्य का विशिष्ट ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) वर्ष 1998-99 से आज की स्थिति तक राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर वर्षवार व्यय की गई कुल राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	व्यय की गई राशि
1998-99	279
1999-2000	170
2000-2001	66
2001-2002	41@

@अनंतिम

(ख) व्यय की गई राशि का उचित रूप से उपयोग किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान हॉट स्ट्रिप मिल, रिहीटिंग भट्टी संख्या 5 और 6 का परिबर्धन कार्य पूरा हो गया है।

कम्पनियों के निदेशकों को कम दर पर भारी ऋण

6598. **श्री ए० बाप्पनैया :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में निदेशकों द्वारा अपने लाभ के लिए कम ब्याज दर पर भारी ऋण लेने की प्रवृति पर रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो निदेशकों को लिए जाने वाले ऋणों को सीमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई कम्पनियों ने अपने निदेशकों को भारी ऋण दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे ऋणों की तत्काल वापसी को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार का निदेशकों द्वारा शेयरधारकों को धोखा न दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ङ) उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के निदेशकों को दिए गए ऋणों को जब तक कि वे पब्लिक कम्पनियों की सहायक कम्पनियां न हों, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से छूट प्राप्त है और, इसलिए, किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा इसके निदेशकों को दिए जाने वाले ऋण को विनियमित करने के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त उन पर लागू नहीं होते।

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को तेल और प्राकृतिक गैस निगम के ऋण की वापसी

6599. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने वित्त मंत्रालय के साथ विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को अपने 3000 करोड़ रुपए के ऋणों की वापसी के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी देयराशियों का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने कुल कितनी राशि का ऋण लिया था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी०) ने अक्तूबर, 2001 में विश्व बैंक (आई०बी०आर०डी० ऋण सं० 3364 आई०एन०) और एशियाई विकास बैंक (ऋण सं० 1222-आई०एन०डी०) ऋणों की 563.5 मिलियन अमेरीकी डालर (लगभग 2704 करोड़ रुपये) की कुल राशि के बकाया ऋणों के वापस भुगतान के लिए सरकार का अनुमोदन मांगा था। सरकार ने इन दोनों ऋणों के वापस भुगतान के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। ओ०एन०जी०सी० की योजना विश्व बैंक ऋण और एशियाई विकास बैंक ऋण की संपूर्ण बकाया राशि का वापस भुगतान क्रमश: मई, 2002 और जुलाई, 2002 तक करने की है। नब्बे के दशक की मध्यावधि के दौरान ओ०एन०जी०सी० द्वारा विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से लिए गए दोनों ऋणों की कुल धनराशि क्रमश: 450 मिलियन अमेरीकी डालर और 241.03 मिलियन अमेरीकी डालर थी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल परियोजना

6600. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नई/चालू/लम्बित रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है और उस पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) उनको पूरा करने के लिए परियोजनावार क्या लक्षित तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं, प्रत्येक परियोजना के लिए 2002-03 के लिए प्रस्तावित खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। परियोजनाओं के पूरा होने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित है, परियोजना की स्थिति में दी गई है। परियोजनाएं धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है।

मध्य प्रदेश में सर्वेक्षणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम प्रत्याशित लागत	2001-02 के अंत में संभावित परिव्यय	2002-03 के लिए बजट परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	दोहरीकरण					
1.	बोलई-कालीसिंध, कालीसिंध किसोनी, किसोनी-बेड़च्छा और मक्सी पीरउमरोद	प०रे०	49.29	45.31	0.90	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	कालापीपल-फंदा/मक्सी-भोपाल	प०रे०	53.00	0.01	31.00	कार्य की प्राथमिकता का पुन: आकलन किया जा रहा है।
	आमान परिवर्तन					
3.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया	द०पू०रे०	510.53	26.29	44.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। चरण-I में गोंदिया-बालाघाट (42 कि०मी०) खंड पर कार्य शुरूकर दिया गया है। उपलब्ध स्थानों पर मिट्टी संबंधी कार्य तल्प स्तर तक और पुल संबंधी कार्य पूरे हो गये हैं। बाग नदी पर (7x60') पुल का कार्य प्रगति पर है। जबलपुर-बालाघाट खंड के बीच चरण-II में जबलपुर के निकट डिट्रार्ड संरेखण के लिए 12 कि०मी० में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
4.	नीमच-रतलाम	प०रे०	116.74	14.57	25.00	पुल जैसी दीर्घकालिक मदों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा और पूरा कर लिया जाएगा।
	नई लाइनें					
5.	शिवपुर-ग्वालियर-भिंड के रास्ते गुना-इटावा	म०रे०	400.00	293.95	40.00	गुना-ग्वालियर और ग्वालियर-भिड खंडों का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। भिंड से इटावा नई लाइन के अंतिम चरण का कार्य प्रगति पर है। इसमें चंबल (9x76.2 मी०), कुवारी (6x45.75 + 1x76.2 मी०) और यमुना (10x61 मी०) नदियों पर 3 बड़े पुलों का निर्माण शामिल है। यमुना पुल पर कार्य प्रगति पर है। चंबल और कुवारी पुल की उप संरचना के निर्माण के लिए निविदाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
6.	ललितपुर-सतना और रीवा-सिंगरौली	म०रे०	925.00	5.27	30.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है।
7.	गोधरा-इंदौर, देवास-मक्सी	प०रे०	597.00	48.73	22.10	कार्य चरणों में किए जाने की योजना है। देवास और मक्सी के बीच पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है।
8.	रामगंज मंडी-भोपाल	प०रे०	425.00	0.25	20.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।

विवरण-II

मध्य प्रदेश में चल रहे रेल सर्वेक्षण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	योजना शीर्ष	रेलवे
1	2	3	4
1.	भिंड-उरई हरपालपुर	नई लाइन	मध्य
2.	खारगोन, सेंधवा के रास्ते खंडवा से नरदाना	नई लाइन	मध्य
3.	सिरपुर-मऊ	नई लाइन	मध्य
4.	कटंगी से तिरोडी	नई लाइन	दक्षिण पूर्व
5.	विश्रामपुर से जबलपुर	नई लाइन	दक्षिण पूर्व
6.	राजनंदगांव-जबलपुर	नई लाइन	दक्षिण पूर्व
7.	बिलासपुर से जबलपुर	नई लाइन	दक्षिण पूर्व
8.	खवासा, सियोनी और धूमा के रास्ते रामटेक से गोटेगांव	नई लाइन	दक्षिण पूर्व
9.	पेंडारा रोड कोरबा/गेरवा रोड	नई लाइन	दक्षिण पूर्व
10.	बांसवाड़ा के रास्ते डूंगरपुर से रतलाम	नई लाइन	पश्चिम
11.	आमला तक विस्तार सहित पुलगांव-अरवी आमान परिवतर्न	आमान परिवर्तन	मध्य
12.	छिंदवाड़ा-नागपुर	आमान परिवर्तन	दक्षिण पूर्व
13.	छिंदवाड़ा-नैनपुर	आमान परिवर्तन	दक्षिण पूर्व
14.	उज्जैन-इंदौर	दोहरीकरण	पश्चिम

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता

6601. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता उनकी आवश्यकता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्र में कितनी मात्रा में अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है और उसका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या अतिरिक्त विद्युत को विद्युत की कमी वाले राज्यों में भेजा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों को किन दरों पर विद्युत की आपूर्ति की जा रही है;

(ङ) क्या उन राज्यों पर देय राशि बकाया है जिन्हें पूर्वी क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की संस्थापित क्षमता इस समय की जरूरत से अधिक है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में व्यस्ततम काल में 1500 मेवा व गैर-व्यस्ततम काल में 1000 मेवा सरप्लस विद्युत उपलब्ध है। लगभग 1300 मेवा सरप्लस विद्युत पड़ोसी क्षेत्रों को निर्यात की जा रही है।

(ग) और (घ) पूर्वी क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० स्टेशनों की सरप्लस विद्युत कम उत्पादन वाले पड़ोसी राज्यों को पारेषित की जाती है। एन०टी०पी०सी० केन्द्रों से पूर्वी क्षेत्र के लाभार्थियों को विद्युत आपूर्ति की मौजूदा दर पर ही एन०टी०पी०सी० पूर्वी क्षेत्र से बाहर के राज्यों को विद्युत आपूर्ति करता है। मार्च, 2002 में पूर्वी क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० की स्टेशन वार टैरिफ निम्नानुसार है :

(i) फरक्का एसटीपीएस – 166.91 पैसा किलो वाट प्रति घंटा

(ii) कहलगांव एसटीपीएस – 216.89 पैसा किलो वाट प्रति घंटा

(iii) तालचेर एसटीपीएस – 156.88 पैसा किलो वाट प्रति घंटा

ग्रिडको, उड़ीसा आपस में तय दरों पर (इस समय 2.37/किवा सब मिलाकर) अपट्रांस्को, आंध्र प्रदेश को विद्युत की आपूर्ति करता है। पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ने पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि० से उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली तथा हरियाणा को 1.85/किवा की दर से (पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र के पारेषण प्रभारों को छोड़कर) विद्युत निर्यात को आसान बनाया है।

(ङ) और (च) 31 मार्च 2002 के अनुसार एन०टी०पी०सी० केन्द्रों के बारे में पूर्वी क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति सहित बकाया देयताओं

की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के अनुसार उसके माध्यम से विद्युत व्यापार का कोई बकाया नहीं है।

विवरण

31.3.2002 के अनुसार एन०टी०पी०सी० को देय राज्यवार कुल बकाया राशि समेत पूर्वी क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति

(आकड़े करोड़ रुपये में)

रा०वि०यो०	दी गई तिथि तक	बकाया प्रभार	कुल बकाया
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	3006.79	1155.55	4162.34
राजस्थान	282.74	50.09	332.83
हरियाणा	345.74	322.80	668.54
हिमाचल प्रदेश	23.61	24.38	47.99
जम्मू और काश्मीर	139.89	17.96	157.85
चंडीगढ़	0.35	—	0.35
मध्य प्रदेश	1466.68	529.33	1996.01
महाराष्ट्र	448.98	343.64	792.62
गुजरात	385.66	47.34	433.00
आंध्र प्रदेश	76.43	19.49	95.92
तमिलनाडु	371.27	233.35	604.62
कर्नाटक	176.89	140.06	316.95
केरल	935.20	228.63	1163.83
पांडिचेरी	2.86	19.86	22.72
असम	54.12	29.41	83.53

एच०पी०सी०एल० द्वारा लीबिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

6602. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० (एच०पी०सी० एल०) ने हाल ही में कच्चे तेल के लिए लीबिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे देश में कच्चे तेल की आवश्यकता किस सीमा तक पूरी होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 2002-2003 के लिए भारतीय रिफाइनरियों में अनुमानित 115.661 एम०एम०टी० कुल क्रूड संसाधन जरूरत में से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की 0.81 एम०एम०टी० मात्रा के आयात के लिए लीबिया की नेशनल आयल कंपनी के साथ एक सावधि संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

आरक्षित डिब्बों में अनारक्षित यात्रियों का प्रवेश

6603. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि देश में सभी रेलवे जोनों में मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षित डिब्बों में अनारक्षित यात्रियों को प्रवेश की अनुमति न दी जाए, गत तीन वर्षों के दौरान गहन औचक जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक अवसर पर जोन वार कितने यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया और उनसे दंड के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(घ) आरक्षित डिब्बों में अनारक्षित यात्रियों को अनुमति देने के लिए इन डिब्बों के कंडक्टरों/चल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन तथा खान-पान सेवाओं को आई०आर० सी०टी०सी० के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव

6604. **श्री एन०टी० षणमुगम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव पर्यटन तथा खान-पान सेवाओं से आई०आर०सी०टी०सी० के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसका मुख्यालय कहां है;

(ग) क्या सरकार के पास आई०आर०सी०टी०सी० को चलाने के लिए आवश्यक भूमि, भवन तथा जन-शक्ति मशीनरी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा आई०आर०सी०टी०सी० को तब तक सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम का गठन करते समय सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी खानपान संबंधी गतिविधियां नए निगम को सौंप दी जाएंगी और रेलवे इन सेवाओं से स्वयं को अलग रखेगी। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) स्टेशनों और चल इकाइयों पर उपलब्ध मौजूदा सुविधाएं भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को सौंप दी जाएंगी;

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मालडिब्बों के परिचालन में वृद्धि

6605. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालडिब्बों के परिचालन वृद्धि से संबंधित 2000-01 के दक्षता सूचकांक में पिछले वर्ष के मुकाबले माल डिब्बों के परिचालन (वैगन टर्न एराउन्ड) मामूली वृद्धि दर्ज हुई है;

(ख) क्या 2000-01 के दौरान उससे पिछले वर्ष की तुलना में किलोमीटर के संदर्भ में मालडिब्बों में कुल लदान के प्रतिशत में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मालडिब्बों/फ्रेट कारों की परिचालन दक्षता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) 2000-01 के दौरान ब०ला० मालडिब्बा टर्न राउन्ड 1999-2000 में 7.7 दिनों की तुलना में 7 कम हो गया है जो कि लगभग 2.6% का सुधार दर्ज करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में 2000-01 में लादे गए कुल मालडिब्बा किलोमीटर के प्रतिशत में कमी के कारण नीचे दिए गए हैं :–

i. पण्य विशिष्ट माल डिब्बों जैसे बी०ओ०बी०आर० (बॉटम डिस्चार्ज मालडिब्बे) जो उतराई परिचालनों इत्यादि में कुशल है, को सेवा में लगाने से खाली मालडिब्बों की वापसी का अनुपात बढ़ा है।

ii. लोह अयस्क सहित कोयला, खनिजों के लदान में बढ़ोत्तरी जबकि इनका खुले मालडिब्बे में लदान किया जाता है और खाली मालडिब्बों की वापसी का अनुपात अधिक है।

iii. पूर्वोत्तर सीमा रेल के लिए लदान में बढ़ोत्तरी जिसकी वजह से खाली मालडिब्बों की वापसी का अनुपात बढ़ा है।

iv. ढके मालडिब्बों की बेहतर उपलब्धता जिसकी ग्राहकों द्वारा आम तौर पर बोरी बंद परेषणों की लदान के लिए वरीयता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप वापसी की दिशा में खुले मालडिब्बे में बोरी बंद परेषणों के लदान में कमी आई और जिसके द्वारा खाली डिब्बों की वापसी के अनुपात में बढ़ोत्तरी हुई।

(घ) भारतीय रेलों पर माल डिब्बों की उपयोग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जो कि माल डिब्बा किमी० प्रति मालडिब्बा दिन तथा प्रति मालडिब्बा शुद्ध टन किलोमीटर (एन०टी०के०एम०) इत्यादि में वृद्धि से स्पष्ट है। मालडिब्बों के परिचालन में कुशलता में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं :–

i. टर्मिनलों और मार्गों का सुदृढ़ीकरण

ii. मालभाड़ा परिचालन और सूचना प्रणाली (एफ०ओ० आई०एस०) जो कि कंप्यूटर पर आधारित एक नेटवर्क है, के जरिए मालगाड़ियों की निगरानी

iii. टर्मिनलों पर ठहराव को कम करने के लिए लदान की अवधारणा पर इंजन को सेवा में लगाना

iv. आवधिक अनुरक्षण जांच सहित क्लोज सर्किट रेक को सेवा में लगाना

v. गाड़ी की औसत गति बढ़ाने के लिए उच्च अश्व शक्ति वाले बिजली और डीजल रेल इंजनों को सेवा में लगाना।

[हिन्दी]

प्रथम न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

6606. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जी०जे० जावीया :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया जजेज एसोसिएशन (रजि०) हैदराबाद से नवंबर, 1999 के प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु पत्र और ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या गुजरात तथा देश के अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के सभी पदों को भरा नहीं गया है और कुछ पद अभी भी रिक्त पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो ये रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे;

(च) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में दस, पांच, दो तथा एक वर्ष से कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(छ) ये मामले कब तक निपटा लिए जाएंगे; और

(ज) इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को ऑल इंडिया जजेज् एसोसिएशन (रजिस्ट्रीकृत), हैदराबाद से प्रधानमंत्री को संबोधित तारीख 7.6.2001 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए ज्ञापन है। ज्ञापन सरकार से सभी सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित करने की मांग करता है। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों के एक समान वेतनमान और अन्य सेवा शर्तें सम्मिलित हैं।

(ग) सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सिफारिशों को तारीख 11.10.2001 और तारीख 11.3.2002 के कार्यान्वयन आदेशों के द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत क्रियान्वित कर दिया है। तथापि, तारीख 21 मार्च, 2002 के उच्चतम न्यायालय के आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार द्वारा किए गए विनिश्चयों के परिवर्ती निदेश अंतर्विष्ट हैं। जिनका तारीख 30 सितम्बर, 2002 तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के द्वारा अनुपालन किया जाना है।

(घ) और (ङ) 2 मई, 2002 को उच्च न्यायालयों की 647 न्यायाधीशों की अनुमोदित पद संख्या में से (जिसके अंतर्गत 43 नए पद भी हैं) 492 न्यायाधीश पदासीन थे और 155 पद रिक्त थे। तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय एडवोकेड-आन-रिकार्ड एंड अदर्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के पश्चात् उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने की संपूर्ण प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पर निर्भर करती है। तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से समय-समय पर वर्तमान और प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध करती रही है। रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए सिफारिश करने के लिए अंतिम बार उनसे तारीख 15 मार्च, 2002 को अनुरोध किया गया था।

(च) एक विवरण संलग्न है।

(छ) कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती।

(ज) सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कम खर्चीला और शीघ्र न्याय प्रदान की दृष्टि से न्यायालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सतत् रूप से प्रयास किए हैं। सरकार न्यायालयों में लंबित बकाया मामलों का लगातार पुनर्विलोकन भी करती रही है। सरकार ने, समय-समय पर न्यायाधीश संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ सुलह, मध्यस्थता और माध्यस्थम् सहित निपटारे के वैकल्पिक ढंगों को भी स्थापित किया है/बढ़ावा दिया है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरणों, आय-कर अपील अधिकरणों, श्रम न्यायालयों, उपभोक्ता न्यायालयों, आदि जैसे विशेष अधिकरण गठित किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मुकदमा सूचियां तैयार करने, मुकदमा लड़ने वालों/अधिवक्ताओं आदि को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। न्यायालयों द्वारा समान विधि के प्रश्नों वाले मामलों को समूहबद्ध करने, विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करने और नियमित अंतरालों पर लोक अदालतें आयोजित करने, आदि जैसे अनेक उपाय भी किए गए हैं।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में समयवार लंबित मामले

उच्चतम न्यायालय

पांच वर्ष से कम	5 10 वर्ष	10 15 वर्ष	कुल (1.11.2001 को यथाविद्यमान)
19024	2475	257	21995

उच्च न्यायालयों में समयवार लंबित मामले (31.12.2000 को यथा विद्यमान)

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को यथा विद्यमान	मामले का प्रकार	1 वर्ष से कम	1 से 2 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 से 6 वर्ष	6 से 7 वर्ष	7 से 8 वर्ष	8 से 9 वर्ष	9 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	इलाहाबाद	31.12.2000	मुख्य	103354	68686	41324	41058	40483	30571	30434	33138	33938	28301	172535	623813
			प्रकीर्ण	42072	24819	16246	14693	14781	11924	12426	11573	10797	17070	51925	228326
			योग	145426	93505	57570	55751	55264	42495	42860	44702	44735	45371	224460	852139
2.	आंध्र प्रदेश	31.12.2000	मुख्य	143918	15867	4740	5775	160871	0	12194	0	0	0	0	147591
			प्रकीर्ण	11323	3705	45	17	14	6	0	0	0	0	0	15110
			योग	155241	19572	4785	5792	160885	6	12194	0	0	0	0	162701
3.	बम्बई	30.09.2000	मुख्य	59619	27093	20202	16149	15218	13299	11298	9621	8695	7097	29374	217665
			प्रकीर्ण	30626	12547	9310	8035	6025	3057	2049	1463	1148	847	1421	76528
			योग	90245	39640	29512	24184	21243	16356	13347	11084	9843	7944	30795	294193
4.	कोलकाता	30.06.2000	मुख्य	23270	21360	19429	12527	15147	11229	15840	11777	10360	15267	144257	300463
			प्रकीर्ण	549	235	156	184	250	331	666	392	445	189	1379	4776
			योग	23819	21595	19585	12711	15397	11560	16506	12169	10805	15456	145636	305239
5.	दिल्ली	31.12.2000	मुख्य	17246	9554	9614	6559	5485	4825	4511	4822	4834	3661	29817	100928
			प्रकीर्ण	22301	15270	9728	7210	4917	2441	2230	2415	2197	2316	6048	77073
			योग	39547	24828	19342	13769	10402	7266	6741	7237	7031	5977	35865	178001
6.	गुवाहाटी	30.09.2000	मुख्य	9355	8518	5719	3600	2195	950	481	198	97	49	59	31221
			प्रकीर्ण	3105	2598	1835	1853	0	227	2	1	20	3	59	9703
			योग	12460	11116	7554	5453	2195	1177	483	199	117	52	118	40924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	गुजरात	31.03.2000	मुख्य	23698	12043	8668	8912	7929	10188	6265	3354	3340	2902	17310	104609
			प्रकीर्ण	11722	5534	3701	4192	3936	2844	1234	2073	361	356	936	36889
			योग	35420	17577	12369	13104	11865	13032	7499	6057	3701	3258	18246	141498
8.	हिमाचल प्रदेश	30.09.2000	मुख्य	3808	2026	1333	1322	1071	631	777	464	86	26	35	11579
			प्रकीर्ण	1882	679	175	99	61	12	36	15	11	3	1	2004
			योग	5690	2705	1508	1421	1132	643	813	479	97	29	36	13483
9.	जम्मू-कश्मीर	31.12.2000	मुख्य	4786	3270	2248	1976	1651	1205	704	481	395	553	1508	18777
			प्रकीर्ण	5047	3620	2767	1880	1447	1113	500	320	256	254	833	18017
			योग	9833	6690	5015	3856	3098	2318	1204	801	651	807	2341	36794
10.	कर्नाटक	31.12.2000	मुख्य	39265	21927	8116	6667	2221	1303	814	2118	214	181	900	83726
			प्रकीर्ण	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
			योग	39265	21927	8116	6667	2223	1303	814	2118	214	181	900	83728
11.	केरल	31.12.2000	मुख्य	47600	26073	13738	7548	4916	3355	2943	1941	1932	867	481	111394
			प्रकीर्ण	105625	54633	30383	14348	9131	5498	5623	2319	1182	339	236	229317
			योग	153225	80706	44121	21896	14047	8853	8566	4260	3114	1206	717	340711
12.	मध्य प्रदेश	31.12.2000	मुख्य	32315	17409	13067	9607	7414	5558	4329	3156	2426	2355	5938	103574
			प्रकीर्ण	3266	741	92	7	0	0	0	0	0	0	0	4106
			योग	35581	18150	13139	9614	7414	5558	4329	3156	2426	2355	5938	107680
13.	मद्रास	30.09.2000	मुख्य	54632	24209	15990	9923	8845	7320	592	5242	3846	3987	7869	147784
			प्रकीर्ण	101384	46871	27246	12995	9277	6148	2842	1773	798	453	301	210088
			योग	156016	71080	43266	22918	18122	13468	3434	7015	4644	4440	8170	357872
14.	उड़ीसा	31.12.2000	मुख्य	16033	11800	11960	8900	6331	3548	2759	2009	1502	745	4055	69642
			प्रकीर्ण	16568	9981	9931	9705	598	439	282	161	102	86	25	47951
			योग	32601	21781	21891	18605	6929	3987	3041	2170	1604	831	4080	117693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	पटना	31.12.2000	मुख्य	34260	6412	4888	3813	2961	1705	1563	1898	1696	1070	5844	66110
			प्रकीर्ण	5344	812	459	242	160	0	0	0	0	0	0	7017
			योग	39604	7244	5347	4055	3121	1705	1563	1898	1696	1070	5844	73127
16.	पंजाब और हरियाणा	30.09.2000	मुख्य	34874	34874	21019	17436	15417	12815	12167	9703	9588	9152	48497	215542
			प्रकीर्ण	16329	162	53	43	7	1	1	0	0	0	0	16592
			योग	51203	25036	21072	17479	15424	12816	12168	9703	9588	9152	48497	232134
17.	राजस्थान	30.09.2000	मुख्य	15446	17505	13180	9888	6950	5331	4677	4338	2965	2010	7359	89649
			प्रकीर्ण	9187	9860	8010	4892	3094	2085	1344	542	196	55	89	39354
			योग	246333	27365	21190	14780	10044	7416	6021	4880	3161	2065	7448	129003
18.	सिक्किम	31.12.2000	मुख्य	70	14	17	2	2	0	0	0	0	0	2	107
			प्रकीर्ण	33	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
			योग	103	27	17	2	2	0	0	0	0	0	2	153

दिवालिया कम्पनियां

6607. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 10 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी वाली कौन सी निवेश कम्पनियां दिवालिया हो गई हैं;

(ख) उन कम्पनियों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर निवेशकों को किस दर पर धन वापस किया जाएगा; और

(ग) किन मनदी लेखाकारों ने इन कम्पनियों की स्थिति संबंधी प्रमाण पत्र दिए थे और सरकार द्वारा इस गैर-कानूनी कार्य के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) कम्पनी कार्य विभाग इस प्रकार की सूचना नहीं रखता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल उत्पादन में गिरावट

6608. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 10 से 15 वर्षों के भीतर तेल के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है क्योंकि आर्थिक रूप से व्यवहार्य भंडार समाप्त होने शुरू हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या संपूण विश्व में सरकारें अंतिम स्वच्छ ईंधन के रूप में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर हाइड्रोजन गैस के प्रयोग की ओर अग्रसर होन के उपाय तलाश कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जैसा कि दिनांक 15 अप्रैल, 2002 के 'हिन्दू' समाचार पत्र में रिपोर्ट दी गई है, ऊर्जा विशेषज्ञों का अनुमान हैं कि चूंकि आर्थिक रूप से व्यवहार्य भंडार समाप्त हो जायेंगे, इसलिए आगामी 10 से लेकर 15 वर्ष में तेल उत्पादन में कमी की शुरूआत होने लगेगी।

इस रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया है कि विश्व भर में सरकारें तात्कालिक रूप से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, गैस और अणु शक्ति के स्थान पर अंतिम स्वच्छ ईंधन के रूप में ज्ञात हाइड्रोजन सहित स्वच्छतर और सुरक्षित विकल्प अपनाने के मार्ग ढूंढ रही है।

(ग) भारत सरकार हाइड्रोकार्बन गैस समेत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अपेक्षित प्राथमिकता देती रही है। इस ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण तथा उपयोग समेत हाइड्रोजन ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनायें सरकारी स्तर साथ ही स्वतंत्र एजेंसियों तथा संस्थाओं के द्वारा आरंभ की गई है।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष हेतु बजटीय प्रावधान

6609. **श्री किरीट सोमैया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2001-2002 के दौरान निदेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष के लिए आवंटित निधियों अप्रयुक्त रहीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई थी;

(ग) 2002-2003 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष के लिए क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) निधियों का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) वर्ष, 2001-2002 के दौरान 3 लाख रुपए की राशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फण्ड के लिए आवन्टित की गई थी जिसमें से लगभग 2.4 लाख रुपए की राशि अनुपयोजित रही।

(ग) और (घ) वर्ष, 2002-2003 के लिए 3.02 करोड़ रुपए के बंजट का प्रावधान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फण्ड के लिए रखा गया है। फण्ड का उपयोग निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता तथा संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

कोटा ताप विद्युत संयंत्र

6610. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार का विचार स्टेट-चार के अंतर्गत कोटा ताप विद्युत केन्द्र पर विस्तार के रूप में 1x95 मेगावाट यूनिट-6 अधिष्ठापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी०ई०ए० (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण) में 23 अक्तूबर, 2001 को हुई ''स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति'' की बैठक के दौरान यह अपेक्षा की गयी कि परियोजना के लिए दीर्घावधि कोयला आपूर्ति और अन्य लेनदेन के ब्यौरा प्रस्तुत किए जाएं;

(ग) यदि हां, तो क्या 255 करोड़ रुपये के विद्युत वित्त निगम के ऋण को अंतिम रूप दे दिया गया है और कोयला आपूर्ति हेतु आवश्यक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रौद्योगिकीय आर्थिक स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) की स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति (एस०पी०ए०सी०) में अक्टूबर 2001 में हुए विचार-विमर्श के आधार पर सी०ई०ए० ने राजस्थान राज्य विद्युत निगम लि० (आर०आर०वी०यू०एन०एल०) को सलाह दी थी कि वह प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए वित्त व्यवस्था और कोयला सम्पर्क (दीर्घावधिक) की पुष्टि के बारे में ब्यौरे दें। पावर वित्त निगम (पी०एफ०सी०) ने 445.00 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए दिसंम्बर, 2001 में पत्र जारी किया। कोयला मंत्रालय की स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधिक) द्वारा कोयला लिंकेज की पुष्टिकरण प्राप्त किये जाने पर सी०ई०ए० परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टी०ई०सी०) पर विचार करेगा।

न्यायाधीशों की रिक्तियों को तेजी से भरा जाना

6611. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 2002 के 'दि हिन्दू' में ''फिल जजेज़ वैकेन्सीज एट दि अर्लिएस्ट, सेज़ सेंटर'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य न्यायाधीशों तथा संबंधित राज्य सरकारों की ओर से विलंब के कारण उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने में ''बैकलॉग'' बन गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का कुछ नई विधियां अपनाने का प्रस्ताव है ताकि रिक्त होने वाले न्यायाधीशों के पदों को समय पर भरा जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने अपने तारीख 15 मार्च, 2002 के पत्र में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के विद्यमान और प्रत्याशित रिक्त पदों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए सिफारिश करने का अनुरोध किया है। तारीख 8 मई, 2002 को, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अनुमोदित पद संख्या 647 में से (जिसके अंतर्गत 43 नए पद भी है) 492 न्यायाधीश पदासीन थे और 155 पद रिक्त थे। सरकार को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से संबंधित उच्च न्यायालयों में विद्यमान रिक्तियों को भरने संबंधी 50 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय एडवोकेटस ऑन रिकार्ड और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के पश्चात् उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रस्ताव को भेजने की संपूर्ण प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पर निर्भर करती है। तथापि, सरकार उच्च न्यायालों के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से समय-समय पर वर्तमान और प्रत्याशित रिक्तियां भरने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध करती रही है। रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए सिफारिश करने के लिए उनसे अंतिम बार तारीख 15 मार्च, 2002 को अनुरोध किया गया था।

शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची की मदों में से एक मद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने और एक आचार संहिता बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक

आयोग का गठन करना है। सरकार इन विषयों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आयोग की स्थापना करने के विचार के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने के बारे में पहले से ही व्यापक राष्ट्रीय सहमति है। तथापि, कुछ ऐसे विषय हैं, जिनपर, विशिष्टतया इसकी संरचना के संबंध में व्यापक सहमति बनाने के लिए विचार-विमर्श करना होगा। संविधान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने भी, जिसने संपूर्ण देश में वहस करायी, कुछ सिफारिशें की हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान का संशोधन अपेक्षित होगा।

राजस्व अर्जन

6612. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री अरुण कुमार :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक रेलवे द्वारा माल ढुलाई तथा यात्री यातायात मे मंडल-वार क्रमश: कितनी आय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितनी आय अर्जित हुई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान रेलवे न केवल माल ढुलाई का लक्ष्य प्राप्त कर सकी अपितु यात्रा (कोचिंग) यातायात से हुई आय भी लक्ष्य से कम थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा रेलवे की आय को सभी स्रोतों से बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गऐ हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा 2002-2003 के लिए माल ढुलाई तथा यात्री यातायात के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) रेलों की यातायात आमदनी मंडल-वार नहीं रखी जाती है। बहरहाल, प्रत्येक जोन के लिए माल और यात्री आमदनियों के निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक नीचे दिए गए हैं :–

(करोड़ रुपए में)

रेलवे जोन		1999-2000		2000-01		2001 02		2002-03
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	अनुमानित	लक्ष्य
1		2	3	4	5	6	7	8
मध्य	यात्री	1916.24	1941.82	2053.80	2129.43	2268.79	2288.24	2719.34
	माल	3247.44	3228.48	3491.86	3363.14	3704.53	3961.88	4199.11
पूर्व	यात्री	942.83	920.02	1002.38	991.68	1073.99	1080.45	1272.97
	माल	2668.13	2589.92	2745.25	2674.98	2894.88	2685.00	2766.42
उत्तर	यात्री	1834.08	1906.05	1966.29	2075.67	2319.81	2155.35	2643.18
	माल	3615.74	3951.10	3907.40	3884.57	4094.15	3872.38	4020.07
पूर्वोत्तर	यात्री	539.25	549.73	604.70	590.48	645.86	616.01	712.31
	माल	343.69	417.19	453.74	490.20	535.75	542.52	597.47
पूर्वोत्तर सीमा	यात्री	179.44	185.00	198.24	201.58	227.52	215.28	262.75
	माल	362.38	432.27	434.85	512.66	516.80	632.40	620.21
दक्षिण	यात्री	959.69	945.15	999.50	1057.15	1107.75	1151.30	1320.98
	माल	1196.13	1186.35	1279.78	1317.31	1433.39	1219.36	1302.58

1		2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण मध्य	यात्री	841.06	871.11	902.83	1012.82	1063.83	1095.01	1362.85
	माल	2366.09	2241.91	2464.39	2492.56	2738.20	2550.11	2783.57
दक्षिण पूर्व	यात्री	602.30	628.35	663.27	674.05	747.41	730.85	888.59
	माल	5313.09	5214.03	5627.75	5784.77	6202.21	6248.44	6520.71
पश्चिम	यात्री	1608.18	1608.39	1731.43	1750.31	1899.04	1809.94	2230.70
	माल	3228.31	2799.74	3202.98	2784.91	3115.18	3050.01	3307.86
मेट्रो	यात्री	25.93	25.45	25.56	31.90	33.00	34.25	36.33
	माल	—	—	—	—	—	—	—
भारतीय रेलें	यात्री	9449.00	9581.07	10148.00	10515.07	11387.00	11176.68	13450.00
	माल	22341.00	22060.99	23608.00	23305.10	25235.00	24762.10	26118.00

सभी तीन वर्षों में माल आमदनी लक्ष्य से कम रही है, रेलों की यात्री आमदनी के मामले में 2001-02 में ही कमी रही है जो हाल ही के महीनों में अयोध्या और गुजरात की गतिविधियों के कारण यातायात में बाधा आने के कारण है। सरकारी कर्मचारियों को ''छुट्टी यात्रा रियायत'' के स्थगन के सरकार के निर्णय से भी रेलों की यात्री आमदनी प्रभावित हुई है। माल आमदनी लक्ष्य से कम रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी के रुख के कारण महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों से यातायात की कम प्राप्ति हुई है।

आमदनी में वृद्धि करने की दृष्टि से रेलें गंभीर विपणन प्रयास कर रही हैं जिसमें अतिरिक्त माल यातायात को आकर्षिक करने के लिए विभिन्न छूट योजनाएं शामिल हैं। यात्री आमदनी में वृद्धि करने के लिए सवारी डिब्बों में वृद्धि और विशेष गाड़ियां चलाने, 150 स्थानों पर पी०आर०एस० की सुविधा बढ़ाने, अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू०आई०टी०) शुरू करने और बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान चलाने आदि जैसे कुछ उपाय किए जा रहे हैं। बिजली घरों और अन्य रेल उपयोगकर्ताओं से बकाया की वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा, रेलवे भूमि और नभ स्थल का वाणिज्यिक उपयोग करके, रेलवे स्टेशनों पर और चल स्टॉक आदि पर प्रचार-अधिकार देकर संसाधन जुटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

तेलशोधक कंपनियों के साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की वार्ता

6613. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल के लिए ऊंची कीमत का भुगतान करने पर विचार करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित तेलशोधक कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम तेल कंपनियों तथा तेलशोधक कारखानों से कच्चे तेल के लिए औसत कीमत वसूल करता है;

(ग) यदि हां, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि० परिस्थितियों में यह नई मांग करने के लिए प्रेरित हुआ है;

(घ) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के कुंओं से आपूर्त किया जाने वाला कच्चा तेल आयातित कच्चे तेल से ऊंची गुणवत्ता वाला होता है; और

(ङ) यदि हां, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अपेक्षित अंतरीय कीमतों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए०पी०एम०) की समाप्ति के संबंध में सरकार के दिनांक 28.3.2002 के संकल्प के अनुसार आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी०) और आयल इंडिया लि० (ओ०आई० एल०) के स्वदेशी कच्चे तेल की कीमत 1.4.2002 से बाजार निर्धारित होगी। पर दो वर्ष की अवधि के लिए इन कंपनियों को तत्कालीन तेल समन्वय समिति (ओ०सी०सी०) द्वारा 2001-02 के लिए किए गए आबंटन के आधार पर रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति करना अपेक्षित है। दो वर्ष की अवधि के दौरान कच्चे तेल की कीमतों के संबंध में ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० और रिफाइनरियों के बीच कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। ऐसा कच्चे तेल की गुणवत्ता और आयातित तथा स्वदेशी कच्चे तेल पर विद्यमान राजकोषीय उद्ग्रहणों जैसे घटकों पर विचार करते हुए किया जाएगा।

[हिन्दी]

गैंगमैन की भर्ती

6614. **श्री वाई०जी० महाजन :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल पथों के रखरखाव हेतु रेलवे में कितने गैंगमैन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे में इस समय आवश्यकता की तुलना में गैंगमैनों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार और गैंगमैनों की भर्ती करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) 1.88 लाख।

(ख) से (ङ) रेलपथ अनुरक्षण कार्य के लिए आवश्यक गैंग कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक निर्धारित फार्मूला है। इस फार्मूले की भी रेलपथ अनुरक्षण की प्रणालियों, रेल-पथ संरचना और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों में आए परिवर्तनों के अनुसार समय-समय पर समीक्षा की जाती है। कार्य की प्रत्येक इकाई में दिए गए फार्मूले के अनुसार गैंग कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जाती है। आधुनिकीकरण, आमान परिवर्तन, यार्डों में परिवर्धन और परिवर्तन आदि के कारण संरचना में वार्षिक परिवर्तनों के अनुकूल प्रत्येक वर्ष गैंग कर्मचारियों की आवश्यकता की समीक्षा की जाती है। यदि किसी क्षेत्रीय रेलवे पर गैंग कर्मचारियों की संख्या में कमी होती है तो इस कमी को विभिन्न स्तरों पर कड़ी जांच करने के बाद पूरा कर लिया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी को समाप्त करना

6615. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास "पैलेस ऑन व्हील्स" को बंद करने का प्रस्ताव है क्योंकि उससे रेलवे को अधिक तथा आवर्ती घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को कितनी हानि हुई;

(ग) "पैलेस ऑन व्हील्स" रेलगाड़ी पर रेलवे द्वारा कितने यात्रियों को ले जाया जाता है।

(घ) क्या हानि को कम करने हेतु उपायों का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को चलाने के वित्तीय प्रभावों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1995-96 से 2000-01 तक की अवधि के दौरान बड़ी लाइन की पैलेस ऑन व्हील्स पर अभी तक कुल 13658 पर्यटकों ने यात्रा की है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में पत्रकारिता संहिता का उल्लंघन

6616. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री ब्रह्मानंद मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया द्वारा हिंसा और दंगों को व्यापक रूप से कवर करने के नाम पर पत्रकारिता आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है जिससे गुजरात में हिंसा का कहर बरपा है;

(ग) क्या भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष ने उक्त मीडिया कवरेज के विरुद्ध गम्भीर वक्तव्य जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार का इस संबंध में मीडिया और प्रेस के विरुद्ध क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) भारतीय प्रेस परिषद ने सूचित किया है कि उन्होंने "पत्रकारिता संहिता संबंधी मानदण्ड" बनाए हैं। इसी प्रकार श्री जी० पार्थसारथी की अध्यक्षता वाली सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध सरकारी मीडिया से संबंधी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रसार भारती को समाचार नीति संबंधी दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं। इसके

अतिरिक्त, प्रसार भारती की कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा केबल नेटवर्क द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की विषय-वस्तुओं पर लागू हैं।

(ख) से (ङ) साम्प्रदायिक दंगों वाली स्थितियों में मीडिया रिपोर्टिंग के प्रभाव पर हमेशा भिन्न राय होती है। तथापि, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने 4 मार्च, 3 और 8 अप्रैल, 2002 को मीडिया को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हुए अपील जारी की थी कि उनकी रिपोर्टिंग, विशेषकर गुजरात में साम्प्रदायिक मामलों सम्बन्धी रिपोर्टिंग के नीतिपरक मानदंडों के अनुसार हों और उसमें गुजरात में मौजूदा स्थिति में साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ाने और उकसाने के लिए किसी भी रूप में कुछ न कहा जाए।

[अनुवाद]

पेट्रोल में एल्कोहल का स्तर

6617. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल 2002 के 'दि हिन्दू' में 'इन्क्रीज एल्होहल लेवल इन पेट्रोल' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एथेनोल मिलाकर पेट्रोल की बिक्री करने से देश में प्रदूषण में कमी आएगी और उद्योग तथा कृषकों को लाभ होगा, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने देश में 5 प्रतिशत एथानोल-डोपड पेट्रोल की आपूर्ति दो चरणों में करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों को चरण-I में और बाकी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को चरण-2 में शामिल किया जाएगा।

शाखा रेलवे लाइन का पुनरूद्धार

6618. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा एन०एफ० रेलवे के अन्तर्गत दोमोहोनी के रास्ते न्यू माल बाजार से लेकर चांगरा बंधा के बीच शाखा रेल लाइन के अविवेकपूर्ण पुनरुद्धार से वर्ष 2000-2001 के दौरान रेलवे को 26.00 करोड़ रुपए का परिहार्य घाटा हुआ;

(ख) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में इस खामी पर प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) दक्षेस को दिए गए अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूरा करने के लिए बहाली की गयी थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने, वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट जो हाल ही में प्राप्त हुयी है, इस कार्य पर टिप्पणी की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट के प्रत्युत्तर पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में रेल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आबंटन

6619. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि के अतिरिक्त आबंटन की कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) उड़ीसा में रेल परियोजनाओं हेतु निधियों के अतिरिक्त आवंटन के लिए चालू वर्ष में उड़ीसा सरकार से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उड़ीसा में परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी लागत, मार्च 2002 तक प्रत्याशित व्यय और 2002-03 के लिए परिव्यय प्रत्येक कार्य की स्थिति के साथ संलग्न विवरण में उल्लिखित है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित है, परियोजनाओं की स्थिति में उल्लिखित है।

विवरण

उड़ीसा में चालू रेल परियोजनाएं

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	रेलवे	अद्यतन प्रत्याशित लागत	2001-02 के अंत तक प्रत्याशित परिव्यय	2002-03 हेतु बजट परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	दोहरीकरण					
1.	झारसुगुडा बाईपास	द०पू०रे०	19.62	0.00	0.50	2002-03 के बजट में शामिल नया कार्य है और आरंभ किया जा रहा है।
2.	खोरधा रोड-पुरी चरण-I (खोरधा रोड-देलांग)	द०पू०रे०	47.29	6.80	5.00	खोरधा रोड से 6.5 किमी को शामिल करने वाले खंड I में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य तथा बड़े पुल सं० 17 के लिए ठेका दे दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।
3.	नेरगुंडो-कटक-रघुनाथपुर	द०पू०रे०	112.86	61.72	10.00	कार्य के लिए विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। नेरगुंडो-केंद्रपारा और रघुनाथपुर-कटक खंड पर मिट्टी व पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। 2002-03 में नेरगुंडो-केंद्रपारा पूरा किए जाने की योजना है।
4.	रघुनाथपुर-रेहामा	द०पू०रे०	67.99	65.19	0.68	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
5.	रेहामा-पाराद्वीप	द०पू०रे०	40.95	24.06	10.00	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए हैं। 27 गांवों में भूमि अधिग्रहण हो गया है। मिट्टी व पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है;
6.	रजतगढ़-बरांग	द०पू०रे०	166.16	0.05	5.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। राधाकिशोरपुर से बरांग तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
7.	रजतगढ़-नेरगुंडो	द०पू०रे०	82.86	75.66	3.50	रजतगढ़ से सालेगांव तक खंड पूरा हो गया है। सालेगांव से नेरगुंडो (6 किमी) तक शेष खंड 2002-03 में पूरा किया जाने की योजना है।
8.	संबलपुर-रेंगाली	द०पू०रे०	48.50	0.00	0.50	2002-03 के बजट में शामिल नया कार्य है और आरंभ किया जा रहा है।
9.	तालचेर-कटक-पाराद्वीप (महानदी व बिरूपा पर दूसरा पूल)	द०पू०रे०	104.26	5.33	20.00	बिरूपा नदी पर दूसरा पुल: मिट्टी जांच व विस्तृत डिज़ाइन का कार्य पूरा हो गया है। पुल की निविदा पर कार्रवाई हो रही है। महानदी नदी पर दूसरा पुल: परामर्शदाता ने डिजाइन व आरेखण पेश कर दिए हैं। डिज़ाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद पुल की निविदा आमंत्रित की जाएगी।
10.	टिटलागढ़-लांजीगढ़	द०पू०रे०	100.05	46.90	15.00	मिट्टी व पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। केसिंगा-नोरला रोड़ (23 किमी) 2002-03 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7
	आमान परिवर्तन					
11.	नौपाडा-गुनुपुर	द०पू०रे०	66.35	0.04	10.00	कार्य अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
12.	रूपसा-बांगरीपोसी	द०पू०रे०	78.94	11.90	5.00	चरण-I में रूपसा-बांगरीपोसी खंड (52 किमी) का आमान परिवर्तन करने की योजना है। मिट्टी व पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
	नई लाइन					
13.	अंगुल-सुकिंदा रोड़	द०पू०रे०	245.66	0.68	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सभी 17 बड़े पुलों के लिए भूमि जांच पूरी हो गई है।
14.	दैतारी-बांसपानी	द०पू०रे०	537.74	345.77	40.00	बांसपानी से जोरूली (11 किमी) तक लाइन पूरी हो गई है। शेष हिस्से में मिट्टी, पुल संबंधी कार्य और अन्य कार्य प्रगति पर हैं। जोरूली से कियोंझार तक खंड 2002-03 में पूरा करने का लक्ष्य है।
15.	हरिदासपुर-पाराद्वीप	द०पू०रे०	301.64	16.17	5.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण नक्शे राज्य सरकार को पेश कर दिए गए हैं। कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी।
16.	खोरधा रोड-बोलनगीर	द०पू०रे०	700.00	14.16	5.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। खोरधा रोड छोर से 26 गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण दस्तावेज राज्य सरकार को पेश कर दिए गए हैं। खोरधा रोड छोर से पहली 2.5 किमी दूरी में वहां कार्य शुरू हो गया है जहां राज्य सरकार ने भूमि सौंप दी है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के पास अभी तक 3.66 करोड़ रुपए जमा करवा दिए गए हैं।
17.	कोरापुट-रायगड़ा	द०पू०रे०	479.45	479.44	0.01	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
18.	लांजीगढ़ रोड़-जूनागढ़	द०पू०रे०	100.05	16.93	2.00	चरण I में लांजीगढ़ से भवानीपटना (31 किमी) तक कार्य आरंभ किया गया है। मिट्टी व पुल संबंधी कार्य जारी है।
19.	तालचेर-संबलपुर	द०पू०रे०	478.51	455.01	0.01	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
	रेल विद्युतीकरण					
20.	भुवनेश्वर-कोट्टावालसा	द०पू०रे०	319.64	275.45	30.00	समूचा खंड ऊर्जित कर दिया गया है और बिजली कर्षण शुरू हो गया है। इस परियोजना के विस्तार के रूप में खोरधा रोड पुरी खंड (44 मार्ग किमी) शुरू किया गया है जो मार्च, 03 तक पूरा होने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6	7
21.	बोकारो स्टील सिटी-मुरी हटिया बोंडामुंडा-चिमलागढ़ किरीबू/ बरसुआं, पुरुलिया-कोटशिला सहित	द०पू०रे०	269.81	265.24	4.57	मार्च 2002 तक समूचा खंड ऊर्जित कर दिया गया था। अवशिष्ट कार्य हाथ में है। कानून एवं व्यवस्था की खराब स्थिति, शिरोपरि उपस्कर के ठेकेदार की विफलता तथा डीवीसी/बीएसईबी द्वारा 132 केवी आपूर्ति जारी किए जाने में देरी के कारण इस परियोजना में विलंब हुआ है।
22.	खड़गपुर-भुवनेश्वर, तालचेर-पारादीप सहित	द०पू०रे०	317.36	192.45	21.57	मार्च 2002 तक 110 मार्ग किमी ऊर्जित कर दिया गया है। यह कार्य प्रगति पर है और मार्च 2003 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

अमेरिका के साथ हथियार संबंधी सौदा

6620. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अप्रैल, 2002 के 'दि हिंदु' में ''इंडिया सील्स मेजर आर्म्स डील विद यू एस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) अनुबंधित हथियारों की खरीद कब तक किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी विचारार्थ विषय क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने अमरीकी सरकार से हथियारों का पता लगाने वाले कुछ रेडारों को प्राप्त करने का निर्णय लिया है और इसके लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रेडारों को यथा समय प्राप्त किया जाएगा।

विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन

6621. श्री किरीट सोमैया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अप्रैल, 2002 के ''दि बिजनेस स्टैन्डर्ड'' में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या विभाग कम्पनी अधिनियम की धारा 78 में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव कर रहा है;

(ग) क्या विभाग भारतीय उद्योगों के स्वामित्व का ध्यान रखेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय निवेशकों की सुरक्षा की ओर उचित ध्यान दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (च) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 78 को संशोधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सिलेंडर फटना

6622. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 4 अप्रैल, 2002 के बंगलौर से प्रकाशित डेक्कन हेराल्ड में 3 अप्रैल, 2002 को बंगलौर में रसोई गैस सिलेंडर के फटने की दुर्घटना के विषय में छपी खबर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस तेल कंपनी का नाम क्या है जिसने सिलेंडर की आपूर्ति की थी;

(ग) क्या उस तेल कंपनी के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इस गंभीर दुर्घटना की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं;

(ङ) क्या लोगों को दोषपूर्ण सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तेल कंपनी के लापरवाह रवैये के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (च) यह पता चला कि एल०पी०जी० दुर्घटना, जो 3 अप्रैल, 2002 को बंगलौर में घटित हुई थी, में सम्मिलित सिलेंडर एक समानांतर विपणनकर्ता का था। राज्य सरकारें समानांतर विपणनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त है।

राजस्थान पर्यटन निगम के साथ साझेदारी संबंधी करार

6623. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे राजस्थान पर्यटन निगम के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य राजस्व साझेदारी संबंधी करार करने में सफल नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा समय पर करार न करने के क्या कारण हैं;

(ग) शीघ्र करार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) रेलवे द्वारा ऐसे मुद्दों को हल करने हेतु समय पर बैठकों का आयोजन न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे ने राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स के कारण अन्य पर्यटन क्षेत्रों की अनदेखी की है; और

(च) रेलवे द्वारा संभावित पर्यटन की देशव्यापी समीक्षा करने के लिए किन कदमों का प्रस्ताव किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) जी नहीं, पारस्परिक रूप मे यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बीच 56:44 के अनुपात में राजस्व की हिस्सेदारी की जाए। करार में शामिल उपर्युक्त राजस्व के हिस्सेदारी का अनुपात 1.4.2001 से प्रभावी होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) रेलों ने आम यात्रियों के लिए विशेष गाड़ियां/कोच लगाकर और पैलेस ऑन व्हील्स रायल ओरियंट एक्सप्रेस जैसी खिलासिता पूर्ण गाड़ियां चलाकर और इंडरेल पास आरक्षण कोटा विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधा केन्द्र की व्यवस्था करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। मूल्य आधारित बेहतर पर्यटन पैकेज की व्यवस्था करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आई०आर०सी०टी०सी०) के नाम से एक नई कम्पनी की स्थापना की गई है।

मालगाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता

6624. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली दो योजना अवधियों के दौरान रेलवे ने 3,00,00 मालगाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान लगाया था किन्तु बजटीय संसाधनों के माध्यम से केवल 44600 डिब्बे ही प्राप्त कर सका;

(ख) क्या रेलवे को मालगाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए आई आर०एफ०सी० के माध्यम से बाजार से उधार लेना पड़ा और ओ०वाई०डब्ल्यू०एस० और बी०ओ०एल०टी० जैसी योजनाओं का सहारा लेना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार ओ०वाई०डब्ल्यू०एस० और बी०ओ०एल०टी० से रेलवे को मालगाड़ी के डिब्बों के अर्जन संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायाता मिली है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) चौपाहिया इकाइयों के रूप में आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत में खरीद के लिए प्रक्षेपित माल डिब्बों की कुल सं० क्रमश: 1,20,000 और 1,36,000 थी। चौपहिया इकाइयों के रूप में आठवीं योजना के दौरान कुल खरीद 96,488 और नौवीं योजना में कुल खरीद 99,962.5 थी। पिछली इन दो पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 44,600 माल डिब्बों की खरीद (चौपहिया इकाइयों के रूप में) का वित्तपोषित सामान्य राजकोष से बजटीय सहायता से किया गया था। शेष मात्रा का वित्तपोषण आंतरिक संसाधनों और बाजार से ऋण लेकर लिया गया था।

(ख) मालडिब्बों की आवश्यकता का निर्धारण पंचवर्षीय योजनाओं के शुरू में किया जाता है और पंचवर्षीय अवधि के प्रत्येक वर्ष की आवश्यकता का निर्धारण सालाना आधार पर अच्छी तरह से तालमेल बैठाकर किया जाता है वार्षिक आवश्यकता का अनुमान सालाना संचालित किए जाने वाला प्रक्षेपित माल यातायात माल डिब्बों की प्रत्याशित उत्पादकता के आधार पर किया जाता है। अधिक समकालीन निष्पादन पर आधारित होने के कारण, वार्षिक प्रक्षेपणों को माल डिब्बों की सालाना खरीद के आधार रूप में माना जाता है और पंचवर्षीय योजना अवधि की शुरूआत में किए गए आकलनों मे फर्क हो सकता है। मालडिब्बों की योजनाबद्ध खरीद की तदनुरूपी वित्त व्यवस्था सालाना बजट में की जाती है। न कि माल डिब्बों की किसी कमी के संबंध में।

मालडिब्बों की खरीद के लिए धनराशि का वितरण निधि के विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कुल धनराशि और विभिन्न कार्यकलापों में निवेश के लिए धनराशि मुहैया कराए जाने की प्राथमिकता पर निर्भर करता है जिसमें माल डिब्बों की खरीद भी शामिल है। पिछले दो पंचवर्षीय योजना अवधियों के लिए माल डिब्बों की खरीद के लिए धनराशि की व्यवस्था बजटीय सहायता, भा०रे०वि०नि० बोल्ट तथा "अपने माल डिब्बों के मालिक बनें" जैसी योजनाओं के तहत बाजार से ऋण लेकर तथा आंतरिक संसाधनों से भी की गई है।

(ग) पिछले दो पंचवर्षीय योजना के लिए अपने मालडिब्बे के मालिक बनें योजना तथा बोल्ट के तहत खरीदे गए मालडिब्बों की कुल संख्या निम्नलिखित है :–

आंकड़े चौपहिया इकाइयों में

	8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खरीदे गए माल डिब्बों की संख्या	9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खरीदे गए माल डिब्बों की संख्या
अपने माल डिब्बे के मालिक बनें योजना (ओवाईडब्ल्यूएस)	9297.5	7827.5
निर्माण, परिचालन, पट्टा और हस्तांतरण (बोल्ट)	शून्य	3000

एल०एन०जी० संबंधी नीति में कर रियायतें

6625. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने प्रस्तावित एकीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस संबंधी नीति में सम्मिलित कर रियायतों का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय एलएनजी के सभी आयातकर्ताओं के लिए दस-वर्षीय कर अवकाश की व्यवस्था करने के पक्ष में है चूंकि इन परियोजनाओं के लिए भारी पूंजी निवेश अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के वर्तमान निगमित कर व्यवस्था के स्थान पर एल०एन०जी० के नौवहन पर प्रति टन शून्य से एक प्रतिशत कर का भी प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) अधिकारियों के ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर सचिवों की समिति ने 11 अक्तूबर, 2000 को हुई अपनी बैठक में विनियमन, एल०एन०जी० पोत परिवहन तथा राजकोषीय व्यवस्था समेत विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एकीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन० जी०) नीति के प्रतिपादन की सिफारिश की थी। इस विषय में एक प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

अशक्त व्यक्तियों के लिये कोटा

6626. **श्री अरूण कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती में अशक्त व्यक्तियों के लिये कोई कोटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कोटे के अन्तर्गत कुछ रिक्तियां बकाया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सरकारी सेवाओं में अशक्त व्यक्तियों के कोटे के संबंध में जारी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार अभिनिर्धारित पदों में अशक्त व्यक्तियों अथवा अशक्ताओं वाले व्यक्तियों की श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित रखना होता है। जिनमें से निम्नलिखित से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक-एक रिक्तियां आरक्षित रखनी होगी :–

1. चक्षुक विकलांग।
2. मूक/बधिक विकलांग।
3. हड्डी संबंधी विकलांग

अशक्त व्यक्तियों हेतु निम्न के लिए आरक्षण उपलब्ध है :–

1. समूह 'ग' तथा 'घ' के पदों के लिए सीधी भर्ती
2. समूह 'ग' तथा 'घ' में पदोन्नति।
3. समूह 'घ' से समूह 'ग' में पदोन्नति।
4. समूह 'क' तथा 'ख' में अभिनिर्धारित पदों पर सीधी भर्ती।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी माध्यम एककों से यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है कि विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की नीति को सही तरह से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजते समय इस आशय का प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए कि उक्त नीति को ध्यान में रखा गया है।

बायो-मास संयंत्रों की स्थापना

6627. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए;

(ख) संयंत्रों के आकार का ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) इनमें से प्रत्येक विद्युत संयंत्र की स्थापना में कितना राजसहायता संघटक शामिल है; और

(घ) योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि निर्धारित, स्वीकृत और व्यय की गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में 37 बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन परियोजनाएं तथा 128 बायोमास गैसीफायर प्रणालियां स्थापित की गई थीं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बायोमास विद्युत/सहउत्पादन परियोजनाएं ग्रिड सम्बद्ध हैं और अतिरिक्त विद्युत को 19 मेवा० तक की व्यक्तिगत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। 500 किवा० यूनिट आकार तक की बायोमास गैसीफायर प्रणालियां मुख्यतया स्टैंडएलोन मोड में स्थापित की गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 231 मेवा० क्षमता की बायोमास परियोजनाएं स्थापित की गई है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं के विभिन्न आकारों तथा प्रकारों के लिए और अंतिम उपयोगकर्त्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी अथवा ब्याज सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन इत्यादि के लिए सवंर्धनात्मक प्रोत्साहन भी उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत समूचे बजटीय प्रावधान का 68.90 करोड़ रु० खर्च किए गए।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित की गई बायोमास गैसीफायर प्रणालियों तथा बायोमास विद्युत/सहउत्पादन परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य	बायोमास गैसीफायर प्रणालियों की संख्या	बायोमास विद्युत/सह उत्पादन परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	38	19
2.	छत्तीसगढ़	—	1
3.	गुजरात	35	—
4.	कर्नाटक	3	11
5.	केरल	2	—
6.	मध्य प्रदेश	4	—
7.	महाराष्ट्र	2	2
8.	पंजाब	2	1
9.	तमिलनाडु	15	1
10.	त्रिपुरा	4	—
11.	उत्तर प्रदेश	9	2
12.	पश्चिम बंगाल	11	—
	कुल	128	37

सौर ऊर्जा वाले वाटर हीटरों को लोकप्रिय बनाना

6628. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सौर ऊर्जा वाले वाटर हीटरों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के हीटरों को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार इस प्रौद्योगिकी में किस प्रकार सुधार करने और इसकी स्थापना को आसान बनाने का विचार है और इस प्रकार के वाटर हीटरों का अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) ऊर्जा के पारंपरिक स्वरूप को बचाने के लिए इस प्रकार के उपकरणों का पुन: अधिकल्पन करने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार का विचार भुगतान के आधार पर इस प्रकार के वाटर हीटरों की स्थापना का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, सौर जल तापकों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से ब्याज सब्सिडी सहित उदार ऋण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। ब्याज की वे दरें, जिन पर योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के अंतिम उपयोगकर्त्ता ऋण प्राप्त कर सकते हैं, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय, सौर तापीय प्रणालियों की प्रौद्योगिकी, डिजाईन और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता करता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जल तापकों में इस्तेमाल किए जा रहे सौर संग्राहकों के लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित किए गए हैं। डिजाईनों तथा सामग्रियों में सुधार को ध्यान में रखते हुए इन मानकों की समीक्षा की जाती है और इन्हें अद्यतन किया जाता है। विनिर्माताओं और उपयोगकर्त्ताओं को परीक्षण एवं तकनीकी सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में छ: क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। सौर जल

तापन प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी सहायता की जाती है।

(ङ) और (च) ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सौर जल तापकों हेतु 50000 वर्गमी० संग्राहक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यशील भवनों में सौर चालित जल तापन प्रणालियों की अनिवार्य स्थापना के लिए एक मॉडल विनियम/उप-नियम का प्रारूप पहले ही तैयार कर लिया गया है और राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ परिचालित कर दिया गया है कि इसे भवन उप-नियमों में शामिल किया जाए। कुछ राज्य सरकारों ने सरकारी कार्यशील भवनों में सौर जल तापकों की स्थापना को अनिवार्य बना दिया है। यह मंत्रालय भी पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीप समूह और जम्मू एवं कश्मीर में सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना हेतु एक विशेष प्रदर्शन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण **अनुलग्नक-I**

सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम
ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज की दरें

प्रौद्योगिकी	कार्यान्वयन करने वाले संगठन	अंतिम उपयोगकर्त्ता की श्रेणी	ब्याज की दर
सौर जल तापन प्रणाली (2000 लीटर क्षमता तक)	बैंक	व्यक्ति, संस्था, संघ, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान	5%* (अंतिम उपयोग-कर्ता को)
सौर जल तापन प्रणाली (2000 लीटर क्षमता तक)	इरेडा (वित्तीय बिचौलियों के माध्यम से) इरेडा वित्तीय बिचौलियों को 2.5% की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराता है।	व्यक्ति, संस्था, संघ, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान	5%* (अंतिम उपयोग-कर्ता को)
सौर जल तापन प्रणाली, (कोई भी क्षमता) सौर वायु तापन प्रणाली, सौर विलवणीकरण प्रणाली, सौर स्वीमिंग पूल	इरेडा (प्रत्यक्ष अथवा वित्तीय बिचौलियों के माध्यम से)**	संस्थाएं, न्यास, धर्मार्थ संगठन आदि (लाभ न कमाने वाले संगठन)	5%*
सौर जल तापन प्रणाली (कोई भी क्षमता) सौर वायु तापन प्रणाली, सौर विलवणीकरण प्रणाली, सौर स्वीमिंग पूल	इरेडा (प्रत्यक्ष अथवा वित्तीय बिचौलियों के माध्यम से)**	उद्योग, होटल और अन्य वाणिज्यिक संगठन (लाभ कमाने वाले)	8.3%

* अंतिम उपयोगकर्त्ताओं (विशिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर) को इस आशय का वचन देना होगा कि आयकर नियमों के अंतर्गत कोई अवमूल्यन भत्ता नहीं मांगा जाएगा।

**वित्तीय बिचौलिए इरेडा द्वारा उनसे चार्ज की गई दर पर 4% अधिक चार्ज कर सकते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000 2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5639/2002]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

[श्री हरिन पाठक]

(एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5640/2002]

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2002- 2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5641/2002]

(तीन) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5642/2002]

(चार) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5643/2002]

(पांच) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5644/2002]

(छह) मझगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5645/2002]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : महोदय, श्री नीतीश कुमार की ओर से मैं भारतीय रेल वित्त निगत तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5646/2002]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : महोदय, मैं श्री यशवंत सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य माध्यस्थम के निबंधनों के अनुसार माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए अधिनिर्णय (1993 के सीए संदर्भ संख्या 8 के अंतर्गत) में संशोधन करने के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5647/2002]

(1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य माध्यस्थम के निबंधनों के अनुसार माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए अधिनिर्णय (1993 के सीए संदर्भ संख्या 9 के अंतर्गत) में संशोधन करने के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5648/2002]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5649/2002]

(2) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5650/2002]

(3) एम०एस०टी०सी० लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5651/2002]

(4) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5652/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 417(अ) जो 12 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उत्पादन हिस्सा बटाना संविदाओं के अंतर्गत तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क की छूट की दर 1800 रुपए प्रति टन की बजाय 900 रुपए प्रति टन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5653/2002]

(2) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5654/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :–

(i) 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा के 8 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई।'

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1–

''बावनवें'' *के स्थान पर* ''तिरेपनवें'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3

''2001'' *के स्थान पर* ''2002'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

(ii) 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 8 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थना (संशोधन) विधेयक, 2001 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई।'

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1–

''बावनवें'' *के स्थान पर* ''तिरपनवें'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3

''2001'' *के स्थान पर* ''2002'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

(iii) 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 8 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण (निरसन) विधेयक, 2001 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई।'

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1–

''बावनवें'' *के स्थान पर* ''तिरपनवें'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4

''2001'' *के स्थान पर* ''2002'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

(iv) 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित हज समिति विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

2. महोदय मैं राज्य सभा द्वारा 8 मई, 2002 को यथापारित हज समिति विधेयक, 2002 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : महोदय, मैं दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड के बारे में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय : अब हम मद सं० 9 – ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज के विरुद्ध एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदया, मैंने विशेषाधिकार नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक समय में, मैं एक ही व्यक्ति की बात सुन सकती हूं। मैं आपको एक-एक कर बुलाऊंगी। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, मैंने माननीय प्रधान मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है; जो सदन के नेता भी हैं। उन्होंने सदन में 1 मई को अपने भाषण के दौरान, गोवा में दिए अपने भाषण को गलत ढंग से यहां उद्धृत कर सदन को जानबूझ कर गुमराह किया है। *(व्यवधान)* मैंने विशेषाधिकार नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या उपाध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी है ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदया, बिहार में दलितों का संहार हो रहा है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपने मंत्री को नहीं बोलने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरे पास, प्रधान मंत्री द्वारा गोवा में दिया गया भाषण तथा यहां सदन में दिया गया भाषण ज्यों का त्यों है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेना चाहते हैं या शून्यकाल लेना चाहते हैं। इसका निर्णय आपको करना है।

अनेक माननीय सदस्य : शून्य काल

श्री बसुदेव आचार्य : महादेय, नियम 222 के अधीन मैंने कारगिल के शहीदों के बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीज के विरुद्ध एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैज़ाबाद) : सभापति महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि यदि एक ही विषय को मैं रोज-रोज सदन में उठाऊं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, उन्हें बोलने दीजिए। निर्णय मुझे करना है आपको नहीं। उन्हें सुनते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : इन्होंने सदन के भीतर व बाहर यह कहा है कि अमरीकी कंपनी से खरीदे गए ताबूतों की कीमत अधिक नहीं थी। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मामला अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। वे निर्णय देंगें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मैंने माननीय रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज के विरुद्ध विशेषाधिकार नोटिस दिया है। कारगिल शहीदों के ताबूत ऊंची कीमत पर खरीदे गए थे। *(व्यवधान)* इसकी खबर दिनांक 8 मई के 'टाईम्स ऑफ इंडिया' में छपी थी। *(व्यवधान)* इसमें कहा गया है : "एक अमरीकी रक्षा खरीद एजेंसी रक्षा आपूर्ति केन्द्र, फिलाडेल्फिया इसी प्रकार के एल्यूनियम के तावूत करीब 1,200 डॉलर में खरीदती है।" *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं इस पर बहस के लिए तैयार हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मुझे विषय का उल्लेख करने दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आचार्य, अध्यक्ष महोदय आकर अपना निर्णय देंगें। यह उनके विचाराधीन है। आपने नोटिस दिया है। इस पर विचार किया जा रहा है और वे आपको बता देंगें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदया, मैं इस विषय पर बहस के लिए तैयार हूं। मैं इस पर विस्तार से बहस करने के लिए तैयार हूं। माननीय सदस्य तथा पूर्व प्रधान मंत्री श्री एच०डी० देवे गौड़ा ने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। सभा में इस मुद्दे पर चर्चा कर तथा उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, ये इसे स्वीकार या अस्वीकार कैसे कर सकते हैं ? इसका निर्णय तो अध्यक्षपीठ को करना होता है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, यह विशेषाधिकार का मामला है। इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, माननीय मंत्री स्वयं को क्या समझते हैं ? वे इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं ? *(व्यवधान)* न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी आयोग द्वारा उनके नाम को स्वीकृत करने के बाद ही वे उत्तर देने के अधिकारी हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप चर्चा के लिए नोटिस दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया, एक समय में एक ही माननीय सदस्य को बोलने दें। आप सभी केवल शोर मचा रहे हैं और कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपका विशेषाधिकार नोटिस मेरे विचाराधीन है। आप कृपया अपनी जगह बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में हत्यायें हो रही हैं। *(व्यवधान)* बिहार और बंगाल पर चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ब्रह्मानन्द मंडल, मैंने इनसे कह दिया है। आप स्वयं मत कहिए। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

अब 'शून्य काल' प्रारंभ करते हैं। इसके लिए कुछ नोटिस हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डॉ० संजय पासवान (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में एक हफ्ते के अंदर 50 लोग मारे गए हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ० संजय पासवान, अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईए। हम सूची के अनुसार चलेंगें। कारीब 30 माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं। कृपया सहयोग कीजिए। अब श्री पी० मोहन बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने दूंगा। माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं। कृपया अपनी जगह बैठिए। कृपया अब व्यवधान उत्पन्न न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस यहां हैं। अब श्री पी० मोहन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में आज भी सात लोग मारे गये हैं। *(व्यवधान)* कल छः लोग मारे गये थे। वहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मारे जा रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, उसके बाद भी यहां कोई बात नहीं हो रही है। *(व्यवधान)* डा० संजय पासवान जी ने इसके बारे में नोटिस दिया हुआ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कीर्ति आजाद, मैं आपको कह रहा हूं। सभी को अवसर दिया जाएगा। नोटिस देने वाले सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। सभी को एक के बाद एक समय दिया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ० संजय पासवान, कृपया अपनी जगह पर बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री पी० मोहन।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आजाद, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

***श्री पी० मोहन** (मदुरै) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक आधुनिक युग में रह रहे हैं जिसमें संचार प्रौद्योगिकी ने हमारे शहर

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री पी० मोहन]

में एक क्रांति ला दी है। टेलीफोन का उपयोग अब कोई विलासिता की वस्तु नहीं है वह आम नागरिकों की भी जरूरत बन गया है। इसलिए हमने यह पाया कि ग्रामीण लोग तथा गरीब तक भी इस टेलीफोन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंनें श्री मोहन का नाम पुकारा है।

***श्री पी० मोहन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक आधुनिक युग में रह रहे हैं। जिसमें संचार प्रौद्योगिकी ने हमारे शहर में एक क्रांति ला दी है। टेलीफोन का उपयोग अब कोई विलासिता की वस्तु नहीं है वह आम नागरिकों की भी जरूरत बन गया है। इसलिए हमने यह पाया कि ग्रामीण लोग तथा गरीब कृषक भी इस टेलीफोन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

किन्तु केन्द्र सरकार की इस संचार नीति इस विकासशील प्रवृत्ति में रूकावटें पैदा कर रही है। विशेषकर जहां तक टेलीफोनों के किराए के शुल्क का संबंध है तो एक टेलीफोन परिमंडल में आने वाले टेलीफोनों के किराए में ही अंतर है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मदुरै का मुख्यालय मदुरै टेलीफोन परिमण्डल है जिसके अंतर्गत तीन राजस्व जुटाने वाले जिले – मदुरै, थेनी और डिंडीगुल आते हैं। इन तीनों जिलों तथा नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन किराए की दरें अलग-अलग हैं। मदुरै में किराया शुल्क 500 रुपए है। थेनी में यह 360 रुपये है और डिंडीगुल में यह मात्र 240 रुपये है। ये दरें इन जिलों के साथ लगे ग्रमीण क्षेत्रों पर भी लागू होती हैं। एक ही परिमण्डल में पड़ने वाले इन क्षेत्रों में टेलीफोन किराये के शुल्क में यह असमानता क्यों होनी चाहिए। एक व्यावसायिक शहर होने के नाते मदुरै शहर के लोग इन किरायों को दे सकते हैं किन्तु इसके साथ लगे शहरों व कस्बों के गरीब लोगों पर यही दर लागू करना उचित नहीं है।

एक ओर जहां सरकार ग्रामीण टेलीफोनो की बात करती है वहीं कई दरस्थ गांवों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन के उपयोग में कमी भी दिखाई दे रही है। विशेषकर मदुरै टैलीकॉम जिले में ही करीब 1000 टेलीफोन वापस जमा करा दिए गए हैं। इन टेलीफोन करनेक्शन कटवाने वाले लोगों में से कम से कम 30 प्रतिशत लोग असमान किराया दरों के कारण टेलीफोन कनेक्शन कटवा रहे हैं। जहां गरीब जनता को टेलीफोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो एक सामान्य आवश्यकता है, टेलीफोन प्रबंध मण्डल की नीति जनता को प्रोत्साहित करने तथा टेलीफोन कटवाने पर बल देने की है। जैसा कि मुझे सूचित किया गया है, यह किराया केवल मदुरै में ही वसूल नहीं किया जाता बल्कि बी०एस०एन०एल० के अंतर्गत आने वाले पूरे देश के सभी क्षेत्रों से वसूल किया जाता है।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किराए की दरों में एक्सचेंजवार उचित प्रकार से सुधार किया जाए जैसा कि विगत सालों में था।

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रहलाद सिंह पटेल।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुनिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का चांस दूंगा।

(व्यवधान)

डॉ० संजय पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आपको बिहार की बात सुननी पड़ेगी। ऐसे कैसे चलेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री प्रहलाद सिंह पटेल का नाम ले चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। इस तरह मत चिल्लाइए। सभी को अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैंने अनेक बार पी०डब्ल्यू०जी०, पी०जी०ए० और एम०सी०सी० के खिलाफ सदन में अपनी बात रखी है। पिछले सप्ताह जिसने भी अखबार पढ़ा है, अगर वह देखे तो पूरे सप्ताह चाहे आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश हो, लगातार हत्याएं जारी हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए, सबको चांस मिलेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : लेकिन मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं, यह सदन उस बात की तरफ ध्यान दे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

*भूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

ऐसे राज्य हैं जहां संगठित अपराध कभी नहीं हुए। लेकिन नक्सलवादी घटनाओं ने जो स्थिति पैदा की है, उसमें सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को यह चेतावनी दी गई है कि आप अपने पद छोड़ दें वर्ना आप मार दिए जाएंगे। उपाध्यक्ष जी, इस सदन में भी अनेक बार नक्सलवादी आन्दोलन के बारे में चर्चा आई होगी लेकिन राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के खिलाफ ऐसे फरमान कभी जारी नहीं हुए। मुझे यहां तक स्मरण है कि वारंगल में यह घटना पहली बार हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन से कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद के खिलाफ कोई व्यक्ति अपनी आवाज इसलिए नहीं उठाता क्योंकि वह मार दिया जाएगा। कई राज्य सरकारों में दलीय भावनाओं के आधार पर उसमें विचार होता है। मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि जब हम लोकशाही को स्वीकार करते हैं तो नक्सलवाद के बढ़ते घटनाक्रम पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और उस पर विचार भी होना चाहिए कि आखिर उसके निदान के रास्ते क्या होंगे। हम यह कह कर टाल दें कि यह राज्य सरकारों का काम है या यह कहें कि हम केन्द्र सरकार के भरोसे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों को बैठ कर इसे बारे में विचार करना होगा। झारखंड की घटना इस बात का प्रमाण है कि वहां सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए। कल, परसों फिर से बिहार में हत्याएं हुई हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग है। जहां संगठित अपराध नहीं थे, वहां लोग सामूहिक रूप से खड़े होकर विरोध करने में कतराते हैं।

आज भी जनप्रतिनिधि वहां पर उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसके बाद मैं मार दिया जाऊंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैंने भी अभी दस दिन की उस इलाके की यात्रा की थी, उस जोन में, जहां पर उनके कैम्प थे। मेरे साथ आई०जी० थे, एस०पी० थे। नक्सलवादियों ने चेतावनी दी तो एक भी जनप्रतिनिधि वहां हमारे साथ शामिल नहीं हुआ। मैं दुर्भाग्य के साथ दुखद रूप से कहना चाहता हूं कि जिस आई०जी० और एस०पी० ने मेरे साथ यात्रा की थी, मैंने उनके साथ यात्रा की थी, उन्होंने मेरे साथ यात्रा नहीं की थी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इससे नक्सलवादियों का मनोबल बढ़ेगा और निश्चित रूप से नक्सलवादियों को आप रोक नहीं सकेंगे। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि जो भी लोकशाही को स्वीकार करते हैं, जो लोग लोकतंत्र पर आस्थार रखते हैं, उनके दलीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ उनकी बढ़ती गतिविधियां जिस प्रकार से पूरे देश में शिकंजा कस रही हैं, हमें एकजुट होकर उस पर विचार करना होगा, यह मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद : हमने भी बिहार के बारे में नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भी नम्बर आयेगा। सब के साथ न्याय होगा। आपको भी बुलाएंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सदन के सभी मैम्बर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गुजरात के बारे में इस सदन में होम मिनिस्टर की तरफ से ऐसा बयान दिया गया था। *(व्यवधान)* महोदय, इन्हें इस तरह कहने का कोई अधिकार नहीं है। यह गुजरात का मामला है, मेरी कांस्टीट्वेंसी का मामला है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जीरो ऑवर चलने नहीं देंगे क्या ?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : यह मेरी कांस्टीट्वेंसी का सवाल है इनको गुजरात के बारे में क्या पता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कटियार, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। क्या कृपा कर अब आप अपने स्थान पर बैठेंगे ? यह 'शून्य काल' है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : यह क्या हो रहा है ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो जीरो ऑवर है, आप जीरो ऑवर नहीं चलने देंगे क्या ? आप क्या करते हैं ? जीरो ऑवर में आपको भी चांस मिलेगा।

श्री कीर्ति झा आज़ाद : हमें भी बिहार के बारे में बोलना है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आज़ाद, आपको भी अवसर मिलेगा। बिहार के बारे में आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। आज़ाद जी, मैं आपको बुलाऊंगा। बिहार पर मैं आपको चांस दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आज़ाद : बिहार का तो नम्बर ही नहीं आता है। वहां हालत खराब है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बिहार के बारे में सुनकर हम एडर्जन करेंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आज गुजरात में 40 हजार लोग कैम्पों में रह रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद : बिहार में पिछले सात दिनों से जो हालत है, उसमें 50 दलित मारे गये हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मि० विजय कुमार मल्होत्रा, मुझे इन्हें संभालना मुश्किल है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। सदन में व्यवस्था बनाए रखिए। लोग मर रहे हैं और शिविर बंद हो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : ऐसे सूचनाएं यहां पर मालूम हुई हैं कि पिछली पांच तारीख को जब यहां पर होम मिनिस्टर बोल रहे थे, जब डिबेट चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई कैम्प बन्द हो रहे हैं। मेरे पास दाहोद के कलैक्टर का लैटर है। *(व्यवधान)* जिन्होंने सब को चिट्ठियां लिखी हैं। *(व्यवधान)* आप बैठ जाइये। गुजरात की सरकार की सूचना के मुताबिक दाहोद और भीमखेड़ा के सब कैम्प बन्द किये गये। इतना ही नहीं, मेरे पास यह सूचना है कि उनको वापस

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बाद में अवसर मिलेगा। श्री मिस्त्री के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं यह रिकार्ड के आधार पर बोल रहा हूं, बिना रिकार्ड के बात नहीं कर रहा हूं। *(व्यवधान)* आप मेहरबानी करके बैठ जाइये। मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात सरकार जान-बूझकर चाहती है कि सभी कैम्पों में रहने वाले लोग वापस जायें, उनके लिए कोई व्यवस्था कैम्पों के अन्दर न रहे। स्थिति सामान्य है, सरकार यह बताने का प्रयत्न कर रही है। इतना ही नहीं, मैं रिकार्ड के आधार पर कहना चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर होम मिनिस्टर ने गुजरात के बारे में गलत इन्फोर्मेशन दी है। *(व्यवधान)* गुजरात के अन्दर लोगों को कैम्पों से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां किसी भी गांव के अन्दर अच्छा एटमोस्फियर नहीं है, कैम्पों में रहने वाले आदमियों को राशन- पानी नहीं दिया जा रहा। होम मिनिस्टर को *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, गृह मंत्री को सदन में अवश्य आना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी जगह पर बैठेंगे ? मैं इसे गंभीरता-पूर्वक लूंगा। जिसका भी सूची में नाम है, मैं उन सभी को बोलने का मौका दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है। आप सभी लोग क्यों खड़े हो गए ? मुझे आपका सहयोग चाहिए। सभा की कार्यवाही इस प्रकार कैसे चलायी जा सकती है ? यह बिल्कुल गलत है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.20 बजे

(इस समय श्री सुन्दर लाल तिवारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ कहना चाहता है। अब सत्तापक्ष के सदस्य शांत हैं। आप लोग अपने स्थान पर वापिस क्यों नहीं जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी अपनी पार्टी का सदस्य कुछ कहना चाहता है। मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है। कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आप कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइए। मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है। कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने उन्हें चांस दिया है।

[अनुवाद]

आप अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े थे और अब आप यहां आगए हैं। कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। आप अपने स्थान पर वापस क्यों नहीं जा रहे हैं ? मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी०एच० पांडियन** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

रवीन्द्र नाथ टैगोर के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के बारे में

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे कुछ कहना है इसलिए मैं एक मिनट का समय आपसे चाहती हूं।

आज देश श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस मना रहा है। टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दो राष्ट्रगान – *बांग्लादेश का 'आमार सोनार बांग्ला' और हमारे देश का 'जन गण मन अधिनायक जय हे' की रचना की है। वे एक ऐसे कवि है जिन्होंने अंग्रेजी सम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष किया है। अपने जीवनकाल में उन्होंने देश की एकता के लिए काम किया। ऐसे समय में जब देश संकट के दौर से गुजर रहा है, रवीन्द्रनाथ, टैगोर को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। वे केवल बंगाल के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के हैं। मैं यह अनुरोध करती हूं कि अगले वर्ष से उनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की जाये। मैं समझती हूं कि सारा सदन इस बात के लिए मेरा समर्थन करता है। संसदीय कार्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। वे सरकार को इस बात के लिए सहमत कराएं।

श्री ए० कृष्णास्वामी (श्री पेरुम्बुदुर) : महोदय, इस मुद्दे पर कुमारी ममता बनर्जी की बात से हम अपने आपको संबद्ध करते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हम सभी इस मांग का समर्थन करते हैं। अगले केलेण्डर वर्ष से रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाये।

सभापति महोदय : मंत्री जी सरकार को सभा की भावनाओं, विचारों से अवगत कराएं और अगले वर्ष से इस अवकाश की घोषणा सुनिश्चित करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, विगत में भी हमने इसकी मांग की थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय मेरे विचार से सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया इसे मान लीजिए।

सभापति महोदय : कुमारी बनर्जी आपने इस मुद्दे को सुबह क्यों नहीं उठाया ? क्या टैगोर का जन्म अपराह्न में हुआ था।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे अगले वर्ष से राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाये।

सभापति महोदय : मैंने कुमारी ममता बनर्जी को एक विशेष मामले के लिए अनुमति प्रदान की है।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : यह छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम जब कभी भी राष्ट्रगान गाते हैं तो रवीन्द्रनाथ टैगोर को याद करते हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, इस विषय पर पूरा सदन एक मत है और आसन से भी इस बारे में राय दी गई है। मैं समझता हूं कि यह उचित है। इसके बारे में जो भी कार्यवाही होगी, जो आवश्यक होगा, संबंधित मंत्री को बताया जाएगा और इसमें दो राय नहीं होगी।

अपराह्न 2.05 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) का पुनरूद्धार न किया जाना

सभापति महोदय : अब सभा मद सं० 9 – श्री बसुदेव आचार्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मैं माननीय इस्पात मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे उसपर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :

''केन्द्र सरकार द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का पुनरूद्धार न किए जाने से उत्पन्न स्थिति।''

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : माननीय संसद सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य ने सरकार द्वारा इस्को का पुनरूद्धार न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं सदन के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों को लाना चाहता हूं :–

[श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी]

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि०, (सेल) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) को 1918 में निगमित किया गया था। 1952 में अनेक बार हुए विलयन के साथ बर्नपुर स्थित इस्पात का उत्पादन करने वाली यह इकाई गुआ और चिरिया में निजी लौह अयस्क खानों, चासनाला, जितपुर और रामनागौर में कोयला खानों, कुल्टो में निजी फाउंड्री और पाइपों का उत्पादन करने वाले संयंत्र तथा विपणन संगठन सहित एकीकृत इस्पात कंपनी बन गई। 1972 में भारत सरकार ने कंपनी का प्रबंधन अपने नियंत्रण में ले लिया और तत्पश्चात 1976 में इस्को के शेयर ले लिए। 1978-79 में इस्को के शेयरों को सेल को अंतरित कर दिया गया और इस्को सेल के पूर्ण स्वामित्व वाली सेल की सहायक कंपनी बन गई।

प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, पुराने पड़ रहे संयंत्रों और उपस्करों, पुरानी प्रौद्योगिकी, आवश्यक पूंजीगत निवेश आदि के अभाव के चलते पिछले कुछ वर्षों से इस्को को निरंतर हानि हो रही है। हालांकि, इस्को के पुनरूद्धार के लिए अनेक प्रस्ताव तैयार किए गए फिर भी, धन के अभाव के कारण किसी भी योजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया जा सका।

रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एस०आई०सी०ए०) में संशोधन द्वारा इस्को के मामले को जून, 1994 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को भेजा गया और अगस्त, 1994 में इसे रूग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया गया। इस्को के पुनरूद्धार के लिए अनेक योजनाओं की परिकल्पना की गई किन्तु कोई भी योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी।

बी०आई०एफ०आर० ने 1.4.2002 को हुई अपनी पिछली बैठक में नोट किया कि कंपनी के पुनरूद्धार के लिए पुनरूद्धार प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए इस्पात मंत्रालय ने 6 माह का समय और मांगा है। तथापित, बी०आई०एफ०आर० कंपनी के पुनरूद्धार हेतु प्रचालन एजेंसी (ओ०ए०) को पूर्णत: सुगठित पुनरूद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सेल को 3 माह का समय मंजूर करने के लिए सहमत था। ऐसा न कर पाने पर कंपनी को बंद करने के पूर्व में जारी किए गए नोटिस की पुष्टि, बगैर किसी और सुनवाई के कर दी जाएगी।

भारत सरकार ने फरवरी, 2000 में सेल के लिए एक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज मंजूर किया था। इस पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ 1 अप्रैल, 1999 की स्थिति के अनुसार सेल/भारत द्वारा इस्को को दिए गए 1946.17 करोड़ रुपए के ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालने की परिकल्पना की गई थी। सेल की पुनर्संरचना योजना के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने सेल द्वारा अल्प शेयरधारिता रखते हुए इस्को को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने की मंजूरी दी थी।

इस्को को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने को ध्यान में रखते हुए सेल ने उपयुक्त कंपनियों से "रूचि की अभिव्यक्ति" (ई०ओ०आई०) आमंत्रित की थी। इस संबंध में तीन पार्टियों अर्थात बी०एच०पी० मिनरल्स मार्केटिंग, आस्ट्रेलिया, मैसर्स मित्सुई कंपनी लिमिटेड, जापान तथा मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टी०पी०ई०), रूस ने प्रत्युत्तर दिया। इन पार्टियों ने काफी परिश्रम किया। लेकिन मैसर्स बी०एच०पी० तथा मैसर्स मित्सुई ने बाद में सूचित किया कि वे इस्को के इस्पात कार्यों में इच्छुक नहीं है। इस प्रकार संयुक्त उद्यम के लिए टी०पी०ई० एकमात्र प्रतिद्वंदी रह गया।

इस्को के पुनरूद्धार के लिए संयुक्त उद्यम की दौड में अकेले बची एक पार्टी, टी०पी०ई० द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। लौह एवं अलौह धातुकर्मीय संबंधी भारत-रूस कार्यदल समूह के फरवरी, 2002 में हुए आठवें सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था और एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया था जो प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की आर्थिक व्यवहार्यता सहित सभी संगत मुद्दों की जांच करेगा और एक सक्षम संयुक्त उद्यम बनाने के लिए पैरामीटरों की सिफारिश करेगा।

इसी बीच, सेल ने इस्को के लिए एक वैकल्पिक पुनरूद्धार पैकेज का प्रस्ताव दिया है जो मेकॉन की रिपोर्ट पर आधारित है। यह प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

सभापति महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1994 में 'इस्को' को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंप दिया गया और पिछले आठ वर्षों के दौरान सरकार ने इसे पुन: चालू करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

'इस्को' देश में सर्वोत्तम-स्थित इस्पात संयंत्रों में से एक है। बढ़िया गुणवत्ता का लौह अयस्क गुआ, मनोहरपुर, चासनाला, जितपुर तथा रामनागैर में पूर्व तटीय रक्षित खानों में उपलब्ध है। चासनाला खान की धोवनशाला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन करती है जिसमें केवल 17 प्रतिशत राख की मात्र होती है। गुआ और मनोहरपुर में रक्षित लौह अयस्क खानों, चासनाला, जितपुर तथा रामनागैर में कोयला खानों – इतने सारे संसाधनों – बर्नपुर में समेकित इस्पात संयंत्र, कुल्टी में रक्षित ढलाई के कारखाने तथा स्पन पाइप संयंत्र तथा देशभर में फैले हुए विपणन नेटवर्क से 'इस्को' को कच्चे माल से लेकर विपणन करने तक पूर्ण संपर्क की सुविधा प्राप्त है। इनकी कोयला खानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करके तथा बर्नपुर इस्पात संयंत्र में न्यूनतम पूंजी निवेश करके 'इस्को' एक लाभ अर्जक संगठन बन सकता है और इसमें देश का सर्वोत्तम समेकित इस्पात संयंत्र बनने की क्षमता है।

जब 1972 में भारत सरकार ने 'इस्को' को किया गया अपने नियंत्रण में ले लिया था तो तत्कालीन इस्पात मंत्री, स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम ने सभा को आश्वासन दिया था। उन्हें सभा के सभी

पक्षों से समर्थन मिला था। मैंने 'इस्को' राष्ट्रीयकरण विधेयक पर उस वाद विवाद देखा है। उन्होंने यह कहकर सभा को आश्वस्त किया था कि सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले रही है। और सरकार हमारे देश के सबसे पुराने इस्पात संयंत्र अर्थात् 'इस्को' का आधुनिकीकरण करने हेतु राष्ट्रीयकरण करेगी।

जब 1972 में इसका राष्ट्रीकरण किया गया तो यह 'सेल' की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी बन गई। वर्ष 1978 से बल्कि 1972 से ही 'इस्को' का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई निवेश नहीं किया गया है और इस तरह यह रूग्ण कम्पनी बन गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। मैंने कुछ संयंत्र और उपकरण देखे हैं। 30-40-50 वर्ष पहले स्थापित किये गए संयंत्र अभी भी कार्य कर रहे हैं।

आज की तिथि के अनुसार, इसमें कोयला खान और लौह अयस्क खानों के श्रमिकों सहित लगभग 23,000 व्यक्ति काम कर रहे हैं। यह सीधे रोजगार के संबंध में है, यहां सैंकड़ों अन्य लघु एकक भी हैं। बर्नपुर में और इसके आसपास 30 सीमेंट के लघु और मध्यम आकार के संयंत्र हैं – 'इस्को' द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कचरे पर निर्भर यहां सैंकड़ो अनुषंगी एकक हैं जहां सैंकड़ो हजारों श्रमिक काम करते हैं।

यदि 'इस्को' को बंद कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? इससे केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, अपितु पड़ोसी राज्य झारखंड भी बुरी तरह प्रभावित होगा।

हमें माननीय मंत्री से इसी तरह के उत्तर प्राप्त होते रहे हैं। आज, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि वे क्या करेंगे। उन्होंने अपनी पहले वाली बात दोहरायी है। तीन माह पूर्व मुझे माननीय मंत्री से उत्तर प्राप्त हुआ। उन्होंने भी उत्तर में यही बात कही। एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार 'सेल' द्वारा प्रस्तुत पैकेज, जिसे 'मिकॉन' ने तैयार किया है। की व्यवहार्यता पर अभी विचार कर रही है।

'मिकॉन' इस्पात मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। आज दिए गए वक्तव्य में बताया गया कि एक कृतिक बल का गठन करने का निर्णय लिया गया है जो प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की आर्थिक व्यवहार्यता सहित सभी संगत मुद्दों की भी जांच करेगा और व्यवहार्य संयुक्त उद्यम का गठन करने के लिए मानदण्डों की सिफारिश करेगा। अंतिम पैरा में उन्होंने पुन: बताया कि 'सेल' ने 'इस्को' के लिए वैकल्पिक पुनरूद्धार पैकेज का प्रस्ताव किया है जो 'मिकॉन' की रिपोर्ट पर आधारित है। इस व्यवहार्य पैकेज को बहुत पहले, कम-से-कम एक वर्ष पूर्व, भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने मंत्रालय को प्रस्तुत किया था। सरकार क्या कर रही है ? वह 'इस्को' को पुन: चालू करने के संबंध में अंतिम निर्णय क्यों नहीं ले रही है ?

मुझे बताया गया है कि वित्त मंत्रालय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 540 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है। सरकार का इरादा क्या है ? वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 540 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है जिसका मतलब है कि वह श्रामिकों को निकालना चाहती है। अधिकांश श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेंगे और इसके बाद सरकार पश्चिम बंगाल की इस प्रमुख सबसे पुरानी तथा सबसे महत्वपूर्ण इस्पात विनिर्माण इकाई को बंद करने का निर्णय ले लेगी। यदि सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 540 करोड़ रुपये की राशि है, तो 'इस्को' के पुनरूद्धार के लिए उसके पास धनराशि क्यों नहीं है ? 'मिकॉन' अथवा भारतीय इस्पात प्राधिकरण का वह कौन सा प्रस्ताव है जो इस्पात मंत्रालय में महीनों से लंबित पड़ा है।

महोदय, 'मिकॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, 'इस्को' के पुनरूद्धार की कुल लागत 1042 करोड़ रुपये होगी। सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 540 करोड़ रुपये की राशि है। 'मिकॉन' अथवा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रस्ताव के अनुसार 1040 करोड़ अथवा 1080 करोड़ रुपये की राशि की एक वर्ष में ही आवश्यकता नहीं है। यह धनराशि तीन वर्ष के भीतर चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए जिस 540 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने पर सहमत हुई है। उसका 'इस्को' के पुनरूद्धार के लिए उपयोग करेगी। पहले वर्ष में न्यूनतम धनराशि की आवश्यकता होगी तथा शेष 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता दूसरे और तीसरे वर्ष में होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

एक या दो दशकों के दौरान तेरह प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, लेकिन एक भी फलीभूत नहीं हुआ। तथाकथित रूसी प्रस्ताव, टी०ई०पी० भी सफल नहीं होगा। तो पुन: कार्यबल को क्यों नियुक्त किया गया है ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा इसमें और विलंब करने का है ताकि वह अपने आप ही बंद हो जाए। मैंने 1 अप्रैल से पहले प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा था।

महोदय, सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की। हमने उनसे अनुरोध किया कि 1 अप्रैल को जब सरकारी प्रतिनिधि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष होंगे, तो वे स्पष्ट रूप से कहें कि सरकार 'इस्को' के पुनरूद्धार पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था। लेकिन 1 अप्रैल को, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की बैठक में सरकार के प्रतिनिधि ने ऐसा नहीं कहा। इसकी बजाय सरकारी प्रतिनिधि ने समय बढ़ाए जाने के लिए कहा। 1 अप्रैल से पहले मंत्री महोदय ने मुझे बताया था कि सरकार छह माह का समय बढ़ाने के लिए कहेगी। उस समय मैंने कहा था कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड छह माह का और समय नहीं देगा। यदि आप पुररूद्धार पैकेज प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं, तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड समय नहीं बढ़ाएगा।

सभापति महोदय : क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, केवल मैंने ही इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। इसलिए आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी नियम मालूम है। लेकिन कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए। यह हजारों श्रमिकों का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति जी, इन्हें नियम के बारे में मालूम है फिर भी जानबूझकर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप बैठिये, आप चैयरमैन नहीं हैं। आप जब बोलेंगे, उस समय ध्यान रखियेगा।

[अनुवाद]

सरकारी प्रतिनिधि ने छह माह का समय बढ़ाने के लिए कहा था लेकिन उसे इस हिदायत के साथ तीन माह का समय दिया गया कि यदि उसने 1 जून तक पुनरूद्धार पैकेज प्रस्तुत नहीं किया, तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड और बैठक नहीं करेगा बल्कि वह एक तरफा भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी को बंद घोषित कर देगा।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार 1 जून से पहले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को पुनरूद्धार पैकेज प्रस्तुत करेगी।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया एक मिनट बैठ जाइए। नियम 197 के अनुसार, मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तथापि, चूंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देने वाले आप अकेले सदस्य हैं, इसलिए मैं नियम 389 के अधीन अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज के लिए आपको नियम से छूट देता हूं। नियमों को प्रयोग के लिए बनाया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए दी जा रही 540 करोड़ रुपये की राशि 'इस्को' के पुनरूद्धार के लिए प्रदान करने पर विचार करेगी क्योंकि यह धनराशि उपलब्ध है। यह धनराशि श्रमिकों को निकालने के लिए हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अति महत्वपूर्ण इस्पात विनिर्माण एकक को पुन: चालू करने हेतु सरकार के पास धनराशि नहीं है।

तीसरा, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय लेगी। मैं टी०पी०ई० प्रस्ताव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं 'सेल' के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे 'इस्को' के पुनरूद्धार के लिए 'सेल' प्रस्ताव पर विचार करें और उसे स्वीकार करें। मुझे आशा है कि इस्पात मंत्री इन सभी प्रश्नों का अवश्य उत्तर देंगे। मैं उनकी समस्याओं और उनकी कठिनाइयों के बारे में भी जानता हूं। उन्हें वित्त मंत्री से लड़ना होगा। वे जानते हैं कि बाधाएं और कठिनाइयां कहां हैं। यह किसी राजनैतिक पार्टी का प्रश्न नहीं है। 'इस्को' के पुनरूद्धार की मांग सम्पूर्ण सदन की मांग है। संचार राज्य मंत्री इस्पात मंत्री के पीछे बैठे हैं और वे भी अपना सिर हिला रहे हैं। इसका मतलब है कि वे भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। इस तरह यह पूरे सदन की मांग है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : इसमें केवल एक बात है। 'इसको' के पुनरूद्धार के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी आवश्यक है। आप अतिरिक्त धनराशि मांग सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : हम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सहमत नहीं हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि इस कम्पनी का पुनरूद्धार किया जाना चाहिए।

श्री तपन सिकदर : स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, आधुनिकीकरण तथा विस्तार किए बिना इस समय किसी उद्योग का पुनरूद्धार नहीं हो सकता है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस सभा को आश्वासन दें कि सरकार 'इस्को' के पुनरूद्धार के संबंध में सकारात्मक कदम उठाए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : माननीय संसद सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने कुछ मूल्यवान सुझाव दिए हैं। कुमारी ममता बनर्जी ने भी प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में प्रश्न उठाया था। वस्तुत: सरकार इस्को (आई०आई०एस०सी०ओ०) के पुनरूद्धार के प्रति बहुत गंभीर है। इस समय हमें पूरी दुनिया के इस्पात उद्योग का परिदृश्य ज्ञात है। यहां तक कि हमारे देश में भी कोई भी वित्तीय संस्थान किसी इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण या इसमें निवेश करने के प्रति सहमत नहीं है। देश में वित्तीय संस्थान पहले ही नए इस्पात संयंत्रों में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। वित्तीय संस्थानों का कुल निवेश 90,000 करोड़ रुपये है और केवल नए आधुनिक इस्पात संयंत्रों में ही 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जहां से विश्वभर के इस्पात क्षेत्र में मंदी के कारण कोई आय नहीं हो रही है। अत: इस्को के आधुनिकीकरण हेतु निवेश करने के लिए कोई वित्तीय संस्थान आगे नहीं आएगा।

हमें इस्को के बहुत पुराने संयंत्र के बारे में जानकारी है। इसकी प्रौद्योगिकी को बदले जाने की आवश्यकता है और इसके लिए बहुत अधिक धनराशि चाहिए। सेल (एस०ए०आई०एल०) ने जो भी पुनरूद्धार पैकेज भेजा है उसे पुनरूज्जीवित करने का पैकेज कहा जा सकता है। यह पैकेज इस्को के पुनरूद्धार हेतु पहला कदम है। जो कुछ भी माननीय संसद सदस्य ने कहा है वह सब इसमें सम्मिलित

है। इस पुनरूज्जीवन पैकेज में वी०आर०एस० भी सम्मिलित है। यहां तक की मेकोन (एम०ई०सी०ओ०एन०) ने भी वी०आर०एस० की सिफारिश की है क्योंकि इस्को में उत्पादन की तुलना में कार्यबल बहुत अधिक है।

आपको कुल्टी की स्थिति के बारे में पता है। इस समय हम कुल्टी में जो कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए देश में या देश के बाहर कोई बाजार नहीं है। इसलिए, हमारे द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार से बार-बार निवेदन किए जाने के पश्चात उन्होंने कुल माल विपणन हेतु उठाया है और कुछ माल अपने कार्यों के लिए लिया है। अभी तक जो कुछ भी उत्पादित किया जा रहा है। उसे गोदामों में रखा जाता है क्योंकि उसके लिए कोई बाजार नहीं है। अकेले कुल्टी में ही 3000 से अधिक कार्यबल है। स्वभाविक है कि कर्मचारियों की संख्या इस इकाई के लिए आवश्यकता से कहीं अधिक है। यदि आप पूरे इस्को को लें तो उसमें बड़ी संख्या में कार्यबल है इसलिए उसे सक्षम बनाने हेतु वी०आर०एस० बहुत आवश्यक है। इस समय कर्मचारियों और श्रमिकों पर ही लगभग 19 प्रतिशत व्यय हो रहा है।

एक नए इस्पात संयंत्र में संस्थापना संबंधी व्यय 4-5 प्रतिशत हैं जबकि हम श्रम लागत पर ही 19 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संस्थापना संबंधी व्यय के लिए 4-5 प्रतिशत तक नीचे लाना होगा। अत: इसे सक्षम बनाने हेतु वी०आर० एस० बहुत आवश्यक है। पुनरूद्धार पैकेज तब तक बहुत व्यवहार्य नहीं होगा जब तक इस पैकेज में वी०बार०एस० को सम्मिलित नहीं किया जाता।

जहां तक टी०पी०ई० का संबंध है, सरकार ने संयुक्त उद्यम का निर्णय लिया है। तीन पार्टियों ने अपनी इच्छा दर्शायी थी और उस समय केवल टी०पी०ई० ही है। अन्य दो पार्टियां पीछे हट गईं। टी०पी०ई० के संबंध में माननीय संसद सदस्य ने एक मुद्दा उठाया है कि वहां इतना बड़ा कार्यबल क्यों है। लौह और अलौह धात-शोधन संबंधी भारत-करन कार्यदल के आठवें सत्र में यह निर्णय लिया गया है और वे पूर्ण अर्थक्षमता और अन्य चीजों की भी जांच करेंगे। रूसी सरकार और भारत सरकार ने आठवें सत्र में संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ इस कृतिक बल का गठन किया और इस्पात मंत्रालय ने टी०पी०ई० के प्रस्ताव की जांच करने हेतु एक समूह रूस भेजा है। इस समय रूसी सरकार टी०पी०ई० के साथ रुपया-रुबल संबंधी कानूनी खाते के उपयोग पर सहमत नहीं है। अत: इसके मार्ग में अब यही रूकावट है और तथापि टी०पी०ई० ने अपनी बहुत अधिक रूचि प्रदर्शित नहीं की है और वे इस मामले में टाल-मटोल कर रहे हैं।

एक अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है। अभी मैंने आपको बताया कि सेल ने मेकोन की सिफारिशों के साथ एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें बी०आर०एस० और अन्य बातें सम्मिलित हैं। यह केवल इस्पात मंत्रालय के पास लंबित नहीं है। वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ भी काफी विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव की पूर्णतया सरकार और मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति देनी है। इस प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। मैं सदन को इसके लिए आश्वस्त कर सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि वह 2 जून से पूर्व बी०आई०एफ०आर० को पुनरूद्धार प्रस्ताव भेज देंगे या नहीं। आप हमें इस मुद्दे पर साफ-साफ बताएं। आप की मंशा क्या है ?

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : वह तिथि पहले ही दी जा चुकी है। हमें उत्तर देना पड़ेगा। हमें उसपर निर्णय लेना ही होगा। मुझे आशा है कि सरकार उससे पूर्व ही निर्णय ले लेगी।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या सरकार पुनरूद्धार पैकेज देगी या नहीं ? मैं यह चाहता हूं कि सरकार 2 जून से पूर्व एक पुनरूद्धार पैकेज दे।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैं इसके बारे में आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि यह अकेले इस मंत्रालय का निर्णय नहीं है। हमें वित्त मंत्रालय से परामर्श करना होगा और मंत्रिमण्डल इसपर निर्णय लेगा। मैं आपको यह बता सकता हूं कि हम सरकार के पास लंबित पुनरूद्धार से संबंधित पैकेज के बारे में 1 जुलाई से पूर्व निर्णय ले लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : आप पुनरूद्धार पैकेज देने जा रहे हैं या नहीं ? *(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : बी०आई०एफ०आर० ने 1 जुलाई तक का समय दिया है न कि 1 जून तक का/सरकार निश्चित रूप से 1 जुलाई से पूर्व ही निर्णय ले लेगी।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विशेषतया निर्णय के बारे में ही नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 1 जुलाई से पहले पुनरूद्धार पैकेज दे देगी या नहीं। आप इस्को को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं या एक प्रस्ताव भेज सकते हैं। महोदय, इन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : यह सरकार के पास लंबित है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, क्या यह सदन को आश्वस्त करेंगे ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, मैंने आपके साथ बहुत उदारता बरती है। मैंने नियमों के ढील देकर आपको बोलने की अनुमति दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा 1 जुलाई से पहले बी०आई०एफ०आर० के पर कोई पुनरूद्धार पैकेज भेजा जाएगा या नहीं। कृपया इस बात का उत्तर दें। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं केवल मंत्री जी की सहायता करना चाहता हूं। मैं प्रश्न पूछने नहीं जा रहा हूं।

सभापति महोदय : आपने सूचना नहीं दी है और आपका नाम सूची में नहीं है। फिर भी, मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं हमेशा अध्यक्षपीठ के निर्णय का पालन करता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने रूसी कानूनी दस्तावेज के मामले और उसपर रूसी सरकार की असहमति का उदाहरण दिया है।

यदि मंत्री जी को इसके बारे में जानकारी है तो वह इसका उत्तर दे सकते हैं अन्यथा उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत सरकार रूसी सरकार के साथ मिलकर हमारी धनराशि को सखालिन के पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश करने और रक्षा क्षेत्र में टी०यू० टैंकों की खरीद की संभावनाओं का पता लगा रही है ? जब रूसी सरकार इन सब प्रबन्धों के बारे में इतनी अधिक उदारता प्रदर्शित कर रही है तो आप इसमें इस्को के कानूनी दस्तावेज संबंधी मामले को सम्मिलित क्यों नहीं करते ? आप इसको इसलिए सम्मिलित नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यदि भारत सरकार आई०बी०पी०एल० के लिए बी०आई०एफ०आर० को पैकेज भेज सकती है तो इससे पहले कि 1 जुलाई को इसकी मृत्यु की घोषणा की जाए, भारत सरकार इस्को के मामले में भी बी०आई०एफ०आर० को एक प्रस्ताव क्यों नहीं भेज सकती ? प्रधान मंत्री जी ने – मुझे इसमें प्रधान मंत्री जी का नाम नहीं लेना चाहिए – सभी दलों के प्रतिनिधिमण्डलों के साथ एक बैठक में इस्पात सचिव को एक प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निदेश दिया था। आपको ऐसा करने से कौन रोक रहा है ? आज तक इस प्रस्ताव को भेजने से आपको कौन सा कारण रोकता रहा है ? मुझे प्रधान मंत्री जी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारी उपस्थिति में निदेश दिया था। कृपया मंत्री जी इसका उत्तर दें कि यह प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया है। जैसा कि श्री बसुदेव आचार्य ने कहा कि क्या आप इसकी जांच कराएंगे कि जब रूसी धन और रूसी समझौतों को उनकी शर्तों पर अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है तो कानूनी दस्तावेज संबंधी खातों के उपयोग हेतु इस्को को इस पैकेज में सम्मिलित क्यों नहीं किया जा सकता ? इसमें गलत क्या है ?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, मैं वाक-आउट करता हूं।

अपराह्न 2.37 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह एक ज्वलंत मुद्दा है। मैंने इस मुद्दे को आज सुबह भी उठाया था। कामकाजी वर्ग में यह धारणा है कि अन्ततः वी०आर०एस० दी जाऐगी और इसे बंद कर दिया जाएगा। यदि श्रमिक की इच्छा है तो वह वी०आर०एस० ले सकता है। लेकिन यदि सरकार अभी स्वयं वी०आर०एस० पैकेज के संबंध में निर्णय लेती है तो यह संदेश जाएगा कि सरकार इस कम्पनी का आधुनिकीकरण करने की इच्छुक नहीं है अपितु वह इस कम्पनी को बंद करना चाहती है। जैसा कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा कि यदि रक्षा और पेट्रोलियम के क्षेत्र में रूसी परियोजना को सम्मिलित किया जा सकता है तो इस्को के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। हम केवल आज ही नहीं चिल्ला रहे हैं। हम आठ या दस वर्षों से आवाज उठा रहे हैं। इस्को के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है। मैं नहीं जानती कि कौन लोग सरकार को इसे बेचने हेतु गुमराह कर रहे हैं। हम इसे सहने वाले अंतिम लोग हैं। इस्को हमारे देश का गौरव है। इसीलिए, सरकार को या तो रूसी प्रस्ताव या सेल के प्रसताव के माध्यम से इस पैकेज को स्वीकृति दे देनी चाहिए। वी०आर०एस० के लिए धनराशि देने के स्थान पर वित्त मंत्री पुररूद्धार पैकेज और इस्को के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से 50 लाख रुपया देने को तैयार हैं। पश्चिम-बंगाल से कुल बयालीस संसद सदस्य हैं। यदि आप चाहें तो हम धनराशि देने को तैयार हैं। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इस्को बंद न की जाए अपितु इसका आधुनिकीकरण किया जाए। हम हर बार वी०आर०एस० की बात कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हम हमेशा श्रमिक वर्ग के लिए वी०आर०एस० लाने की बात करते रहते हैं। इससे गलत संदेश जाता है। आइये हम राजनीतिज्ञों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाऐं न कि श्रमिक वर्ग के लिए। इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि इसे बंदन किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कामगार क्रोधित हैं। वे कहते हैं कि पटरियां बाधित कर दी जाएगी और कुछ भी चल नहीं सकेगा। इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, मैं आपको अधिकतम समय दे चुका हूं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैंने वी०आर०एस० से संबंधित अपने वक्तव्य में कुछ नहीं कहा है। जब माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने इस मुद्दे को उठाया तो मैंने उनसे कहा कि यह पुनरूद्धार पैकेज का एक भाग है। यह पृथक प्रस्ताव नहीं है। वी०आर०एस० के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। और, ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री जी वी०आर०एस० से सहमत नहीं है। इस पर अलग से विचार नहीं किया जाएगा। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों ? आपने इसे पुनरूद्धार पैकेज कहा है। *(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैं आपसे कह चुका हूं कि यह एक पुनरूद्धार पैकेजे है। *(व्यवधान)* यह कामगारों की बहाली के लिए है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, आप एक ध्यानाकर्षण के लिए चालीस मिनट का समय ले चुके हैं। मैं आपको अधिकतम समय दे चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम एक घण्टे से अधिक का समय ले सकते हैं। आप जनता की समस्याओं से अवगत हैं।

सभापति महोदय : यदि हर सदस्य एक घण्टे का समय ले तो इसका अर्थ यह हुआ कि 544 सदस्य 544 घण्टे लेंगे।

(व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : माननीय सदस्य कुमारी ममता बनर्जी ने एक मुद्दा उठाया है। मैं आपको बता चुका हूं कि सरकार इस पर बहुत गंभीर है।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार इस बारे में बिल्कुल गंभीर नहीं है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : माननीय प्रधान मंत्री बहुत ही सहृदय थे। अपनी रूस की यात्रा के दौरान उन्होंने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने रशियन एस्क्रो एकांऊट के उपयोग की अनुमति के लिए इस इस्पात संयंत्र की सहायता के लिए अपने रूसी सहयोगी से इस मुद्दे पर चर्चा की। वहां की रूसी सरकार से अनुरोध करने वाले हमारे माननीय प्रधान मंत्री ही थे, व उनकी यह सहृदयता ही थी कि उन्होंने यह अनुरोध किया। इस अनुरोध के साथ, फेरस और नॉ-फेरस मैटलर्जी पर गठित भारतीय-रूस कार्य दल का आठवां सत्र, मामले पर चर्चा करने में बीत गया। उन्होंने अपने रूसी सहयोगी के साथ इस मुद्दे के एक भाग पर चर्चा की। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इस चर्चा को आप कितनी देर तक जारी रखेंगे ? जब तक आप कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेते, यह नहीं हो पाएगा।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : यदि आप यह महसूस करें कि क्या हो रहा है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। रूसी सरकार को इसमें रूचि नहीं है क्योंकि इस्पात उत्पादन पहले ही अधिक आपूर्ति। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : रूसी सरकार स्खालिन परियोजना में हमारे निवेश तथा दूसरे रक्षा सौदों में दिलचस्पी तो रखती है किन्तु 'इस्को' के उपयोग हेतु एस्क्रो एकाऊंट के सम्बन्ध में नहीं *(व्यवधान)* भारत सरकार कई बेकार की परियोजनाओं पर बहुत अधिक धन व्यय कर चुकी है जोकि अमरिका ने नहीं किया। आप ऐसी परियोजनाओं में धन का निवेश क्यों कर रहे हैं ? *(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : यह प्रस्ताव केवल इस्पात मंत्रालय में ही लंबित नहीं है। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं किन्तु यह एक गोपनीय मामला है। मैं यह कैसे बता सकता हूं कि यह अब कहां पर लंबित है ? तथापि, मैं आपको यह बता सकता हूं कि यह इस्पात मंत्रालय में ही लंबित नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : रूस हमें, उनके टैंक, प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए तथा उनकी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए विवश कर रहा है। हम अपनी परियोजना में निवेश के लिए उन्हें विवेश नहीं कर रहे हैं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है। मैं आंशा करता हूं कि सरकार अंतिम तिथि से पहले निर्णय ले लेगी।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस्को के पुनरूद्धार का प्रस्ताव बी०आई०एफ०आर० को 1 जुलाई से पहले प्रस्तुत कर दिया जाएगा ? उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है इसलिए इसके विरोध में हम सभा-भवन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 2.42 बजे

(इस समय, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

कुमारी ममता बनर्जी : मेरे ख्याल से माननीय मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे इसे प्रस्तुत करेंगें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप हमें आश्वस्त कर रहे हैं ? मेरे ख्याल से इन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि प्रस्ताव बी०आई०एफ०आर० के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैंने यह आश्वासन दिया है कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से पहले निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप पैकेज नहीं दे रहे हैं ?

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं ? यह सरकार के पास लंबित है। *(व्यवधान)* पुनरूद्धार पैकेज सरकार के विचाराधीन है। 1 जुलाई से पहले निर्णय ले लिया जाएगा।

अपराह्न 2.43 बजे

[अनुवाद]

बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक* — *पुर:स्थापित*

सभापति महोदय : अब सभा अगली मद प्रारंभ करेगी। माननीय गृह मंत्री बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय बंदियों का भारत से, भारत के बाहर किसी देश या स्थान को स्थानांतरण और भारत से बाहर किसी देश या स्थान से भारत में कतिपय बंदियों को ग्रहण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कतिपय बंदियों का भारत से, भारत के बाहर किसी देश या स्थान को स्थानांतरण और भारत से बाहर किसी देश या स्थान से भारत में कतिपय बंदियों को ग्रहण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन ने इस पर बोलने के लिए नोटिस दिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं मानवीयता के आधार पर बंदियों के स्थानान्तरण का विरोध नहीं कर रहा हूं किन्तु मैं सक्षमता व कार्य क्षेत्र के आधार पर इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आपने विधेयक का विरोध करने के लिए नोटिस दिया था। यदि आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो आपके बोलने की यहां कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे समाप्त कर लेने दीजिए। मैंने बोलने के लिए नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी, हां।

सभापति महोदय : तो, इसका विरोध कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं क्या कर सकता हूं ? मैं बंदियों के स्थानान्तरण का विरोध नहीं कर रहा हूं किन्तु मैं सक्षमता एवं कार्यक्षेत्र के आधार पर इस समय विधेयक पुर:स्थापित करने का विरोध कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि कुछ देशों के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है।

जब कोई अपराधी भागकर किसी अन्य देश में शरण लेता है तो हमें इंटरपोल के माध्यम से उनकी सूचना मिलती है। यह वही संधि है। किन्तु मुझे भारत तथा किसी अन्य राष्ट्र के बीच बंदियों के स्थानान्तरण के बारे में की गई किसी संधि की जानकारी नहीं है। हमें एक और राष्ट्र के साथ संधि करनी होगी। किन्तु इससे पहले, हम एक विदेशी राज्य में भारतीय अधिनियम के अंतर्गत कारावास काटने वाले विदेशी नागरिक से संबंधित मामले पर निर्णय कैसे ले सकते हैं ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में कारावास काट रहा हो।

श्री वरकला राधाकृष्णन : तो यह विलोमत: होना चाहिए। आप यह भली-भांति जानते हैं कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 पूरे भारत पर लागू है। किन्तु हमारी सीमा से बाहर उसका कार्य क्षेत्र नहीं है।

सभापति महोदय : सिवाए जम्मू-कश्मीर के।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी, हां, वह दूसरा मुद्दा है जिस पर व्यापक चर्चा हो सकती है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत पर लागू है। जब हमारे फौजदारी न्यायालय और उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्णय आपराधिक दंड-प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं तो यह किसी विदेशी राष्ट्र पर लागू कैसे हो सकता है। जहां तक कि इस विधेयक में भी एक प्रावधान है। मैं वह विशेष भाग पढ़ सकता हूं।

सभापति महोदय : जब इस पर विचार होगा तब आप कुछ भी कह सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी हां, किन्तु, मैं इस मुद्दे पर जोर इसलिए दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आप विरोध करना चाहते हैं तो आप केवल विरोध करिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : कृपया व्यवधान न डालें। यदि आप व्यवधान डालेंगे तो मैं वाक्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। सभापति महोदय, कृपया मेरा ध्यान बटाए बिना मेरी बात सुनिए। मैं इसका संदर्भ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बंदियों के अन्य देश में स्थानान्तरण के बावजूद न्यायालयों को निर्णयों को लागू कराने और केन्द्र और राज्य सरकारों को पास सजा को माफ करने की शक्ति दी गई है। फिर भी हमारा क्षेत्राधिकार तो रहता ही है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है। एक बार बंदी को अन्य देश में स्थानान्तरित करने के बाद हम किसी संधि के बिना उस पर क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हमने प्रत्यर्पण संधि की है। परन्तु हमने बंदियों के स्थानान्तरण के संबंध में कोई संधि नहीं की है। अत:, यह समय पूर्व प्रयास होगा। *(व्यवधान)* क्या मैं अपनी बात जारी रखूं ?

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : हमें इस संबंध में अनुबन्ध करने वाले देश के साथ संधि अथवा कोई अन्य व्यवस्था करनी होगी। अनुबन्ध करने वाले देश की परिभाषा विधेयक में दी गई है। यदि ऐसे देश ने हमारे साथ संधि अथवा व्यवस्था पहले से ही कर ली है तो वह हमारे क्षेत्राधिकार में होगा।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 9.5.2002 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : आप विधेयक के गुणावगुणों के बारे में कह रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह विधेयक के गुणावगुणों के बारे में नहीं है। मैं इसके क्षेत्राधिकार और सक्षमता के बारे में बात कर रहा हूं न कि विधेयक के गुणावगुणों के बारे में। मैं इस विधेयक के गुणावगुणों और इसके उपबंधों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो केवल इस सभा द्वारा ऐसे विधान बनाने के क्षेत्राधिकार और सक्षमता की बात कर रहा हूं।

मान लीजिए, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच बंदियों का आदान-प्रदान किया जाये, तो यह कैसे किया जायेगा। निस्संदेह, यह एक अलग बात है कि पाकिस्तान संधि का किस हद तक अनुपालन करेगा क्योंकि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। बंदियों के स्थानांतरण के संबंध में पाकिस्तान के साथ किसी संधि के बिना हम विधान कैसे बना सकते हैं।

सर्वप्रथम हमें अन्य देश के साथ संधि करनी पड़ेगी। तभी ऐसा कानून पारित करना इस सभा के क्षेत्राधिकार में होगा। मान लीजिए कि हम भारत और इंगलैंड किंगडम के बीच बंदियों का स्थानांतरण करना चाहते हैं तो जब तक हम उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि जैसी कोई संधि नहीं कर लेते हैं, तब तक इंग्लैंड में नजरबंद किये गये बंदियों के बारे में विधान लाना इस सभा के क्षेत्राधिकार में कैसे हो सकता है ? यदि भारत में दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के तहत किसी विदेशी नागरिक को नजरबंद किया जाता है, तो जब तक वे अपने क्षेत्राधिकार का समर्पण नहीं करले, हम विधान कैसे बना सकते हैं ? हमारे पास ऐसा विधान बनाने की सक्षमता कहां है ? जहां तक प्रत्यर्पण का संबंध है, हमने इंग्लैंड के साथ प्रत्यर्पण संधि की है। अत:, हम इंटरपोल की सहायता से हम बंदियों का भारत में प्रत्यर्पण करते हैं।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, आपने इस मामले में विधान बनाने की इस सभा की सक्षमता के बारे में प्रश्न उठाया है। यह सभा, सर्वशक्तिमान है और इस सभा का, विश्व के किसी भी देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में कानून पारित करने का क्षेत्राधिकार है। यदि वे किसी भी जेल में हैं और उन्हें भारत में लाया जाता है, तो वे भारतीय कानून क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन : परन्तु, वे भारत में नजरबंद किये गये विदेशी नागरिकों के बारे में निर्णय कर रहे हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं आपके माध्यम से उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने, इस संबंध में, तीन देशों के साथ समझौता पहले ही कर लिया है और हम ऐसा समझौता करने के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमने इंग्लैंड, फ्रांस और नार्वे के साथ ऐसा समझौता पहले ही कर लिया है और हम इस प्रयोजनार्थ अन्य देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इस बात का उल्लेख इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में करना होगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे भारत सरकार किसी भी देश से किसी भी प्रकार के विवरण और दस्तावेज की मांग कर सकती है। अत:, इसके आधार पर ही भारत सरकार ने फ्रांस, इंग्लैंड और नार्वे के साथ समझौता किया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अत:, दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 पढ़िए। तब आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, यह केवल दोषी व्यक्तियों का अन्य देशों से भारत में स्थानांतरण और भारत में दोषी विदेशी नागरिकों का मानवीय आधार पर स्थानांतरण करने के लिए समर्थक कानून है। मैं, माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि इस आशय का न तो दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा न ही कारागार अधिनियम अथवा न ही किसी अन्य अधिनियम में कोई उपबंध है। इसलिए, इस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया है। इस समर्थक विधेयक के द्वारा अब हम अन्य देशों के साथ समझौता करने के पश्चात् इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।

इसके बाद हमें मानवीय दृष्टिकोण अर्थात् दोषी व्यक्तियों चाहे वे विदेशों में भारतीय हों अथवा भारत में विदेशी हों, के परिवारों की परिस्थिति और सम्पर्क पर भी विचार करना होगा। उन्हें अनेक सम्बन्धित देशों को स्थानान्तरित करना पड़ेगा। अत:, जब हम इस विधेयक को पारित कर देंगे तो हम उन समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए सक्षम हो पाएंगे जिन्हें हमने कुछ देशों के साथ पहले ही कर लिया है और जिनके संबंध में कतिपय अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर करने हेतु बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। अत:, इस सभा को यह विधेयक पारित करने का पूरा क्षेत्राधिकार है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप विधेयक पर विचार करते समय विस्तार से बोल सकते हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 253 में यह स्पष्टतया बताया गया है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु ऐसा कानून पारित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास कानून होना चाहिए। चूंकि अभी तक ऐसा कानून नहीं है, इसलिए, हमें यह कानून पारित पड़ेगा।

सभापति महोदय : जी हां, इस कानून को पारित करने के बाद ही हम संधि कर सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम संधि करने जा रहे हैं क्योंकि हम एक कानून पारित करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : सभापति महोदय, हम संधि करके उसके बाद कानून पारित कर सकते हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : जी, नहीं; पहले हमारे पास एक समर्थक कानून होना चाहिए और इसी प्रयोजनार्थ हमने यह विधेयक पुर:स्थापित किया है। *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, आप ऐसे अन्य सदस्यों को अब बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं जिन्होंने सूचना नहीं दी है।

सभापति महोदय : जी हां; मैं ऐसे अन्य सदस्यों को अनुमति नहीं दे सकता हूं जिन्होंनें इस विधेयक का विरोध करने की सूचना नहीं दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप इस विधेयक पर विचार करने के दौरान अपनी सभी विधिक आशंकाएं स्पष्ट कर सकते हैं। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा० बिक्रम सरकार (पंसकुरा) : उद्देश्यों और कारणों के विवरण में एक वाक्य है। *(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : यह बात विचार करने के दौरान की जा सकती है।

डा० बिक्रम सरकार : महोदय, उनकी आपत्ति वैध नहीं है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :

"यह विधेयक द्विपक्षीय संधियों के संयोजन में विधायन की प्रस्थापना करता है जिससे कि केन्द्रीय सरकार विदेशी सिद्धदोष व्यक्तियों को उनके देश और स्वदेशी सिद्धदोष व्यक्तियों को अपने देश में स्थानान्तरित करने में समर्थ हो सके।"

इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया है। वे इसका पहला भाग पढ़ रहे थे। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए मैं इसका अंतिम हिस्सा पढ़ रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि यह अन्य देशों की जेलों में पड़े नागरिकों को ला पाने के लिए है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चर्चा में भाग लेने जा रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह तो बाद में किया जाएगा अब नहीं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब समय हो गया है। मुझे सभा को यह बताना है कि सुस्थापित परम्परा के अनुसार अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय नहीं किया जाता है कि क्या यह विधेयक संवैधानिक रूप से सभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है अथवा नहीं। सभा विधेयक की शक्तिमत्ता के विशिष्ट प्रश्न पर भी निर्णय नहीं करती है। अत:, मैं विधेयक के पुर:स्थापन के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कतिपय बंदियों का भारत से, भारत के बाहर किसी देश या स्थान को स्थानान्तरण और भारत से बाहर किसी देश या स्थान से भारत में कतिपय बंदियों को ग्रहण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मैं विधेयक पुर: स्थापित* करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी। अब माननीय सदस्य, डा० मदन प्रसाद जायसवाल बोलेंगे।

अपराह्न 2.57 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में कलार, कलवार, और कलाल जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : भारत के आठ प्रदेशों में कलार, कलवार एवम् कलाल जाति को पिछड़े वर्ग की मान्यता मिली हुई है और उन्हें विकास करने के लिए पिछड़े वर्ग की सुविधा भी मिल रही है। पिछड़े वर्ग की सुविधा के कारण उन्हें अपने विकास करने के अवसर मिले हैं। परंतु आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में इन जातियों को पिछड़े वर्ग की मान्यता अभी तक नहीं मिली है। जबकि गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में यह जातियां शैक्षणिक, सामाजिक एवम् आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हैं और उन्हें अपने विकास करने के लिए सरकार से विशेष सुविधा मिलना आवश्यक है। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इन्हें पिछड़े वर्ग की मान्यता भी गुजरात और आन्ध्र देश में मिलना अति आवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में कलार, कलवार एवम् कलाल जातियों को पिछड़े वर्ग की मान्यता दिलाने हेतु कार्यवाही करे, जिससे इन प्रदेशों में रह रही इन जातियों को विकास के अवसर मिल सकें।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

(दो) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बहुल प्रखंडों का शीघ्र विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : मेरा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम आजादी के 54 साल के बाद बुनियादी सेवा से वंचित है। आज तक इस संसदीय क्षेत्र के प्रखंड तांतनगर, मंझारी, कुमारडोगी में किसी गांव में बिजली नहीं है। यह ब्लाक पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य है, जिन्हें बिजली के अभाव में आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे हैं और न ही उनके बच्चों का बिजली के अभाव में पठन-पाठन ठीक प्रकार से चल रहा है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इन ब्लाकों के गांवों में बिजली पहुंचाई जाए, जिससे यहां के लोग देश के विकास की धारा में आ सकें।

(तीन) आगरा और मुम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 आगरा मुम्बई की फोर लेन व सिक्स लेन में बदलने की सख्त आवश्यकता है। शाजापुर से मक्सी तक बीच में पड़ने वाली नदियों एवम् नालों पर विशेषकर लखुन्दर नदी पर पुल बनाने और मक्सी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। उक्त मामला पिछले तीन वर्षों से विचाराधीन है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त समस्याओं को शीघ्र हल करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

(चार) मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर और लखनादौन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26 नरसिंहपुर से लखनादौन तक लगभग 70 किलोमीटर अत्यधिक जर्जर हालत में है। इस मार्ग पर पड़ने वाला माझा नाले का रपटा पिछली बरसात में टूट गया था तथा आवागमन बंद हो गया था। इस रपटे में पत्थर भरकर इसे चालू किया गया। पुन: वर्षा आने वाली है, परंतु रपटे का निर्माण आज भी नहीं हुआ। इसी मार्ग पर पड़ने वाली एक अन्य पुलिया की ऊंचाई इतनी कम है कि वर्षा में अनेकों बार पानी इसके ऊपर आ जाता है जिसके कारण कई-कई घंटे, कई बार तो दो-दो दिन तक यातायात बंद रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26 देश का महत्वपूर्ण मार्ग है, जो दिल्ली, आगरा, झांसी, सागर होता हुआ लखनादौन में देश के सबसे लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 में मिलता है। यदि इसकी मरम्मत पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो इस वर्ष की वर्षा ऋतु में इससे आवागमन बंद हो जाएगा।

मेरा भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री से विनम्र आग्रह है कि शीघ्र इसके पुनर्निर्माण पर ध्यान देने का कष्ट करें।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

(पांच) कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में समुद्र से भू-क्षरण रोकने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार (मैसूर) : कर्नाटक में मंगलौर से कारवार तक 300 किलोमीटर की समुद्रतट रेखा है जिसमें तीन जिले आते हैं और वहां अरब सागर में अनेक नदियों के मिलने से अनेक नदीमुख बन गये हैं। इस 300 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में से 215.685 किलोमीटर क्षेत्र की समुद्री कटाव रोकने के लिए पहचान की गई है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए 5750 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान तैयार किया था और बाहर से धन प्राप्त करने के लिए इसे सितंबर 1997 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया था।

केन्द्र सरकार ने समुद्र से होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए अनुदान के रूप में मात्र 5.5 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किए हैं जिसका केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 का अनुपात है और उसने कर्नाटक सरकार को राज्य बजट से शेष राशि वहन करने के लिए कहा है। राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह समुद्र से होने वाले भू-क्षरण को रोकने संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इतनी अधिक धनराशि व्यय कर सके।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में समुद्र से होने वाले भू-क्षरण को रोकने संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये।

[हिन्दी]

(छह) औद्योगिक राजसहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर में श्रमिक कालोनियों में रह रहे श्रमिकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से वर्ष 1950 में इंडस्ट्रियल सब्साइड हाउसिंग स्कीम आई०एस०एल० के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 30643 श्रमिक कालोनी आवासों का निर्माण कराया गया था। उक्त प्रकृति का निर्माण उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त उड़ीसा एवं दिल्ली में भी कराया गया था। इसी योजना के तहत कानपुर में भी लगभग 18000 श्रमिक आवासों का निर्माण कराया गया था। बाद में उपरोक्त आवासों को केन्द्र सरकार ने 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानान्तरित कर दिया था। जिसकी देख-रेख उत्तर प्रदेश श्रम मंत्रालय के अधीन श्रामयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा की जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को श्रमिक आवासों को स्थानान्तरित करने के बाद वर्ष 1978 में सुझाव दिया गया था कि श्रमिक आवासों को निर्माण वर्ष में आयी लागत में 20 प्रतिशत की

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

छूट देकर एकमुश्त या 15 वर्षों की किश्तों में उसमें रहने वालों को उनका स्वामित्व दे दिया जाए। ज्ञात हो कि इस सुझाव पर अमल करते हुए दिल्ली में कर्मपुरा श्रमिक कालोनी के आवासों का स्वामित्व मूल्य लागत में 20 प्रतिशत की कटौती पर 4458 रुपए में एकमुश्त या 31-47 प्रतिमाह 15 वर्षों की 5 प्रतिशत ब्याज में दे दिया गया एवं उड़ीसा में वसूले गए किराए को ही लागत मानते हुए फ्री आफ कास्ट में उनमें रहने वालों को दे दिया गया।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कानपुर में श्रमिकों को श्रमिक आवासों का स्वामित्व दिया जाये।

[अनुवाद]

(सात) सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना करने के लिए त्रिपुरा पुलिस बल का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री खागेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा में लंबे समय से चल रहे आतंकवाद की समस्या के कारण राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। चूंकि आतंकवादियों के अड्डे बंगलादेश में हैं और आई०एस०आई० तथा अन्य विदेशी एजेंसियां उन्हें सहायता दे रही हैं और उन्हें उत्प्रेरित कर रही हैं, इसलिए केन्द्र सरकार की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार से सीमापार आतंकवाद समाप्त करने के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन करने के संबंध में किये गये अनुरोधों का कुछ परिणाम नहीं निकला। सीमा सुरक्षा बल के मानदंडों के अनुसार त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के तैनात कार्मिकों की संख्या बहुत ही कम है। बंगला देश से लगी त्रिपुरा सीमा के 856 किलोमीटर लंबे संपूर्ण क्षेत्र पर बाड़ लगाने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। वस्तुत: कार्य अब बिल्कुल रूक गया है। अत:, राज्य पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों से निपटने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मैं पुरजोर मांग करता हूं कि केंद्र सरकार त्रिपुरा पुलिस बलों की आधुनिकीकरण करने संबंधी आवश्यकताओं को तत्काल पूरी करे और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए कदम उठाये।

(आठ) भारत में जार और बोतलों में बेचे जा रहे मिनिरल वाटर की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा० मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, समूचे देश में पेय जल की गंभीर समस्या के कारण लोग देश के कोने-कोने में बेची जा रही पानी की सीलबंद बोतलें और सैशे खरीदते हैं।

केवल समृद्ध और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग ही इन्हें खरीद सकते हैं क्योंकि इसके दाम दूध के दाम के बराबर हैं। हालांकि इस पानी की गणुवत्ता की जांच करने के लिए कोई तंत्र न होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर हो सकता है।

बोतलों और सैशे में सैंकड़ों ब्राण्डों का पानी बेचा जा रहा है। उनमें से अधिकांश ब्रांड आई०एस०आई० के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। तथाकथित मिनरल वाटर बोतल के लिए अपनाया गया फार्मूला मानकीकृत होना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी संयंत्रों में कुशल श्रमिक उपलब्ध हों जो इस बात का विश्लेषण तथा यह सुनिश्चित करें कि बोतलों में केवल मानकीकृत जल ही भरा जाये जो मानव उपयोग के लिए पूर्णत: सुरक्षित हो।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह प्रत्येक राज्य में खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग को यह निदेश दे कि वह मानव उपयोग के लिए सभी बोतल बंद पेय जल, विशेष रूप से उन 20 लिटर वाले जार में बंद पानी का परीक्षण करे जिन्हें समूचे भारत में सभी सार्वजनिक समारोहों में प्रयुक्त किया जाता हैं और जिसका प्रतिदिन लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं।

(नौ) तमिलनाडु में अर्कोनम बस स्टैण्ड के सामने उपनगरीय रेल टर्मिनल बनाए जाने की आवश्यकता

डा० एस० जगतरक्षकन (अर्कोनम) : महोदय, इस समय अर्कोनम इंजीनियरिंग वर्कशाप को बहुत अधिक काम नहीं मिल रहा है और कभी-कभी तो वर्कशाप का अधिकतम उपयोग ही नहीं हो पाता। वर्कशाप को पर्याप्त काम मिल सके, इसके लिए उसे मैकेनिकल वर्कशाप बनाया जा सकता है और श्रमिकों को आवश्यकता पड़ने पर उचित रूप से पुन: प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे रेलवे को न केवल अपनी वर्कशाप का अधिकतम उपयोग करने में सहायता मिलेगी अपितु इससे और अधिक लाभकारी कार्य किये जा सकेंगे और बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा।

अर्कोनम बस स्टैंड के सामने एक उप-नगरीय रेलवे टर्मिनल बनाये जाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान जंक्शन शहर से बहुत दूर है और इसका उपयोग मुख्यत: लंबी दूरी के यात्रियों द्वारा किया जाता है। दैनिक यात्रियों को काफी दूर तक चलना पड़ता है और इसलिए अर्कोनम बस स्टैंड के पास एक उप-नगरीय रेलवे टर्मिनल बनाये जाने की अत्यधिक मांग की जा रही है।

इसलिए, मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि अर्कोनम इंजीनियरिंग वर्कशाप को ज्यादा से ज्यादा काम दिलाने और अर्कोनम बस स्टैंड के पास एक उप-नगरीय रेलवे टर्मिनल बनाये जाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

[हिन्दी]

(दस) बिहार में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : महोदय, पुरातन काल से धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजधानी पाटलिपुत्र, शिक्षा केन्द्र नालनन्दा, वैशाली, वाणावर (जिला जहानाबाद), बोद्धगया, राजगीर, भीमबांध, ककोलत (ठंडे पानी का स्रोत) एवं अन्य स्थान अत्यंत दर्शनीय होने के साथ-साथ अपने

ऐतिहासिक महत्व के कारण देश के व विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहे हैं। परन्तु इन पर्यटन केन्द्रों के विकास एवं इनकी समुचित देख-रेख के अभाव तथा पर्यटकों के लिए आवासीय एवं परिवहन संबंधी सुविधाओं के अभाव में इन पर्यटन केन्द्रों की महता को गहरा धक्का लगा है। इसके साथ ही प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र से प्राप्त होने वाले राजस्व की भी भारी हानि उठानी पड़ रही है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार के इन विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्रों के समुचित विकास हेतु शीघ्र ही आवश्यंक बजटीय राशि का प्रावधान कर यह सुनिश्चित करें कि बिहार प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय की प्रगति अवरूद्ध न हो।

(ग्यारह) देश में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्यटन सर्किटों का विकास किए जाने की आवश्यकता

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में छ: पर्यटन सर्किटों को चुन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की घोषणा की है। मैं इस संबंध में बुद्धिस्ट सर्किट के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने, भगवान महावीर सर्किट, महात्मा गांधी सर्किट, रामजानकी सर्किट और सूफी सर्किट को चयन करने की मांग करता हूं। साथ ही कर्नाटक के श्रवण वेला गोला की भगवान बाहुबली की मूर्ति और बिहार के वैशाली के भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को विश्व धरोहर (वर्ल्ड हेरीटेज़) का दर्जा देने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

(बारह) पंजाब में नगरपालिकाओं के सुचारू कार्यकरण के लिए राज्य सरकार को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का वितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद खन्ना (गुरदासपुर) : महोदय, मैं सभा का ध्यान पंजाब की नगरपालिकाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो गम्भीर वित्तीय संकट में हैं। पंजाब में चुंगी शुल्क समाप्त किए जाने पर पंजाब की नगरपालिकाओं को राज्य सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया गया था जिसके आधार पर पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया था और केंद्र सरकार ने इसके लिए स्वीकृति भी दे दी थी। लेकिन सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस कार्य के लिए दो बार बड़ी मात्रा में धनराशि दिए जाने के बावजूद भी नगर पालिकाओं को उसमें से एक पैसा तक नहीं दिया गया है। इससे समूचे पंजाब में नगरपालिकाओं और शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की स्थिति बहुत ही कठिन हो गई है। नगरपालिकाएं पिछले दो महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। विकास और रखरखाव कार्य भी रुक गये हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि नगरपालिकाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता की राशि तत्काल उन्हें दी जाये और उस राशि का अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग न किया जाये। इन स्थानीय निकायों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी नगरपालिकाओं को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया आये जिससे वे अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें, क्षेत्र का रखरखाव कर सकें और पहले से शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा कर सकें।

(तेरह) कर्नाटक में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के लिए धनराशि शीघ्र निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री जी०एस० बसवराज (तुमकुर) : महोदय, कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना शुरू की है और सभी 28 जिला कोषागारों तथा 185 उप-कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और उन्हें वी०एस०ए०टी० नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। इस परियोजना की कुल लागत 56.40 करोड़ रुपये है। भारत सरकार के माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने अपने बंगलौर दौरे के दौरान यह आश्वासन दिया है कि केंद्र परियोजना के नेटवर्क संबंधी कार्य का वित्त पोषण करेगा जो बंगलौर के साफ्टवेयर टेकनोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एस०टी०पी०आई०) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

इन परियोजनाओं के नेटवर्क संबंधी कार्य में केन्द्र का हिस्सा 29.48 करोड़ रुपए बनता है। राज्य सरकार उक्त हिस्सा शीघ्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुकी है।

मैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकार को जितनी राशि देने का आश्वासन दिया गया था, उसे वह राशि तत्काल दे दी जाये।

[हिन्दी]

(चौदह) हिमाचल प्रदेश में धामी और कुनिहार के बीच किंगल धामी मार्ग के शेष भाग का केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य (शिमला) : सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक सैन्य-महत्व का मार्ग है जिसे किंगल-धामी (डी०जी०बी०आर० – दीपक परियोजना) मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग का निर्माण 1962 के चीनी आक्रमण के पश्चात इस आशय से किया गया था कि तिब्बत सीमा व सेना के प्रमुख बेस-चण्डी मंदिर के बीच यह सबसे छोटा व सारे वर्ष बिना बाधा के उपयोग में लाया जाने वाला मार्ग होगा।

इस महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण कार्य कई कारणों से धामी व कुनिहार क्षेत्र के मध्य केवल ढाई कि०मी० शेष रह गया था, जो अभी भी अधूरा पड़ा है। इस मार्ग के पूर्ण होने से इस क्षेत्र के बेरोजगार युवकों, किसानों व बागवानों को भी इस मार्ग का लाभ उपलब्ध हो सकेगा।

अत: मेरा भारत सरकार से विशेष आग्रह है कि इस भारत-तिब्बत सीमा से चण्डी मंदिर के मध्य धामी व कुनिहार के बीच अनिर्मित लगभग ढाई कि०मी० बचे भाग को "केन्द्रीय रोड फंड" के अंतर्गत

[कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ० धनी राम शांडिल्य]

इसी वित्तीय वर्ष की योजना में उच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) देश में व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : महोदय, हमारी सरकार को लगभग सभी पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की भांति एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता है। इससे बेरोजगार लोगों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों के अलावा राज्य के व्यय पर चिकित्सा बीमा भी उपलब्ध कराया जाता है। हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात भी ऐसी किसी योजना के अस्तित्व में न आने का कारण वित्तीय संकट है। एक बार हमारे सामने यह समस्या आने पर हम इसे हल कर सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी संबंधित पक्षों, गैर-सरकारी संगठनों और विभिन्न बीमा कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श करके एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली शुरू करे जिससे कि बेरोजगारों को कम से कम कुछ भत्ता और चिकित्सकीय सहायता मिल सके। इससे यह भी निश्चित है कि इससे सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों आदि के प्रभावी तरीके से वी०आर०एस० कार्यान्वित करने और सरकारी सेवा में अतिरिक्त श्रम शक्ति को कम करने में सहायता मिलेगी। इसमें और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए और इसे गंभीरतापूर्वक सच्चे मन से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.15 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक — पारित

(एक) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक — *जारी*

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 12 साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल, आपके दल को 11 मिनट दिए गए थे लेकिन आप पहले ही 31 मिनट ले चुके हैं। अभी बहुत से अन्य संसद सदस्यों ने भी बोलना है। अत: कृपया दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। केवल उन्हीं मुद्दों पर समय लगेगा जिन्हें मैं कल नहीं उठा पाया।

महोदय, आज विलय और एकीकरण किए जाने की आवश्यकता है और ऐसी परिस्थिति में सरकार ने कैसे और क्यों कम्पनियों को अलग-अलग करने का निर्णय लिया है? निजी क्षेत्र में आई०सी०आई०सी०आई० का आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के साथ विलय किया गया है। विश्व भर में विलय और एकीकरण किए जा रहे हैं क्योंकि इससे सामर्थ्य बढ़ती है, व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलती है, आय बढ़ती है जोखिम उठाने की क्षमता और सम्पत्तियों में वृद्धि होती है और सहयोग के नए-नए क्षेत्र खुलते हैं। परामर्शदाताओं की क्या राय थी ? अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त परामर्शदाता जैसे क्राइसवाटर हाऊस और चिटाले एण्ड कम्पनी ने कम्पनियों को अलग-अलग करने के इस विशेष कदम के विरुद्ध राय दी थी। युनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक ने इस कम्पनी की पत्रिका में कहा है कि नैशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सर्वाधिक कमजोर हो जाऐगी। केवल युनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी को घरेलु पत्रिका में ही नहीं बल्कि अन्य कई कंपनियों की घरेलु पत्रिकाओं में भी उनके उच्च प्रबन्धन ने अपनी राय व्यक्त की है। लेकिन परामर्शदाताओं की भी अपनी राय है। आई०आर०डी०ए० पर बहस का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था कि "मैं अपनी समझ के आधार पर यह आश्वासन दे रहा हूं कि नई परिस्थितियों में एल०आर०सी० और जी०आई०सी० का व्यवसाय कम नहीं होने जा रहा है अपितु वे अपने व्यवसाय का विस्तान करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में क्या हुआ ? सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी के बीच सीमित प्रतिस्पृद्ध में भी, जो कि एक कार्यकारी आदेश के कारण उत्पन्न हुई है, एक अनुषंगी इकाई द्वारा दूसरी अनुषंगी इकाई का व्यवसाय हड़पने की अनुचित कार्य विधि सामने आई। मैं आपको ओ०एन०जी०सी० से संबंधित बीमा व्यवसाय को हड़पे जाने का हाल ही का एक उदाहरण दे रहा हूं। इसमें सरकारी क्षेत्र की कम्पनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी ने सरकारी क्षेत्र की दूसरी कंम्पनी न्यू इंडिया एन्शोरेन्स कम्पनी से ओ०एन०जी०सी० का 12 बिलियन अमरीकी डालर का बीमा हड़पा है। यह हो रहा है। दूसरी कम्पनी को कमजोर करने की प्रथा और सनुचित कार्यविधि अपनाई जा रही है। यह अभी भी हो रहा है जबकि अभी विदेशी बीमा कम्पनियों ने आकार भी नहीं लिया है। किस के दबाव में यह हो रहा है ? बहुराष्ट्रीय बीमा कम्पनियों के दबाव में इस सरकार ने ऐसा विनाशकारी निर्णय लिया है और इसके लिए न तो परामर्शदाताओं, न बीमा व्यवसाय क़ी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों और न श्रमिक संघों से ही परामर्श किया जा रहा है। यहां तक कि वित्त मंत्री जी ने भी कुछ और ही आश्वासन दिया था। लेकिन यह सब वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का उल्लंधन करके किया जा रहा है। मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सर्वसम्मत सिफारिश का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था :

> "समिति यह नोट करती है कि प्रारंभ में जब बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो जी०आई०सी० की चार अनुषंगी इकाईयां गठित की गई थीं जिससे लोगों को प्रतियोगिता का लाभ मिल सके ..."

मेरे विचार से श्री सुदीप बंद्योपाध्याय उस समिति के सदस्य हैं। डा० विजय कुमार मल्होत्रा उस समिति के सभापति हैं। उन्होंने कहा था :

"लेकिन बीमा बाजार में निजी और विदेशी कंपनियों के प्रवेश से समिति यह महसूस करती है कि प्रतियोगिता के लिए चार अलग-अलग अनुषंगी इकाईयां बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका वातावरण तो निजी क्षेत्र के इस उद्योग में प्रवेश से बन ही जाएगा। समय की आवश्यकता एक विलयित कंपनी बनाए जाने की है जिससे प्रबन्धकीय व्यय में भारी कमी आएगी और इसके साथ ही विलयित कंपनी की प्रति व्यक्ति प्रीमियम उत्पादकता में वृद्धि होगी और उसकी बचत की स्थिति में सुधार होगा।"

लेकिन, इन सभी सिफारिशों के बावजूद भी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप बड़े बीमा जोखिमों को वहन करने की क्षमता में भी कमी आऐगी। समेकित सरकारी क्षेत्र की जोखिम सहने की क्षमता कहीं अधिक होगी। जब अन्य बीमा कंपनियों का विलय हो रहा है, हम उन्हें कमजोर कर रहे हैं। ऐसा विदेशी बीमा कंपनियों और उनकी सरकारों के दबाव में किया जा रहा है और भारत सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। गरीब वर्ग का क्या होगा, उन सामाजिक बीमों का क्या होगा जो हमें राजसहायता प्राप्त लागत पर दिये जा रहे हैं। वे सब नष्ट हो जायेंगे। उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा योजना और एच०यू०टी० बीमा का क्या होगा ? बीमे की लागत में वृद्धि होगी और छोटे बीमा-धारकों पर बोझ बढ़ेगा।

यह कहा गया है कि भारत की जी०आई०सी०; जो विश्व भर ने एक जाना-माना ब्रान्ड नाम है, के नाम को हम पुनर्बीमाकर्ता के लिए उपयोग में लाऐंगे। यह प्रसिद्ध नाम बीमा क्षेत्र में भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह कहा गया है कि जो बीमा व्यवसाय में है, वह पुनर्बीमा व्यवसाय में नही जा सकता। जो भी व्यक्ति पुनर्बीमा व्यवसाय के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता है वह इस तर्क से कभी सहमत नहीं होगा। परामर्शदाता और विशेषज्ञ कभी सहमत नहीं हुए हैं। यह इसका एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेने जा रहा हूं। मैंने अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश की है और सरकार पर इस बात के लिए जोर डाल रहा हूं कि इस सदन की सहमति के बिना ही कार्य किए जा रहे हैं। संसद के प्राधिकार का क्या हुआ ? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। जी०आई०सी०आई० की अनुषंगी इकाइयों को जी०आई० पी०एस०ए० देख रहा है। जी०आई०पी०एस०ए० की संवैधानिक स्थिति क्या है ? सदन को इसके बारे में जानने दें। यह कहा गया था कि इसमें पेशेवरों का प्रमुख होगा। वित्त मंत्रालय के कितने नौकरशाह सरकारी क्षेत्र की इन बीमा कम्पनियों में अभी भी कार्यरत है और कितने अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? मैं उनमें से किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन वे हैं। वे प्रतीक्षा में हैं। वे कहते हैं कि पेशेवर कुछ नहीं जानते। इस देश में निजी बीमा संचालक पेशेवरों को भर्ती कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस देश का क्या होगा।

लोग दुख झेलेंगे। हम राष्ट्रीयकरण के पूर्व के दौर में लौटेंगे। विदेशी बीमा कंपनियां घरेलु संचालकों के साथ मिलकर हमारे धन को लूटेंगी। हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारा राष्ट्रीयकृत क्षेत्र, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ऐसा करने में असमर्थ रहेगा।

इसलिए, ऐसी स्थिति में मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं पुन: इस सम्बन्ध में सभी पक्षों से अपील करता हूं। कभी न कभी, चाहे वह सत्ता पक्ष से ही संबंधित क्यों न रहा हो, इस सदन से संबंधित सभी व्यक्तियों ने, भा०ज०पा० ने भी इसपर टिप्पणी की है। उनकी अपनी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सर्वसम्मति से ऐसा न करने की सिफारिश की थी। यहां बहुत से ऐसे संसद सदस्य हैं जिन्होंने ऐसा न किए जाने हेतु हस्ताक्षर किए हैं। इस सम्बन्ध में तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष, जो अब नहीं रहे, को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। वे उसपर सहमत थे। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ लंबी चर्चा की थी।

मेरे विचार से इस सदन की आम राय यही है कि यह सही समय नहीं है। हम सुधारों के विरुद्ध नहीं है। यदि राष्ट्रीय हित में कोई सुधार किया जाना आवश्यक है तो उसे किया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को कमजोर करना, दूसरों को एकीकृत करना और हमें बांटने हेतु अधिक शक्ति प्रदान करना, हमारे बीच में ही एक दूसरे को कमजोर करने की अनुमति देना, स्वयं के साथ ही प्रतियोगिता करना सही नहीं है। इन सबसे हम ही कमजोर होंगे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी को और न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी नैशनल इंश्योरेन्स कंपनी को कमजोर करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इसलिए इस संबंध में मेरा इस सरकार से वही निवेदन है जो मैं पहले कह चुका हूं। मैं यह कर रहा हूं। मैं सुधारों के विरुद्ध नहीं हूं। सुधार इस देश के हित में हैं।

इस पर आम सहमति है। मैं इस सदन के विभिन्न दलों से संबंधित संसद सदस्यों और महत्वपूर्ण नेताओं को उद्धृत कर सकता हूं जैसे कि मैंने विभिन्न समितियों की सिफारिशों का उल्लेख किया है। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और कहता हूं कि राष्ट्रीय हित में इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। मैं आग्राह करता हूं कि यदि इसे पारित किया गया तो 24 घंटे के अन्दर-अन्दर पूरे देश का बीमा उद्योग इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा।

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 का पुरजोर और प्रबल समर्थन करता हूं। हमारे माननीय मित्र श्री पाल साहब, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है एक तरफ वह कहते हैं कि मैं सुधारों का विरोधी नहीं हूं और दूसरी तरफ उसकी जड़ें खोदने पर तुले हुए हैं। अभी तक पुराना राग अलापा जा रहा है। वर्ष 1991 में जब हमने नई नीतियों को अपना लिया। उदारीकरण, वैश्वीकरण और खुलेपन के दौर में प्राइवेट कंपनियों को हमने बीमा के क्षेत्र में आमंत्रित करने का निश्चय

अपराह्न 3.26 बजे

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

कर लिया और वे कंपनियां इस क्षेत्र में आने लग गई, फिर आप पुराना राग क्यों अलाप रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप चीन की तरफ देखिये। चीन कम्युनिस्टों के लिए एक प्रकार से स्वर्ग के समान है। उस देश ने भी 1988 में अपना बीमा का क्षेत्र विदेशी बीमा कंपनियों के लिए खोल दिया था और 28 विदेशी कंपनियों को संयुक्त उपक्रम के रूप में लाइसेंस दिये थे। इस तरह से वहां दस वर्ष के अंदर बीमा की गतिविधियों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। चीन ने दुनिया के 130 देशों में से लगभग 84 देशों में बीमा कंपनी के संदर्भ में बीमा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 164 सम्पर्क कार्यालय खोले हैं। चीन जैसे देश में ऐसा हो रहा है। दुनिया के कुछ देश बर्मा और कोरिया जैसे देशों ने इस क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोला है। जब बाकी सारा संसार एक हो गया है। हमने डब्ल्यू०टी०ओ० पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। जब वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर चल रहा है और बीमा विनियामक प्राधिकरण पास कर दिया गया है। उसके पश्चात ये इस प्रकार का राग अलाप रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये साम्यवादी बंधुओं की वामपंथी विचारधारा की शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति है कि जमीन के अंदर मुंह छुपा लो और फिर कहते रहो कि हम नहीं देख रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है। आज दुनिया में कितनी तेजी से सुधार हो रहा है और यह हमारे देश को हड़तालों की धमकियां देकर घसीटना चाहते हैं। जिन सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में निरंतर राग अलापा जा रहा है, वे निरंतर हड़तालों के कारण सिक हो गये हैं। बड़े-बड़े, अलग-अलग रंग के झंडों के कारण आज देश रसातल में जा रहा है। आज आर्थिक सुधारों के लिए बीमा के क्षेत्र में हम छलांग लगा रहे हैं तो ये साम्यवादी ताकतें राष्ट्र के आर्थिक मार्ग को अवरूद्ध करने के लिए रोड़े अटकाना चाहती हैं और उन्हें हड़ताल के लिए उकसाना चाहती हैं। मैं आपके माध्यम से इस प्रकार की प्रवृत्ति की निंदा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बीमा कारबार के क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के लिए राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया जा रहा है। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि जो चार कम्पनियां हैं – नेशनल इंश्योरेन्स लि०, न्यू इंडिया एश्योरेन्स लि०, ओरियंटल इंश्योरेन्स लि० और यूनाइटेड इंश्योरेन्स लि०, ये चारों कंपनियां पहले जी०आई०सी० की सब्सिडियरी कंपनियां थी, इन चारों को अलग कर दिया जाए, ताकि ये सरकार के नियंत्रण में स्वतंत्र रहकर अपना व्यवसाय कर सके और जी०आई०सी० रीइंश्योरेन्स के क्षेत्र में खुलकर काम करे, ताकि दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में भारत भी स्थान पा सके। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के लिए यह कदम उठाया जा रहा है और ऐसे कदम का मैं प्रबल समर्थन करता हूं।

मान्यवर, एक तरफ हमारे वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि नौ प्रतिशत की दर से देश में आर्थिक विकास की दर पाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है और विकास की यह दर तभी हासिल की जा सकती है जब बीमा और पेंशन निधियों वाले महकमे इन कंपनियों के लिए आगे आयें। इसके लिए अधिक बचत की जानी आवश्यक है। बजट की बढ़ोतरी करने की छलांग बीमा के सहारे ही लगाई जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता भी केवल बीमा क्षेत्र में है। पिछले पचास वर्षों में हम इस क्षेत्र में पिछड़ गए और परिणामस्वरूप हम सामाजिक सुरक्षा लोगों को प्रदान नहीं कर पाए। बचत के क्षेत्र में भी जितनी बढ़ोतरी हमें करनी चाहि और आर्थिक विकास की दर प्राप्त करनी चाहिए, वह नहीं कर पाए। इसलिए बीमा उद्योग मानव शक्ति पर आधारित उद्योग है। इसमें नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा और जो कह रहे हैं कि भारत में विदेशी कंपनियां आएंगी और यहां का पैसा बाहर चला जाएगा, ऐसे डरावने सपने शेखचिल्ली के सपनों की तरह देश को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मैं अपने मित्रों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार राष्ट्रहितों के साथ कोई भी समझौता त्रिकाल में नहीं करेगी और अपने प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता का व्यवहार रखेगी। इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि एन०डी०ए० की सरकार आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और चाहे विरोधी कितना भी विरोध करते रहें लेकिन कौवों के कांकने से बैल नहीं मरा करते, निश्चित रूप से यह सरकार उन आर्थिक कार्यक्रमों को तेजी से लागू करके देश में वांछित लक्ष्य को और आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी, ऐसा मैं मानता हूं।

एक तरफ हम कहते हैं कि प्रतिस्पर्द्धा प्रारंभ हो, कामकाज में कार्यकुशलता आए, ग्राहक सेवा में बढ़ोतरी हो, सेवा स्तरों में सुधार हो, व्यवसाय का विस्तार हो, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा हो, बीमा कंपनियों का धन निवेश नियमित हो और आर्थिक संपन्नता भी बढ़े, एक तरफ तो हम यह चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। आगे कूदना भी चाहते हैं और पैर और हाथ भी बांधना चाहते हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा – इधर कुंआ उधर खाई। मैं वित्त मंत्री जी पाटिल जी को कहना चाहता हूं कि हम जिस दिशा की ओर आगे बढ़ चुके हैं – 'प्रशंस पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो,' क्योंकि 'इश्के-यार में जो ठोकरें खाया नहीं करते, मंजिले मकसूद वा पाया नहीं करते।' मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि नरसिम्हाराव जी और मनमोहन सिंह जी के समय से उदारवादी सुधारों की लहर प्रारंभ हुई, गंगा में तब से बहुत पानी बह चुका है। अब वामपंथियों का साथ देने के लिए उनकी हां में हां मिलाना आपके लिए भी शोभाजनक नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल का आप लोग भी पुरजोर समर्थन करें ताकि दुनिया को दिखा सकें कि जहां तक भारत के आर्थिक विकास का प्रश्न है या बीमा क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान करने का और सुदृढ़ करने का प्रश्न है, भारत का पक्ष हो या विपक्ष, सबको देश के लिए एक मति, एक नीति, एक रीति और एक गति का पालन करना आवश्यक है। *(व्यवधान)* आप मुझे सुन लें। जब आपकी बारी आए तो बोलें।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : आपने नरसिम्हाराव और मनमोहन सिंह जी की उदारवादी नीतियों का नाम लिया। उसी के कारण वे लोग विपक्ष में आ गए हैं। अब उसी नीति पर आप भी चल रहे हैं। *(व्यवधान)*

प्रो० रासासिंह रावत : आज अमरीका, इंग्लैंड और दुनिया के जो दूसरे बड़े देश हैं और जो पहले समाजवाद का नारा लगाने वाले देश थे, उन्होंने भी उदारीकरण की नीति अपनाई है, तब जाकर वह आर्थिक ऊँचाइयों को स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए हमें कूपमंडूक नहीं बनना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना चाहिए और 'लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना, मर्द वो है जो जमाने को बदल दे।' इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में *(व्यवधान)* आप जो भी समझें, जाकी रही भावना जैसी। इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें 26 प्रतिशत विदेशी ईक्विटी की सीमा बढ़ा दी है। फिर विदेशी शोषण और दबाव और अधिकार का तो प्रश्न ही नहीं है। 74 प्रतिशत हिस्सा भारतीय कंपनियों के हाथ में रहेगा, यह भी जब उसमें प्रावधान कर दिया गया है, और फिर विदेशी निवेशकों को भी निर्धारित सामाजिक दायित्व निभाने होंगे।

जब ये सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं, उसके बाद यह कहना कि देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएगा और देश को पछताना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक जब इस सदन में पारित किया गया था उस समय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि बीमा के क्षेत्र में केवल तीन क्षेत्र हैं, पहला लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और दूसरा जनरल इंश्योरेंस यानी साधारण बीमा और तीसरा री-इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा का क्षेत्र। पुनर्बीमा के क्षेत्र में जी०आई०सी० को एकाधिकार प्रदान करने के लिए और उसको खुला मैदान छोड़ने के लिए यह प्रावधन रखा गया है कि उसकी जो चार कंपनियां थीं, जो उसकी चार सबसंडियरी कंपनियां थी, उनको अलग किया जा रहा है ताकि वे स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर सकें। अब तक सिविल एविएशन का काम, फसल बीमा का काम, जी०आई०सी० के जिम्मे था, लेकिन अब सरकार ने अलग कंपनी बना दी और फसल बीमा का काम इस कंपनी को सौंपेगी और सिविल एविएशन का काम पूर्व की तरह इन कंपनियों के हाथों में रहेगा ताकि ये भली प्रकार से चल सकें।

मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। भारत में अब तक लाखों करोड़ों डालर केवल इसलिए गंवाएं जाते रहे क्योंकि जी०आई०सी० को पुनर्बीमा कंपनी के रूप में विकसित नहीं किया गया था। यह अर्थशास्त्रयों का कहना है, मेरा नहीं। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आजादी के बाद अगर हम इस नीति के ऊपर चलते और जी०आई०सी० को पुनर्बीमा के क्षेत्र में लगाया होता, तो लाखों-करोड़ों डालर की इन्कम भारत को होती और भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती, लेकिन यह केवल इसलिए नहीं हो पाया कि हमने जी०आई०सी० को पुनर्बीमा के काम में लगाने का प्रयास नहीं किया था। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो बिल है, इसके द्वारा दो छोटे संशोधन किए गए हैं यह ठीक है और इससे हमारे देश का कल्याण होगा। इसमें पहला संशोधन धारा 9 के अंतर्गत किया गया है। यहां कहा गया है कि इसमें साधारण बीमा कारबार के प्रारम्भ से उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा कि साधारण बीमा कारोबार का अधिग्रहण, नियंत्रण चलाने के स्थान पर पुनर्बीमा कारोबार चलाने, केवल री-इंश्योरेंस वाली बात की गई है। इसके बाद में भी जो-जो जहां पर आया है, वहां पर निगम के स्थान पर केन्द्रीय सरकार आ जाएगा और जो इसकी चारों सबसीडियरी कंपनियां हैं, वे अलग हो जाएंगी। वे चारों इंश्योरेंस कंपनियां केन्द्र सरकार के अधिकार में आ जाएंगी और वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगी।

मान्यवर, अभी पाल साहब, मल्होत्रा कमेटी का नाम ले रहे थे। मल्होत्रा कमेटी ने क्या अभिशंसाएं की हैं, मैं उनमें से दो-तीन अभिशंसाओं के बारे में बताना चाहता हूं। पहली सिफारिश यह है कि 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी के साथ निजी क्षेत्र के बीमा उद्योग में प्रवेश की अनुमति दी जाए। यह सबसे पहली सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश यह थी कि चुनिन्दा आधार पर घरेलू बीमा क्षेत्र में विदेशी बीमा कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी विशिष्ट कंपनियों को किसी भारत के साझीदार के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की शर्त को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा एक आठवीं सिफारिश यह है कि जी०आई०सी० की मौजूदा सबसीडियरी कंपनियों को इससे अलग कर दिया जाए। इसके बाद जी०आई०सी० को विशिष्ट पुनर्बीमा कंपनी के रूप में स्थापित किया जाए। ये मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों की मुख्य तीन सिफारिशें हैं, जिन्हें सरकार मान रही है और उन्हीं को क्रियान्वित करने के लिए विधेयक लाई है। फिर मालूम नहीं ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों की दुहाई दी जा रही है और जब मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों को मानकर उनके अनुसार विधेयक लाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है, तो विरोध किया जा रहा है।

महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 2 अप्रैल, 1993 को श्री आर०एन० मल्होत्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के भू०पू० गवर्नर के नेतृत्व में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बीमा उद्योग संरचना की जांच करने, अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली का अध्ययन करने, उसकी अन्य बातों में संरचनात्मक परिवर्तन लाने और उसे अधिक दक्ष और स्पर्धी बनाने हेतु परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए मल्होत्रा कमेटी की स्थापना की गई थी। मल्होत्रा समिति ने जो भी अभिशंसाएं की हैं, मैं समझता हूं कि वे अर्थशास्त्रियों द्वारा बहुत सोच-विचार कर की गई हैं जिनके आधार पर यह सरकार विधेयक लाई है। इसलिए हमें इसका पुरजोर और डटकर समर्थन करना चाहिए।

महोदय, इसमें एक बात और यह है कि सरकार एल०आई०सी० और जी०आई०सी० को स्वायत्तता देने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए सरकार चाहती है कि इन कंपनियों को प्रबंधित कंपनी बनाया जाए

[प्रो० रासासिंह रावत]

और इस हेतु सरकार चाहती है कि इनका काम पेशेवर रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक रूप से चलाया जाए।

मान्यवर, आजकल तो नौकरी प्राप्त करने का आधार ये कंपनियां हो गई हैं। यह ठीक है कि एल०आई०सी० ने, जी०आई०सी० ने बहुत कमाया। योजनाओं को बहुत पैसा दिया। करोड़ों अरबों रुपए इन कंपनियों की ओर से योजनाओं में आते रहे, लेकिन पूर्णत: व्यावसायिक मैनेजमेंट रखने, जो प्रौफेशनल लोग होंगे ओर इसके विशेषज्ञ होंगे, उनको रखने हेतु इन कंपनियों को स्वतंत्र किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से ये कंपनियां और भी ज्यादा सुचारू रूप से चल सकेंगी और हमारे देश के लिए लाभदायक हो सकेंगी।

मान्यवर, सबसे पहले सरकार हमारे देश की आर्थिक विकास की दर 9 प्रतिशत प्राप्त कराने के लिए वचनबद्ध है और प्रतिबद्ध है। यह तभी संभव है जब एल०आई०सी० बीमा के क्षेत्र को आगे ले जाए और जब बीमा का क्षेत्र एल०आई०सी० के माध्यम से आगे जाएगा, तो बचत संभव है और जब बचत होगी, तो विकास दर भी ऊंची होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपनी तथा अपने दल की ओर से महत्वपूर्ण टिप्पणियां करना चाहता हूं।

यह तथ्य सही है कि इस देश में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया कांग्रेस सरकार ने प्रारंभ की थी। ऐसा इसलिए नहीं किया गया था कि यह कांग्रेस की इच्छा थी, बल्कि इसलिए किया गया था क्योंकि यह विश्व की स्थिति के अनुरूप था जो सोवियत-संघ के विघटन के बाद उपजी थी। इस सभा में कोई भी सोवियत-संघ के विघटन के पश्चात की आर्थिक व राजनैतिक वास्तविकता तथा उसके न केवल पूर्वी क्षेत्र के देशों बल्कि तीसरे विश्व के सभी विकासशील देशों पर तथा उस तरीके, जिस तरीके से चीजों में परिवर्तन हुआ था, पर पड़े प्रभाव को इन्कार नहीं कर सकता। आज चर्चा का विषय यह नहीं है कि सोवियत-संघ का विघटन क्यों हुआ। आज चर्चा का विषय है कि सरकार ने जिस तरीके से इस साधारण बीमा (संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत किया है, उसे पूर्ण समर्थन दिया जाये या इसको पूर्णत: अस्वीकार किया जाए।

अपने दल की ओर से हमने इस सभा में माननीय संसदीय कार्य मंत्री को आज सुबह अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया था। प्रतिष्ठित मंत्री श्री पाटिल को इस पर सभा का विचार जानने दें। वे आज इस चर्चा का उत्तर न दें। वे, सभा में दिए गये सुझावों पर चिंतन कर माननीय वित्त मंत्री से बातचीत करने और फिर यदि आवश्यक हो तो साधारण बीमा कंपनी और उसकी अनुषंगी इकाईयों, जो स्वतंत्र बन जायेगी, के भविष्य के लिए इस विधेयक में कुछ संशोधनों सहित अपने उत्तर के साथ वापस आयें।

यह सच है कि उदारीकरण की प्रक्रिया श्री मनमोहन सिंह और श्री नरसिम्हाराव ने प्रारंभ की थी। किन्तु उदारीकरण की अवधारणा को सही मायने में समझा जाना चाहिए और इसका गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रो० रासा सिंह रावत उदारीकरण की अवधारणा का गलत अर्थ लगा रहे थे। उदारीकरण से आपकी सोच व्यापक होती है और आपका बाजार और व्यापार बढ़ता है तथा विस्तार व विकास के लिए दूसरों के साथ विचारों व प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान भी होता है। उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को लूटने की स्वतंत्रता नहीं है। किसी का शोषण करने की अनुमति नहीं है। सभी को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए।

1970 के दशक में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, सरकारी क्षेत्र को मजबूत करके कोयला खानों और साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके पंडित जवाहर लाल नेहरू के स्वप्न को साकार करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में एक नई शुरूआत की थी। क्या उन्होंने कुछ गलत किया था ? उन्होंने सही किया था। अब संपूर्ण राष्ट्र यह समझ चुका है कि हमारी अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती इसी का परिणाम है। लाखों-करोड़ों मेहनतकश लोगों, जिन्हें अब किसी न किसी प्रकार की सहायता मिल रही है, चाहे आप किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें या भूमि विकास बैंक ऋण की या कलाकारों को सहायता प्रदान करने की, यह सब सहायता उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही मिल रही है।

उदारीकरण तथा राष्ट्रीकरण की अवधारणा के सम्बन्ध में हमारे बाच कोई विवाद नहीं है। आज कांग्रेस दल सरकार को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि इसके उद्देश्य को समझा जाना चाहिए। एक ओर सरकार यह कहती है कि संपूर्ण विश्व उदारीकरण की बात कर रहा है। सरकार स्थाई समिति के प्रतिवेदन का सहारा ले रही है।

हालांकि स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर एकमत नहीं था, फिर भी जब भी उन्हें अवसर मिलता है तो वे स्थाई समिति के प्रतिवेदन का सहारा लेते हैं। किन्तु जब भी हम उदाहरण देते हैं कि फलां-फलां स्थायी समिति ने फलां-फलां सिफारिश की है तो सरकार चुप्पी साध लेती है।

महोदय, इस संसद में दो प्रकार की समितियां हैं। वे हैं – स्थायी समितियां एवं वित्तीय समितियां – अर्थात लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति। इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जिसके सभापति भाजपा के मुख्य सचेतक, डा० विजय कुमार मल्होत्रा हैं और यहां उपस्थित श्री सुदीप बंद्योपाध्याय उसके सदस्य हैं, ने अपनी राय व टिप्पणियां व्यक्त की थीं। लेकिन सरकार ने सभी पहलूओं की जांच करने के पश्चात उनके

विचारों व टिप्पणियों को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। इस बात का सहारा ले रहे हैं कि स्थायी समिति ने कुछ टिप्पणियां की है तथा अपना प्रतिवेदन दिया है।

महोदय, मैं इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा कि स्थायी समिति की सिफारिशें मानी जानी चाहिए और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विचारों को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

मैं अपनी चर्चा में वस्तुपरक रहूंगा। सबसे पहले, क्या वे इस पर विचार करेंगे कि यह देश की मूल वास्तविकता है कि विलय व सम्बद्धता को समाप्त करना समय की आवश्यकता है ?

उन्होंने इस बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक को पारित किया था 13वीं लोक सभा में उस दिन से जब वित्त मंत्री उस विधेयक के साथ आए तो मतभेद होने और कई सदस्यों द्वारा विरोध करने के बावजूद हमने अपने विचारों से समझौता करने का प्रयास किया और विधेयक का समर्थन किया।

सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री मुझे यह बता सकते हैं कि वर्ष 1999 से 2002 तक विधेयक पारित होने के पश्चात भारत में निजी बीमा कंपनियों का विस्तार कितना हुआ, उनका कुल कवरेज क्या रहा व कुल भागीदारी कितनी रही ? पूरी सभा को जानने दीजिए। उन्हें हमें बताना चाहिए कि 'जी हां' पिछले साढे-तीन सालों में इतनी मात्रा में वृद्धि हुई, इतना कवरेज हुआ, और प्रतियोगिता का भय भी बना रहा।

महोदय, प्रगति बहुत धीमी है। वे नज़र रखे हुए हैं। उनकी नजर – स्थिति, पद्धति, साधारण बीमा कंपनी की आन्तरिक क्षमता व सामर्थ्य पर है। वे साधारण बीमा कंपनी की आन्तरिक क्षमता, सद्भावना और सामर्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। वे राष्ट्रीय बीमा कम्पनी की आन्तरिक क्षमता, सामर्थ्य और पूंजी पर नज़र रखे हुए हैं। वे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की पूंजी पर नज़र रखे हुए हैं तथा उनकी नजर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की पूंजी पर भी है।

अपराह्न 3.47 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

यदि वे यह महसूस करें कि उनके लिए कोई भूमिका निभाने के लिए है, तो वे आगे आएंगें। यदि उन्हें यह लगता है कि वे संख्या में अधिक हो सकते हैं तो वे अचानक कवर नहीं करेंगे। वे भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं। वे यहां दान-धर्म के लिए नहीं आ रहे हैं।

महोदय, मैं जी०आई०सी०, एल०आई०सी० और उनकी अनुषंगी इकाईयों को धन्यवाद देता हूं। आप यह तो जानते ही हैं। कि उनका आंतरिक नेटवर्क इतना मजबूत है कि वे अपने विकास, क्षमता व बीमा कवरेज को बनाए रखने में सक्षम हैं।

वे अभी भी निजी पार्टियों की जांच कर रहे हैं। प्रो० रासा सिंह रावत ने चीन का उल्लेख किया है। क्या उन्होंने चीन के बारे में अध्ययन किया है ? चीन को भी अपनी व्यवस्था में बिना लोकतंत्र के अपनी आन्तरिक शक्ति होने के बावजूद इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने में 15 से 16 साल लग गए। हमारा राष्ट्र एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहां आपको जनता का ध्यान सबसे पहले रखना होगा। उन्हें सामान्यतया, कामगारों और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना होगा। तत्पश्चात् संसद इसके लिए सीमा निर्धारित करेगी।

महोदय, अब मैं उपबंधों की बात पर आ रहा हूं। मैं एक बहुत ही गंभीर चीज उजागर करूंगा। उन्होंने कहा कि वे केवल एक चीज को प्रति स्थापित करके इस अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करना चाहते हैं। शब्द बहुत ही साधारण हैं। "साधारण बीमा कारबार का अधीक्षण, नियंत्रण तथा चलाए जाने" शब्दों की बनाम "पुनर्बीमा कारबार चलाए जाने" शब्द प्रतिस्थापित किये गये हैं।

श्री नीतीश सेनगुप्ता अब यहां उपस्थित हैं। कुछ मामलों पर हमारी राय अलग-अलग हो सकती है। यह अलग बात है किन्तु मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनका आदर करता हूं। मेरे विचार से राजस्व और वित्तिय व्यवस्था के बारे में उनकी जानकारी हम सभी की जानकारी से कहीं अधिक है। जिस क्षण उन्होंने "पुनर्बीमा" शब्द कहा है, उत्तर सीधा यही मिला कि यह 'तुलन-पत्र की क्षमता और सामर्थ्य है। यह शक्ति प्राप्त किये जाने के पश्चात की क्षमता और सामर्थ्य के बारे में है। पुनर्बीमा कोई स्थानिय मुद्दा नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। जोखिम बीमा सामर्थ्य पर निर्भर करता है। उन्हें अलग-अलग किया जा रहा है। जी०आई०सी० द्वारा उनका पुनर्बीमा किया गया है। कौन जानता है कि कल वे मजबूत नहीं भी हो सकते हैं ? इसलिए, स्थिति संभालने के लिए आपने बहुत बुद्धिमत्ता से उपधारा (2) में कहा है कि :

"निम्नलिखित उपबंध अन्त:स्थापित किया जाए :

परन्तु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि या कमी कर सकेगी।"

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी दिन आपको लगे कि आप खतरे में हैं और आप अपना तुलन-पत्र दिखाने में समर्थ नहीं है तो आप प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं। यह स्थिति से निपटने व पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए है। मैं उसमें सहमत हूं। इसलिए, मैंने यह कहा कि आप समझ गए हैं कि उसमें जोखिम है और इसलिए आपने यह उपबंध किया।

जी०आई०टी० कई वर्षों से कार्य कर रही है किंतु जी०आई०सी० केवल पुनर्बीमाकर्ता होगी। यहां तक कि उसकी निरीक्षण व नियंत्रण संबंधी शक्तियों को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। यह विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और टिप्पणियों के विरुद्ध है। उनसे शक्तियां ले ली जाएंगी। प्रस्तवित संशोधनों के अनुसार सरकारी क्षेत्र में साधारण बीमा क्षेत्र की चार कंपनियां – न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओटिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अब स्वतंत्र

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

हो जाएंगी और अब वे न केवल एक दूसरे के बल्कि निजी क्षेत्र की अन्य कंपनियों से भी प्रति स्पर्द्धा कर सकेंगी। इसलिए, मंत्री जी द्वारा सभा में दिया गया आश्वासन कि जी०आई०सी० प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में होगी – पूरी तरह गलत और भ्रामक सिद्ध होगा।

प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने और उसे पारित करने से पहले ही जी०आई०सी० को एक पुनर्बीमाकर्ता बनाया गया है तथा चार अनुषंगी कंपनियों को स्वतंत्र बनाया गया है। सरकार के एक आदेश द्वारा, साधारण बीमा की अनुषंगी कंपनियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए जी०आई०पी०एस०ए० बनाया गया है जिसने साधारण बीमा क्षेत्र में वर्ग-I व II के अधिकारियों तथा वर्ग-III व IV के कर्मचारियों के संघों की भी एक बैठक बुलाई। इसने लिखित प्रस्ताव दिए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया कि "बीमा उद्योग के उदारीकरण को परिप्रेक्ष्य में जी०आई०पी०एस०ए० के शासी मंडल ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में सफल रहने के लिए अपने संगठनात्मक ढांचे का पुर्नगठन करने के उपाय किये जाने की आवश्यकता है।"

जब आई०आर०डी०ए० विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो सभा में बहुत शोर-गुल हुआ था। कांग्रेस के अतिरिक्त कोई भी विधेयक के समर्थन में सरकार के साथ नहीं था। श्री रूपचंद पाल ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं और मैं उससे इंकार नहीं करता।

हमने चुनाव घोषणापत्र में यह घोषित किया था कि हम विधेयक का समर्थन करेंगे और इसलिए हम अपनी बात पर अड़िग हैं। हम ऐसा दिखावा नहीं करते कि चुनाव घोषणापत्र में कुछ कहें और सभा में इसके विपरीत आचरण करें। हमने कतिपय सुझाव और कुछ संशोधन भी दिए हैं।

मेरे प्रिय मित्र श्री माधवराव सिंधिया यहां नहीं है; वह अब दुनिया में नहीं रहे; वित्त मंत्री ने अपने प्रत्युत्तर में कहा :

> "इन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों नामत: जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और इसकी अनुषंगी कम्पनियों से किसी भी कर्मचारी की छंटनी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इन संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे सरकार द्वारा शीघ्र ही ऐसे सभी उपाय किए जाएंगे जो इस दिशा में आवश्यक हों।"

इस प्रकार उन्होंने सभा को तीन आश्वासन दिए हैं। पहला यह कि उन्होंने यह कहा कि ऐसी किसी भी कम्पनी और उनकी आनुषंगी इकाइयों में कोई छंटनी नहीं की जाएगी; दूसरी यह कि सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक उपाय आगे किए जाएंगे – जो कर्मचारियों के हितों को बचाने के लिए हैं; और तीसरे यह कि सरकार शीघ्र ही संगठन को सुदृढ़ बनाएगी।

इन अनुषंगी एककों को पृथक कर दिया गया है और ये स्वतंत्र है; ये साधारण बीमा निगम के अंतर्गत आ रही हैं। निजी क्षेत्र ने जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी पूरी तरह से भारत में प्रवेश नहीं किया है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कब प्रवेश करेंगे? सम्भवत: दो, तीन अथवा चार वर्षों के बाद प्रवेश करें। आप इस खंड से साधारण बीमा निगम को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। परन्तु, आप अनुषंगी एककों को, यदि इनमें से कोई स्वयं को गैर प्रतिस्पर्धी स्थिति में पाता है तो उसे संरक्षण कैसे प्रदान करेंगे। इनमें 'अंत: कटौती' पहले से ही शुरू हो गई है। द न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा ओरियंटल इन्श्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड के कारोबार को हथियाने की कोशिश की जा रही है और ओरियंटल इन्श्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड दूसरी कम्पनियों के मौजूदा कारोबार को हथियाने की कोशिश कर रही है। यह पिछले 6-8 महीनों से शुरू हो गया है। मंत्री जी इससे इनकार कर सकते हैं। जब कभी भी निजी क्षेत्र प्रवेश करेगा तो आप माननीय वित्त मंत्री के आश्वासन को कैसे पूरा पूरा कर पाएंगे ? विधेयक में इससे संबंधित संशोधन कहां है ? क्या इस विधेयक में इस आशय का कोई संशोधन है कि ये कम्पनियां अमुक तिथि से कारोबार में अंत: कटौती नहीं करेगी ?

[हिन्दी]

जिसको जहां बिजनेस मिलता है, उसमें दखल नहीं देगा, बाकी बिजनेस अपनाएगा।

[अनुवाद]

मैं समझ सकता हूं। इसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं है। यदि किसी स्वायत्त अनुषंगी कम्पनी को देश में निजी कम्पनियों, जो तीन से चार वर्षों के बाद देश में बड़े पैमाने पर प्रवेश करने वाली हैं, के साथ प्रतिस्पर्धा के समान अवसर नहीं मिलेंगे तो आप इनके हितों को संरक्षण कैसे प्रदान कर पाएंगे ? मैं मानता हूं कि आप यह तर्क देंगे कि यदि आप इस एकक का विलय कर देंगे तो यह सुदृढ़ निगमित निकाय बन जाएगा। परन्तु इतनी अधिक संख्या में कार्यालय प्रतिस्थानों के होने के नाते अधिक समस्याएं आएंगी। इसके लिए आप पुनसंरचना करने के लिए कह सकते हैं। परन्तु क्या यह भी तथ्य नहीं है कि यदि आप इन सभी का विलय करके एक निगमित निकाय नहीं बनाएंगे, तो खतरे की स्थिति में यदि एक एकक को बंद करना पड़ा अथवा संकट का सामना करना पड़ा तो आप इसे कैसे बचाएंगे ? अत:, हमें अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए और विचार किए बगैर यह नहीं कहना चाहिए कि इसे आगे बढाएं। यह सही नहीं है। आपको सावधानीपूर्वक संवीक्षा करनी चाहिए।

अब सभी लोग 'पश्चिम' की बात कर रहे हैं। प्रो० रासा सिंह सभा से बाहर जा चुके हैं। पश्चिम में क्या परम्परा है।

[हिन्दी]

पश्चिम में क्या चल रहा है ? पश्चिम में चल रहा है कि यदि कोई ऐसी यूनिट है तो उसको मजे करो और तगड़ा करो।

[अनुवाद]

कृपया इसे पृथक अथवा अलग मत कीजिए बल्कि इसका विलय कीजिए। पूरे विश्व में यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका में भी यही परम्परा है। मैं सिनेट कमिटी रिपोर्ट पढ़ने के लिए तैयार हूं। यह उतना महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि : ''अधिक विलय और समेकन से हमें बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक शक्ति मिलती है।'' आप इस बात का अनुसरण नहीं रहे हैं। आप अपना अलग सिद्धांत अपना रहे हैं। भारत में ही आईसीआईसीआई और आईसीआई सीआई बैंक का विलय हुआ है और वे किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक सुदृढ़ हो गए हैं। उन्होंने यह महसूस भी किया है आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक भी इसे महसूस किया। क्या मंत्रालय यह महसूस नहीं कर रहा है कि इन चार एककों के विलय से ये और मजबूत हो जाएंगे और वे किसी भी आने वाली बड़ी निजी कम्पनी का सामना करने के लिए समर्थ हो पाएंगे?

अत:, मैं यह कह रहा हूं कि इस विधेयक को लाने का यह उचित समय नहीं है। आप दो से तीन वर्षों तक इतंजार कर सकते हैं। आप पहले उनका निष्पादन देखिए और इसके बाद कार्यवाही कीजिए। यदि उनके आने से पहले हम शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो इसमें अभी इतनी जल्दबाजी क्यों है अथवा क्या ऐसा कोई समझौता हुआ है कि हम जब तक यह कार्य नहीं कर लेंगे तब तक वे नहीं आएंगे। मंत्री जी इन बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह कृपया यह मुद्दा मंत्रिमंडल में दोबारा उठाए। कृपया हमारे सुझावों को सरकार पर प्रहार न समझें। हम, यहां आपका सहयोग करने के लिए हैं। हम आपका समर्थन करते हैं। ये लोक हित के मुद्दे है जिनकी अनेदखी नहीं की जानी चाहिए अथवा इन्हें आलोचना न समझा जाये बल्कि इन्हें सुझाव माना जाये।

विलय और अधिग्रहण पूरी दुनिया में हो रहे हैं; विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में हो रहे हैं ताकि कम्पनियां सक्रिय बनी रहें और सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें। निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सभी चार साधारण बीमा कम्पनियों का विलय किए जाने की आवश्यकता है। यदि विलय की अनुमति नहीं दी जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां अलग-अलग होंगी तो इससे क्या होगा? आप जानते हैं कि इससे अध्यक्षों, कार्यकारी निदेशकों, कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ेगी। विलय से एकमात्र खतरा अनेक कार्यालयों के अधिशेष हो जाने की आशंका है। सरकार इसकी भू सम्पति का निपटान कर सकती है। इनका समग्र रूप से कम्प्यूटरीकरण कीजिए। ऐसा करने से आपको कौन रोक रहा है? परन्तु इसमें निम्न समस्याएं होंगी :

1. प्रशासनिक ढाचें में कई गुना वृद्धि होगी जैसे कि चार मुख्यालय और इतनी अधिक संख्या में निचले स्तर के कार्यालयों के अलावा चार सी०एम०डी०, 4x4 जी०एम० होंगे।

2. सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय शक्ति परिक्षित और समेकित होने की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा में बंट जाएगी और इसका लाभ निजी कम्पनियों को मिल जाएगा।

3. भारतीय साधारण बीमा निगम की अनुषंगी एककों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों के बीच सीमित प्रतिस्पर्धा में ही एक अनुषंगी एकक द्वारा दूसरे का कारबार हथियाने का अनुचित व्यवहार पहले ही देखा गया है। मूल कम्पनी साधारण बीमा निगम से अनुषंगी एककों को अलग करके स्वायत्त कम्पनी बनाने के साथ ही ऐसे अनुचित व्यवहार में किसी प्रकार की रोक न होने कारण वृद्धि हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की एक साधारण बीमा कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी का कारोबार हथियाने की शुरूआत अभी हो गई है।

अपराह्न 4.00 बजे

हाल ही में, सार्वजनिक क्षेत्र के एकक यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस द्वारा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के एकक न्यू इंडिया एश्यूरेंस से ओ०एन०जी०सी० की 12 बिलियन अमरीकी डालर का बीमा हथियाने की घटना से ही अनुचित व्यवहार की कहानी का पता चलता है। इस मामले की, एक सार्वजनिक क्षेत्र एकक द्वारा दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र एकक से कारबार के अन्तरण के अन्य मामलों सहित जांच की जानी चाहिए। इसीलिए मैं यह पूछता हूं कि क्या आप यह संशोधन नहीं कर सकते हैं कि कारबार की आजतक की स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ? वे अन्य कारबार के लिए प्रयास कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मतलब यह कि हमारे घर में जो सामान है, उसको तुम लूटो मत, छेड़ो मत, दूसरा सामान घर में लाओ।

[अनुवाद]

इसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं है। इससे आंतरिक फेरबदल को मौका मिलता है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र चार कम्पनियों में बंटा रहेगा तो इनकी वृहत् बीमा जोखिम का दायित्व उठाने की क्षमता प्रभावित होगी और इनका वित्तीय आधार कमजोर हो जाएगा। वित्तीय आधार के कारण अलग-अलग संगठनों की अपेक्षा समेकित सार्वजनिक क्षेत्र में जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होगी। इसका यह मतलब है कि अधिक प्रीमियम रखा जा सकता है और जोखिम के पुनर्निमित करने हेतु कम प्रीमियम चुकानी होगी। यदि उन्हें अलग कर दिया जाएगा तो सार्वजनकि क्षेत्र की बीमा कम्पनियां कमजोर हो जाएंगी। अंतत: सरकार इसे विनिवेश का आधार बनाएगी और इसे निजी क्षेत्र को बेच देगी। अंत में यह कम्पनी घाटे में चली जाएगी। पुन: विनिवेश के लिए पेकैज होगा। हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं।

महोदय, यदि सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर हो जाएगा तो सामाजिक बीमा, जो राजसहायता से कम लागत पर उपलब्ध करायी जाती है, समाप्त हो जाएगी। ग्रामीण निर्धन के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना और सामाजिक सुरक्षा योजना और झोंपडी बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा पहले ही हटा ली गई।

लघु बीमा के लिए उपलब्ध प्रति राजसहायता बंद हो जाने के बाद आम आदमी के लिए बीमा लागत बढ़ जाएगी। लाभकारी बीमा निजी क्षेत्र के हाथ में चली जाएगा और कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र लघु बीमा के लिए प्रति राजसहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

यदि भारतीय साधारण बीमा निगम का नाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोकप्रिय नाम पर बेहतर लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के लिए इस्तेमाल किया जाना है तो किसी अन्य नाम से सभी चारों अनुषंगी एककों का एक निकाय के रूप में विलय करने पर कोई रोक नहीं होगी। जबकि पूरी दुनिया में कम्पनियों का विलय हो रहा है – और आपको उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी है – आप अपनी ही कम्पनी को अपने-आप पृथक कर रहे हैं। यह हमारी आलोचयनात्मक टिप्पणी है। सरकार, इस बात पर पुनर्विचार करे।

आज के प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में, सार्वजनिक क्षेत्र को समेकित करने और सुदृढ़ करने हेतु प्रयास किए जाने आवश्यकता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने संसद में आई०आर०डी०ए० विधेयक का प्रस्ताव करते हुए इसका आश्वासन दिया था। मैंने वित्त मंत्री के भाषण का उदाहरण दिया है। महोदय, कुछ और ब्यौरे है जिनके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा।

महोदय, हम संसद सदस्य बजट, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और स्थायी समितियों के निष्कर्षों के आधार पर बोलते हैं। परन्तु यह जरूरी नहीं कि हम विशेषज्ञ हों। ऐसे मामलों में सरकार सदैव बीमा के इस विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों की विशेषज्ञ राय के आधार पर कार्य करती है। महोदय, साधारण बीमा निगम और यूनाइटेड इंश्यूरेंस इंडिया, के प्रबंधन जोकि अब तक सरकार के पास रहा, को चर्चा और विचार विमर्श से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया गया है। महोदय, इसका संशोधन मेरे पास है। इसमें यह कहा गया है कि जी०आई०सी० (साधारण बीमा निगम) पृथक रूप से पुन बीमाकर्ता होगा और साधारण बीमा कारबार करने वाली चार बीमा कम्पनियों को जी०आई०सी० से अलग कर दिया जाएगा और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी और ये, निजी कम्पनियों के अलावा परस्पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगी।

महोदय, यूनाइटेड इंडिया की अपनी पत्रिका में लेख के अनुसार साधारण बीमा उद्योग के पुनर्गठन हेतु भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं ने समेकन और विलय की आवश्यकता पर बल दिया है। महोदय, उन्हें किसने नियुक्त किया है ? यह कांग्रेस पार्टी का सुझाव नहीं है। इसे किसी अन्य व्यक्ति ने भी नहीं सुझाया है। इसे साधारण बीमा उद्योग के पुनर्गठन के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम ने नियुक्त किया था जिसने समेकन की आवश्यकता बतायी है। उन्होंने यह कहा कि समेकन की आवश्यकता है न कि अलग करने की। फिर भी सरकार इसके विपरीत दिशा में चल रही है। सरकार अपनी ही संस्था के खिलाफ कार्यवाही कर रही है।

महोदय, जब आई०आर०डी०ए० विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था तो वित्त मंत्री ने आगे यह कहा था :

> "मैं अपनी समझ के आधार पर यह आश्वासन दे रहा हूं कि नई परिस्थिति में एल०आई०सी० तथा जी०आई०सी० के व्यवसाय में कमी नहीं आएगी तथा उनका व्यवसाय बढ़ेगा। इसलिए, उनके कामगारों को निकाले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

मैंने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने कैसे अपना व्यवसाय खोया। मैंने अभी यह भी प्रमाणित किया कि जी०आई०सी० का कारोबार कैसे छीना गया। इसलिए, मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले पर जल्दबाजी में कार्यवाही कर रही है। इस मामले पर चर्चा के लिए वे कुछ और समय तक प्रतीक्षा कर सकते थे। यदि आप आज विधेयक को वापिस नहीं ले सकते हैं तो कम से कम एक या दो दिनों में विशेषज्ञों से परामर्श कीजिए। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। यह पता लगाईए कि क्या इन कंपनियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कहीं कोई संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं और अंतत: निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आएंगे।

मैं इस पर सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अब पुन: एक या दो और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आता हूं। मैं 'हाऊस मैग्ज़ीन" से एक मुद्दा उठा रहा हूं जिसे श्री रूपचंद पाल सहित अन्य कई सदस्यों ने उद्धृत किया है। यूनाईटेड इंडिया की 'हाऊस मैग्ज़ीन' (अंक – जून-जुलाई, 2000) में तत्कालिन सी०एम०डी० द्वारा एक लेख प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था :

> "इस उद्योग के निजीकरण के हमले में सबसे कमजोर नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड होगी तथा इसके असफल होने पर इसका जल्द ही यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया जाएगा। रिलायंस व टाटा ए०आई०जी० को लाइसेंस जारी होने पर एवं उनका कार्य प्रारंभ होने पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के व्यवसाय का बड़ा भाग उससे हट जाएगा तब न्यू इंडिया का क्या होगा ?"

यूनाईटेड इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के इस लेख द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए चारों कंपनियों का विलय कर एक कंपनी बनाना ही सर्वोत्तम हल होगा।

अब मैं अपनी अंतिम टिप्पणी पर आता हूं। क्या मंत्रालय ने यह विचार किया कि इन चार अनुषंगी कंपनियों को एक इकाई के रूप में विलय किया जा सकता है और निजी क्षेत्र द्वारा दी जा रही चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकता है – यह किसी भी दिन आ सकता है ? अन्यथा, जैसा कि यूनाईटेड इंडिया के अध्यक्ष यह प्रबंध निदेशक ने 'हाऊस मैग्ज़ीन' में कहा, यदि वे आएं तो सरकार कौन सी गारंटी या कौन सा आश्वासन दे सकती है ? मेरे ख्याल से, विधेयक के पाठ में कुछ ऐसे उपबंधों का प्रतिस्थापन हो कि भविष्य में इन भारतीय इकाईयों में से कोई भी इस चुनौती से प्रभावित नहीं होंगी, यह हमें स्वीकार्य होगा। यदि सरकार सभा को आश्वस्त नहीं करती व विधेयक के पाठ में नीति का स्पष्ट उल्लेख नहीं करती और यदि वे केवल चुप रहते हैं या कहते हैं 'ठीक है, आप विधेयक पारित कीजिए' तो हम श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वप्न, राष्ट्र की मेहनती जनता, वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर दिये गए निष्ठापूर्ण आश्वासन और इन चारों अनुषंगी कंपनियों के कामगारों/कर्मचारियों से व जी०आई०सी० से समग्ररूप से बहुत बड़ा अन्याय करेंगे।

इसलिए, मैं सरकार से चर्चा आज समाप्त करने की अपील करता हूं। हम इसका बुरा नहीं मानेंगे किन्तु जैसा कि मैं संसदीय कार्य मंत्री को कहा चुका हूं, कृपया वित्त मंत्री से परामर्श कीजिए और

संसद के मुख्य विपक्षी दल व अन्य दलों के महत्वपूर्ण नोट का उत्तर दीजिए। यदि हमें उत्तर संतोषप्रद लगता है जो भले ही थोड़े समय के लिए ही इस मुद्दे को हल कर सके तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा, इस विधेयक को पारित कराने और विस्तार नहीं बल्कि लूटने की स्वतंत्रता हेतु अन्य को प्रवेश की अनुमति देने की जल्दी न करें।

इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ, मुझे सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं फिर कहूंगा कि इसे आज ही समाप्त न किया जाए। इस मुद्दे पर विचार कीजिए। अपने विचारों के आदान-प्रदान के लिए हम माननीय वित्त मंत्री के साथ चर्चा का एक और दौर करना चाहेंगे। कल, माननीय अध्यक्ष हेतु निर्वाचन होगा इसलिए, कल तो यह चर्चा होनी संभव नहीं है। सोमवार को हम यह कर सकते हैं। इसके बाद, यदि वित्त मंत्री यह महसूस करें कि हमारे तर्कों में कुछ दम है या उनके पास हमारी आशंकाओं को दूर करने की क्षमता है तो आप विधेयक के साथ आईए, हम इसका समर्थन करेंगे। हम यहां इसे रोकने के लिए नहीं हैं। लेकिन यह सरकार के विचारार्थ हमारी विनम्र राय और विचार है।

श्री ए० ब्रह्मनैया (मछलीपटनम) : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 में संशोधन का समर्थन करता हूं। हमारे देश के आर्थिक माहौल में आए विभिन्न परिवर्तनों के कारण यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि आधुनिकीकरण और इससे जुड़े विधान व नियम लाने की आवश्यकता है।

यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय साधारण बीमा निगम को निजी कम्पनियों से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में आई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अत्यधिक संसाधन सम्पन्न एवं अनुभवी हैं और वे इस क्षेत्र में आती रहेंगी। जी०आई०सी० की चार अनुषंगी कंपनियां हैं। वे हैं : नैशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। जी०आई०सी० की गतिविधियों को बढ़ाने हेतु विधान पारित करते समय, यह चिंता की बात है कि क्या जी०आई०सी० ने चारों अनुषंगी कंपनियों को निजी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय इकाईयों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु कोई व्यवहारिक कदम उठाए हैं या नहीं।

1972 से ये चारों कंपनियां एकाधिकार की स्थिति में थीं किन्तु अब उनका एकाधिकार समाप्त हो चुका है। शक्तिशाली विदेशी व निजी बीमा कंपनियों का सामना करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ? मेरे ख्याल से सरकार के लिए यह तय करना अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या रणनीति अपनाई जाए। नि:सन्देह ऐसी एक नीति तो होगी ही। किन्तु क्या यह पूर्णत: उचित और व्यवहार्य है ? इस क्षण हमें यही सोचना है। जी०आई०सी० और इसकी अनुषंगी कंपनियों का पूरे देश में काफी बड़ा नेटवर्क है। यह एक बड़ी लाभदायक स्थिति है। यदि जी०आई०सी० नई रणनीति तैयार करती है तो यह सुरक्षित रहेगी। अन्यथा, इसकी बहुमूल्य भू-संपदा तथा भवन ही बचे रहेंगे।

निस्संदेह, यह कंपनी पिछले 30 सालों से कार्यरत है। पिछले 30 सालों में इसने वृहद् प्रबंधन स्थापित किया है तथा विपणन का अनुभव प्राप्त किया है। सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि यह निगम बरकरार रहे और प्रबन्धन तथा विपणन में अनूठे सुधारों के माध्यम से यह ग्रामीणों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की सेवा करता रहे।

एक दूसरा मुद्दा, जिसे मैं उजागर करना चाहूंगा वह है — पॉलिसी धारकों को त्वरित सेवा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। नि:सन्देह ग्राहकों को त्वरित सेवा प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब, यदि जी०आई०सी० तथा उसकी अनुषंगी कंपनियां अपनी सेवा में सुधार नहीं करती तो कंपनी को भविष्य में विकट संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, जी०आई०सी० एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों को पॉलिसी धारकों को त्वरित लाभ प्रदान करने चाहिए।

इस विधान का समर्थन करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जी०आई०सी० सर्वोत्तम प्रबन्धन तरीके अपनाए।

इसे अच्छे कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए तथा उन्हें बेहतर रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। जी०आई०सी० की तुलना में निजी कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी अधिक सुविधाएं व प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए निजी कंपनियां बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। जी०आई०सी० को भी अपने कर्मचारियों को बेहतर प्रोत्साहन देने चाहिए। संपूर्ण कार्य-संस्कृति को बदलना होगा अन्यथा जी०आई०सी० (साधारण बीमा निगम) एक निश्चय के साथ भविष्य का सामना करने के समर्थ नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, मैं साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि वह मेरी बातों को आलोचना और निंदा नहीं समझें वरन मेरी बातों को सुझाव समझें। इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आया कि जी०आई०सी० को डिमर्ज किया जाए या उसकी चारों इंश्योरेंस कंपनियों को उससे अलग किया जाए। डिमर्ज करने के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि सरकार ने बिना सोचे-समझे निर्णय ले लिया है इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि जब इस तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो परिणाम बहुत बुरा होता है। मुझे इतिहास की याद आती है जब मौहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी आक्रमण के भय से दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय किया था। लोग बैलगाड़ी से, तांगे-इक्के से और दूसरे साधनों से दौलताबाद पहुंचे और दौलताबाद राजधानी बनाई गयी। दिल्ली खाली हो गई और विदेशी आक्रमणकारियों को दिल्ली लूटन की छूट हो गयी और वे देश लूटने लगे। उसके बाद उसे अपनी वह सोच बदलनी पड़ी और पुन: दौलताबाद से दिल्ली आना पड़ा।

जी०आई०सी० एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी चल रही थी और लाभ में भी थी। दो ही इंश्योरेंस कंपनियां हैं एल०आई०सी० और जी०आई०सी० और जी०आई०सी० में अन्य कंपनियों को मर्ज करके, उसका राष्ट्रीयकरण करके माननीय इंदिरा जी ने बहुत अच्छा

[श्री चन्द्रनाथ सिंह]

कदम उठाया था और उससे बहुत फायदा हुआ जिससे दो बड़ी कंपनियां बनकर तैयार हो गयीं जो पूरे देश के विकास में सहायता हो गयीं। अगर आज इसको डिमर्ज किया जा रहा है तो चारों इंश्योरेंस कंपनियां अलग-अलग होकर कमजोर हो जाएंगी।

सभापति जी, आप बिहार से आते हैं और वहां एक कहावत है कि एकता में ताकत होती है। एक किसान के सात बेटे थे जो आपस में लड़ते थे और उनमें एकता नहीं थी, जिसके कारण उनके शत्रु उन्हें एक-एक करके पीट लिया करते थे। किसान ने चार अलग अलग डोरियों को निकाला और उन्हें तोड़ने के लिए कहा। उन्होंने डोरियों को आसानी से तोड़ दिया लेकिन जब किसान ने चारों डोरियों को एक करके दुबारा तोड़ने के लिए कहा तो उनमें से कोई भी उस एक हुई डोरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर जी०आई०सी० की कंपनियों को अलग कर दिया जाएगा और आज इसे डिमर्ज कर रहे हैं फिर भारत सरकार की जो सोची-समझी नीति है कि यह डिस-इंवैस्टमेंट में चला जाएगा। ये चारों कम्पनियां बंद हो जाएंगी जबकि उन्हें आज लाभ हो रहा है। अब उन्हें नुकसान होने लगेगा। सरकारी कम्पनियों की इसलिए स्थापना होती है कि उनसे सरकार को बहुत लाभ हो, लोगों को रोजगार मिले और सरकार की आय बढ़े। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों और दूसरी सरकारी कम्पनियों पर लोग भरोसा करते हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उदारीकरण की नीति देश के लिए खतरनाक है। विदेशी कम्पनियों को देश में लाकर ठीक नहीं किया जा हा है। वित्त राज्य मंत्री पाटील जी बड़े उच्च विचार के हैं। मैं जानता हूं कि वह महाराष्ट्र से चुन कर आए हैं। वह देशभक्त हैं। उनमें देश के प्रति बहुत प्रेम है। वह सीधे स्वभाव के हैं। उनका पहनावा बहुत अच्छा है। वह राष्ट्रीयता एवं भारतीयता से प्रेरित है। इसके बाद भी इनकी मिनिस्ट्री विदेशी कम्पनियों को क्यों प्रोत्साहन दे रही है ? मल्टीनैशनल कम्पनियां के आने से देश बिल्कुल बरबाद हो जाएगा। एक ईस्ट इंडिया कम्पनी आई थी लेकिन हम आज तक उस गुलामी से उबर नहीं पाए हैं। हमें दो सौ वर्षों तक गुलामी झेलनी पड़ी। अगर फाइनेंस में इस तरह विदेशी कम्पनियों का समावेश होता तो निश्चित रूप से देश को खतरा पहुंचेगा। इसलिए मंत्री जी यह विधेयक निश्चित रूप से वापस लें।

महोदय, सरकारी कम्पनियों पर लोग बहुत भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि यदि बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो पैसा सुरक्षित रहेगा। लोगों को प्राइवेट कम्पनियों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है कि वे एक दिन जरूर भाग जाएंगी। सरकारी बैंकों में पैसा जमा करने पर सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूं कि अगर इंश्योरेंस के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां आ जाएंगी तो यहां की चारो इंश्योरेंस कम्पनियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी का एक लखनऊ का मामला है। इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब प्रतियोगिता होगी तो नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी उन प्राइवेट विदेशी मल्टीनैशनल कम्पनियों के आगे टिक नहीं पाएगी। लखनऊ में विष्णु भगवान अग्रवाल का एक गोदाम था। उन्होंने इसके लिए बैंक ऑफ बड़ोदा से लोन लिया था और 25 लाख की इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी से कराई थी। 1985 में उस गोदाम में आग लग गई। गोदाम की चाबी एवं ताला बैंक ऑफ बड़ोदा के पास थी। आग लगने पर सर्वेयर भी पहुंच गया, इंश्योरेंस कम्पनी के अफसर भी पहुंच गए और बैंक के अधिकारी भी पहुंच गए। 9 फायर ब्रिगेड्स ने 17 घंटे के बाद आग को काबू किया लेकिन जब क्लेम देने की बात आई तो 25 लाख की इंश्योरेंस पर केवल 12 लाख 30 हजार रुपए स्वीकृत हुए। विष्णु भगवान अग्रवाल आरबिट्रेटर के पास चले गए। उसने एवार्ड दिया कि इन को 23 लाख 80 हजार रुपए देने के साथ-साथ इंटरस्ट भी दिया जाए लेकिन नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी ने उनकी बात नहीं मानी। वह हाई कोर्ट चले गए। मैंने इस बारे में मंत्री जी को भी लिखा और वह एग्री भी हो गए कि इंटरस्ट दिया जाएगा लेकिन 17 साल से विष्णु भगवान अग्रवाल हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच में मुकदमा लड़ रहे हैं और इंश्योरेंस कम्पनी मामले को टालती जा रही है। एक आदमी 17 साल से परेशान है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। वह बैंक का कर्जा नहीं दे पाए, जिसके कारण श्री विष्णु भगवान अग्रवाल को एक्कॉर्ट में दाखिल होकर अपना हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा। यदि इस तरह से होगा तो लोगों का भरोसा इंश्योरेंस कम्पनियों से उठ जाएगा। यदि ऐसे केस में एक मिनट में विदेशी इंश्योरेंस कम्पनियां क्लेम का भुगतान करेंगी तो कोई भी हिन्दुस्तानी इन इंश्योरेंस कम्पनियों के पास नहीं जाएगा। हमारी सारी कम्पनियां बंद हो जायेंगी और इनकी भी वही हालत हो जायेगी जैसे सरकारी उपक्रमों के डिसइनवैस्टमेंट होने पर हालत बन रही है। अगर इस विधेयक को वापस नहीं लेंगे तो वित्त विभाग का भी डिसइनवैस्टमेंट हो जायेगा। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि पार्लियामेंट का भी डिसइनवैस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़े क्योंकि सरकार विदेशी कर्ज लेकर घी नहीं खा सकती। सरकार जहां से पैसा लेगी, वे हमारे यहां आकर निवेश करेंगे और निश्चित रूप से हमारा बैनेफिट लेकर चले जायेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि राष्ट्र हित में इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये। अगर यह विधेयक वापस नहीं लिया जायेगा तो निश्चित रूप से अगले साल तक ये चारों कम्पनियां बंद हो जायेंगी। यदि ये चारों कम्पनियां अलग-अलग रह जायेंगी तो मैं मानूंगा कि सरकार की मंशा इनको बेच देने की है। लगता है कि सरकार सोच-समझकर काम नहीं कर रही है या सरकार के पास और कोई काम नहीं है।

सभापति महोदय, टी०वी० पर एक सीरियल 'यस मिनिस्टर' आता था। उसमें दिखाया गया है कि अधिकारी जो राय मंत्री को देते हैं, वह मान लेते हैं। उसी प्रकार जब एक कम्पनी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी बन गई और सारी कम्पनियों को मर्ज कर दिया गया तो क्या आवश्यकता है, क्या कारण है कि इन चारों कम्पनियों को डिमर्ज किया जा रहा

है ? इससे क्या लाभ होगा। सरकार आने वाली विदेशी कम्पनियों को छूट दे रही है। सरकार हमारा कहना नहीं मानेगी क्योंकि वह बहुमत में हैं। बी०जे०पी० ने नारा दिया था कि वे विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विदेशी चीजें नहीं छुयेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे लेकिन आज वे अपने कदम से हटकर हर विदेशी चीज को अपनाते जा रहे हैं। आज चाहे व्यापार हो, फाइनेंस हो, हर मामले में धोखा किया जा रहा है।

सभापति महोदय, फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने जी०आई०सी० के डिमर्जर का विरोध किया था और अखबार भी डिमर्जर के पक्ष में नहीं है। 'आब्जर्वर' ने आरोप लगाया है क्योंकि उसे सरकारी सूत्रों से मालूम हुआ है कि सरकार विदेशी दबाव में तथा डिसइनवैस्टमेंट करने के लिये इन चारों कम्पनियों को डिमर्ज कर रही है जो देश हित में नहीं है। यह डिमर्जिंग विदेशी दबाव में हो रहा है। जो बहुत ही बुरी बात है। मैं सरकार और सदन के तमाम सदस्यों से अपील करूंगा कि इस विधेयक को वापस लिया जाये। श्री दासमुंशी जी की बात बिल्कुल सही है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये तो सही निर्णय लिया जा सकता है। अगर मंत्री जी बुरा न माने तो एक कहावत है – 'निन्दक नियरे राखिये' इसका मतलब है कि वही आदमी सफल हो सकता है जो निन्दा करने वाले की बात सुने और अपनी कमियों को देखे। इसी तरह सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिये। विपक्ष की भूमिका यही रहती है कि यदि वह विरोध कर रहा है तो कुछ न कुछ सरकार के हित की बात कर रहा है। सरकार कोई भी रहे। यहां कांग्रेस की सरकार भी रही है, बी०जे०पी० की सरकार भी चल रही है और बहुत लोग (सरकार में रहे हैं। सरकार में रहने वाली पार्टी मदांध हो जाती है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उसे ब्यूरोक्रेसी जो पढ़ा दे, बता दे, उसी के कहने पर चलती रहती है। इससे सरकार की सोच गड़बड़ होने लगती है। विपक्ष की भूमिका पार्लियामेंट में इसलिये रखी गई है ताकि वह सरकार को उचित सुझाव दे और सरकार उन सुझावों पर अमल करे। यदि सरकार उन सुझावों पर अमल नहीं करती है तो इस देश का नुकसान होगा।

सभापति महोदय, आज का समय नोट कर लिया जाये कि यदि वे चारों कम्पनियां डीमर्ज कर दी जाती हैं तो आने वाले समय में ये डिसइनवैस्टमेंट में चली जायेंगी और विदेशी कम्पनियों के हाथो बिक जायेंगी। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जायेगी। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस विधेयक को राष्ट्रीय हित में वापस ले लिया जाए और इंश्योरेंस कंपनी को

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए। आपको 15 मिनट हो गये हैं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी के अलॉटेड समय सीमा के भीतर ही बोल रहा हूं, अभी मुझे नौ मिनट नहीं हुए हैं और सदस्यों ने यहां 40 मिनट तक भाषण किया है। मैं एक मिनट में समापत कर रहा हूं। मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि इसे डीमर्ज न किया जाए और इन चारों कंपनियों को जनरल इंश्योरेंस के साथ मिला करके एक मजबूत कंपनी बनाई जाए ताकि हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में छा जाए और इस तरह से छा जाए कि हम विदेशों में भी लाइफ इंश्योरेन्स और जनरल इंश्योरेंस का नाम करें ताकि देश की जनता को और विष्णु भगवान अग्रवाल जैसे लोगों को विश्वास हो जाए कि हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, न्याय हो रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस इस विधेयक को आज पारित न किया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए और हम लोगों ने जो राय दी हैं, उन पर विचार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : माननीय सभापति महोदय, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं, अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए, आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सरकार को जी०आई०सी० की चार अनुषंगी कंपनियों के उससे अलग करने के परिणाम के बारे में अधिक सावधान रहने की सलाह देते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, बीमा उद्योग एक परिष्कृत उद्योग न भी हो किन्तु एक मौजूदा उद्योग के रूप में इसकी उपस्थिति पूरे देश में है। मुझे, अपने देश के बीमा कारबार में विदेशी निवेशकों या विदेशी कंपनियों के आने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। बैंकिंग व बीमा जैसे हमारे वित्तीय सेवा उद्योगों ने कई दशकों से अपनी उपस्थिति स्थापित की है। साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 उन विदेशी कंपनियों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, लाभ कमाने की इजाजत देने के लिए एक आर्थिक कदम है।

निश्चित तौर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की निश्चित भूमिका है। इस उद्देश्य के लिए इसे मार्ग प्रशस्त करना होगा। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने सरकार के लिए आर्थिक सुधार लाना आवश्यक कर दिया है। पुर्नगठन के अनुभव के प्रकाश में हमें सेवा क्षेत्र को खुला करने की आवश्यकता समझ आती है। अत: यह विधेयक हमारे देश में पॉलिसी होल्डरों के हितों के संरक्षण तथा बीमा कारबार को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत आवश्यक है।

साधारण बीमा कंपनी (जी०आई०सी०) राष्ट्रीय पुन: बीमाकर्ता का रूप ले लेगी। इसके अन्य सभी कार्य – जैसे, साधारण बीमा कारबार करना, नागर विमानन बीमा करना, फसल बीमा कारबार इत्यादि इससे हटा दिए जाएंगे। इस विधेयक के पारित होने से जी०आई०सी०

[श्री आदि शंकर]

इन चारों अनुषंगी कंपनियों की होल्डर कंपनी नहीं बनी रहेगी। प्रस्तावित मार्ग निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पुन: बीमाकर्ता को अपने खातों में पुनर्बीमा प्रीमियम की आय का आधा हिस्सा घरेलू बाजार में वितरित करना होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पुन: बीमाकर्ता के जोखि को कम करना है।

घरेलू बाजार को साधारण बीमा निगम की प्रीमियम आय प्राप्त होगी और यह राशि 1900 करोड़ रुपये से 850 करोड़ रुपये के बीच न्यूनाधिक होगी। 1938 के बीमा अधिनियम तथा 1999 के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम में उपरोक्त उपबंधों को देखते हुए साधारण बीमा निगम विशेष रूप से पुनर्बीमा व्यवसाय कर सकता है। इसलिए, केन्द्र सरकार ने पुनर्बीमा व्यवसाय साधारण बीमा निगम को सौंपने का निर्णय लिया है। यह सही दिशा में लिया गया एक कदम है।

इस क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों हेतु खोलने की बात को ध्यान में रखते हुए चार अनुषंगिक कम्पनियां को अलग-अलग किया जा रहा है। साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगिक कम्पनियों को अलग-अलग करने के पश्चात् इन कम्पनियों का स्वामित्व पूंजी निवेश सहित केन्द्र सरकार को अंतरित किया जाएगा।

अब, साधारण बीमा निगम अनेक अन्य वित्तीय संस्थानों की तुलना में अच्छा कार्य कर रही है। साधारण बीमा निगम श्री सेनगुप्ता के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा था। एक अच्छा प्रशासक होने के कारण उन्होंने बहुत कुशलता से कार्य किया है। इसी के साथ साधारण बीमा निगम का पुनर्गठन किया जाएगा और इससे होने वाली आय बहुत कम हो जाएगी। यह इसके कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी शक्तियां भी ले सकता है। अब य शक्तियां चार कम्पनियों को अंतरित मानी जाएगी।

मेरे विचार से सरकार को अब तक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण बीमा निगम के स्वामित्व से इन चार अनुषंगिक कम्पनियों का कार्यभार संभालने से पूर्व इसके कर्मचारियों को वैकल्पिक स्थानांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए।

मूल निकाय, साधारण बीमा निगम में लगभग 650 व्यक्ति काम करते हैं। इसमें लगभग 400 श्रेणी-I के 400 अधिकारी, श्रेणी-III और श्रेणी-IV के 250 से कम कर्मचारी कार्य करते हैं। उन्हें उन चार सहायक कम्पनियों में खपाने की मांग करने का विकल्प देना चाहिए जो मुख्य मूल कम्पनी के माध्यम से कार्य करती है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक अध्यादेश जारी किए जाने का जोरदार प्रयास कर रहा है ताकि साधारण बीमा निगम को राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता में परिवर्तित किया जा सके। ऐसे समय में जब निजी कम्पनियां भी बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, यह अनिवार्य हो जाता है कि देश में यथाशीघ्र एक राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्त्ता हो। इस तरह तीन कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये है तथा अन्य तीन को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दी गई है। इसलिए यह समय तेजी से कार्यवाही करने तथा बदलते हुए समय के साथ कदम मिलाकर चलने का है।

इन सुस्थापित राष्ट्रीय संस्थानों का पुनर्गठन करते समय सरकार को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें छंटनी न हो जिसकी बेहद आशंका है। इस तरह साधारण बीमा निगम द्वारा एक अनुषंगिक कम्पनी से दूसरी अनुषंगिक कम्पनी अथवा अंतर-निगमित कम्पनियों में किए जा रहे स्थानांतरणों को रद्द माना जाएगा। मैं माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि न्यू इंडिया एंश्योरेंस कम्पनी के अधिकारियों की काफी समय से लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानांतरण के उनके अनुरोधों की अनदेखी की गई थी। बदले हुए परिप्रेक्ष्य में कौन उनका ध्यान रखेगा ? केन्द्र सरकार को इन अनुषंगिक कम्पनियों के कर्मचारियों के शिकायतों का निवारण सहानुभूतिपूर्वक करना चाहिए।

इस बात पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि किसी भी सेवा क्षेत्र में मानवीय क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए सरकार को हमारे बीमा क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्मिकों के पुनर्वास में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

चूंकि हम सभी आर्थिक सुधारों के प्रति वचनबद्ध है और क्योंकि यह आर्थिक उपाय है जिसे तर्कसंगत अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में शुरू किया गया है, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कर्मचारियों के कल्याण की कमी भी अनदेखी न हो। मैं, इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो सादारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक लाए हैं, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस बिल का जो ऑबजैक्ट है, उसमें लिखा गया है :

[अनुवाद]

"अब साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक में आवश्यक संशोधन करके अनुषंगिक कम्पनियों (साधारण बीमा निगम) की शेयर पूंजी केन्द्र सरकार को अंतरित करने का प्रस्ताव है।"

[हिन्दी]

उसके साथ कितने अमेनडमेन्ट्स इस विधेयक में हैं। मैंने पढ़ा है और जो कुछ भी यहां से सुना, इससे मेरे मन में काफी एप्रीहेन्शन्स पैदा हो रही हैं। अभी हमारी ओर से बताया गया :

[अनुवाद]

आवश्यक क्या है ? हम इस विधेयक को इतनी जल्दबाजी में क्यों पारित करवाना चाहते हैं ? हमने मंत्री महोदय से अपील की है कि यदि आज वाद-विवाद पूरा हो जाता है तो हमें पुनर्विचार करना चाहिए। शायद वे आज ही विधेयक पारित करवाने पर बल न दें।

[हिन्दी]

महोदय, मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो बातें पूरे देश और दुनिया के अंदर साफ उभर कर सामने आई हैं और जब यह स्पष्ट दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां एक दूसरे के अंदर मर्ज हो कर बहुत स्ट्रांग एंटिटी के रूप में जब बाहर आ रही हैं तब हमारी अपनी कंपनी की जो एक स्ट्रांग एंटिटी है, उसमें से चारों कंपनियों को अलग कर के उनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देकर स्ट्रांग एंटिटी को तोड़ने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है। इसमें मेरी दो चिन्ताएं हैं। पहली यह है कि जो स्कोप आफ बिजनैस है वह तय नहीं किया गया है। इसलिए यहां पर एक फीयर पैदा हुआ है। ये कम्पनियां बने रहने के लिए कारोबार प्राप्त करने में भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगी। यह बिल्कुल सही है क्योंकि सबको जो उनका अपना बिजनैस है, वह चालू रखना है। सबके सरवाइबल का सवाल है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विडंबना है कि निजीकरण के नाम पर चाहे कम्पनियों का आपस में विलय किया गया है अथवा इन्हें अलग-अलग किया जा रहा है अतत: श्रमिक ही सदैव प्रभावित होते हैं। जो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, तो भी आदमी ज्यादा हैं और उन आदमियों की तादाद को कम किया जाएगा और अगर डीलिंग की जा रही है, उसमें भी यह पॉसिबिलिटीज हैं कि ये चारों कंपनियां अपने बिजनैस को वाकई पूरा कर सकेंगी या उसमें भी ऐसी नौबत आएगी जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आदमियों को उसमें से निकालना पड़ेगा।

मैं सन् 2000 की थोड़ी सी फिगर देना चाहता हूं एन०आई० सी०एल० के पास 18,945, एन०आई०ए०एल० के पास 30,711, ओ०आई०सी०एल० के पास 19,268, यू०आई०सी०एल० के पास 21,116 का स्टाफ था और काफी रिजर्व स्टाफ था। लगभग 5768 करोड़ रुपए का इनवैस्टमेंट था। इसका जो क्लेम रेट था वह 80.02 प्रतिशत था। अब इस पोजीशन के अंदर इन आर्थिक कंपनियों को सरकार की ओर से कितना सपोर्ट मिलेगा, यह अभी तक डाउटफुल है। बाहर से जो हम विदेशी कंपनियां ला रहे हैं वे कंपटीशन में यहां की कंपनियों को सरवाइव बनाएं या नहीं बनाएं और सरकार इसके लिए क्या करेगी, इस बिल के अंदर उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इसलिए हम एक ऐसी पोजीशन के अंदर जा रहे हैं जब ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर है। काम नहीं है। जो लोग कारखानों काम कर रहे हैं, उनको वी०आर०एस० देकर निकाला जा रहा है या उन्हें काम नहीं मिल रहा है। वस्तुत: ''दि वर्ल्ड विदाउट वर्क'' नामक एक रोचक पुस्तक है। हमारे यहां ऐसी पोजीशन ऐसी हो गई है कि आदमी को काम करने की इच्छा है, लेनिक उसको काम नहीं मिल रहा है और यहां जितने लोग हैं, सरकार की ओर से कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि वह आदमी जो जिस उद्योग के अंदर काम कर रहा है वह उद्योग चलता रहेगा और वह नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मेरा सबसे बड़ा फीयर यह है कि आज भी देश के अंदर 40 मिलियन लोग बेकार हैं। उन्हें काम नहीं मिल रहा है। जो भी कंपनियां पब्लिक अंडरटेकिंग में है या दूसरी कंपनियां हैं उनमें अनेक कारणों से लोगों की संख्या कम होती जा रही है और यहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं, वह संख्या कम होगी क्योंकि तब यह होगा कि बिजनैस नहीं मिल रहा है इसलिए संख्या कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आएगा कि अगर आप बिजनैस कम कर रहे हैं, तो जाब कम कीजिए क्योंकि कंपनी सरवाइव नहीं कर रही है। इसलिए लोगों को निकालिए या दूसरे कारणों से खर्च कम कीजिए और कंपनी को वाएबल करिए। यह पोजीशन इन कंपनियों के अंदर भी खड़ी होगी। इसलिए यह कोई गलत नहीं है कि सरकार बाहर आये और बाहर आकर कहे कि हां हमारा यह प्रोटेक्शन है। इस बिल के बारे में मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे रीथिंक करिये। इतनी जल्दबाजी में आपइसे मत लाइये क्योंकि सब कम्पनियां के मर्ज होने से स्ट्रैन्थ काफी बढ़ गई थी और इसके साथ-साथ बिजनेस भी काफी बढ़ गया था। हालांकि मेरा एक रिजर्वेशन और भी है, शायद आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। वह यह है कि जितनी भी इंश्योरेंस कम्पनियां हैं, वे काफी क्षेत्र के बिजनेस में जा नहीं सकीं। मेरा कहना है कि उनको एनकरेज करना चाहिए या कम्पेल करना चाहिए कि वे वहां जायें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गुजरात में अर्थक्वेक आने से हजारों मकान गिर गये। मेरे खुद के मकान में काफी बड़ा गेप आ गया। किसी व्यक्ति के मकान का इंश्योरेंस नहीं था और कभी किसी ने यह प्रयत्न भी नहीं किया कि उनके मकान का इंश्योरेंस किसी कम्पनी में होना चाहिए।

अभी गुजरात के अंदर जो कौमी तनाव हुआ जिसकी वजह से हजारों लोगों के मकान जमीन दोजख हो गये। मैं आंकड़ों की चोट पर बता रहा हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर माइनौरिटी कम्युनिटी के मकान जमीन दोजख नहीं हो गये। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर उनका इंश्योरेंस होता। *(व्यवधान)* मैं वही बता रहा हूं क्योंकि मैं गुजरात का हूं और मेरी कांस्टीटूएंसी में यह हुआ है। *(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : अर्थक्वेक जब आता है तब सभी को चोट लगती है। माइनौरिटी मेजोरिटी सभी उससे प्रभावित होते हैं। *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं ऐसा नहीं बता रहा। मैं विक्टिम के बारे में कह रहा हूं।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

[अनुवाद]

मैं केवल अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं भूकंप पीड़ितों के बारे में बोल रहा हूं। चाहे वे बहुमत वाले समुदाय से हो अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से। मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अल्पसंख्यक समुदाय शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जिन्होंने अपना बिजनेस गवाया उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है। किसी का इंश्योरेंस है तो भी कभी किसी ने उसको देन का प्रयत्न भी नहीं किया। जो कम्पनियां हैं उनका ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया जाये और उनसे कहा जाये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस उसके अंदर से निकालें।

मैं अपील करता हूं कि इस इंश्योरेंस बिल पर आप रीथिंक करें। मेरा एप्रीहेन्शन यह है कि हजारों जो कम करने वाले लोग हैं, एक स्टेज ऐसी आ जायेगी जब कम्पीटिशन के अंदर ये कम्पिनयां सरवाईव होंगी या नहीं, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस वक्त सरकार की ओर से उनको कम से कम प्रोटेक्शन दे सकें, ऐसा मेरा कहना है। इसकी वजह से अभी जो स्थिति है, उस स्थिति को चालू रखना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उसका समर्थन क्यों कर रहा हूं – इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि इस बिल के आ जाने से केन्द्र सरकार को ताकत मिलेगी। दूसरा, निगम से हस्तांतरित होकर यह सरकार के पास आयेगा। इस तरह निगम के स्थान पर केन्द्रीय सरकार आ जायेगी और कर्मचारियों का एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में जाने से केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली हो जायेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि निगम से केन्द्र सरकार को शक्ति मिल जायेगी तो केन्द्र सरकार उन पर अन्याय करेगी। केन्द्र सरकार अधिकारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगी। अब कम्पनियां भी बीमा करा सकेंगी।

यह बिल वास्तव में जनहितकारी बिल है, इसलिए इसको पास करना बहुत आवश्यक है क्योंकि बीमा कारोबार का भारतवर्ष में अत्याधिक महत्व है। भारतीय बीमा संस्थाएं देश वासियों का और विदेशियों का बीमा करती हैं। बीमा कम्पनियां देश की अर्थव्यवस्था और विकास को सुदृढ़ करती हैं। इस प्रकार से करोड़ों पालिसियों का रुपया बीमा क्षेत्र में इन कम्पनियों का लगा हुआ है। इसी प्रकार बीमा संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए लोगों को भी इसका पर्याप्त लाभ मिलेगा और बीमा बिल के आने से बीमा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मेरा निवेदन है कि इससे कारोबार में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा के भंडार में भी वृद्धि होगी और बीमा राशि का सदुपयोग भी हो सकेगा। मेरा सुझाव है कि ब्याज दर की कमी से होने वाली हानि को रोकने के प्रयास में, केन्द्र सरकार के पास आने से, इसमें कामयाबी मिलेगी। बोनस की दरें ठीक रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बीमा छटनी के खर्च एवं अन्य खर्चों में कमी होगी। जो ट्रेड यूनियनें बीमा कम्पनियों में काम करती हैं, उनको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मजदूरों पर भी इसका विपरीत असर नहीं पड़ेगा।

मंत्री जी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो बिल लाए हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत सुन्दर बिल है। मैं इस बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि पूरा सदन समर्थन करेगा। इस बिल को पास करके हम मंत्री जी और केन्द्र सरकार को शक्ति दे सकेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, श्री रासा सिंह रावत ने इस विधेयक पर 4-5 बार प्रबल समर्थन, पुरजोर समर्थन कहा लेकिन हम इस विधेयक का घनघोर विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं, उसे समझिए। सरकार ने इसे प्राइवेटाइज करने की सहमति दे दी, विदेशी मल्टी नैशनल्स आ जाएं, उसके लिए न्यौता दे दिया कि दुनिया के मुल्कों के मल्टी नैशनल्स चले आएं। यही विषय पहले उठा था। वामपंथी लोग हमेशा से इसके खिलाफ हैं और हम लोग उनका साथ देते हैं, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट सरकार में, आपको याद होगा, जब इसी तरह का विधेयक आया था तब बी०जे०पी० के लोग और प्रधान मंत्री जी ने उस समय जी-जान से उसकी खिलाफत की थी। वामपंथी सत्ता पक्ष के समर्थक थे, वे और विपक्ष दोनों मिल गए जिसके कारण यह विधेयक नहीं आ सका था। अब इसमें कौन सी नई चीज आ गई जिससे कहा जा रहा है कि बड़ा क्रान्तिकारी और देश के लिए फायदे वाला विधेयक हो गया, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सरकार में हैं तो पुरजोर समर्थन और भारी काम – कैसे भलाई होगी। अमरीका, ब्रिटेन में जो मल्टी नैशनल कम्पनियां हैं, वहां बाजार ठप्प हो गया, वे बाजार की खोज में लगे हुए हैं। चीन में गेट बंद है। उन्होंने कहा है कि किसी मल्टी-नैशनल्स को नहीं आने देंगे। दूसरे देशों को हिन्दुस्तान जैसा बाजार मिल गया। मल्टी पार्टी सरकार मल्टी-नैशनल्स की पक्षधर है। मल्टी नैशनल्स यहां आकर अपना बाजार करेंगे। इधर से कहते हैं कि जी०आई०सी० को रीइंश्योरेंस करने के लिए, पहले से जो संस्था है, उसे इन्होंने पांच खंडों में बांटने का विधेयक लाए हैं। जी०आई०सी० अलग और चार कम्पनियां अलग – पांच कम्पनियां हो जाएंगी जिनमें जी०आई०सी० रीइंश्योरेंस करके दुनियाभर के देशों से प्रतिस्पर्धा करेगी – यह इनकी सोच और कहना है बाकी चारों कम्पनियां रीइंश्योरेंस के अलावा जो बचा हुआ काम है, उसे करेंगी। श्री दासमुंशी ने सवाल उठाया था कि चारों कम्पनियां उतनी सक्षम हैं या नहीं और हमारे देश की क्या हालत है। क्राप इंश्योरेंस और देहात में इंश्योरेंस की क्या स्थिति है। शहरी लोग और नौकरी-चाकरी में जो लोग हैं, उन्हीं

लोगों को इंश्योरेंस का मालूम है। गांवों में, रूरल एरियाज में इनकी इंश्योरेंस की क्या स्थिति है, माननीय मंत्री जी हिसाब जोड़कर बतायें और पशु बीमे की क्या स्थिति है। कानून तो बन गया है कि पशुओं का भी बीमा होगा। जो गरीब किसान है, वह भैंस खरीदता है, गाय खरीदता है या आधुनिक जर्सी फ्रीजियन वाली कीमती गाय हो गई है। वह पेट काटकर पैसा जमा करके पशु खरीदता है। उसे यदि कोई बीमारी हो गई तो आप जानते हैं कि बीमारी के इलाज का ठीक इन्तजाम नहीं है। उन गरीब किसानों की यदि किसी हालत में गाय मर गई, भैंस मर गई, बैल मर गया, कोई जानवर मर गया तो उसकी जो सम्पत्ति है, वह छिन गई। उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है, कोई इन्तजाम नहीं है। पशु बीमे की क्या स्थिति है, माननीय मंत्री जी बताइये। आप तो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज किया है, मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं और लाइफ इश्योरेंस में जो हिन्दुस्तान में संभावनाएं हैं। इनकी वित्त की ढपोरशंखी घोषणाएं बराबर होती रहती हैं कि ग्रोथ रेट हमारी बढ़ गई। प्रधान मंत्री ने कह दिया कि दसवीं योजना में ग्रोथ रेट दस परसेंट होगी, अभी पांच परसेंट के करीब आ गई। पांच और छः के बीच में ये झूल रहे हैं और दावा करते हैं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत करेंगे। बड़ा कहने से आठ पर आते हैं, फिर सात पर आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, लाइफ इश्योरेंस के कारोबार में विदेशी कम्पनियां आ जाएंगी तो बड़ी भारी ग्रोथ इनकी कैसे बढ़ जायेगी।

ये बतायें कि अमेरिका में कितनी कम्पनियां दिवालिया हो गई ? कितनी कम्पनियां ब्रिटेन में दिवालिया हो गई ? आजादी के पहले यहां इंश्योरेंस का कारोबार ब्रिटिश कम्पनी ने शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपनी कम्पनी के अलावा दुनिया की किसी कम्पनी को यहां नहीं आने दिया। सन् 1956 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नेशनलाइज किया, फिर बचा खुचा पोरशन 1971 में इन्दिरा गांधी की रिजीम में नेशनलाइज हुआ। अब उसे डीनेशनलाइज और प्राइवेटाइज और यह सब करने जा रहे हैं। इससे कैसे देश का भला होगा ? यहां जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, जो अपनी बचत करते हैं, उसमें यू०टी०आई० के पहले का हाल आप जानते हैं कि बिहार में जे०वी०जी०, हीलियस और कुबेर, पता नहीं किस-किस नाम से नॉन बैंकिंग कम्पनी के नाम मे लाइसेंस इन लोगों ने दे दिये। गरीब आदमी पेट काटकर पैसा जमा करता है ताकि भविष्य में ब्याह-शादी, बच्चों को पढ़ाने में कुछ पैसे की बचत हो जायेगी, उसमें कुछ बढ़ जायेगा, इसलिए वह जमा वृद्धि योजना में जमा करता है, लेकिन यू०टी०आई० में घोटाला हो गया, उसमें उसका पैसा हजम हो गया। अब लाइफ इंश्योरेंस में मल्टीनेशनल कंपनियों को ला रहे हैं, वे यदि दिवाला करके चली जायेंगी तो फिर यहां के जो पैसा जमा करने वाले लोग हैं, इन्श्योरेंस में नाम लिखाने वाले लोग हैं, उकना क्या होगा ? इनके पास उसको रोकने का और उस पर कार्रवाई करने का क्या उपाय है ? ये आज एक समझौते वाला विधेयक लाये हैं कि जो कसूरवार लोग दूसरे देशों में हैं, उनके साथ प्रत्यर्पण संधि वाला विधेयक आज लाये हैं। एक आतंकवादी को कंधे पर उठाकर काबुल में दे आये थे, उसको सरैण्डर कर दिया और हम लोगों को धोखा देने के लिए कहते हैं कि आप कानून बना दीजिए। यहां के जितने अपराधी तत्व बाहर चले गये है, उनको हम फिर से प्रत्यर्पण के लिए दूसरे देश से हम मांग लाएंगे। अपने देश से ये वहां पहुंचाते हैं और फिर संसद में आते हैं कि आप कानून बना दीजिए। उसी तरह से फिर से संसद में आएंगे, जब दिवाला निकालकर मल्टीनेशनल कम्पनी वाले इंश्योरेंस में लोगों का यहां से पैसा ठगकर भाग जाएंगी। तो फिर कहेंगे कि पार्लियामेंट फिर से कानून बनाये, हम प्रत्यर्पण संधि कराएंगे और दूसरे देश से यहां लाएंगे। मल्टीनेशनल कम्पनियां अपने देश में तो दिवालिया होकर पैसा मारकर बैठ गईं। हमें याद है कि 900 में से 600 कम्पनियां अमेरिका में दिवालिया हो गईं। वे सब दिवालिया कम्पनियां हिन्दुस्तान जैसे बाजार को खोज रही हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

निजीकरण करके पांच खंडों में बांट दिया है। अब कहते हैं कि जिसका कंट्रोल था, नियंत्रण था, उसको जी०आई०सी०, रिइंशोरेंस का काम करेगी। चारों कम्पनीज अलग-अलग काम करेंगी तो पशु बीमा का, देहात में लोगों को क्या होगा ? इसमें काम करने वाले लोगों के प्रशिक्षण का क्या इंतजाम किया है, इसका इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही सरकार बार-बार आश्वासन देती है कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी छंटनी नहीं होती है। लेकिन देखा गया है कि जब सरकार किसी कम्पनी का निजीकरण करती है तो उसमें छंटनी होती है। इसलिए उन लोगों को प्रोटेक्शन देने का कोई जिक्र इसमें नहीं है। आप सारी कम्पनीज को अलग-अलग कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनीज आ रही हैं, फिर कहते हैं कि कम्पीटिशन करो, किस तरह से ये बहुराष्ट्रीय कम्पनीज से मुकाबला कर पाएंगी, यह भी बताने की कृपा करें। हमें इस बिल में बहुत भारी आशंका दिखाई देती है। इस बिल को देखने से लगता है कि यह विधेयक विषय कुम्भम, पयो मुखम् वाला विधेयक है। जैसे घड़े के ऊपर तो मधु हो, लेकिन अंदर जहर भरा हो। इससे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा भारी खतरा हमें नजर आ रहा है। गरीब लोग, आम लोग अपना पेट काटकर पैसा जमा कराएंगे और ये विदेशी कम्पनीज अगर भाग जाएंगी तो उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा।

बी०जे०पी० पर जिन कट्टरपंथियों का कब्जा है, वे लोग स्वदेशी मंच की बात करते हैं, लेकिन लगता है कि सिर्फ बोलने के लिए ही स्वदेशी मंच है और काम विदेशी मंच का किया जा रहा है यानी बुराष्ट्रीय कंपनीज को देश में लाया जा रहा है। इसी तरह से आपने विदेशी शराब पर टैक्स कम कर दिया है। हम लोगों के यहां ताड़ी होती है, उसे भी विदेश में भेजने का इंतजाम करना चाहिए। अगर यहां विदेशी शराब पर टैक्स में कमी की जा सकती है तो ताड़ी को भी बाहर भेजना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कैसे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था गरीब लोगों पर टिकी है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आपने इंश्योरेंस का क्या इंतजाम किया है ? पशु बीमा के लिए क्या इंतजाम किया

[डॉ० रघुवंश प्रसार सिंह]

है ? देहाती एरिया में बीमा का क्या इंतजाम किया है ? मल्टी नेशनल कम्पनीज जब आएंगी तो वे अपने दरवाजे किसानों के लिए नहीं खोलेंगी। वे तो बड़े लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलेंगी और उनका पैसा लेकर भग जाएंगी। इसलिए मंत्री जी सब बातों को देखें और गांधी जी का फार्मूला याद करें। गांधी जी ने कहा था कि काम ऐसा करना चाहिए जो सर्वहारा आदमी, मेहनतकश लोगों के हित में हो और उन पर उस काम का क्या असर होने वाला है, यह देखना चाहिए। यही काम करने की कसौटी है। इस कसौटी पर यह विधेयक नहीं उतर रहा है। इसलिए हमें संदेह है कि यह विधेयक हिन्दुस्तान को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने वाला विधेयक है। जान की जोखिम के लिए बीमा होता है, आम आदमी को जो आर्थिक जोखिम होगा, उसका कहां इंशोरेंस है ? जैसे दासमुंशी जी ने सुझाव दिया है कि इस पर पुनर्विचार करें, हम भी उससे सहमत हैं। आप सभी शंकाओं का समाधान करें, तभी आप इसको पास करा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरणों तथा टिप्पणियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझसे पहले दो वक्ताओं ने भी मेरे नाम का उल्लेख किया है क्योंकि मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य हूं जिसके सभापति डा० विजय कुमार मल्होत्रा हैं। नि:संदेह हमने निश्चित रूप से साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों के विलय पर कुछ सिफारिशें की थीं। केवल समिति ही ऐसा नहीं चाहती थी अपितु नौकरीपेशा वर्ग, इन बीमा कम्पनियों के कर्मचारी भी यही चाहते थे। लम्बे वाद विवाद तथा बैठकों के पश्चात् अंतत इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था।

जिस व्यवस्था पर हम चर्चा करने वाले हैं वह व्यवस्था दो वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि विधेयक पारित होने के बाद यह व्यवस्था लागू होगी। यह अपना कार्य शुरू कर चुकी है। साधारण बीमा निगम ने एक पुनर्बीमाकर्त्ता के रूप में पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है। यह सरकार का सौभाग्य था कि जब बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण विधेयक पुर:स्थापित हुआ था तो मुख्य विपक्षी दल, अर्थात् कांग्रेस पार्टी ने इसे विधेयक का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया था। प्रारंभ में हम सभी भयभीत थे कि यदि विदेशी कम्पनियों ने भारतीय बीमा बाजार में प्रवेश शुरू कर दिया तो भारतीय बीमा कम्पनियों का क्या होगा और अंतत: स्थिति क्या होगी ? मैं माननीय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 मे पारित हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी विदेशी कम्पनियां भारत में प्रवेश कर चुकी है और उन्होंने बीमा कम्पनियों के रूप में भारत में कहां-कहां अलग से संचालन शुरू किया है। मुझे कुछेक बीमा कम्पनियों के बारे में पता है जो संयुक्त सहयोग में है और जिन्होंने बीमा क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया है। लेकिन यह सच है कि बीमाकर्ता के रूप में साधारण बीमा निगम कार्यक्षेत्र पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसलिए, यह स्वभाविक है कि मुझे यह जानने में रूचि है कि अब तक कौन-कौन से देश इस बीमा एजेंसी द्वारा शामिल कर लिए गए हैं और क्या साधारण बीमा निगम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें केवल यही विहित है कि साधारण बीमा निगम पुनर्बीमाकर्ता के रूप में उभरेगा अथवा यह कतिपय देशों में भी पहुंच गया है। यदि हां, तो वे कौन से देश है जहां साधारण बीमा निगम को पहुंचने में सफलता मिली है।

महोदय, साधारण बीमा निगम के अंतर्गत दो मुख्य क्षेत्र अर्थात् नागर विमानन और फसल बीमा आते हैं। इसकी सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ राज्यों को इसे फसल बीमा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है और इस सूची में पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर है। यद्यपि पश्चिम बंगाल राज्य में सूखा पड़ता है और बाढ़ आती है तथा लाखों किसान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। तथापि इस राज्य के किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। उन्हें इस फसल बीमा से लाभ नहीं हुआ है। कृपया माननीय मंत्री मुझे स्पष्ट करें कि क्या मैं जो आरोप इस सभा में लगा रहा हूं वे सही हैं अथवा नहीं। यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार सभी राज्यों तथा किसानों को इस फसल बीमा योजना में शामिल करने हेतु राज्य सरकारों को सुस्पष्ट निदेश जारी कर सकती है।

महोदय, मैं तो बल्कि यह पूछना चाहता हूं कि जब बीमा क्षेत्र को खुला बाजार दिया गया है – हमें अच्छी तरह से पता है कि विदेशी कम्पनियों के पास ऐसा कोई बुनियादी ढांचा अथवा तंत्र नहीं है जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों तथा निर्धनतम लोगों तक अपनी पकड़ बना सके – तो भारत सरकार कब और कैसे निम्नतम स्तर को इसमें शामिल कर सकती है। इन लोगों को किस परिधि, किस श्रेणी तथा योजना के अंतर्गत बीमा योजनाओं के तहत लाया जा सकता है ? बीमा क्षेत्र में हमारा बुनियादी ढांचा अधिक आधुनिक तथा संगठित होना चाहिए क्योंकि हमने विश्व की कम्पनियों के लिए अपना बाजार खोला है। जब विदेशी कम्पनियां भारत में बीमा बाजार में प्रवेश करती हैं तो वे महानगरों की ओर देखेंगी न कि वे निम्नतम स्तर के लोगों को बीमा क्षेत्र में शामिल करने की कोशिश करेंगी।

वे नए आयाम, नए दृष्टिकोण, नए विचार क्या हैं जिनके आधार पर सरकार इस बीमा क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यधिक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रही है ? हमें आशंका हो रही है, जैसाकि विपक्ष के सदस्यों ने भी आशंका व्यक्त की है कि क्या आम आदमी के हितों की उचित रूप से सुरक्षा की जाएगी और क्या इस प्रतिस्पर्धा से हमारी बीमा कम्पनियां, जो मूल निकाय

से अलग हुई हैं, आत्मनिर्भर हो पाएंगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या साधारण बीमा निगम को ऐसा संगठन बनाया जा रहा है जिसके पास शक्तियां नहीं हैं। लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि साधारण बीमा निगम को शक्तिविहीन संगठन बनाया जा रहा है। इन चार कम्पनियों यथा राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, जीवन बीमा निगम लिमिटेड, ओरियंटल बीमा कम्पनी लिमिटेड तथा यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अलग-अलग किए जाने के बाद इनका संगठनात्मक पुनर्गठन किस तरह का होगा ? क्या यह भी सच है कि निजी एकक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे ? कर्मचारियों अथवा श्रमिकों को नहीं अपितु पदाधिकारियों को आशंका है कि यदि इन चारों कम्पनियों का एक साथ विलय कर दिया जाता है तो इसका एक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक होगा और दो या तीन कार्यकारी निदेशक होंगे लेकिन यदि वे अलग-अलग कार्य करेंगी तो उसके अलग-अलग कार्यकारी निदेशक होंगे। यदि इन चारों कम्पनियों को एक छत्र के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव था तो इससे ये अधिक लाभ अर्जक इकाई, केन्द्र सरकार का लाभ अर्जक संगठ होते ये उन विदेशी कम्पनियों का मुकाबला कर पाते जो हमारे बीमा बाजार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

अत:, हम चाहते हैं कि सरकार को यह देखने हेतु सर्वेक्षण करना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ये चारों अनुषंगिक कम्पनियां किस तरह कार्य कर रही हैं, क्या साधारण बीमा निगम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुआ है, कितनी विदेशी कम्पनियों ने भारत के बाजार में प्रवेश किया है और इन्हें किस तरह विनियमित किया जा रहा है। कई कम्पनियां यहां आएंगी और चली जाएंगी लेकिन हम उन पर प्रतिबंध लगाने में कहां तक सफल हुए हैं ताकि वे आम आदमी को धोखा न दे सके ? अनेक लोग जो इन बीमा कम्पनियों में निवेश करेंगे उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधेयक के उपबंध इन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त है क्योंकि ये कम्पनियां कार्य करना शुरू कर चुकी हैं।

विपक्ष के संसद सदस्यों ने बहस की शुरूआत में कुछ प्रश्न पूछे थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रमुख क्षेत्र सरकारी राजकोष में योगदान करने में सक्षम है या नहीं। आप इस विधेयक के उद्देश्य को प्राप्त करने में किस हद तक सफल होंगे ? कृपया इसका स्पष्टीकरण दें।

अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे ढांचे की निगरानी हेतु एक निगरानी तंत्र बनाना पड़ेगा। बिना किसी निगरानी तंत्र के कुछ नहीं किया जा सकता। जहां तक इस बीमा क्षेत्र का संबंध है, इस विधेयक के साथ एक नये निगरानी तंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव भी लाया जाये।

इन बातों का स्पष्टीकरण दिया जाये और मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मुझे साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2001 पर इस बहस में भाग लने का अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद।

मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह तर्क दिया जा रहा है कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के वर्तमान दौर में जी०आई०सी० के पुनर्गठन को टाला नहीं जा सकता। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जी०आई०सी० के पुनर्गठन की अत्यन्त आवश्यकता है। परंतु मुद्दा यह है कि जी०आई०सी० का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाए। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या हम जी०आई०सी० की प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने और उसे प्रभुत्व कायम करने की स्थिति में लाए जाने के पक्ष में हैं या हम उसे इस सीमा तक नीचे गिरा देना चाहते हैं कि वह अंतत: विश्व स्तर पर प्रतियोगिता से ही बाहर हो जाए।

महोदय, हमें इस मुख्य प्रश्न का हल खोजना है। पुनर्गठन का उद्देश्य क्या है ? पुनर्गठन का उद्देश्य इसे चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम बनाने हेतु इसके सम्मुख स्पष्ट लक्ष्य और कार्यनिष्पादन सम्बन्धी मानदण्ड रखकर इसकी कार्यकुशलता सुनिश्चित करना है। इसको ध्यान में रखते हुए वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 19 सितम्बर, 2000 को इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन में जी०आई०सी० को अलग-अलग किए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और सरकार को पुनर्गठन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार करने का परामर्श दिया था। उसने सभी चार कंपनियों का एक ही कंपनी में विलय करने की सिफारिश की थी। मैं साधारण बीमा निगम के लिए एक अविभाजित ढांचा खड़ा किए जाने के पक्ष में हूं।

महोदय, इस सन्दर्भ में मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के एक प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहूंगा। इस सदन के कई माननीय संसद सदस्य उस प्रतिवेदन का उल्लेख कर चुके हैं। कृपया मुझे उस प्रतिवेदन में से उद्धृत करने की अनुमति दें। उसमें लिखा है :.

> ''इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को साधारण बीमा निगम की सूची चार अनुषंगी इकाईयों का विलय मुख्य जी०आई०सी० में कर देना चाहिए और बीमे के कारोबार को चलाने हेतु एक पृथक नए निगम का गठन भी करना चाहिए।''

महोदय, समिति की सिफारिश बहुत स्पष्ट थी। लेकिन यह जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि यह सरकार इस समिति की सिफारिश का सम्मान नहीं कर रही है। केवल इतना ही नहीं, सरकार इस विधेयक को पारित करने हेतु इस प्रतिष्ठित सदन में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही इस संबंध में प्रशासनिक निर्णय ले चुकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह संसदीय प्रक्रियाओं का महत्व कम करने का प्रयास है।

महोदय, मैं यह इंगित करना चाहूंगा कि इस विधेयक में धारा 24 अंत:स्थापित करके जी०आई०सी० को साधारण बीमा कारोबार

[श्री प्रबोध पण्डा]

जारी रखने से प्रतिबंधित किया जा रहा है और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ इसका तत्काल शिकार बनेंगी। सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का वायदा किया था। यह उसके बिल्कुल विपरीत है।

महोदय, जी०आई०सी० से इन चार अनुषंगी इकाईयों को पृथक करने और उन्हें स्वायत्तता देने के प्रस्तावित परिवर्तनों से इस संगठन की समग्र वित्तीय क्षमता कम होगी और इससे इस कंपनी की सौदेबाजी की क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ेगा। प्रतियोगिता के इस माहौल में लाभों को समेकित करने की बजाय इस धारा 24 को अंत: स्थापित किए जाने से जी०आई०सी० इस प्रतियोगिता का सामना करने हेतु अकेला पड़ जाएगा। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सरकार से इस पर विचार करने और इस विधेयक के प्रावधानों पर पुन: ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। मुझे इस पर सरकार के विचार नहीं मालूम। मैं नहीं जानता कि सरकार के मन में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जिसके सभापति डा० विजय कुमार मल्होत्रा हैं जो भा०ज०पा० के ही नेता हैं, की सिफारिशों का सम्मान करने की इच्छा है या नहीं। मैं सरकार से इसपर पुन: विचार करने का अनुरोध करूंगा। इस विधेयक का कर्मचारियों पर व्यापक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अत:, मैं सरकार से अपने निर्णय पर पुन: विचार करने और इस विधेयक को वापस लने का अनुरोध करूंगा। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, मैं और मेरी पार्टी शिव सेना, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) अमैंडमैंट बिल का समर्थन करती है। 1972 का जो ऑरिजिनल एक्ट है, उसमें सैक्शन 9, 10, 18, 19, 20, 24 और 39 में संशोधन करने का प्रावधान है। मैं इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी और अन्य इंश्योरेंस कम्पनियों के ऊपर सामाजिक दायित्व है। यह केवल मुनाफा कमाने वाली कम्पनियां न बनें बल्कि इनके ऊपर आम आदमी के प्रति भी सामाजिक दायित्व होना चाहिए। इसका केन्द्र बिन्दु गरीब काश्तकार, किसान और मजदूर होना चाहिए और आखिर में इंश्योरेंस कम्पनी होना चाहिए।

खुशी की बात है कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। हम यहां ओपन मार्किट बना रहे हैं। बहुत सी विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनियां इंश्योरेंस सैक्टर में आएंगी तो हमें सोचना पड़ेगा। वे सामाजिक दायित्व स्वीकार करें, यह देखने की जरूरत है। हिन्दुस्तान छोटे-छोटे गांवों में बंटा है और देहातों में रहने वाले लोगों का हिन्दुस्तान है। अभी तक जी०आई०सी० और दूसरी इंश्योरेंस कम्पनियां छोटे-मोटे काश्तकारों तक नहीं पहुंची हैं। मैं ग्रामीण इलाके से चुन कर आया एक सदस्य हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काश्तकारों और किसानों को इंश्योरेंस का अभी तक लाभ नहीं मिला है। इस बिल के माध्यम से यह बात सोचने की जरूरत है।

देश के 70 से 80 परसैंट लोग खेती पर निर्भर करते हैं। कई छोटे मोटे उद्योग देहातों में चलते हैं। वहां बुनकर और कारपैंटर काम करते हैं। छोटे-छोटे उद्योगों को बीमा कम्पनियों के दायरे में लाकर उसे बढ़ाने की जरूरत है। अगर सही मायने में उद्देश्य को सफल बनाना है तो छोटे-मोटे काश्तकार को बीमा का लाभ मिलना चाहिये, यही मेरा सुझाव है। यद्यपि यह बिल पास हो जायेगा लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि जो विदेशी कम्पनियां इस क्षेत्र में आयेंगी, क्या वे देहाती क्षेत्रों में जायेंगी ? सरकार को इस बात के लिये कोई मापदंड रखना चाहिये, उन पर सख्ती करनी चाहिये। इन कम्पनियों को सामाजिक दायित्व निभाने के लिये देहात में जाना चाहिये। उन्हें आम आदमी के लिये काम करना चाहिये। छोटे-छोटे उद्योगों को इसका लाभ मिलना चाहिये। जहां तक फसल बीमा का संबंध है कम प्रीमियम दर पर फसल बीमा किया जाना चाहिए। यह दर 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। भविष्य में विदेशी बीमा कम्पनियों को इसका लक्ष्य रखने की जरूरत है। मलहोत्रा कमेटी की सिफारिशों पर अधिक से अधिक गौर करने की आवश्यकता है। और आम आदमी को केन्द्र बिन्दु मानकर कार्य करना चाहिये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मैं इस साधाण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 का विरोध करने हेतु खड़ा हुआ हूं।

संसद के गत वर्षा कालीन सत्र में यह विधेयक विचार करने और पारित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था और हमने इसका विरोध किया था। हमारा विरोध इस बात पर था कि उक्त विधेयक को पहले जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चहिए और उसके बाद इस सदन के सम्मुख लाया जाना चाहिए। उस समय हमने बताया था कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने साधारण बीमा निगम के सभी पहलुओं और उसकी चार अनुषंगी इकाईयों को अलग अलग करने के प्रस्ताव की जांच की थी। उन्होंने कहा था कि जी०आई०सी० का कार्य पुन: बीमा करने का होगा।

अब, सरकार ने स्वयं ही निर्णय लागू कर दिया है। इसके पीछे तर्क क्या है ? सरकार पहले ही जी०आई०सी० की चार अनुषंगी इकाईयों को स्वतंत्र कंपनियां बना चुकी है। साधारण बीमा कंपनी का कार्य पुन: बीमा करना है। इस निर्णय को लागू करने के पश्चात इस प्रस्तावित विधेयक में बचा ही क्या है ?

मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को स्थायी समिति को क्यों नहीं भेजा गया और सरकार ने यह निर्णय क्यों लागू कर दिया।

महोदय, मैंने मल्होत्रा समिति और उसकी सिफारिशों का अध्ययन किया है। मैंने पूरे प्रतिवेदन में यह कहीं नहीं देखा कि मल्होत्रा समिति

ने जी०आई०सी० की इन चार अनुषंगी इकाईयों को स्वतंत्र कंपनियां बनाने की सिफारिश की है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने, इस विधेयक को सदन में लाये जाने से पूर्व, पुरजोर सिफारिश की थी कि इन चार अनुषंगी इकाईयों को स्वतन्त्र कंपनियां बनाए जाने की बजाय इनका एक कंपनी में विलय कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही जी०आई०सी० मजबूत होगी और वह प्रतियोगिता का सामना कर पाऐगी। लेकिन अब उन्होंने निजी कम्पनियों के लिए यह क्षेत्र खोल दिया है और उन का प्रवेश भी हो गया है। कम से कम छह कंपनियों ने स्वयं को पंजीकृत कराकर कार्य करना आरंभ कर दिया है। मैं नहीं जानता कि इनमें से कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में गई हैं। मंत्री महोदय इस सदन को बतायें कि इन छह निजी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोगों का बीमा किया गया है।

विश्वभर में हमारा यह अनुभव रहा है कि विलय और अधिग्रहण, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में, किए जा रहे हैं। लेकिन हम इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। इन चार अनुषंगी इकाईयों का एक कम्पनी में विलय किए जाने के स्थान पर, जो कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिश थी, सरकार पहले ही इन चार कम्पनियों को पृथक स्वतंत्र कम्पनी बना चुकी है।

इस काम के पीछे क्या उद्देश्य है ? क्या इन अनुषंगी इकाईयों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य है या इन्हें कमजोर करने का उद्देश्य है ? हमें आशंका है कि इन कंपनियों को कमजोर करने का उद्देश्य है। उस स्थिति में ये कंपनियां प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाएंगी; हमारा अनुमान है कि सरकार का इसके पीछे उद्देश्य धीरे-धीरे इन कंपनियों का निजीकरण कर देने का है। इन्हें मजबूत करने और विदेशी बहु राष्ट्रीय कंपनियों को कड़ा मुकाबला देने में सक्षम बनाने के स्थान पर यदि पहले इन्हें कमजोर कर दिया जाए तो सरकार के लिए इनका निजीकरण करना आसान होगा। अत: सरकार ने इन कंपनियों को कमजोर बनाने का निर्णय लिया है जिससे कि इनका आसानी से निजीकरण किया जा सके।

वित्त मंत्री द्वारा एक आश्वासन दिया गया था। जब हमने अपनी आशंका व्यक्त की थी, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। सरकार को हमें इन कंपनियों को स्वतंत्र कंपनियां बनाने का उद्देश्य और तर्क स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमें बताया गया था कि बीमा क्षेत्र को खोले जाने के पश्चात किसी की भी छंटनी नहीं की जायेगी। वित्त मंत्री जी ने आई०आर०डी०ए० विधेयक पर बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि :

> ''सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों अर्थात् एल०आई०सी०, जी०आई०सी० और इसकी अनुषंगी इकाइयों में से किसी भी कर्मचारी की छंटनी किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा इन कंपनियों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथासमय इस दिशा में अन्य सभी आवश्यक उपाय किए जायेंगे।''

अपराह्न 5.35 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। किन्तु इन कंपनियों को सुदृढ़ करने की बजाय, सरकार ने इसकी अनुषंगी कंपनियों को कमज़ोर किया है।

महोदय, साधारण बीमा (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अनुसार जी०आई०सी० के कार्य थे – साधारण बीमा के कारोबार को चलाना, उसका निरीक्षण करना और उसका नियंत्रण करना। निगम के कार्यों में, यदि वह उचित समझे तो, साधारण बीमा कारोबार के किसी एक भाग को चलाना तथा अधिगृहित कंपनियों को आचार संबंधी मानदण्डों को निर्धारित करने, और साधारण बीमा कारोबार को भली प्रकार से चलाने में मदद करना सुझाव देना व सहायता देना और साधारण बीमा के पॉलिसी धारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना। इस संशोधन विधेयक के द्वारा जी०आई०सी० के साधारण बीमा कारोबार को चलाने, उसके निरीक्षण व नियंत्रण संबंधी कार्य उससे ले लिए गए हैं तथा 'पुनर्बीमा कारोबार चलाना' शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। साधारण बीमा के कारोबार को चलाने का निरीक्षण व नियंत्रण का कार्य फिर कौन करेगा ?

वे पहले ही जी०आई०पी०एस०ए० का गठन कर चुके हैं। हालांकि यह आश्वासन दिया गया था कि इनमें कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी, इस संगठन ने वर्ग I, II, III और IV के सभी कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई और सभी संघों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव सवैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित था। यह एल०आई०सी० और जी०आई०सी० के कर्मचारियों की छंटनी के प्रयास के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। हालांकि आई०आर०डी० ए० विधेयक पर विचार करते समय तथा उसे पारित करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा तथा एल०आई०सी० व जी०आई०सी० तथा इसकी चारों अनुषंगी कंपनियों को सुदृढ़ करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके पीछे क्या प्रयोजन है ? इस प्रकार का विधेयक सभा के समक्ष क्यों लाया जा रहा है ?

समिति एक लघु-संसद है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिस पर किसी में मतभेद नहीं है। इस समिति के सभापति प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा सत्ता पक्ष के हैं। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय भी इसी समिति के सदस्य हैं। वे भी समिति के इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि कंपनियों को अलग-अलग

[श्री वसुदेव आचार्य]

नहीं करना चाहिए बल्कि सभी कंपनियों का विलय कर एक सुदृढ़ संगठन बनाया जाना चाहिए। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जैसी महत्वपूर्ण समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की किन्तु सरकार ने यह जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी कि क्या इससे बीमा कंपनियों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इससे बीमा कंपनियों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। 1997 में आई०आर० डी०ए० नहीं था। उस समय बीमा विनियामक प्राधिकरण (आई०आर०ए०) विधेयक था। इसमें 'विकास' शब्द नहीं जोड़ा गया था। उस समय, हम सभी ने इसका विरोध किया था। हम सत्ता गठबंधन के साथ थे। हम उन्हें बाहर से समर्थन दिया करते थे। किन्तु वहां बैठकर हमने विरोध किया और उस समय प्रधान मंत्री ने आकर विधेयक को वापिस ले लिया क्योंकि हमारे विचार से वह, हमारे देश की जनता के हित में नहीं था। महोदय, जब जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब इसकी प्रदत्त पूंजी कितनी थी ? वह मात्र 5 करोड़ रुपये थी। जब साधारण बीमा निगम का राष्ट्रीकरण किया गया था तो उस समय इसकी प्रदत्त पूंजी कितनी थी ? यह मात्र 35 करोड़ रुपये थी। उन्होंने सरकार को कितना लाभांश दिया ? यह कोई हजार करोड़ रुपये था। आज, हमारे जैसे देश के सामाजिक क्षेत्र तथा सामाजिक दायित्वों का क्या होगा जहां अभी भी 26 से 27 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं ? इस समय राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियां सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। क्या अब आने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं निजी बीमा कंपनियां सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगी ? वे कंपनियां क्यों आ रही हैं ? वे यहां लाभ कमाने तथा उस लाभ को अपने देशों में ले जाने के लिए आ रही हैं। इस सरकार ने बीमा, वित्तीय क्षेत्र तथा सभी क्षेत्रों को खोल दिया है। यह, इस देश की जनता के हित में नहीं है। इसीलिए, हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम सरकार द्वारा उठाए जा रहे ऐसे कदमों के विरूद्ध हैं।

मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार ने इस विधेयक को लाने से पहले इसे कार्यान्वित क्यों किया था। जब सरकार इसे पहले ही कार्यान्वित कर चुकी है तो इस विधेयक को पारित करने का उपयोग ही क्या है ? हम केवल इस सरकार की कार्यवाही को सुधार रहे हैं जो हमारे विचार से राष्ट्र विरोधी है। वे हमारी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों को नष्ट करना चाहते हैं। वे हमारी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों को कमजोर करना चाहते हैं ताकि यह सरकार निजीकरण कर सके। इस उपाय के पीछे यही मुख्य प्रयोजन है। इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि कम से कम सरकार इस पर पुन: विचार करेगी और विधेयक वापिस ले लेगी। आप एक विशेषज्ञ समिति को नियुक्त कीजिए। हमारे पास विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी है। हम सभी पहलुओं की जांच कर सकते हैं। कि क्या यह उपाय हमारे देश की जनता के हित में हैं, क्या निजी बीमा कंपनियां फसल बीमा करेंगी। उनमें से कितनी कंपनियों ने फसल बीमा प्रारंभ कर दिया है ? उनमें से कितनी कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में गई हैं ? कोई भी नहीं। इस चर्चा का उत्तर देते समय वे इसे स्पष्ट करेंगे।

महोदय, मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि इस स्तर पर भी मंत्री महोदय विवेक से काम लेंगे तथा विधेयक वापिस ले लेंगे जैसा कि 1997 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री आई०के० गुजराल ने किया था।

श्री एन०टी० षणमुगम (वेल्लौर) : माननीय सभापति महोदय, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

हमारे देश में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं और अर्थव्यवस्था में असाधरण बदलाव हो रहे हैं। सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त हो रहा है। यह क्षेत्र अब सबके लिए खोल दिया गया है ताकि बीमा क्षेत्र में वे सब लोग आ सकें जो इसमें आने के इच्छुक हैं। यह सेवा क्षेत्र अब भावी प्रवेशकों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करेगा। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् भारतीय साधारण बीमा निगम के पास सिर्फ पुनर्बीमा का व्यवसाय रह जाएगा। जी०आई०एस० अब इन चार अनुषंगी कंपनियों अर्थात् नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कपंनी लिमिटेड की धारक कंपनी नहीं रहेगी।

महोदय, वित्त मंत्री ने साधारण बीमा व्यवसाय करने वाली चार अनुषंगी कंपनियों को अलग-अलग करने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया है। जानकार लोगों को मालूम है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर मिल सकें।

इसके परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं। कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुविधाएं मिल रही हैं और सरकार भी सेवा कर के माध्यम से अधिक लाभ उठा सकती है। कर का दायरा भी बढ़ गया है। अब यह मात्रा खाता हस्तांतरण नहीं रह जाएगा। इससे राजकोष में अधिक धन आएगा। बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों में रोज़गार सुरक्षा को लेकर चिंता व्याप्त थी। अब यह पाया गया है कि इस उद्योग में प्रतिस्पर्धा के आने से, परोक्ष रूप से बेहतर सेवा परिस्थितियां और बेहतर निष्पादन पर आधारित रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करेगा।

इस विधेयक द्वारा पहले के जी०आई०सी० से नागर विमानन व्यवसाय तथा फसल बीमा व्यवसाय भी ले लिए गए हैं। इसके दोहरे लाभ मिलेंगे। शेयर पूंजी सरकार को पुन: वापस मिल जाएगी। यह क्षेत्र कुछ और लोगों के लिए भी खोला जा सकता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और अधिक अर्थपूर्ण हो जाएगा। प्राधिकरण बीमा व्यवसाय को विनियमित करने में स्वतंत्र या स्वायत्त भूमिका निभा सकता है।

मुझे आशा है और मेरा विचार है कि मंत्री महोदय ने जी०आई०सी० से फसल बीमा को मात्र इसलिए अलग किया है ताकि वे वर्ष 2002 के बजट में संशोधन के रूप में एक पृथक कृषि बीमा निगम का गठन कर सकें। मैं वित्त मंत्री से उन सुधारों को कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं। मैं कामना करता हूं कि काश, वे एक व्यापक विधेयक लाए होते।

ऐसे समय में, मैं सरकार को एक चेतावनी देना चाहूंगा। चूंकि यह एक नाजुक संक्रमण काल होगा अत: हमें सावधान रहना होगा। इस नीति की सफलता या असफलता, चीजों से निर्वहन करने के हमारे तरीके पर निर्भर करती है। जहां तक आचार मानदण्डों, साधारण बीमा कारबार के अनुभव और साधारण बीमा के पॉलिसी धारकों को बेहतर सेवा सुविधाएं मिलने का संबंध है, जी०आई०सी० की व्यावसायिक भूमिका थी। जहां तक निजी कंपनियों का प्रश्न है आई०आर०डी०ए० को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति मिलने पर उन्हें स्वयं अपने प्रशिक्षण प्रभाग खोलने चाहिए। उन्हें मानव संसाधन विकास में निवेश करने के लिए कहना चाहिए न कि वे उनके प्रतियोगियों के सक्षम व योग्य व्यक्तियों को हथियाएं। हालांकि यह विधेयक विदेशी कंपनियों के संभावित प्रवेश के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताता किन्तु उन्हें स्वयं के निवेश द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने को अनिवार्य बनाना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि बीमा क्षेत्र की 99 प्रतिशत राशि पॉलिसी-धारकों तथा प्रीमियम अदा करने वालों से प्राप्त होती है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं पाटली मकाल काची एवं अपने संस्थापक व नेता डा० रामदास की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, मंत्री जी जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 लेकर आये हैं, में उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 1972 में ये जो चार कम्पनियां अलग-अलग थीं, उन कम्पनियों को इकट्ठा करके उनका राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। उन्होंने उन प्राइवेट कम्पनियों को गवर्नमैंट में लाकर उन्हें शक्तिशाली बनाने का काम किया था। सरकार को शायद अलग करने का सिद्धांत मालूम नहीं है। मेरा कहना है कि इन चार कंपनियों को इकट्ठा करने से उनकी ताकत बढ़ गयी थी। आपकी 24 पार्टियां हैं और 24 पार्टियों इकट्ठी होने से आपकी सरकार बन गयी। 24 पार्टियों में से अगर 4 पार्टियां अलग हो जाएंगी तो आपकी सरकार कितने दिन चलेगी। इन कम्पनियां को एक साथ लाकर ताकत बढ़ाने का काम हुआ था और आप इन्हें अलग करने की बात कर रहे हैं।

विखे पाटील जी हमारे मित्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग आपको बलि का बकरा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनको मालूम था कि इस बिल का काफी विरोध होने वाला है, इसलिए सिन्हा जी नहीं आए और आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। हम मांग करते हैं कि अगर आपको स्पीकर चुनना है तो इस बिल को वापिस लेने की आवश्यकता है। नए स्पीकर महाराष्ट्र के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, मैं महाराष्ट्र का हूं और श्री राम नाईक भी महाराष्ट्र के हैं जो स्पीकर के लिए कैन्डीडेट थे। मुझे बोल रहे थे कि क्या आपको स्पीकर बनना है तो मैंने कहा कि मैं नहीं बन सकता, जब उधर की सरकार आएगी तब बन सकता हूं। गुजरात भी शान्त नहीं रहा और इस बिल के माध्यम से आप देश में अशान्ति क्यों पैदा कर रहे हैं। अगर कम्पनियों का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो एस०सी०, एस०टी० इम्प्लाइज को बैकलाग के माध्यम से जो फायदा हो रहा है, वह नहीं होगा। आपकी सरकार का प्रयत्न रिजर्वेशन बंद करने का है। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बिल को औपोज़ कर दिया है और हम सब भी औपोज़ कर रहे हैं। हमारा मंत्री जी से कहना है कि सरकार के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपका ओरीजिनल मत मालूम है, आप सरकार का ओपीनियन बता रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन होने से कम्पनियों का भारी नुकसान होगा।

इंश्योरेंस बिल को आपको वापिस लेना होगा
सारे देश को आपको विश्वास देना होगा
अगर विश्वास नहीं देना होगा
तो सत्ता के बाहर आपको जाना होगा
और आपके जाने के बाद हमको आना ही होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापिस लें और एक अच्छा काम करने का प्रयत्न करें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालसाहिब विखे पाटील) : सभापति महोदय, इसमें कम से कम 14 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। मैं सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं। काफी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं और काफी सदस्यों ने समर्थन किया है। जो समर्थन देने में थोड़े से शंकित हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे भी समर्थन दे दें। पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। काफी लोगों ने जिक्र किया है –

[अनुवाद]

वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि कोई छंटनी नहीं की जाएगी, इस कम्पनी को मजबूत बनाया जाएगा तथा सरकारी बीमा कम्पनियों में सरकारी पूंजी में कमी नहीं की जायेगी अथवा उनमें विनिवेश नहीं किया जाएगा। सरकार इस बात के प्रति वचनबद्ध है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया है। इस प्रकार, सरकार के सामने कर्मचारियों की छंटनी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[श्री बालसाहिब विखे पाटील]

[हिन्दी]

उनकी कम्पनियों की जो स्थिति है, मैं आंकड़े दूं तो आपको पता चलेगा। 40 करोड़ से 100 करोड़ रुपये उनकी कैपाटल हो गई है और उनका फ्री रिजर्व 824 करोड़ से नेशनल कम्पनी का 1053 करोड़ रुपये हो गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस का 1999 में जो 2483 करोड़ था, वह आज 3066 करोड़ हो गया है। ओरिएण्टल इन्श्योरेंस का 495 करोड़ था, अभी वह 919 हो गया है। यूनाइटिड इंडिया का 968 करोड़ था, वह अब 1178 करोड़ हो गया है और जी०आई०सी० का 275 करोड़ कैपीटल था, वह 215 ही रह गया है। सब का सौ करोड़ रुपये कैपीटल हो गया है, लेकिन टोटल नेटवर्थ 2661 करोड़ रुपये है। इससे आपको पता चलेगा कि तीन साल में और इसके कारण जब डिलिंकिंग भी हो गया है तो इनकी लगातार बढ़ोतरी हो गई है और तीन साल में सभी कम्पनियां नफा कमा रही हैं, इनमें से कोई कम्पनी घाटे में नहीं है। आपको चाहिए तो मैं आंकड़े भी बता दूंगा, लेकिन इस समय कम्पनियां बराबर प्रगति कर रही हैं। आपका जो डर है कि चारों कंपनियां इकट्ठी न होने के कारण कमजोर होंगी और उनके अन्दर झगड़े होने के कारण खुद का पत्ता खुद ही काटेंगी। लेकिन जिप्सा के माध्यम से, जो एक छोटा सा नॉन गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है, वे खाली गवर्नमेंट की जनरल इंश्योरेंस कम्पनी उनकी मैम्बर है। वे आपस में तय करती हैं कि हम जो सरकारी कम्पनी हैं, वह कैसे बिजनेस करेंगी। इनमें से कोई कम्पनी किसी के अंतर्गत विरोध नहीं कर रही है और अलग अलग होकर किसी को कमजोर करे, ऐसा कोई काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि अभी हम इकट्ठा करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इससे उनकी सीनियोरिटी की समस्या होती है। अभी जैसा हमारे सदस्यों ने कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का क्या होगा। जब एक कम्पनी हो जाती है तो उनके 3000 से ज्यादा आफिसेज हैं। अगर आफिसेज कम हो जाते हैं तो सीनियोरिटी की समस्या आ जाती है। नेशनलाइज होने के समय काफी कम्पनियां इकट्ठी हुई, अभी तक उनके कुछ सीनियोरिटी के झगड़े चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार इसमें वचनबद्ध है, कमिटेड है कि इस कमेटी से सभी चारों कम्पनियों की ताकत बढ़ेगी और जरूरत होगी तो सरकार भी समर्थन करेगी।

जी०आई०सी० का जहां तक सवाल है, वह तो मल्होत्रा कमेटी के माध्यम से उन्होंने इंडियन रीइन्श्योरेंस करने की सिफारिश की है, उस हिसाब से कम्पनी काम कर रही है, उसका भी कारोबार बढ़ रहा है, क्योंकि 30 परसेंट उनके पास बिजनेस आ रहा है। हमने नोटिफिकेशन तो नवम्बर, 2000 में जारी किया है, इस हिसाब से काम तो हो रहा है, लेकिन 1938 के कानून का सैक्शन 101 है, उस हिसाब से जो काम हो रहा है, उससे एक ताकल मिलने के लिए और पूरी ताकत के साथ जो कानून बनेगा, उससे सभी प्राइवेट कम्पनी हो या सरकारी कम्पनी हो या विदेशी कम्पनी है, उनके पास रीइन्श्योरेंस का पूरा काम चला जायेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने उसमें काफी एक्सपर्टाइज लगाई है। अभी गीताकृष्णन कमेटी ने भी कहा है कि ये चार कम्पनियां सरकार से डीलिंक कर जाएंगी और सरकार के पास से चली जाएंगी, चार कम्पनियां अलग होने कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहूंगा कि आपके दिल में जो डर है कि दुनिया में जब इकट्ठे हो रहे हैं तो हम सभी लोग यहां इकट्ठे क्यो नहीं हो रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब हम कुछ बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि विदेश नीति के अंतर्गत हम आ रहे हैं, उसका प्रभाव कुछ बढ़ रहा है और जब खुद भारत सरकार की नीति बनाते हैं तो उसका सब लोगों को स्वागत करना जरूरी है कि भारत सरकार किसी के दबाव में आये बिना खुद की नीति बनाते हुए सारे इंश्योरेंस सैक्टर को आगे बढ़ा रही है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि किसी भी राष्ट्रीय कम्पनी का विनिवेश नहीं किया जाएगा। वे राष्ट्रीय कम्पनी की तरह ही बनी रहेंगी। जो विदेशी या निजी विदेशी कम्पनियां आ रही हैं, आप सब को पता है, विदेशी विनिवेशों की भागीदारी मात्र 26 प्रतिशत तक ही होगी। इंडियन कम्पनी की खुद की 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपये उनके लिए कैपीटल चाहिए, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अभी तक 17 कम्पनियां लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और उनके पास बिजनेस भी आ रहा है। पिछले साल लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस 50 हजार करोड़ रुपये तक चला गया, वैसे ही जी०आई०सी० का 2500 करोड़ रुपये तक चला गया। हर एक कम्पनी का नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस बढ़ रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, यह कहा गया कि पार्लियामेंट को बाई पास कर दिया है। नहीं, जो नेशनलाइजेशन के समय पुराना कानून था, जो 1972 में बन गया है, उसकी विचारधारा के अन्तर्गत नोटिफिकेशन का सरकार को जो अधिकार है, वह खाली डीलिंक करने के लिए है, लेकिन हमें बाकी ऑटोनोमी देनी है, उनके नये प्रोडक्ट करने हैं।

सायं 6.00 बजे

अभी तो 26 नए प्रोडक्ट कम्पनीज लाई हैं। कास्ट आफ प्रोडक्शन कम करने के लिए कार्पोरेशन बैंक के साथ, एस०बी०आई० के साथ कारोबार शुरू कर दिया है। ओरिएंटल इंशोरेंस ने कार्पोरेशन बैंक के साथ लिंकेज शुरू कर दिया है। सरकारी बैंक और सरकारी इंशोरेंस कम्पनीज आपस में तालमेल करके, कम खर्चे में देहात में कैसे पहुंचा जाए, इसको भी देख रही है। राष्ट्रीयकृत बैंक भी इंश्योरेंस में देहात में जाना चाहते हैं। एल०आई०सी० का अभी तक का कारोबार देहात में 54 प्रतिशत था। अब डेफिनेशन बदलने के बाद 18 प्रतिशत हो गया है। जो निजी कम्पनीज आई हैं, उनका देहात में कारोबार 7.6 प्रतिशत है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं किया है। कानून में हमने इसका प्रावधान किया है। जैसा दासमुंशी जी ने जिक्र किया कि माधव राव जी ने संशोधन दिया था सोशल सेक्ट कमिटमेंट का, वह संशोधन तब मूव हो गया था और सब लोगों ने उसको मान्यता दी थी। मुझे कहने में खुशी हो रही है कि जो नियम आर०डी०ए० ने बनाया है, वह अमल कर रहा है। उससे छूट नहीं मिलने वाली

है और न मिलने वाली है। सोशनल सेक्टर के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों की जो जिम्मेदारी है, मैं आंकड़ों से बता सकता हूं कि कितने साल में कितना करना जरूरी है।

[अनुवाद]

सामाजिक क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर अथवा पिछड़े वर्ग तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य श्रेणियों के लोग शामिल हैं। सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ता पहले वित्तीय वर्ष में 5000, दूसरे वित्तीय वर्ष में 7500, तीसरे वित्तीय वर्ष में 10,000, चौथे वित्तीय वर्ष में 15,000, और पांचवे वित्तीय वर्ष में 20,000 लोगों का बीमा करेंगे। इसी हिसाब से नानलाइफ का भी जिक्र किया गया है। आपको पता होगा।

बाजार में कार्यरत छः और गैर-जीवन बीमा कम्पनियों ने वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान 19.845 व्यक्तियों का बीमा किया है जबकि कम से कम 5,000 व्यक्तियों का बीमा करने का लक्ष्य था। हम पाते हैं कि गैर जीवन बीमा कम्पनियों ने 31 मार्च, 2002 तक ग्रामीण क्षेत्र में 14.22 करोड़ रुपये का नया प्रीमियम खरीदा है। इस प्रकार, सरकार इसके प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। मैं सरकार की ओर से इस सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए बिना किसी भी निजी कम्पनी को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : आपने जो बताया कि 17 प्राइवेट कम्पनीज हैं, इनका कितना शेयर है ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : 17 कम्पनीज रजिस्टर्ड हुई हैं एक साल में पूरा कारोबार छः कम्पनीज का हुआ है। उनका रूरल सेक्टर में साढ़े सात प्रतिशत है। जो नार्म्स दिए हैं, उनका उन्होंने पूरी तरह से पालन किया है, बल्कि कुछ ज्यादा ही किया है। हम जो संशोधित कानून लाए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, हम उनको कोई छूट नहीं देंगे।

[अनुवाद]

आई०आर०डी०ए० इसकी पूरी तरह से निगरानी कर रहा है। सामाजिक क्षेत्र और आधारभूत ढांचे में कम से कम पंद्रह प्रतिशत निवेश किये जाने की अपेक्षा है। गैर-जीवन बीमा के मामले में इस सम्बन्ध में कम से कम 10 प्रतिशत निवेश किये जाने की अपेक्षा है। हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह पाते हैं कि 31 मार्च 2002 तक, सभी नौ निजी बीमा कम्पनियों ने आधारभूत ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में लगभग साठ हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसी तरह, जीवन बीमा क्षेत्र में कार्य कर रही निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों ने आधारभूत ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में लगभग 130 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

[हिन्दी]

मल्टी नेशनल कम्पनीज आएंगी और सरकारी कम्पनीज को खा जाएंगी, यह बात ठीक नहीं है। सरकारी कम्पनीज पर आपकी तरह मुझे भी अभिमान है।

[अनुवाद]

उनकी पूरी क्षमता है और उनके पास सभी मूल सुविधाएं हैं। वे इसकी तलाश कर रहे हैं तथा नये उत्पादों को प्रयोग में ला रहे हैं। वर्तमान में, कोई भी निजी कम्पनी, चाहे वह जीवन बीमा क्षेत्र की हो अथवा गैर-जीवन बीमा क्षेत्र की सभी राष्ट्रीय बीमा कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार, हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम उनको हेतोत्साहित नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान कर रहे हैं। सरकार उनके कार्य में दखलअंदाजी करना नहीं चाहती है। स्वाभाविक रूप से, दिन व दिन यह एक नयी चीज है। निस्संदेह, प्रारम्भ में निजी कम्पनियों की बजट से राष्ट्रीय कम्पनियों को कुछ समय के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी जांच की जायेगी। लेकिन हम राष्ट्रीय कंपनियों की पूरी सहायता कर रहे हैं सरकार का उनका निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है। किसी भी राष्ट्रीय कम्पनी का निजीकरण अथवा विनिवेश नहीं किया जाएगा। वे आज जिस स्थिति में है उन्हें उसी स्थिति में रहने दिया जाएगा। उन्हें और मजबूत बनाया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार जी०आई०सी० सहित सभी कम्पनियों को सहायता प्रदान करेगी। वस्तुतः इस सम्बन्ध में कुछ लोगों के दिमाग में भय है परन्तु यह सही नहीं है।

अनेक मित्रों ने गुजरात समस्या का जिक्र किया है। गुजरात ने एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी झेली है। परन्तु, जैसा कि आप जानते हैं वहां कुछ बीमा कर्मचारी भी हताहत हुए हैं। बैंकिंग, बीमा और अन्य क्षेत्रों में एक हजार दावे निपटाए हैं। सैंतालीस हजार बीमा पालिसियां खरीदी गयी हैं। गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में भी, पांच लाख से अधिक दावे निपटाए गए हैं। साधारण बीमा कम्पनी (जी०आई०सी०) के व्यवसाय में 1999-2000 में 4.8 प्रतिशत, 2001 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तथा वर्तमान में यह 12 प्रतिशत है। सरकारी बीमा कंपनियों, जिसमें साधारण बीमा कंपनी और चार अन्य बीमा कंपनियां भी सम्मिलित हैं, की वृद्धि दर 12 प्रतिशत से भी अधिक है।

मेरे मित्र, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने प्रतीक्षा अवधि सहित कुछ सुझाव दिए हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसकी जांच करेंगे। हम कुछ अनुभव प्राप्त कर रहे हैं परन्तु हम इसकी जांच करेंगे। आपके सुझाव को सिर्फ नोट ही नहीं किया गया है बल्कि सरकार भी इन मुद्दों पर गम्भीर है। यदि आगे भी किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार कंपनी सामाजिक क्षेत्र तथा और अधिक शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीयकृत कंपनियों के राष्ट्रीय स्वरूप को मजबूत करने के लिए किसी भी समय ऐसा संशोधन करने से नहीं हिचकिचायेंगी। इस दिशा में, सरकार

[श्री बालसाहिब विखे पाटील]

राष्ट्रीयकृत कम्पनियों को मजबूत बनाने हेतु प्रयास कर रही है। हम किसी भी राष्ट्रीयकृत कंपनी में सरकारी पूंजी कम नहीं कर रहे हैं।

आगे, माननीय सदस्यों द्वारा अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, जी०आई०पी०एस०ए० इंडियन बैंक एशोसिएशन की तरह बहुत ही अच्छा संगठन है। वे एक साथ बैठते हैं और एक साथ निर्णय लेते हैं। वे एक-दूसरे के विरोधी नहीं है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तथा इससे वे और अधिक मजबूत होती जाएंगी। यदि हम हस्तक्षेप करते हैं तो हम अपनी ही कम्पनियों को कमजोर बनाएंगे। कृपया उनके मनोबल को बढ़ाएं उसे कमजोर करने की कोशिश न करें। मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके उनके मनोबल को बढ़ायें।

तत्पश्चात्, मेरे मित्र द्वारा श्री विष्णु भगवान अग्रवाल के बारे में जिक्र किया गया है जिनका मामला 17 सालों से चल रहा है। यद्यपि यह एक व्यक्तिगत मामला है, फिर भी मैं निश्चित तौर पर इसकी जांच करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष एल०आई०सी० और जी०आई०सी० अनेक शिकायतों का निपटारा कर रही हैं। 27 से भी अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। तीन साल से भी अधिक के 2.11 लाख दावे हैं। अब आई०आर०डी०ए० इसकी निगरानी कर रहा है। उन्होंने 270 शिकायतें प्राप्त की हैं तथा 219 शिकायतों का निपटारा किया है। कम्पनियां चाहे सरकारी हो अथवा निजी उन्हें उपयोगकर्ता, उपभोक्ता और पॉलिसी-धारक के अनुकूल होना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने आशंका जतायी है कि यदि सरकारी कम्पनियां इसी तरह से कार्य करती रहीं तो सरकारी कम्पनी के पास कौन जाएगा ? इसके साथ ही साथ, प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कंपनियों पर गर्व महसूस करता है। वर्तमान में सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंको और सरकारी बीमा कंपनियों पर ही जनता का भरोसा है, क्योंकि इसमें धोखा-धड़ी की संभावना नहीं है। वे ऐसा क्यों सोचते हैं ? वे ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें केन्द्र सरकार, बीमा क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र से आश्वासन प्राप्त है। बैंकों में तेजी से जमाराशि बढ़ रही है। यहां-वहां घोटाले हो रहे हैं तथा सरकार इसकी जांच भी कर रही है। यहां बात यह है कि निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं। हम उन कमियों का पता लगा सकते हैं। हम और सुधार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले आश्वासन दिया था, हम कुछ अनुभव प्राप्त करने के पश्चात इस कानून में संशोधन कर सकते हैं। हम समाज की प्रगति के लिए इस कानून को संशोधित कर सकते हैं। कोई भी सरकार यह नहीं कह सकती कि वह इस कानून में संशोधन नहीं करेगी। कानून एक सतत प्रक्रिया है। मैं यहां यही आश्वासन देना चाहता हूं।

मैं 74.26 लाख दावों के निपटान का जिक्र कर रहा था तथा मात्र 1.20 लाख दावे जीवन बीमा में लम्बित हैं। पॉलिसियों की काफी बड़ी संख्या है। सभी चार कंपनियों में कारोबार दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। कई सदस्यों ने मुझे सुझाव दिया है कि मुझे इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उतना अधिक विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैंने पहले ही कुछ आंकड़े दिए हैं – एल०आई०सी० 36 लाख पॉलिसियां; निजी – 27,000 जो आठ प्रतिशत है। जीवन बीमा क्षेत्र में उनका आंकड़ा 7.55 लाख है।

गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में उनका आंकड़ा 81,000 है। कानून के अनुसार सरकार सिर्फ वचनबद्ध ही नहीं है बल्कि सरकार बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के माध्यम से उनके व्यावसायिक कार्यकलापों की निगरानी भी कर रही है। सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों के कार्य की समय-समय पर समीक्षा भी कर रही है ताकि वे जनता के साथ धोखाधड़ी न कर सके। एक माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया कि किस प्रकार से गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने लोगों से बहुत सारा धन इकट्ठा करके गायब हो गयीं और काफी लोगों को चूना लगाया। इसलिए, हम निजी बीमा कंपनियों को जनता के साथ धोखा नहीं करने देंगे। जो विदेशों में हुआ वह अलग बात है। परन्तु भारत में आई०आर०डी०ए० उनके कार्यनिष्पादन का बारीकी से निगरानी कर रहा है। अगर कोई जुर्माना लगाया जाना है तो वह उन पर लगाया जाएगा। और यदि उन्हें कोई दण्ड दिया जाना है तो वह उन्हें दिया जायेगा। उनको देश के नियमों और विनियमों तथा कानूनों का पालन करना होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय कंपनियों के लिए अलग-अलग कानून नहीं हैं।

इसलिए मैं श्री बसुदेव आचार्य से यह अपील करता हूं कि वे यह न कहें कि यह राष्ट्र विरोधी उपाय है। क्योंकि हम श्रमिकों, चाहे वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अथवा समाज के किसी अन्य वर्ग हो, के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। आज तक किसी की भी छंटनी नहीं की गयी है। जैसा कि मैं आरम्भ में ही उल्लेख कर चुका हूं, वित्त मंत्री द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होने दी जाएगी तथा सामाजिक क्षेत्र के सभी दायित्वों को निष्ठापूर्वक पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : पाटील जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि इसे और मजबूत किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वर्तमान स्थिति में सरकार यह महसूस करती है कि अगर इसे बिना मर्जर डिलीट किया जाए तो क्या इसमें बाहर की शक्तियों के साथ लड़ने के लिए मजबूती हो पाएगी। अगर आपको यह चिन्ता है कि हो पाएगी तो इसका व्याख्यान कीजिए और अगर नहीं है तो इसे थोड़ा रोकिए, यही मेरा कहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मर्जर में उनसे लड़ने की ज्यादा ताकत मिलेगी।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मुंशी जी, आपकी बात सही है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था। आपका जो प्रस्ताव आया है,

आपको मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि आई०आर० डी०ए० और बाकी सिस्टम में मजबूती ला रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमें उसमें अमेंडमेंट करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि आपका जो सजेशन है, हमने यह नहीं कहा कि उसमें कोई ताकत, दम या वजन नहीं है।...*(व्यवधान)* हमें अमेंडमेंट लाने में कोई संकोच नहीं हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : इस बिल की जरूरत क्या थी ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : बिल की जरूरत थी, इसीलिए बिल आया। अगर जरूरत नहीं होती तो क्यों लाते।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी और अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं, उन्हें यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार उनकी बातों को ध्यान में रखेगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद यदि किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो सरकार, संशोधन लाने में कोई संकोच नहीं करेगी। मैं सभा को, एक बार पुन: यह आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण विधेयक के पारित होने के दौरान दिए गए सभी आश्वासन पूरे किए जाएंगे। हम मुक्त रूप से विचार कर रहे हैं। सरकार सीमित विचार के साथ कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि यह सामाजिक क्षेत्र का कारबार है। अत:, मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और इसे सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री रूपचन्द पाल : सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। अत:, हम इसके विरोध में सभा-भवन से बाहर जा रहे हैं।

सायं 06.13 बजे

(इस समय श्री रूपचन्द पाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : हम इस बिल से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम वाकआउट करते हैं।

सायं 6.13½ बजे

(तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बशीरहाट) : सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री के उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने हमारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। अत:, हम इसके विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

सायं 6.14 बजे

(इस समय श्री अजय चक्रवर्ती और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वाकआउट करता हूं।

सायं 6.14 बजे

(तत्पश्चात् श्री चन्द्रनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

धारा-2 का संशोधन

खंड-2

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2 पंक्ति 1,

"2001" के *स्थान* पर

"*2002*" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (3)

(श्री बालासाहिब विखे पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

धारा 2ग का संशोधन

खंड-3

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2 पंक्ति 17,

"2001" के *स्थान* पर

"*2002*" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (4)

(श्री बालासाहिब विखे पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

धारा 15 का संशोधन

खंड-4

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2 पंक्ति 23,

"2001" के *स्थान* पर

"2002" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

(**श्री बालासाहिब विखे** पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

धारा 31ख का संशोधन

खंड-7

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3 पंक्ति 2,

"2001" के *स्थान* पर

"2002" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

(श्री बालासाहिब विखे पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

खंड-1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"2001" के *स्थान* पर

"2002" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री बालासाहिब विखे पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"बावनवें" के *स्थान* पर

"तिरपनवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री बालासाहिब विखे पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 06.19 बजे

[अनुवाद]

(दो) बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंक सेवा आयोग अधिनियम 1984 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं यही कहूंगा कि हम इस अधिनियम का निरसन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री प्रवीण राष्ट्रपाल बोलेंगे।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : सभापति महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विधेयक से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत साधारण है, परन्तु यह उतना साधारण नहीं है। वास्तव में, इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि जब हम अपनी संसद में, इस प्रकार का विधेयक पुर:स्थापित करते हैं, तो यह साबित होता है कि प्रणाली विफल हुई है।

यह स्वीकार किया गया है कि 1984 से भर्ती के लिए आयोग की स्थापना की व्यवस्था के लिए बैंक सेवा आयोग अधिनियम 1984 से अधिनियमित किया गया था। इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने तक किसी भी सरकार, चाहे वर्तमान सरकार अथवा पिछली सरकार दोनों ने ही आयोग की नियुक्ति नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप वे अब इस सम्मानित सभा से इस विधेयक के निरसन का आग्रह कर रहे हैं।

परन्तु, मैं माननीय मंत्री का ध्यान विधेयक के पैरा 2 की अंतिम 3 पंक्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं। जो कि इस प्रकार :

"आयोग की स्थापना के प्रश्न का पुन: 1987 में पुनर्विलोकन किया गया था और यह विनिश्चित किया गया था कि इसे आस्थगित किया जाए क्योंकि बैंक सेवा भर्ती बोर्डों की पुनर्संरचित प्रणाली बैंकों के लिपिकीय कैडर और अधिकारियों की भर्ती के लिए समाधान पूर्ण रूप से कार्य कर रही थी।"

यहां उन्होंने यह स्वीकार किया कि बैंककारी क्षेत्र में बैंक सेवा भर्ती बोर्ड संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। उसी पृष्ठ पर उन्होंने इसके विपरीत भी विचार व्यक्त किए हैं। कृपया पैरा 3 देखें :

"समेकन और यंत्रीकरण के कारण जनशक्ति की आवश्यकताओं में कमी पर विचार करते हुए वर्ष 2001 2002 के बजट भाषण में, बैंक सेवा भर्ती बोर्डों को समाप्त करने के लिए, जिससे बैंक प्रबंध तंत्रों को अपनी स्वयं की भर्ती युक्ति बनाने में वृहत्तर स्वायत्तता प्रदान की जा सके, एक प्रस्ताव किया गया था। "

यह स्वत: विरोधाभासी है। पैरा 2 में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि बैंक सेवा भर्ती बोर्ड संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं और और पैरा 3 में उन्होंने बजट पेश करने के दौरान माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण का संदर्भ दिया गया है। वह इस बात का उल्लेख करते जा रहे हैं कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त करने के कारण नहीं बताए हैं।

इस समय मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा देश, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र देशों में से एक है, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय लेखा और लेखा-परीक्षा सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेल सेवा, आदि में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है।

इसी केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया जो समूह 'ग' और 'घ' में भर्ती करता है। हम सभी इस बात की प्रशंसा करते हैं और इस बात से सहमत होंगे कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के गठन और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के पश्चात् समाज के कमजोर वर्गों को संविधान के अनुसार समुचित भर्ती का अवसर मिल पाया है।

गुजरात के अनुभव के आधार पर मैं कहूंगा कि गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, देना बैंक और बैंक ऑफ इंडिया हैं। इन बैंकों की गुजरात राज्य में अधिकतम शाखाएं हैं। यदि आप 30 वर्ष पहले इन बैंकों की किसी भी शाखा मे जाते तो आपको एक जाति विशेष के लोग, एक ही उपनाम वाले लोग मिलते क्योंकि तब आरक्षण नहीं था। केवल 1976 मे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद ही बैंकिंग क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के गठन के पश्चात इसकी साक्षात्कार समिति, जिसमें या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि होता था, यहां मैं स्वीकार करूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ न्याय हो पाया। अब, हमारे देश में भर्ती के स्तर पर अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी आरक्षण प्राप्त है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) के लिए पदोन्नति के स्तर पर आरक्षण नहीं है। लेकिन जहां तक सरकारी सेवा के भर्ती का संबंध है उसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्राप्त है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब वह बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को ही समाप्त कर देना चाहती है तो संघ लोक सेवा आयोग को भी अभी तक क्यों बने रहना चाहिए। सरकर ने समूह 'ग' और 'घ' पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग भी अभी तक क्यों बनाए रखा है ? जहां तक केन्द्र सरकार में भर्तियों का संबंध है तो केन्द्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड की आवश्यकता महसूस करती है। यही केन्द्र सरकार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त कर रही है। सरकार की ओर से इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस सदन को बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त किए जाने के कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए। केवल एक कारण यह बताया गया है कि अधिनियम 1984 में पारित किया गया था लेकिन आज तक भी बैंकिंग सेवा आयोग की नियुक्ति नहीं गई गई है। इसके लिए कौन दोषी है।

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

— संसद सदस्य या सत्ताधारी दल ? हमें बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त करने के कारणों के बारे में बताये जाने की आवश्यकता है।

हमें यह बताये जाने की आवश्यकता है कि यदि इन बैंकों को स्वयं भर्ती के अधिकार दे दिए जाऐंगे तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार की नीति को कैसे कार्यान्वित करेंगे। अभी भी, वे समुचित रूप से नीतियों का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं। मुझे आशंका है कि एक बार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त करने के पश्चात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति खतरे में पड़ जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उनके हितों की किस प्रकार रक्षा करने जा रही है।

यह हमें सूचित कर रहे हैं कि मशीनीकरण और स्वचालित कार्य प्रणाली होने से बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अभी यह सही हो सकता है कि बोर्ड की आवश्यकता न हो क्योंकि लिपिक के स्थान पर आपको आंकडे भरने वाले संचालक (डाटा एन्ट्री आपरेटर) की आवश्यकता होगी। शायद पुराने लिपिक को कम्प्यूटर चलाना न आता हो। अत: मशीनीकरण के परिणामस्वरूप हो सकता है कि भर्ती का तरीका बदल जाए और आप लिखित और व्यवहारिक परीक्षाएं आयोजित कराने लगेगें। लेकिन पांच वर्ष के बाद, किसी की मृत्यु होने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेने की स्थिति में आपको एक बोर्ड की आवश्यकता होगी। आप यह कैसे कह सकते हैं कि एक सेना आयोग या भर्ती बोर्ड की आवश्यकता नहीं है ? पांच या दस वर्षों के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है। जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति नहीं ली है। व पांच वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होंगे। अत: पांच वर्ष पश्चात आप बैंकिंग क्षेत्र में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे करेंगे ? पांच वर्ष पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में आप डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लेकर चार्टर्ड एकाउंटेंट के पद तक पर कर्मियां की नियुक्ति कैसे करेंगे ? यहां इन सब पहलुओं को स्पष्ट नहीं किया गया है। यह विधेयक एक साधारण सा निरसन विधेयक लगता है। इसमें कोई समस्या नहीं है परन्तु हमें यह पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या सुविधाऐं, क्या सुरक्षा और कैसा तंत्र उपलब्ध कराने आ रही है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं एक ऐसी समस्या का सामना कर रहा हूं। जो कि असाधारण है। इस सदन ने 1984 में बैंक सेवा आयोग अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम को इसमें पारित होने के बाद कभी भी प्रभावी नहीं किया गया। हमने सदन में इस मामले पर चर्चा की थी और अधिनियम पारित किया था परन्तु सरकार ने आज तक उस अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया। यह एक बहुत अजीब सी स्थिति है जो कि संविधान के इतिहास में असाधारण है।

बैंक सेवा आयोग अधिनियम कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताओं को प्रभावी करने हेतु पारित किया गया था और सरकार ने यह महसूस किया था कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड पर्याप्त नहीं है। अत: एक सेवा आयोग का गठन किया जाना था। इसी को ध्यान में रखकर यह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने के पश्चात सरकार के मन में कुछ और था। इस अधिनियम को पारित किए जाने के पश्चात सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बोर्ड को जारी रखना ही पर्याप्त है। आयोग का गठन किए जाने की कोई आवश्यक नहीं है। सरकार का यह दृष्टिकोण था। इस अधिनियम के पारित होने के बाद भी बोर्ड कार्य करता रहा।

महोदय, जैसा कि मेरे विद्वान मित्र ने इंगित किया, सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि हालांकि बोर्ड संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहा है तथापि सरकार के लिए इस प्रकार बोर्ड के साथ कार्य करते रहना व्यवहार्य नहीं है। कारण यह बताया गया कि थोड़ा मशीनीकरण या कम्प्यूटरीकरण किया गया है कुल परिणाम क्या रहा।

महोदय, भारत एक ऐसा देश है जहां सरकारी सेवा में भर्ती के कुछ सिद्धान्त हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। अब मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े वर्गों को भी थोड़ा आरक्षण मिला हुआ है क्योंकि लोकतान्त्रिक भारत में सरकारी सेवा सबसे बड़ा नियोक्ता है। हमारे पास ऐसा अन्य नियोक्ता नहीं है। अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सभी व्यक्ति रोजगार के लिए सरकारी सेवा में रोजगार पाना चाहते हैं।

अब, बैंकिंग सेवा आयोग बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी देश भर में तथा प्रत्येक गांव में भी शाखाएं हैं, जहां नौकरी के लिए लोगों की भर्ती की जाती है।

महोदय, इससे थोड़ा पहले हमने सुना था कि बीमा कंपनियों का निजीकरण किया गया है। यह एक अन्य ऐसी सरकारी सेवा है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। वह भी समाप्त हो गई है। इसके बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को बीमा कंपनियों में नौकरी नहीं मिलेगी। क्या कोई गारंटी है ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनका निजीकरण किया गया है। इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं और हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के बारे में बहुत चिंता है। वे केवल अपने आदमी नियुक्त करेंगी। अत: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भगवान की दया पर छोड़ दिया जाएगा। उन्हें बीमा क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा ही बैंकिंग सेवा में होगा जो कि एक राष्ट्रीय आयोग है। वह अब सभी के लिए खुला है।

बैंकिंग सेवा में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निकाल दिया जाएगा। बैंकों में इनका ध्यान कौन रखेगा ? बैंक बैंकिंग व्यवसाय में धन निवेश कर रहे हैं। क्या वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त करने के इच्छुक हैं ? मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

के उम्मीदवारों का कुछ प्रतिशत नियुक्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निकाल दिया जाएगा। हमें पिछड़े वर्ग का इस प्रकार उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्णतया बाहर निकाल दिया जाएगा। मंडल आयोग की रिपोर्ट का बैंकिंग सेवा व बीमा कंपनियों में भर्ती के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे हमारा देश किस दिशा में जाएगा ? सरकार का इस मामले में कोई नीतिगत निर्णय नहीं है। यह एक लचीली सरकार है या ऐसा कहा जा सकता है कि सरकार का दिमाग कमोवेश एक रबड़ की मोहर जैसा है, जिसका अपना कोई निर्णय नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे कुछ लोगों के निहित स्वार्थों की सुरक्षा करने की इच्छुक हैं।

महोदय, जैसाकि मेरे विद्वान मित्र ने बताया है कि कतिपय बैंकों में पद किन्हीं समुदाय हेतु नियुक्ति के लिए आरक्षित थे। मुझे पता है कि हमारे बैंकों में यह प्रथा थी। अब, कतिपय बैंकों में केवल ब्राह्मण उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। इसमें शोषित वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं था। अब इन सभी लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। इसलिए, इसके पीछे यह तर्क अथवा औचित्य है कि कम से कम फिलहाल उन्हें बोर्ड को समाप्त नहीं करना चाहिए। बोर्ड को क्यों समाप्त किया जाए ?

अधिकार, यह वस्तुत: निरसन है। जिस समय यह अधिनियम पारित हुआ था, सरकार ने उसी समय इसे निरस्त कर दिया था। यह निरसन विधेयक 2002 में सभा में प्रस्तुत होगा लेकिन जब यह विधेयक 1985 में पारित हुआ था तभी यह निरस्त हो गया था। क्या आपने विश्व के किसी देश में ऐसा सुना है ? लेकिन यहां ऐसा हुआ है। इसे कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया, इसे किसी तुच्छ आधार पर कभी भी अधिसूचित नहीं किया गया था। सरकार ने कम से कम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा गरीबों के लिए साधारण आधार पर अथवा कुछ परिवर्तनों के साथ कुछ समय के लिए बोर्ड को समाप्त नहीं किया और बोर्ड कुछ कार्य कर रहा था। अब सरकार इस अधिनियम को निरस्त करने हेतु आगे आई है और इसके साथ ही जो बोर्ड पहले कार्य कर रहा था उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड को समाप्त क्यों किया जाए ? ऐसे अधिनियम को निरस्त करने के संबंध में मुझे कोई शिकायत नहीं है जो कभी लागू ही नहीं क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बोर्ड को समाप्त क्यों किया जाए ? बैंक के लिपिक तथा अन्य कर्मचारी इस बोर्ड द्वारा भर्ती किए जाते हैं। इसे क्यों समाप्त किया जाए ? बैंकिंग सेवा आयोग, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। को समाप्त करिए। हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमें बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त किए जाने के बारे में वास्तव में चिंता है। मंत्री महोदय बैंकिंग सेवा आयोग को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह अनावश्यक है जैसाकि मैंने पहले कहा है लेकिन वे इस बोर्ड को सभी शक्तियों सहित बने रहने की अनुमति दें क्योंकि कम से कम हमारा बैंकों पर कुछ नियंत्रण तो है। कतिपय बैंकों पर न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का नियंत्रण है। कम से कम ऐसे संस्थानों के लिए इस बोर्ड को बने रहना चाहिए।

इसके अलावा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा शर्तों के निर्धारण तथा पदोन्नति के मामलों के लिए भी यह बोर्ड अनिवार्य है। आप किस तरह इस बोर्ड को समाप्त कर सकते हैं ? बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तें कौन तय करेगा ? इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बोर्ड को बने रहने दिया जाए जो आपके अनुसार संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। बैंकिंग सेवा आयोग, जो कभी प्रभावी ही नहीं हुआ, को समाप्त करने के नाम पर इस बोर्ड को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता हूं और न इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह कभी लागू नहीं हुआ। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कुछ वर्षों के बाद पूरे विश्व में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा मुक्त व्यापार होगा। उस समय किसी भी बैंक की योजना सेवा तथा कुशलता को ही ध्यान में रखा जाएगा। इनकी कार्यकुशलता को ध्यान में रखे बिना ये राष्ट्रीयकृत बैंक निजी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय बैंक खुल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक खुल रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे बैंकों को भी अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना होगा।
(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : कार्यकुशलता की आवश्यकता है लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का क्या होगा ?

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : राधाकृष्ण जी, मैं बाद में इस बात पर आऊंगा। आप कृपया बात सुनिए। आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि आज मैं यहां किसका समर्थन कर रहा हूं।

महोदय, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का अलग अलग अस्तित्व है। उनके अपने प्रभाव क्षेत्र हैं तथा उन्हें क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता हासिल है। इसलिए, उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती करने हेतु उचित शक्तियां दी जानी चाहिए। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक औद्योगिक क्षेत्र में तो कुछ कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का बहुत अधिक क्षेत्रीय प्रभाव है। लेकिन क्योंकि उनके पास भर्ती संबंधी शक्तियां नहीं हैं इसलिए वे सही सेवा देने के लिए सही लोगों की भर्ती नहीं कर पाते हैं।

इस बदले हुए परिदृश्य में यह आवश्यक है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हम चाहें या न चाहें लेकिन हमें यह बात माननी पड़ेगी कि हमारे *हिन्दुत्व* में अभी भी सबसे बड़ा पाप [illegible] अस्पृश्यता की प्रथा प्रचलित है। जब तक हम अस्पृश्यता को पूर्णत: समाप्त नहीं कर देते और दलितों के जीवन स्तर तथा सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि उचित मानदण्ड और प्रणालियां विकसित की जानी चाहिए

[श्री सी०एन० राधाकृष्णन]

ताकि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के हितों की रक्षा कर सकें जिससे इन दलित लोगों को अपनी उचित हिस्सेदारी मिल सके और वे अपने जीवन में कुछ बन सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (राजगंज) : माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं अपने दल की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम इस निरसन विधेयक का समर्थन करते हैं। अब समय आ गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक अन्य बैंकों का मुकाबला करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करें, विशेष श्रेणी के अंतर्गत अपनी सेवा के अनुरूप लोगों की आवश्यकता की योजना बनाए। मैं, अपने दल की ओर से आपके माध्यम से माननीय मंत्री को कहना चाहता हूं कि वे सभा में एक बात की पुन: पुष्टि करें। सरकार द्वारा, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पहले यह घोषणा की गई थी कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अस्थिर करने की कोई योजना अथवा विचार नहीं है। मुझे आशा है कि जब इस निरसन विधेयक पर चर्चा समाप्त हो जाएगी तो माननीय मंत्री इस बात को दोहराएंगे। फिर भी सभा को पता होना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह मेरा पहला मुद्दा है।

दूसरा, माननीय मंत्री सभा को बताएं कि स्वतंत्र बैंकों की अपनी प्रबंधन योजना के अंतर्गत किस श्रेणी के लोगों को भर्ती नहीं किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो बैंक किस श्रेणी के लोगों को भर्ती करेगा।

तीसरा, मैं भर्ती नीति के संबंध में यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रत्येक बैंक हेतु इसी तरह की नीति पर विचार कर रही है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समान नीति हो सके। अन्यथा, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बात का निर्णय लेगा तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किसी और बात का निर्णय लेगा और ऐसी स्थिति में व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और स्थगन आदेश ले सकता है। इसलिए, उनकी विशेषज्ञता के संबंध में भर्ती नीति में एकरूपता होनी चाहिए।

अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भर्ती में आरक्षण के बारे में सभा को आश्वस्त करना चाहिए। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि जब बैंक ऐसा करे, तो उन्हें बैंकों में अपनी क्षमता के अनुरूप कार्मिक भर्ती करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भारत के संविधान में दिये गये आरक्षण मानदण्डों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यह अधिक समझदारी की बात होगी कि जब प्रत्येक बैंकिंग प्रबंधन अपने भर्ती प्रकोष्ठ बनाएं जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है तो उसमें कुछ ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए जिन्हें बैंकिंग उद्योग तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की विपणन योजना की जानकारी हो और जो स्थिति का बेहतर व्यवसायिक तरीके से सामना कर सके।

हम आपने दल की ओर से, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि चूंकि आपको बैंकों को प्राधिकार वापस देने का पुन: अवसर मिला है इसलिए कृपया बैंकों को यह संदेश दे दें कि उनको भावी भर्ती योजना चाहे जो भी हो, उन्हें व्यवसाय में अधिक कुशलता प्राप्त करनी होगी, अधिक बाजारोन्मुखी तथा अधिक प्रतिस्पर्धी बनना पड़ेगा।

विधेयक के संबंध में मेरा यह निवेदन है।

महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि आज इस निरसन विधेयक पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् कोई अन्य विधेयक न लिया जाए। बीमा विधेयक एक बड़ा विधेयक है जिस पर हम सोमवार को चर्चा कर सकते हैं। कल अध्यक्ष के चुनाव के बाद हम विधिक सेवा विधेयक पर चर्चा शुरू कर सकते हैं ताकि सभा का कार्य क्रमानुसार हो सके।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, हम इस बात पर सहमत है। हमने विपक्ष को कभी न नहीं कहा है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति जी, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूं। सरकार ने यह कदम बिलकुल उपयुक्त समय पर उठाया है। बैंक भर्ती बोर्ड का निरसन जरूरी था। जब मैं 11वीं लोक सभा में चुनकर आया था तब मैंने बैंक सेवा बोर्ड के बारे में कई निवेदन किए थे। बैंक की भर्ती के लिए जो परीक्षायें होती हैं, वे परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, यह हमारी डिमांड थी। हमारा यह कहना है कि बैंक में काम करने वाले कर्मचारी को यदि क्षेत्रीय भाषा नहीं आयेगी तब बैंक का कारोबार आगे कैसे चलेगा ? इसलिए हम 11वीं लोक सभा से यह मांग करते आ रहे हैं। कि बैंक सेवा की भर्ती के लिए परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए लेकिन बैंक सेवा आयोग ने उसकी अनदेखी की। मेरा कहना है कि बोर्ड का कोई काम नहीं है इसलिए आज जो इनका निरसन हो रहा है, यह एक अच्छा कदम है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बैंक सेवा आयोग में अभी तक जो भर्ती की गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वे भर्तियां कैसे की गई हैं। आज बैंक निजी क्षेत्र में आ गया है। निजी क्षेत्र की कार्य प्रणाली को देखते हुए सरकार का यह कदम अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य था।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

कुवंर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2002 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2002 यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर ईमानदारी से कार्य करेगा तो मैं अपना पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि पूरे समाज के अंदर 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं और 54 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग हैं। अगर आपकी मंशा ठीक है तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी नई भर्तियां होंगी, उनमें अनुसूचित जातियों को उनके हिस्से के मुताबिक और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के मुताबिक आरक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसमें जिस तरह से विश्व व्यापार संगठन का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, उससे मुकाबला करने के लिए और उस प्रतिस्पर्धा में सही तरीके से निपटने के लिए जिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को हम अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय बैंकों पर हमें लगाम लगानी चाहिए और उनके अंदर भी इस विधेयक का अनुपालन करने के लिए स्पष्ट तौर पर दबाव डालना चाहिए। अभी हमारा जो अनुभव है, हमारी जो वर्तमान बैंकिंग प्रणाली है उसमें अभी तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण का कार्य सही ढंग से नहीं कर पाये हैं।

उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना सरकार द्वारा लागू की गई, लक्ष्य के सापेक्ष यदि उनके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण के आंकड़ों को देखें तो हम कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, उन सम्पूर्ण किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में 20 से 25 साल लगेंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि आज जो प्रतिस्पर्धा है। *(व्यवधान)* जायसवाल जी, आप जरा सुनिये। आप वृजुग हैं इसलिये सुनिये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : इसका इससे क्या संबंध है ? *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : इसका संबंध है। जब आप आगे सुनेंगे तब आपको नजर आयेगा। *(व्यवधान)* आप तो शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांव के दर्द से आपको कोई वास्ता नहीं है। गांव की बात आप सुनना ही नहीं चाहते। *(व्यवधान)*

आज ग्रामीण क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय बैंक भी अपनी भूमिका सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी सोच के मुताबिक, उनके कथन के मुताबिक जो ग्रामीण क्षेत्र है, वह उनके लिए अलाभकारी है। जब अंतर्राष्ट्रीय बैंक इस देश के अंदर आयेंगे, उनको अगर हमने खुली छूट दे दी तब पूरी प्रतिस्पर्धा शहरी क्षेत्रों में ही सिमट कर रह जायेगी। तब मजबूर होकर राष्ट्रीय बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों से अपना ध्यान और हटाना पड़ेगा और फिर ग्रामीण क्षेत्र और ज्यादा उपेक्षित होंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्र की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें उन सारे प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों पर भी लागू करना चाहिए जिससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, मैं बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के माध्यम से 1984 का जो अधिनियम था, इस आयोग का उसके अन्तर्गत गठन हुआ था और वे बैंकिंग के क्षेत्र में भर्ती करने का काम कर रहे थे। इसमें परिवर्तन करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। 2000-01 के बजट में वित्त मंत्री जी ने इस आशय की घोषणा की थी। सरकार ने जो कहा, वह किया जा रहा है। भर्तियां होने में जो देर लगती थी, सारा मामला एक ही जगह केन्द्रित था, बैंकवाइज होने के कारण भर्तियां जल्दी हो सकेंगी और रिक्तियां जल्दी से जल्दी भरने का प्रयास किया जा सकेगा। मैं इस अवसर पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि 1995-96 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए थे, उसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की भर्ती और आरक्षण संबंधी सुविधाओं पर भी रोक लग गई थी। उसके कारण 1997 से अभी तक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पता नहीं कैसा ग्रहण लगा है, भगवान ऊपर से नाराज है या क्या है, 1997 से आज तक लगातार इसी प्रकार की स्थिति बनती जा रही है। इस सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण संबंधी सुविधाएं देने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। जो सुविधाएं अमान्य कर दी गई थी, उनको फिर से बहाल कर दिया और उसके आधार पर भर्ती करने के लिए आदेश जारी कर दिए। आदेश पर अमल होने की कार्यवाही शुरू हो, इसी बीच बैंक सेवा आयोग का निरसन हो रहा है। अब बैंकवाइज़ भर्ती के प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है। मुझे नहीं मालूम 10-15 दिन में इस संबंध में कोई आदेश जारी हुए या नहीं परन्तु 15-20 दिन पहले तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकी थी कि बैंकवाइज भर्ती करने का काम प्रारंभ किया जा सके। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे बैंक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती कराएं या बैंकवाइज़ भर्ती करने की व्यवस्था करें परन्तु अब तय हो गया है कि अधिनियम निरसित हो रहा है और अब बैंक द्वारा भर्ती के काम को किया जाने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी बैंकों को आदेशित किया जाए कि जो स्थान लम्बे समय से रिक्त हैं, उनको तत्काल भरने की कार्यवाही करें और ऐसे नियम, कानून बनाएं कि उनमें निष्पक्षता बनी रहे, बेईमानी, भ्रष्टाचार का वातावरण नहीं बने और जल्दी से जल्दी भर्ती की कार्यवाही हो सके। जो लोग भर्ती होना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और जो सुविधाएं पहले से दी जा रही थीं, वे सब सुविधाएं मिलें, तब इसकी सार्थकता होगी नहीं तो हम मानेंगे कि इस आयोग को भर्ती करने के

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

जो अधिकार थे, वह अधिनियम निरसित कर दिया और नया कोई कानून भी नहीं बना, बैंकों को कोई नई व्यवस्था नहीं की जिसके कारण परेशानी होगी। मुझे विश्वास है कि सरकार ने जिस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अधिकारों को जो कोर्ट के निर्णय ने समाप्त कर दिया था, उनको बहाल किया है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे, आदेश जारी करेंगे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, यह जो बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 में संशोधन लाने का विधेयक मंत्री महोदय लाये हैं, यह बहुत अच्छी बात है कि जो बैंक का रिक्रूटमेंट बोर्ड था, उसका जो अनुभव है, आपने आने के बाद इसमें आप संशोधन कर रहे हैं।

जो भी रिक्रूटमंट है, चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट्सय का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, उसमें सुधार लाने की बात आप सोच रहे हैं, यह अच्छी बात है। जो बैंकों में काम करने वाले लोग हैं, उनका रिक्रूटमेंट आपको करना है, उसके लिए जो संशोधन आप यहां लाये हैं, उसमें हमारा सुझाव इतना ही है कि एस०सी० एस०टी० का बैकलॉग बहुत बार भरने के बावजूद सभी बैंकों में भरा तो है, मगर पूरा बैकलॉग भरने के लिए उतना उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। क्लास वन और सुपर क्लास वन में एस०सी० एस०टी० का बैकलॉग ठीक तरह से नहीं भरा जाता है। मेरा मंत्री महोदय को इतना ही सुझाव है कि एस०सी० का जो 15 परसेंट रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 7.5 परसेंट रिजर्वेशन एस०टी० के लिए है, अगर आप उनकी पोपुलेशन 1991 की सेंसस की मुताबिक देखते हैं तो एस०सी० एस०टी० की पोपुलेशन कम से कम 27 परसेंट तक है, इसलिए गवर्नमेंट को यह निर्णय लेने की आवश्यकता है, कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। जब 26 जनवरी, 1950 को कांस्टीट्यूशन बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने देश में बहाल किया था, तब एस०सी० एस०टी० की पोपुलेशन 22.5 परसेंट थी, मगर आज हम देखते हैं तो कम से कम वह पांच परसेंट बढ़ गई है, इसलिए एस०सी० एस०टी० के रिजर्वेशन का परसेंटेज पांच परसेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी सूचना हमारी इतनी ही है कि 15 परसेंट और 7.5 परसेंट रिजर्वेशन का मतलब यह है कि हर कैटेगरी में इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब क्लास वन और सुपर क्लास वन में देना चाहिए। इसी तरह की बात गवर्नमेंट की बैंकिंग सर्विस में होती है। कांस्टीट्यूशन का सही अर्थ निकालने की आवश्यकता है। एस०सी० के लिए 15 परसेंट, मतलब क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री और क्लास फोर में उतना रिजर्वेशन होना चाहिए और 7.5 परसेंट एस०टी० के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में इतना रिजर्वेशन भरने की आवश्यकता है।

दूसरी बात इतनी है कि चाहे कोआपरेटिव बैंक हो या नेशनलाइज्ड बैंक हो, वहां अगर क्लैरीकल पोस्ट हमें चाहिए तो भ्रष्टाचार का जो सवाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में एकाध नौजवान अगर बी०ए०, बी०कॉम या बी०एस०सी० कर लेता है और अगर उसको बैंक में सर्विस चाहिए तो एक-डेढ़ लाख रुपये चाहिए। मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि इसकी जांच होने की आवश्यकता है। जो कम्पलेंट्स हमारे पास आती हैं, उसके मुताबिक गांव का एकदम इकोनामिकली बैकवर्ड नौजवान, चाहे एस०सी० एस०टी० का हो या जनरल कैटेगरी का हो, मगर उसे कम से कम डेढ़-दो लाख रुपये चाहिए। पंजाब का एक्सपीरिएंस हम लोग देख रहे हैं, केवल पंजाब में ही नहीं, जगह जगह पर ऐसा होता है। इसके बारे में मंत्री महोदय को सोचने की आवश्यकता है। अगर रिक्रूटमेंट में कोई भ्रष्टाचार करता है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमारे देश में आपकी सरकार को अगर अच्छा काम करना है तो ऐसा काम करने वाले लोगों को ठीक करने की आवश्यकता है। यह काम आप करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी होना चाहिए। जैसे हम लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, सरकार जो काम अच्छा करती है, उसका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो काम अच्छा नहीं करती है, उसका विरोध करने के लिए हम यहां चुनकर आये हैं। आप यह जो बिल लाये हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार में आप जैसे अच्छे मिनिस्टर भी हैं। अभी आप शिवसेना में हैं, वह अलग बात है, मगर उसके बावजूद भी आप इधर चले गये, इसलिए मंत्री बन गये। आप पहले कांग्रेस में थे तो पांच-छः बार चुनकर आये, मगर एक बार भी आपने उनको मौका देने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए वे शिवसेना में गये और वहां से चुनकर आने के बाद आपको मंत्री पद मिला है। अगर आप मंत्री बने हैं तो आपको अच्छा काम करने की आवश्यकता है। इस बिल का हम पूरा समर्थन करते हैं। आप रिक्रूटमेंट को अच्छा करने का प्रयत्न करें। हम इस बिल पर आपके साथ हैं, मगर बाकी के काम में हम आपके साथ नहीं हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि शासन की ओर से ऐसा विचार करना चाहिए कि जो पिछड़े और दलित आरक्षण की बात है, इसमें अतिपिछड़े और अतिदलितों को भी वह दुनिया मिल सके। इसके लिए अगर भविष्य में कोई बिल ला सकें तो अच्छा रहेगा।

सायं 7.00 बजे

कुवंर अखिलेश सिंह : यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अभी केन्द्रीय स्तर पर आपने तय नहीं किया है। सदन के नेता द्वारा यह बात कहनी चाहिए कि अतिपिछड़ों का फार्मूला केन्द्र से हो। यह वित्त मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : सभापति महोदय, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी सहमति और समर्थन इस बिल पर दिया है। सभी लोगों को जानकारी है कि 1984 में यह कमीशन हुआ

था। 1987 में रिव्यू हुआ और बाद में तय हुआ कि इसके कोई मायने नहीं रहे, रिपील जल्दी होना चाहिए था, उस पर अमल नहीं हो सका। लेकिन आज की तारीख से यह खारिज होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की जहां तक बात है, सरकार भी उससे सहमत है, वचनबद्ध है कि वह होना चाहिए। यहां बैंक सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि वह एबॉलिश हो चुका है और 19 सितम्बर, 2001 को सभी बैंकों को आदेश दे दिया गया था कि वे अपने हिसाब से सरकार की स्ट्रेटजी के अनुसार रिक्रूटमेंट करें। उसमें स्पष्ट कहा गया है :

[अनुवाद]

> ''चयन प्रक्रिया सभी मायनों में उचित, न्यायोचित, यथार्थ और निष्पक्ष होनी चाहिए तथा इसके अंतर्गत सभी पत्र उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित पात्रता के मानदण्डों में छूट के साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त व्यक्तियों आदि के लिए पदों में आरक्षण का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, आदि के उम्मीदवारों को शुल्क तथा अंकों में उसी तरह की छूट दी जाए जिस तरह की छूट उन्हें इस समय दी जाती है। साक्षात्कारों के लिए गठित चयन समितियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। भर्ती संबंधी नीति में ग्रामीण पृष्ठभूमि अथवा समाज के कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।''

[हिन्दी]

उसमें हमने यह भी जोड़ दिया है कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बिठाई थी कि, ''इन सभी तीन-चार श्रेणियों की क्षेत्रीय भाषाओं में जांच की जानी चाहिए।'' क्षेत्रीय भाषाओं को भी पूरा महत्व दिया गया है। सरकार ने यह बात मान ली है।

जो दासमुंशी जी ने कहा है कि बैंक को ज्यादा से ज्यादा आटोनॉमी हो, उसमें प्रोफेशनल लोग, आई०टी० के लोग, स्किल्ड लोग, नई टेक्नोलॉजी आए, तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रोफेशनलिज्म इज फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनमिक सेक्टर, में जरूरत के हिसाब से होगा। अभी दो बैंकों ने विज्ञापन दिया है, कार्पोरेशन बैंक और पी०एन०बी०। जैसे-जैसे इस पर अमल होगा, एस०सी०, एस०टी०, ओ०बी०सी०, और एक्स सर्विसमैन जितने भी ये लोग हैं, इनका सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जाएगा। पहले जो इनको इंटरव्यू के समय आने जाने के लिए पैसा मिलता था, वह मिलेगा और इंटरव्यू में भी क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल होगा।

मैं पुनः सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पास करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब लोक सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 10 मई, 2002/20 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

©2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।